

संशोधित प्रति
28.7.2001

सर्व शिक्षा अभियान

दीर्घ कालीन योजना
(2001-2010)

तथा

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट
(2001-2002)

जनपद - इलाहाबाद

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE

National Institute of Educational
Planning and Administration.

17-B, Connaught Place, New Delhi-110086.

Name of the Document D-12145

DOC. No. 05-13-3003

Date 05-13-2003

NIEPA DC ✓



D12145

इलाहाबाद

अनुक्रमणिका

| क्र० सं० | अध्याय | पृष्ठ संख्या |
|----------|--|--------------|
| 1. | जिले की पृष्ठभूमि | 1-5 |
| 2. | शैक्षिक परिदृश्य | 6-17 |
| 3. | नियोजन प्रक्रिया | 18-37 |
| 4. | सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य | 38-41 |
| 5. | समस्याएं एवं रणनीतियाँ | 42-45 |
| 6. | शिक्षा की पहुँच का विस्तार-1, (नवीन विद्यालय) | 46-50 |
| 7. | शिक्षा की पहुँच का विस्तार-1, (ई०जी०एस०/ए०आई.ई०) | 51-61 |
| 8. | ठहराव में वृद्धि | 62-83 |
| 9. | प्राथमिक शिक्षा में गुणात्मक उन्नयन | 84-119 |
| 10. | परियोजना प्रबन्ध एवं अनुश्रवण | 120-143 |
| 11. | परियोजना लागत | 144-157 |
| 12. | वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट | 158-168 |
| | परिशिष्ट | |
| | महत्वपूर्ण शासनादेश | |

अध्याय-1

जनपद का परिचय

पृष्ठभूमि -

जनपद इलाहाबाद उ०प्र० का एक प्रमुख शहर है जिसमें गंगा, यमुना तथा सरस्वती का पावन संगम है। इलाहाबाद का सम्पूर्ण क्षेत्रफल 5248.2 वर्ग किलोमीटर है। जनपद में कुल 7 तहसीलें, 20 विकास खण्ड हैं, इनमें जमुना पार में 4 तहसील, 9 विकास खण्ड तथा गंगा पार में 3 तहसील, 11 विकास खण्ड हैं। इलाहाबाद का नगर क्षेत्र का एरिया 116.2 वर्ग किलोमीटर है और ग्रामीण क्षेत्र 5132.0 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। 2001 के अनुसार इलाहाबाद की जनसंख्या 4941510 है, जिसमें 2625872 पुरुष 2315638 महिलायें हैं। जातिवार जनसंख्या एवं उनका प्रतिशत अभी प्राप्त नहीं हुआ है। अतः जनगणना 1991 की सूचना दी जा रही है। जनपद में 0-6 वर्ष में बच्चों की कुल संख्या जनगणना 2001 के अनुसार 852215 है। जो कुल संख्या का 17.2 प्रतिशत है।

| क्र०सं० | विवरण | पुरुष | महिला | योग | प्रतिशत |
|---------|---------------|---------|---------|---------|---------------|
| 1. | कुल | 2008381 | 1755530 | 3763911 | |
| 2. | अनुसूचित जाति | 422994 | 378953 | 801947 | 21.30 प्रतिशत |
| 3. | जनजाति | 1236 | 939 | 2175 | 0.057 प्रतिशत |

यमुनापार के दक्षिणी तथा पूर्वी छोर पर स्थित विकास खण्ड शंकरगढ़, कोरांव तथा माण्डा का भूभाग पर्वतीय तथा गैर-उपजाऊ है जो मध्य प्रदेश की सीमा को छूता है तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्र के रूप में पहचाना जाता है। यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि, पशुपालन तथा मजदूरी है, छोटी-छोटी नदियों व नालों से घिरी भूमि अनुपजाऊ है। गंगापार क्षेत्र का उत्तरी हिस्सा जनपद- प्रतापगढ़, जौनपुर तथा पूर्वी हिस्सा जनपद- सन्त रविदास नगर से मिला है। यहाँ की भूमि समतल है तथा यहाँ के निवासियों का मुख्य पेशा कृषि तथा कृषि पर आधारित कुटीर उद्योग है। जनपद की पश्चिमी सीमा जनपद कौशाम्बी से लगी है जो 1998 में इलाहाबाद से अलग होकर पृथक जनपद के रूप में अस्तित्व में आया है।

इलाहाबाद शिक्षा का प्रमुख केन्द्र रहा है। वर्तमान में भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा का एक प्रमुख ख्याति प्राप्त केन्द्र है। इलाहाबाद में कुल 20 डिग्री कालेज, 326 माध्यमिक विद्यालय हैं, इसके अतिरिक्त तीन विश्वविद्यालय तथा मेडिकल और इंजीनियरिंग कालेज स्थित हैं। प्रशिक्षण केन्द्र

के रूप में भी इलाहाबाद की अपनी एक पहचान है। यहाँ पर राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनेक विभाग जैसे राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, मनोविज्ञान शाला, शिक्षा प्रसार, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान, आई.ए.एस.सी. (राजकीय सी.पी.आई.) स्थापित है। इनके अतिरिक्त शैक्षिक प्रवन्धन एवं नियोजन के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु राज्य शैक्षिक प्रवन्धन एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। प्रदेश स्तर की संस्थाओं में शिक्षा निदेशालय माध्यमिक शिक्षा परिषद, बेसिक शिक्षा परिषद, राजस्व परिषद, वार कौंसिल, उच्च न्यायालय, पुलिस मुख्यालय, राजकीय मुद्रणालय के मुख्यालय भी यहीं पर स्थित हैं। इलाहाबाद व्यवसायिक केन्द्र भी है और अधिकांश जंग नौकरी से जुड़े हैं। यमुनापार का नैनी क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र है, जहाँ 40 फैक्टरियाँ हैं। गंगापार क्षेत्र में इफको फूलपुर, तथा मजआइमा कताई मिल औद्योगिक संस्थान के रूप में प्रमुख स्थान रखता है।

प्रशासन व्यवस्था-

प्रशासन व्यवस्था की दृष्टि से जनपद में कुल 208 न्याय पंचायतें 1378 ग्राम पंचायतें और 2978 राजस्व ग्राम स्थित हैं, जो निम्नलिखित सारणी 1 में प्रदर्शित हैं-

सारणी-1.1

प्रशासनिक संरचना

| क्रमांक | मद | संख्या |
|---------------|--------------------|--------|
| 1. | तहसील | 7 |
| 2. | विकास खण्ड | 20 |
| 3. | न्याय पंचायत | 208 |
| 4. | ग्राम सभाएं | 1378 |
| 5. | राजस्व ग्राम | 2978 |
| 6. | बस्तियों की संख्या | 5531 |
| नगरीय क्षेत्र | | |
| 1. | नगर निगम | 01 |
| 2. | नगर महापालिका | 01 |
| 3. | नगर पालिका | - |
| 4. | टाउन एरिया | 9 |
| 5. | वार्ड | 169 |

स्रोत : 1991 की जनगणना

विकास खण्डवार इसका विवरण निम्नवत् है-

सारणी-1.2

प्रशासनिक संरचना

| क्र० सं० | विकास खण्ड का नाम | न्याय पंचायतों की संख्या | ग्राम पंचायतों की संख्या | राजस्व ग्रामों की संख्या | वस्तियों की संख्या |
|----------|-------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1. | शंकरगढ़ | 10 | 60 | 211 | 349 |
| 2. | जसरा | 9 | 60 | 114 | 172 |
| 3. | चाका | 8 | 49 | 132 | 179 |
| 4. | करछना | 11 | 71 | 131 | 371 |
| 5. | कौंधियारा | 8 | 44 | 81 | 207 |
| 6. | कोरांव | 11 | 99 | 211 | 333 |
| 7. | मेजा | 9 | 60 | 159 | 259 |
| 8. | उरुवा | 8 | 54 | 120 | 261 |
| 9. | माण्डा | 8 | 65 | 183 | 268 |
| 10. | कोडिहार | 12 | 67 | 150 | 221 |
| 11. | सोरांव | 9 | 57 | 112 | 122 |
| 12. | होलागढ़ | 11 | 57 | 92 | 300 |
| 13. | मऊआइमा | 11 | 52 | 93 | 201 |
| 14. | बहरिया | 13 | 95 | 210 | 465 |
| 15. | फूलपुर | 11 | 80 | 153 | 223 |
| 16. | बहादुरपुर | 18 | 93 | 201 | 230 |
| 17. | हँडिया | 10 | 69 | 133 | 213 |
| 18. | सैदाबाद | 11 | 85 | 161 | 238 |
| 19. | धनुपुर | 10 | 89 | 200 | 473 |
| 20. | प्रतापपुर | 10 | 72 | 131 | 446 |
| | योग- | 208 | 1378 | 2978 | 5531 |

स्रोत : 1991 की जनगणना।

जनपद में 263 राजस्व ग्राम गैर आवाद हैं। जनपद में नगर महापालिका 1 तथा 10 अन्य छोट नगर इकाइयाँ विभिन्न विकास खण्डों में स्थित हैं। नगर महापालिका में कुल 80 वार्ड, नगर लातगोपालगंज में 9 वार्ड तथा टाउन एरिया शंकरगढ़, कोरांव, फूलपुर, तिरसा, भारतगंज, मऊआइमा, झूस तथा हँडिया में क्रमशः 9, 10, 10, 12, 10, 14, 12 तथा 12 वार्ड हैं।

जनसंख्या

1991 की जनगणना के अनुसार इलाहाबाद की कुल जनसंख्या 3773911 है तथा प्रति वर्ष वृद्धि दर 2.29 के आधार पर वर्ष 2001 में जनपद की कुल जनसंख्या 4876573 अनुमानित है। कुल जनसंख्या में ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या 74.4 प्रतिशत है तथा नगरीय जनसंख्या 25.6 प्रतिशत है। कुल जन संख्या में पुरुष तथा महिला का प्रतिशत क्रमशः 53.2 तथा 46.8 है। अनुसूचित जाति की आबादी 21.24 प्रतिशत है, जिसका विकास खण्डवार विवरण निम्नवत है:-

सारणी-1.3

जनसंख्या का विवरण

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | 1991 की कुल जनसंख्या | | | 2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या | | |
|-------------|-------------------|----------------------|---------|---------|-------------------------------|---------|---------|
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| 1. | शंकरगढ़ | 54642 | 47983 | 102625 | 71581 | 62858 | 134439 |
| 2. | जसरा | 60462 | 51937 | 112399 | 60883 | 52016 | 112899 |
| 3. | चाका | 69135 | 58135 | 127270 | 90567 | 76157 | 166724 |
| 4. | करछना | 83299 | 71635 | 154934 | 115578 | 10095 | 215673 |
| 5. | कौधियारा | 53006 | 46198 | 99204 | 69437 | 60519 | 129956 |
| 6. | कोरांव | 97857 | 84992 | 182849 | 128193 | 111340 | 239533 |
| 7. | मेजा | 62773 | 54516 | 117289 | 76583 | 66509 | 143092 |
| 8. | उरुवा | 69112 | 62275 | 131387 | 90275 | 81842 | 172117 |
| 9. | माण्डा | 61773 | 55481 | 117254 | 81923 | 72680 | 153603 |
| 10. | कोडिहार | 74802 | 67092 | 141894 | 97991 | 87890 | 185881 |
| 11. | सोरांव | 70566 | 62897 | 133463 | 86091 | 76734 | 162825 |
| 12. | होलागढ़ | 64389 | 60945 | 125334 | 65144 | 59390 | 124534 |
| 13. | मऊआइमा | 61330 | 56768 | 118098 | 80342 | 74367 | 154709 |
| 14. | बहरिया | 94558 | 86689 | 181247 | 123871 | 113563 | 237434 |
| 15. | फूलपुर | 78160 | 71758 | 149918 | 102390 | 94003 | 196393 |
| 16. | बहादुरपुर | 110930 | 97194 | 208124 | 145318 | 127124 | 272442 |
| 17. | हंडिया | 72570 | 65228 | 137798 | 114340 | 95951 | 210291 |
| 18. | सैदाबाद | 87598 | 78828 | 166426 | 114753 | 103264 | 218017 |
| 19. | धनुपुर | 78939 | 72477 | 151416 | 103411 | 95075 | 198486 |
| 20. | प्रतापपुर | 77403 | 72972 | 150375 | 101398 | 95593 | 196991 |
| | योग ग्रामीण | 1483104 | 1326200 | 2809304 | 1920069 | 1616970 | 3626039 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 525277 | 429330 | 964607 | 688112 | 562422 | 1250534 |
| | महा योग | 2008381 | 1755530 | 3773911 | 2608181 | 2179392 | 4876573 |

स्रोत : 1991 की जनगणना

नोट : जनगणना 2001 की क्षेत्रवार जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या का विवरण इस प्रकार है :-

सारणी-1.4

विकास खण्डवार अनुसूचित जाति की जनसंख्या

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | 1991 की कुल जनसंख्या | | | 2001 की अनुमानित कुल जनसंख्या | | |
|-------------|-------------------|----------------------|--------|--------|-------------------------------|--------|---------|
| | | पुरुष | महिला | योग | पुरुष | महिला | योग |
| 1. | झंकरगढ़ | 17785 | 15709 | 33494 | 23298 | 20579 | 43877 |
| 2. | जसरा | 13402 | 11728 | 25130 | 16350 | 14308 | 30658 |
| 3. | चाका | 18021 | 15582 | 33603 | 23608 | 20412 | 44020 |
| 4. | करछना | 15149 | 13199 | 28348 | 20998 | 18979 | 39977 |
| 5. | जौधियारा | 13468 | 11902 | 25370 | 18481 | 15592 | 34073 |
| 6. | कोरांव | 28542 | 24837 | 53379 | 37390 | 32536 | 69926 |
| 7. | नेजा | 14232 | 12487 | 26719 | 17363 | 15234 | 32597 |
| 8. | उरुवा | 16058 | 14151 | 30209 | 21036 | 18538 | 39574 |
| 9. | नाण्डा | 15464 | 13724 | 29188 | 20258 | 17978 | 38236 |
| 10. | कोडिहार | 17051 | 15943 | 32994 | 22390 | 20832 | 43222 |
| 11. | सोरांव | 19467 | 17774 | 37241 | 23750 | 21684 | 45434 |
| 12. | होलागढ़ | 15949 | 15693 | 31642 | 20893 | 20557 | 41450 |
| 13. | नऊआइमा | 14478 | 14037 | 28515 | 18966 | 18388 | 37354 |
| 14. | बहरिया | 23484 | 21994 | 45478 | 30782 | 28788 | 59570 |
| 15. | फूलपुर | 18170 | 16682 | 34852 | 23622 | 21686 | 45308 |
| 16. | बहादुरपुर | 27328 | 23860 | 51188 | 35800 | 31257 | 67057 |
| 17. | हंडिया | 14825 | 13255 | 28080 | 19416 | 17361 | 36777 |
| 18. | सैदाबाद | 20315 | 18261 | 38576 | 26612 | 23921 | 50533 |
| 19. | धनुपुर | 16664 | 15735 | 32399 | 21828 | 20613 | 42441 |
| 20. | प्रतापपुर | 18915 | 17883 | 36798 | 24779 | 23426 | 48205 |
| | योग ग्रामीण | 358767 | 324436 | 683203 | 455814 | 411131 | 866945 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 54227 | 54517 | 118744 | 84137 | 71417 | 155554 |
| | महा योग | 412994 | 378953 | 801947 | 539951 | 482548 | 1022499 |

स्रोत : 1991 की जनगणना

नोट : जनगणना 2001 की क्षेत्रवार जनसंख्या अभी प्राप्त नहीं हुयी है।

अध्याय-2

शैक्षिक परिदृश्य

वर्ष 1993-94 से 2000 तक जनपद में सभी के लिये शिक्षा परियोजना चलाई गई जिसका मुख्य उद्देश्य लक्ष्यगत बच्चों का विद्यालयों में शतप्रतिशत नामांकन कराना एवं विद्यालय में उनका ठहराव सुनिश्चित करना तथा न्यूनतम अधिगम स्तर की सम्प्राप्ति का लक्ष्य प्राप्त करना रहा है। इसकी पूर्ति हेतु नवीन 770 प्रा.वि. 166 उ.प्रा.वि. खोले गये, 819 हैण्ड पम्प, 1563 शौचालयों का निर्माण कराया गया तथा शिक्षकों को विविध प्रकार के सेवारत/पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण दिये गये। इन प्रयासों के बाद भी वांछित लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका जिसे सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया गया है।

साक्षरता

1991 की जनगणना के अनुसार जनपद की कुल साक्षरता 46.3 प्रतिशत है जिसमें पुरुषों का दर 63 प्रतिशत तथा महिलाओं का 26.3 प्रतिशत है, जनपद की साक्षरता का विवरण निम्नलिखित सारणी में दिया गया है-

सारणी-2.1

जनपद की साक्षरता

| जनपद की साक्षरता दर | प्रतिशत |
|----------------------------|---------|
| कुल साक्षरता | 46.3 |
| ग्रामीण साक्षरता | 37.2 |
| नगरीय साक्षरता | 70.9 |
| कुल पुरुष साक्षरता | 63.1 |
| कुल महिला साक्षरता | 26.8 |
| कुल ग्रामीण पुरुष साक्षरता | 56.8 |
| कुल ग्रामीण महिला साक्षरता | 15.0 |
| नगरीय पुरुष साक्षरता | 79.3 |
| नगरीय महिला साक्षरता | 60.3 |

स्रोत : 1991 की जनगणना

वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार जनपद की साक्षरता दर 62.89 प्रतिशत है। पुरुष साक्षरता दर 77.13 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 46.61 प्रतिशत है विगत दशक में साक्षरता दर में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी है।

साक्षरता की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में विनिम्नता है। विकास खण्डवार साक्षरता के आकड़ों से यह बात भली प्रकार परिलक्षित होती है कि जहाँ कौंधियारा विकास खण्ड की साक्षरता 29.6% है वहीं विकास खण्ड उरुवा की साक्षरता 46.2% है। एक ओर कौंधियारा की महिलाओं की साक्षरता

9% है वहीं विकास खण्ड उरुवा में महिला साक्षरता 18.9% है। इससे स्पष्ट होता है कि जनपद के कुछ क्षेत्र शैक्षिक दृष्टि से विकसित हैं वहीं अधिकांश क्षेत्रों के लिये अभी बहुत कुछ किया जाना अवशेष है। नगरीय क्षेत्र का कुल साक्षरता प्रतिशत 73.9 में पुरुषों की साक्षरता 79.3 प्रतिशत और महिलाओं की साक्षरता 60.3 प्रतिशत है, जबकि ग्रामीण क्षेत्र की कुल साक्षरता 37.2% में पुरुषों तथा महिलाओं की साक्षरता क्रमशः 56.8% तथा 15.0% है। जनपद तथा विकास खण्डवार साक्षरता विवरण सारणी 2.1 तथा 2.2 में प्रदर्शित है।

सारणी-2.2

साक्षरता दर (वर्ष 1991 के अनुसार)

| क्रम संख्या | विकास खण्ड का नाम | साक्षरता दर | | |
|-------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | पुरुष | महिला | योग |
| 1. | शंकरगढ़ | 49.5 | 17.4 | 34.7 |
| 2. | जसरा | 54.9 | 18.3 | 38.2 |
| 3. | चाका | 57.4 | 22.3 | 41.6 |
| 4. | करछना | 61.6 | 15.6 | 40.6 |
| 5. | कौधियारा | 47.0 | 9.1 | 29.6 |
| 6. | कोरांव | 46.6 | 10.2 | 29.9 |
| 7. | मेजा | 55.5 | 12.9 | 35.9 |
| 8. | उरुवा | 70.7 | 18.9 | 46.2 |
| 9. | माण्डा | 60.4 | 13.7 | 38.5 |
| 10. | कोड़िहार | 56.2 | 17.9 | 38.3 |
| 11. | सोरांव | 57.9 | 16.8 | 38.7 |
| 12. | होलागढ़ | 55.9 | 15.7 | 36.5 |
| 13. | मऊआइमा | 50.8 | 12.1 | 32.3 |
| 14. | बहरिया | 59.3 | 15.4 | 38.4 |
| 15. | फूलपुर | 57.1 | 13.9 | 36.4 |
| 16. | बहादुरपुर | 60.3 | 18.4 | 40.9 |
| 17. | हंडिया | 58.6 | 12.1 | 36.6 |
| 18. | सैदाबाद | 58.6 | 14.1 | 37.7 |
| 19. | धनुपुर | 56.4 | 10.6 | 34.5 |
| 20. | प्रतापपुर | 57.7 | 13.8 | 36.4 |
| | योग ग्रामीण | 56.8 | 15.0 | 37.2 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 79.3 | 60.3 | 70.9 |
| | महा योग | 63.1 | 26.8 | 46.3 |

नोट : वर्ष 2001 की जनगणना की विकासखण्ड/नगर क्षेत्र वार साक्षरता का विवरण उपलब्ध नहीं है, इसलिये 1991 की साक्षरता दर अंकित की गयी है।

शैक्षिक संस्थाएँ-

जिला संख्या एवं अर्थ अधिकारी इलाहाबाद से प्राप्त सांख्यिक के अनुसार वर्ष 1990-91 में प्रति लाख जनसंख्या पर प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता और 56.00 थी। जो वर्ष 1998-99 में बढ़कर 58.80 हो गयी। जनसंख्या एवं उपलब्ध विद्यालयों को देखते हुए जनपद में प्राथमिक विद्यालयों की बहुत कमी है।

जनपद इलाहाबाद में स्थित विभिन्न प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं का संख्यात्मक विवरण निम्नवत है-

सारणी 2.3 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय और पूर्व माध्यमिक विद्यालय को जनपद क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाय तो प्रति प्राथमिक विद्यालय 3.12 वर्ग किमी. और प्रति पूर्व माध्यमिक विद्यालय 8.74 वर्ग किमी. क्षेत्र में स्थित है। वर्ष 1991 की जनसंख्या के अनुसार 1636 जनसंख्या पर 1 प्राथमिक विद्यालय और 5018 जनसंख्या पर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जनपद में स्थित है।

सारणी-2.3

जनपद-इलाहाबाद

शैक्षिक संस्थाएँ

| क्र. सं. | संस्थाएँ | परिषदीय | | | मान्यता प्राप्त | | | कुल | | | गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय | | |
|----------|--|---------|-------|------|-----------------|-------|-----|---------|-------|------|------------------------------|-------|-----|
| | | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग | ग्रामीण | नगरीय | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | प्राथमिक विद्यालय | 1688 | 120 | 1808 | 237 | 280 | 517 | 1925 | 400 | 2325 | 213 | 150 | 363 |
| 2. | माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध प्राइमरी अनुभाग | - | - | - | 14 | 15 | 29 | 14 | 15 | 29 | - | - | - |
| 3. | उच्च प्राथमिक विद्यालय | 342 | 24 | 366 | 243 | 148 | 391 | 585 | 172 | 757 | - | - | - |
| 4. | माध्यमिक विद्यालय से सम्बद्ध उच्च प्राथमिक | - | - | - | 52 | 155 | 237 | 82 | 155 | 237 | - | - | - |
| 5. | केन्द्रीय विद्यालय | - | 04 | 4 | - | - | - | 0 | 4 | 4 | - | - | - |
| 6. | नवोदय विद्यालय | 01 | - | 1 | - | - | - | 1 | 0 | 1 | - | - | - |
| 7. | हाई स्कूल | 04 | 04 | 08 | 50 | 24 | 74 | 54 | 28 | 82 | - | - | - |
| 8. | इण्टरमीडियट | 03 | 02 | 05 | 116 | 125 | 241 | 119 | 127 | 246 | - | - | - |
| 9. | डिग्री कालेज | 05 | - | - | 39 | 11 | 20 | 9 | 11 | 20 | - | - | - |
| 10. | स्नातकोत्तर महाविद्यालय | - | - | - | 33 | 09 | 12 | 3 | 9 | 12 | - | - | - |
| 11. | विश्वविद्यालय | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | - | - | - |
| 12. | तकनीकी संस्थान | 01 | 01 | 2 | - | - | - | 0 | 2 | 2 | - | - | - |

| (आई.टी.आई./पॉलीटेक्निक) | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|------|------|------|-----|------|-----|---|---|---|
| 13. कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने वाली संस्थाएँ | - | - | | 08 | 08 | 0 | 8 | 8 | - | - | - | |
| 14. आंगन वाड़ी केन्द्रों की संख्या | - | - | | 1270 | 1270 | 1270 | 0 | 1270 | - | - | - | |
| 15. मकतब / नदरसे | - | - | | 34 | 06 | 40 | 34 | 6 | 40 | - | - | - |
| 16. संस्कृत पाठशालाएँ | - | - | | 21 | 08 | 29 | 21 | 8 | 29 | - | - | - |
| 17. बाल श्रमिक | - | - | | 37 | | 37 | 37 | 0 | 37 | - | - | - |
| 18. अन्य/मूक दधिर | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - |
| 19. डायट | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 20. बी.आर.सी. | - | - | - | - | - | - | 20 | - | 20 | - | - | - |
| 21. सी.आर.सी | - | - | - | - | - | - | 108 | - | 108 | - | - | - |

सारणी-2.4

शिक्षकों की उपलब्धता (परिषदीय विद्यालय)
(1.7.2000) की स्थिति

| विद्यालय | सृजित | कार्यरत | रिक्त | स्वीकृत शिक्षामित्रों की संख्या |
|--------------------------------|-------|---------|-------|---------------------------------|
| परिषदीय प्राथमिक विद्यालय | 6872 | 4900 | 1972 | 1566 |
| परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय | 1937 | 1431 | 506 | - |

विद्यालय सुविधा / बस्तियाँ-

विकास खण्डवार असेवित बस्तियों की संख्या को देखते हुए यह बात उभर कर आती है कि जनपद में निर्धारित मानक (300 आबादी तथा 1.5 किमी० दूरी) पूरा करने वाली बस्तियों में औपचारिक विद्यालयों की स्थापना के साथ-साथ कम आबादी वाले क्षेत्रों के लिये ई.जी.एस., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अथवा अन्य प्रकार के वैकल्पिक शिक्षा केन्द्र अन्य प्रकार के अनौपचारिक केन्द्रों को भी आवश्यकता है। विकास खण्डवार असेवित बस्तियों का निवरण तथा दूरा के अनुसार विद्यालयों सुविधा उपलब्ध बस्तियों की संख्या निम्नवत है, जिसे जनपद स्तर पर सारणी 2.5 तथा ब्लाकवार 2.5.1 द्वारा प्रदर्शित है-

सारणी-2.5
सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

| विवरण | 1 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1 किमी. से अधिक किन्तु 1.5 किमी. से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1.5 किमी. से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध |
|---|---------------------------------------|--|---|
| ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है | 1940 | 1156 | 305 |

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की उपलब्धता

| विवरण | 3 किमी. से कम दूरी पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध | 3 किमी. से अधिक पर परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध | उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालय अनुपात 1:2 करने हेतु आवश्यक अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या |
|---|---|--|---|
| ऐसे ग्रामों/बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 800 से अधिक है | 493 | 490 | 595 (नगर क्षेत्र छोड़कर) |

सारणी-2.5.1

सेवित तथा असेवित बस्तियाँ

| क्र० सं० | नाम विकास खण्ड | ऐसे बस्तियों की संख्या जिनकी आबादी 300 से अधिक है | | | | |
|----------|----------------|---|--|---|--------------------------|--|
| | | 1 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1 से 1.5 किमी० से कम दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | 1.5 किमी० से अधिक दूरी पर विद्यालय उपलब्ध | प्रस्तावित नवीन प्रा०वि० | 2:1 के अनुसार अतिरिक्त उ०प्रा० की आवश्यकता |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1. | शंकरगढ़ | 124 | 124 | 46 | 21 | 34 |
| 2. | जसरा | 40 | 52 | 25 | 9 | 32 |
| 3. | चाका | 81 | 9 | 12 | 8 | 28 |
| 4. | करछना | 130 | 56 | 28 | 10 | 42 |
| 5. | कौधियारा | 126 | 23 | 28 | 11 | 20 |
| 6. | कोरांव | 177 | 46 | 20 | 20 | 43 |
| 7. | मेजा | 95 | 90 | 22 | 12 | 29 |
| 8. | उरुवा | 30 | 124 | 14 | 10 | 32 |
| 9. | माण्डा | 84 | 104 | 3 | 3 | 25 |
| 10. | कोड़िहार | 80 | 100 | 8 | 10 | 25 |
| 11. | सोरांव | 80 | 10 | 5 | 2 | 22 |
| 12. | होलागढ़ | 2 | 75 | 5 | 5 | 24 |
| 13. | मऊआइमा | 40 | 9 | 3 | 3 | 26 |
| 14. | बहरिया | 64 | 150 | 12 | 12 | 32 |

| | | | | | | |
|-----|-------------|------|------|-----|-----|-----|
| 15. | फूलपुर | 96 | 34 | 10 | 7 | 22 |
| 16. | बहादुरपुर | 163 | 36 | 7 | 5 | 29 |
| 17. | हंडिया | 138 | 19 | 10 | 5 | 26 |
| 18. | सैदाबाद | 150 | 45 | 10 | 10 | 38 |
| 19. | धनुपुर | 155 | 25 | 16 | 12 | 28 |
| 20. | प्रतापपुर | 85 | 25 | 21 | 11 | 38 |
| | योग ग्रामीण | 1940 | 1156 | 305 | 186 | 595 |
| 21. | नगर क्षेत्र | - | - | - | - | 32 |
| | महा योग | 1940 | 1156 | 305 | 186 | 624 |

उक्त तालिका से स्पष्ट है कि जनपद में वर्तमान में 305 ऐसी बस्तियाँ हैं जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी० की परिधि में कोई प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध नहीं है।

सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण करने पर यह बात स्पष्ट हुई है कि 305 बस्तियों की विद्यालय से सेवित करने के लिये 186 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने पड़ेंगे। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय के 2:1 का अनुपात रखने के लिये 624 नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता होगी। परन्तु नगरीय क्षेत्र में भूमि की अनुपलब्धता के कारण मात्र ग्रामीण क्षेत्र की आवश्यकतानुसार कुल 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की आवश्यकता है।

नामांकन

जनपद इलाहाबाद में 6-11 वय वर्ग के बच्चों की कुल संख्या 628555 है जिसमें 332885 लड़के तथा 295670 लड़कियाँ हैं तथा 11-14 वय वर्ग के कुल संख्या 362213 है जिसमें 198649 लड़के तथा 163564 लड़कियाँ हैं। 6-11 वय वर्ग में प्राथमिक स्तर के 311580 बालक तथा 272348 बालिका कुल 583928 बच्चे विद्यालय जाते हैं तथा 21305 बालक तथा 23322 बालिका कुल 44627 बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के कुल 17660 बालक तथा 25081 बालिका कुल 42741 बच्चे विद्यालय नहीं जाते हैं।

6-11 वय वर्ग तथा 11-14 वय वर्ग के बालक/बालिकाओं के नामांकन का विस्तृत विवरण तालिका 2.7 में प्रदर्शित किया गया है। स्कूल से बाहर 6-11 वय वर्ग के बच्चे शंकरगढ़ 15.6 प्रतिशत, जसरा 7.65 प्रतिशत, चाका 10.79 प्रतिशत, करछना 7.7 प्रतिशत, कौंधियारा 10.11 प्रतिशत, कोरांव 16.3 प्रतिशत, मेजा 16.94 प्रतिशत, उरुवा 5.96 प्रतिशत, माण्डा 8.31 प्रतिशत, कौंडिहार 1.05 प्रतिशत, सोरांव 1.13 प्रतिशत, होलागढ़ 1.84 प्रतिशत, मऊआइना 1.06 प्रतिशत, बहरिया 14.52 प्रतिशत, फूलपुर 4.62 प्रतिशत, बहादुरपुर 10.56 प्रतिशत, हण्डिया 9.7 प्रतिशत, सैदाबाद 3.67 प्रतिशत, धनुपुर 9.9 प्रतिशत, प्रतापपुर 3.05 प्रतिशत और नगर .02 प्रतिशत में सर्वाधिक प्रतिशत वाले क्षेत्र कोरांव, मेजा, शंकरगढ़ व बहरिया हैं और नियुक्त नगर, कौंडिहार, सोरांव, मऊआइना व होलागढ़ का है।

सारणी-2.7.

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के अनुसार बाल गणना 6-14 वय वर्ग वर्ष जनवरी 2001

| क्र० सं० | ब्लाक का नाम | 6-11 वय वर्ग के बच्चे | | | | | | | | | 11-14 वय वर्ग के बच्चे | | | | | | | | |
|----------|--------------|-----------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|-------|------------------------|--------|--------|--------------------------|--------|--------|----------------------------|--------|-------|
| | | कुल बच्चों की संख्या | | | विद्यालय जाने वाले बच्चे | | | विद्यालय न जाने वाले बच्चे | | | कुल बच्चों की संख्या | | | विद्यालय जाने वाले बच्चे | | | विद्यालय न जाने वाले बच्चे | | |
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1. | शंकरगढ़ | 14406 | 11821 | 26227 | 12471 | 9648 | 22119 | 1935 | 2173 | 4108 | 4844 | 3617 | 8461 | 4250 | 2873 | 7123 | 594 | 744 | 1338 |
| 2. | जसरवा | 13570 | 10767 | 24337 | 12735 | 9736 | 22471 | 835 | 1031 | 1866 | 4067 | 2810 | 6877 | 3745 | 2438 | 6183 | 322 | 372 | 694 |
| 3. | चाका | 15383 | 13337 | 28720 | 13917 | 11702 | 25619 | 1466 | 1635 | 3101 | 5654 | 4167 | 9821 | 4955 | 3302 | 8257 | 699 | 865 | 1564 |
| 4. | करछना | 18313 | 14723 | 33036 | 17305 | 13176 | 30481 | 1008 | 1547 | 2555 | 7322 | 4529 | 11851 | 6749 | 3481 | 10230 | 573 | 1048 | 1621 |
| 5. | कौपियारा | 13915 | 11566 | 25481 | 12820 | 10084 | 22904 | 1095 | 1482 | 2577 | 4682 | 3186 | 7868 | 4274 | 2578 | 6852 | 408 | 608 | 1016 |
| 6. | कोरांव | 24401 | 19513 | 43914 | 21050 | 15697 | 36747 | 3351 | 3816 | 7167 | 7937 | 5725 | 13662 | 6824 | 4476 | 11300 | 1113 | 1249 | 2362 |
| 7. | पेजा | 15022 | 11782 | 26804 | 13082 | 9179 | 22261 | 1940 | 2603 | 4543 | 4873 | 3361 | 8234 | 4263 | 2492 | 6755 | 610 | 869 | 1479 |
| 8. | उरुवा | 17492 | 14139 | 31631 | 16689 | 13056 | 29745 | 803 | 1083 | 1886 | 6977 | 4854 | 11831 | 6716 | 4231 | 10947 | 261 | 623 | 884 |
| 9. | माण्डा | 14154 | 11635 | 25789 | 13391 | 10253 | 23644 | 763 | 1382 | 2145 | 6193 | 4025 | 10218 | 5978 | 3327 | 9305 | 215 | 698 | 913 |
| 10. | कोडिहार | 12445 | 11162 | 23607 | 12260 | 11097 | 23357 | 185 | 65 | 250 | 6957 | 6240 | 13197 | 6658 | 6050 | 12708 | 299 | 190 | 489 |
| 11. | सौरांव | 11740 | 10464 | 22204 | 11609 | 10344 | 21953 | 131 | 120 | 251 | 6563 | 5860 | 12423 | 6423 | 5710 | 12133 | 140 | 150 | 290 |
| 12. | होलागढ़ | 14921 | 14236 | 29157 | 14797 | 13823 | 28620 | 124 | 413 | 537 | 6284 | 5205 | 11489 | 5640 | 4345 | 9985 | 644 | 860 | 1504 |
| 13. | मऊआदमा | 10975 | 8704 | 19679 | 10915 | 8554 | 19469 | 60 | 150 | 210 | 6365 | 4619 | 10984 | 6290 | 4494 | 10784 | 75 | 125 | 200 |
| 14. | बेहरिया | 15756 | 14445 | 30201 | 12896 | 12918 | 25814 | 2860 | 1527 | 4387 | 8794 | 8063 | 16857 | 5982 | 4342 | 10324 | 2812 | 3721 | 6533 |
| 15. | फूलपुर | 19323 | 15599 | 34922 | 18567 | 14741 | 33308 | 756 | 858 | 1614 | 7377 | 5533 | 12910 | 6881 | 4931 | 11812 | 496 | 602 | 1098 |
| 16. | बहादुरपुर | 18283 | 16092 | 34375 | 16364 | 14378 | 30742 | 1919 | 1714 | 3633 | 10205 | 8983 | 19188 | 8822 | 7555 | 16377 | 1383 | 1428 | 2811 |
| 17. | हडिया | 17835 | 12988 | 30823 | 15806 | 12026 | 27832 | 2029 | 962 | 2991 | 4006 | 2737 | 6743 | 3475 | 2204 | 5679 | 531 | 533 | 1064 |
| 18. | सेदावाद | 17344 | 14246 | 31590 | 16995 | 13433 | 30428 | 349 | 813 | 1162 | 7398 | 5418 | 12816 | 7063 | 4712 | 11775 | 335 | 706 | 1041 |
| 19. | धनुपुर | 17965 | 13444 | 31409 | 16562 | 11734 | 28296 | 1403 | 1710 | 3113 | 7772 | 5147 | 12919 | 7018 | 4051 | 11069 | 754 | 1096 | 1850 |
| 20. | प्रतापपुर | 12878 | 12140 | 25018 | 12471 | 11782 | 24253 | 407 | 358 | 765 | 7199 | 6787 | 13986 | 6240 | 6241 | 12481 | 959 | 546 | 1505 |
| | योग | 316121 | 262803 | 578924 | 292702 | 237361 | 530063 | 23419 | 25442 | 48861 | 131469 | 100866 | 232335 | 118246 | 83833 | 202079 | 13223 | 17033 | 30256 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 98933 | 65235 | 164168 | 95933 | 64635 | 160568 | 3000 | 600 | 3600 | 19889 | 14252 | 34141 | 19689 | 13252 | 32941 | 200 | 1000 | 1200 |
| | महायोग | 415054 | 328038 | 743092 | 388635 | 301996 | 690631 | 26419 | 26042 | 52461 | 151358 | 115118 | 266476 | 137935 | 97085 | 235020 | 13423 | 18033 | 31456 |

सारणी 2.8

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में छात्र नामांकन (6-11 वय वर्ग के बच्चे) जनवरी, 2001

| क्र० सं० | ब्लाक का नाम | कुल छात्र संख्या | | | अनुसूचित जाति के छात्र | | | कुल नामांकन में परिषद का प्रतिशत |
|----------|--------------|------------------|--------|--------|------------------------|--------|--------|----------------------------------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | शंकरगढ़ | 7739 | 6374 | 14613 | 3765 | 2913 | 6678 | 66.06 |
| 2. | जसरा | 7707 | 6735 | 14442 | 2947 | 2463 | 5410 | 64.26 |
| 3. | चाका | 7896 | 7807 | 15703 | 3548 | 3475 | 7023 | 56.37 |
| 4. | करछना | 11390 | 10390 | 21780 | 3729 | 3132 | 6861 | 71.45 |
| 5. | कौधियारा | 5870 | 4998 | 10868 | 2487 | 1921 | 4408 | 68.56 |
| 6. | कोरांव | 19030 | 12043 | 31073 | 6458 | 4429 | 10887 | 84.55 |
| 7. | मेजा | 8095 | 6447 | 14542 | 2489 | 1942 | 4431 | 65.32 |
| 8. | उरुवा | 9812 | 7580 | 17392 | 2276 | 1994 | 4270 | 58.47 |
| 9. | माण्डा | 11578 | 9221 | 20799 | 3430 | 2832 | 6262 | 87.96 |
| 10. | कोड़िहार | 7817 | 7763 | 15580 | 3638 | 3088 | 6726 | 66.7 |
| 11. | सोरांव | 8703 | 8346 | 17049 | 3239 | 2957 | 6196 | 77.66 |
| 12. | होलागढ़ | 9459 | 8908 | 18367 | 3591 | 3206 | 6797 | 64.17 |
| 13. | मऊआइमा | 7990 | 7380 | 15370 | 3107 | 2765 | 5872 | 78.94 |
| 14. | बहरिया | 11377 | 10701 | 22078 | 3417 | 2701 | 6118 | 85.52 |
| 15. | फूलपुर | 10207 | 9376 | 19583 | 3791 | 3198 | 6989 | 58.79 |
| 16. | बहादुरपुर | 11540 | 10977 | 22517 | 5312 | 4687 | 9999 | 73.25 |
| 17. | हडिया | 10350 | 9348 | 19698 | 3470 | 2896 | 6366 | 70.77 |
| 18. | सैदाबाद | 11774 | 10956 | 22730 | 4342 | 3774 | 8116 | 74.7 |
| 19. | धनुपुर | 9907 | 8732 | 18639 | 3423 | 2664 | 6087 | 65.87 |
| 20. | प्रतापपुर | 11727 | 10731 | 22458 | 4398 | 3823 | 8221 | 92.59 |
| | योग | 199968 | 175313 | 375281 | 72857 | 60860 | 133717 | 68.60 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 8933 | 9635 | 18568 | 2411 | 2601 | 5012 | 11.56 |
| | महायोग | 208901 | 184948 | 393849 | 75268 | 63461 | 138729 | 40.08 |

उक्त सारणी से स्पष्ट है कि विकास खण्ड प्रतापपुर में परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों का प्रतिशत सर्वअधिक 92.59, उसके विपरीत खण्ड बहरिया, माण्डा, कोरांव का प्रतिशत क्रमशः 85.52, 87.96 तथा 84.55 है। जबकि नगर क्षेत्र का प्रतिशत 11.56 है। ग्रामीण क्षेत्रों में परिषदीय विद्यालय में यह प्रतिशत सब से कम विकसित खण्ड चाका का 56.37 है।

सारणी-2.9

विद्यालयों में भौतिक सुविधाएँ (परिषदीय विद्यालय 1.1.2001 की स्थिति)
(प्राथमिक स्तर)

| क्रमांक | मद | ग्रामीण | नगर | योग |
|---------|---|---------|-----|------|
| 1. | प्राथमिक विद्यालय भवनहीन, जर्जर, पुनर्निर्माण | 11 | 4 | 15 |
| 2. | एक कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 17 | 39 | 56 |
| | दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 327 | 31 | 358 |
| | तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 550 | 20 | 570 |
| | चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 431 | 18 | 449 |
| | पाँच कक्षीय तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय | 322 | 8 | 330 |
| | योग- | 1688 | 120 | 1808 |
| 3. | मरम्मत योग्य विद्यालय- लघु | 262 | 20 | 282 |
| | वृहद | 110 | - | 110 |
| 4. | शौचालय विहीन विद्यालय | 165 | 30 | 195 |
| 5. | हैण्डपम्प विहीन विद्यालय | 218 | 16 | 234 |
| 6. | चहार दीवारी विहीन विद्यालय | 1618 | 23 | 1641 |

(उच्च प्राथमिक स्तर)

7. उ.प्रा.विद्यालय भवन कुल विद्यालयों की संख्या $342+15=366$ भवन युक्त 366
भवनहीन - शून्य जर्जर (पुनर्निर्माण योग्य) $6+4= 10$

| | | | | |
|-----|---|-----|----|-----|
| 8. | मरम्मत योग्य- लघु | 58 | 06 | 64 |
| | वृहद | 32 | 00 | 32 |
| 9. | एक कक्षीय विद्यालय | 2 | 1 | 03 |
| | दो कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 8 | 5 | 13 |
| | तीन कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 134 | 9 | 143 |
| | चार कक्षीय विद्यालयों की संख्या | 147 | 5 | 152 |
| | पाँच कक्षीय तथा पाँच कक्ष से अधिक वाले विद्यालय | 51 | 4 | 55 |
| | योग- | 342 | 24 | 366 |
| 10. | शौचालय विहीन विद्यालय | 18 | 6 | 24 |
| 11. | हैण्डपम्प विहीन विद्यालय | 67 | 8 | 75 |
| 12. | चहार दीवारी विहीन विद्यालय | 322 | 10 | 332 |

उपर्युक्त के अतिरिक्त दशम वित्त आयोग के अन्तर्गत जनपद इम्हावाड़ा में
...12... विद्यालय भवन,12... शौचालय.....12..... हैण्डपम्प तथा
...12... चहारदीवारी का निर्माण कराया गया।

सारणी 2.10

वर्तमान में भौतिक सुविधाओं की कमी/आवश्यकता

| क्र.सं. | सुविधा का नाम | प्राथमिक | | | उच्च प्राथमिक | | |
|---------|-----------------------|----------|------------------------|---------------|---------------|------------------------|---------------|
| | | कमी | 11वें दित्त आयोग | शुद्ध मांग | कमी | 11वें दित्त आयोग | शुद्ध मांग |
| 1. | नवीन विद्यालय | 186 | — | 186 | 595 | — | 595 |
| 2. | विद्यालय पुर्ननिर्माण | 15 | — | 15 | 10 | — | 10 |
| 3. | अतिरिक्त कक्षा कक्ष | 1325 | — | 1325 | 474 | — | 474 |
| 4. | पेयजल | 234 | — | 234 | 75 | — | 75 |
| 5. | शौचालय | 195 | — | 195 | 24 | — | 24 |
| 6. | चाहारदीवारी | 1641 | — | 1641 | 332 | — | 332 |

स्रोत— विभागीय आंकड़े

नोट : विद्यालय/भौतिक सुविधाओं की वृद्धि के लिये आगामी वर्षों के लिये केवल 11वें दित्त आयोग में ही लक्ष्य निर्धारित है।

प्राथमिक स्तर के शैक्षिक आंकड़ें व महत्वपूर्ण इण्डिकेटर्स (इलाहाबाद)

यह जनपद बेसिक शिक्षा परियोजना का जनपद रहा है तथा कम्प्यूटराइज्ड ई0एम0आई0एस0 इकाई सक्रिय रूप में कार्य रहती रही है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत वर्ष 1997-98 से नीपा द्वारा विकसित डायस साफ्टवेयर संचालित किया गया है तथा वार्षिक शैक्षिक सांख्यिकी तैयार की गयी है; शैक्षिक सांख्यिकी का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना के निर्माण व महत्वपूर्ण निर्णय लेने में किया गया।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार विगत वर्षों में स्थिति निम्नवत् है -

| प्राथमिक विद्यालयों में नामांकन | 1998-99 | 1999-2000 | 2000-2001 | |
|---------------------------------|---------|-----------|-----------|-------|
| कक्षा 1 | 152899 | 160810 | 163767 | |
| कक्षा 2 | 115194 | 123768 | 137389 | |
| कक्षा 3 | 98333 | 105442 | 113427 | |
| कक्षा 4 | 64306 | 84763 | 89087 | |
| कक्षा 5 | 48043 | 60357 | 73753 | |
| योग | 478442 | 535140 | 577423 | |
| जी0ई0आर0 | | | | |
| कुल | 75.48 | 74.24 | 85.34 | 86.2 |
| बालिका | 66.76 | 67.93 | 82.4 | 83.4 |
| एन0ई0आर0 | | | | |
| कुल | 68.11 | 67.76 | 78.92 | 78.91 |
| बालिका | 59.92 | 61.86 | 73.29 | 76.24 |

जनपद के नामांकन में औसतन 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि हुई है। जी0ई0आर0 एवं एन0ई0आर0 में प्रतिवर्ष सुधार हुआ है। बालिकाओं का जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 बालिकाओं के जी0ई0आर0/एन0ई0आर0 के समतुल्य हो गया है। यह महत्वपूर्ण संकेत परिलक्षित हुआ है कि कुल नामांकन के सापेक्ष कक्षा 5 के नामांकन में निरन्तर वृद्धि हुई है जिससे यह पुष्टि होती है कि अधिक से अधिक बच्चे कक्षा 5 तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु अग्रसर हो रहे हैं।

वी0ई0पी0 जनपदों में परियोजनाओं के बाद प्राथमिक विद्यालयों एवं शिक्षकों की संख्या में हुई वृद्धि का विवरण निम्नवत् है :-

| | परियोजना के पूर्व | 2000 की स्थिति | प्रतिशत वृद्धि |
|-----------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| प्राथमिक विद्यालय (परिषदीय) | 1038 | 1808 | 74 |
| प्राथमिक अध्यापक (परिषदीय) | 5190 | 6887 | 33 |

7 वर्ष की अवधि में विद्यालयों की संख्या में 74 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा शिक्षकों की संख्या में 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई। औसतन रूप से विद्यालयों की संख्या में 10.5 प्रतिशत तथा शिक्षकों की संख्या में 4.7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। विद्यालयों की उपलब्धता बढ़ी है तथा शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में सफल प्रयास हुये हैं।

ड्रॉप आउट दर

| वर्ष | कक्षा 1 | कक्षा 2 | कक्षा 3 | कक्षा 4 | कुल | बालिका |
|------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 1998 | 25.82 | 17.66 | 21.65 | 15.28 | 60.7 | 59.6 |
| 1999 | 18.4 | 8.19 | 13.11 | 5.68 | 45.4 | 41.9 |
| 2000 | 15.5 | 8.7 | 8.9 | 4.3 | 41.7 | 40.3 |

प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर में लगातार कमी आयी है। विगत तीन वर्ष में ड्रॉप आउट दर 61 प्रतिशत से घटकर 42 प्रतिशत हो गया है, जो महत्वपूर्ण है। यह और भी अधिक उल्लेखनीय है कि बालक व बालिकाओं की ड्रॉप आउट दर में अन्तर समाप्त हो रहा है।

रिपीटीशन दर व 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या

| वर्ष | रिपीटीशन दर | 5 कक्षाएं पूर्ण करने में औसत वर्षों की संख्या |
|------|-------------|---|
| 1998 | 10.09 | 8.31 |
| 1999 | 4.57 | 6.32 |
| 2000 | 2.85 | 6.74 |

रिपीटीशन दर मात्र 2.85 है तथा प्राथमिक स्तर की 5 कक्षाएं पूर्ण करने में बच्चों को औसत रूप से अब 6.74 वर्ष ही लग रहे हैं अर्थात् शिक्षा प्रणाली की कार्यकुशलता में वृद्धि हुई है।

अध्यापक-छात्र अनुपात वर्ष 2000-01 — 1 : 74

एकल अध्यापकीय विद्यालयों का प्रतिशत वर्ष 2000-01 — 6.63%

छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात (2000-01) — 1:57

परियोजना के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षकों के पद सृजित हुये हैं। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र भी तैनात किये गये। फलस्वरूप एकल अध्यापकीय विद्यालयों के प्रतिशत में काफी कमी आयी। छात्र अध्यापक अनुपात में भी सुधार हुआ। नानांकन में वृद्धि के कारण अभी भी छात्र-अध्यापक 1:74 है जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र तैनात कर निर्धारित मानक 1:40 पर लाना होगा। यद्यपि छात्र कक्षा-कक्ष अनुपात में विगत वर्षों में सुधार हुआ है किन्तु अभी भी यह 1:57 है। इसे निर्धारित मानक 1:40 पर लाने के लिए अतिरिक्त कक्षाकक्षों के निर्माण की आवश्यकता है।

16a

उच्च प्राथमिक के आंकड़े व इण्डीकेटर्स (परिषदीय)

जनपद—इलाहाबाद

उच्च प्राथमिक नामांकन व वृद्धि (तीन वर्ष)

| वर्ष | कक्षा 6 | कक्षा 7 | कक्षा 8 | योग | गत वर्ष के सापेक्ष प्रतिशत वृद्धि |
|-----------|---------|---------|---------|-------|-----------------------------------|
| 1998-1999 | 12645 | 11028 | 10126 | 33799 | - |
| 1999-2000 | 13028 | 11997 | 10475 | 35500 | 5.0 |
| 2000-2001 | 14826 | 12920 | 10710 | 38456 | 8.0 |

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक स्तर पर असेवित बस्तियों में प्राथमिक विद्यालय स्थापित किये गये। विद्यालयों की उपलब्धता तथा परियोजना कार्यक्रमों के सफल संचालन के फलस्वरूप प्राथमिक स्तर पर नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुयी जिससे उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन में वृद्धि तीव्र गति से हुयी है, जिसे स्थायित्व प्रदान करने की महती आवश्यकता है।

ट्रांजिशन (कक्षा 5 से कक्षा 6)

| वर्ष | कक्षा 5 | कक्षा 6 | ट्रांजिशन दर |
|-----------|---------|---------|--------------|
| 1998-1999 | 38780 | 12645 | - |
| 1999-2000 | 42672 | 13028 | 33.6 |
| 2000-2001 | 48007 | 14826 | 34.7 |

सारिणी से स्पष्ट है कि कक्षा-5 उत्तीर्ण आधे से भी अधिक बच्चे कक्षा-6 में प्रवेश नहीं ले पा रहे हैं। इस स्थिति का प्रमुख कारण यह है कि प्राथमिक कक्षा पूरी करने के पश्चात निकट दूरी पर उच्च प्राथमिक विद्यालय उपलब्ध न होने के कारण बच्चे शिक्षा छोड़ देते हैं।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में वृद्धि

| | संख्या 1993 | संख्या 2000 | वृद्धि |
|------------------------|-------------|-------------|--------|
| उच्च प्राथमिक विद्यालय | 200 | 366 | 83% |
| उच्च प्राथमिक अध्यापक | 1003 | 1204 | 20% |

प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात

| | परि० प्रा० विद्यालय संस्था | परि० उच्च प्रा० विद्यालय संस्था | उच्च प्रा० विद्यालय सम्बद्ध माध्यमिक वि० | योग (3+4) | प्रा० विद्यालय उच्च प्रा० विद्यालय अनुपात |
|-----------------|----------------------------------|---------------------------------------|--|-----------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| ग्रामीण क्षेत्र | 1688 | 342 | 173 | 515 | 3.3 : 1 |
| नगर क्षेत्र | 120 | 24 | 155 | 189 | 1 : 16 |
| योग | 1808 | 366 | 328 | 694 | 2.6 : 1 |

यद्यपि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक स्तर तक के कार्यक्रम संचालित थे किन्तु मुख्य बल प्राथमिक शिक्षा पर ही दिया गया। यथा संभव उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित भी किये गये।

प्राथमिक स्तर की शिक्षा का अधिक विस्तार होने के फलस्वरूप प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनुपात में अभीष्ट सुधार न हो सका फलस्वरूप कक्षा-5 के उत्तीर्ण बच्चों को आगे पढ़ने के पर्याप्त अवसर सुगमता से उपलब्ध नहीं हो सके। जैसा कि सारिणी से स्पष्ट है, माध्यमिक विद्यालयों के साथ सम्बद्ध 6-8 अनुभागों को सम्मिलित करने पर भी ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अनुपात 1:3.3 है।

अध्याय - ३ नियोजन प्रक्रिया

शिक्षा विकास का आधार है और बेसिक शिक्षा मानव के सतत विकास की आधारशिला है। यही कारण है कि स्वतंत्रता प्रप्ति के पश्चात सरकार बेसिक शिक्षा को जन-जन तक तुलन कराने हेतु निरन्तर प्रयत्नशील रही है। जनरद इलाहाबाद में २००१ से पूर्व यद्यपि ६-११ वय वर्ग की बेसिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण एवं गुणवत्ता परख बनाने हेतु सरकार द्वारा आपरेशन ब्लैक बोर्ड, अनौपचारिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा परियोजना आदि विभिन्न परियोजनायें चलायी गयीं। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना वर्ष १९९३-९४ से लागू होने पर परिवार सर्वेक्षण कराया गया और सूक्ष्म नियोजन द्वारा अनेकानेक कार्य किये गये।

सूक्ष्म नियोजन तथा ग्राम शिक्षा योजना

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सूक्ष्म नियोजन की प्रक्रिया का विशेष महत्त्व दिया गया। इसका प्रयोजन यह था कि प्रत्येक बस्ती तथा ग्राम के प्रत्येक परिवार के 6-11 वय वर्ग के बालकों तथा बालिकाओं की शैक्षिक स्थिति का आकलन किया जाय। सूक्ष्म नियोजन प्रारम्भ करने हेतु ग्राम शिक्षा समितियों के सदस्यों, ग्राम के उत्साही प्रबुद्ध व्यक्तियों तथा अध्यापकों के लिए इसके उद्देश्यों तथा विधियों के संबंध में प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रत्येक ग्राम में बस्तियों की सूची तैयार की गई। बस्तियों की सूची परिशिष्ट में दी गयी है। इस जनपद में सर्वप्रथम 1994-95 में तथा दूसरा चरण 1998-2000 तक सभी ग्रामवासियों के सहयोग से बस्ती तथा प्रत्येक परिवार से सम्बंधित सभी सूचनाओं जिनको सूची पहले से तैयार थी, का एकत्रीकरण किया गया और एकत्रित सूचनाओं/आंकड़ों का विश्लेषण करके समस्याओं/ आवश्यकताओं की पहचान की गई।

सूक्ष्म नियोजन से प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्रित की गईं

- ग्राम में 6-11 वय वर्ग के कुल बच्चों की संख्या
- विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
- विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या
- शिक्षा ग्रहण न करने वाले बच्चों के विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केंद्र न जाने का कारण
- यदि ग्राम में विद्यालय/ अनौपचारिक शिक्षा केंद्र नहीं हैं तो क्या मानक के अनुसार विद्यालय खोले जाने की आवश्यकता है?
- यदि मानक के अनुसार नवीन विद्यालय खोला जाना सम्भव नहीं है तो ग्रामवासी शिक्षा की क्या व्यवस्था प्रस्तावित करते हैं?
- क्या ग्राम में स्थित प्राथमिक विद्यालय के भवन एवं उपलब्ध भौतिक संसाधन पर्याप्त हैं?
- यदि नहीं, तो इनके सुधार के लिए ग्राम वासियों के क्या सुझाव हैं?
- क्या विद्यालयों में अध्यापकों की तैनाती छात्र संख्या के अनुसार है तथा छात्र - अध्यापक अनुपात क्या है ?
- क्या अध्यापक नियमितरूप से विद्यालय आते हैं?
- शिक्षण कार्य की स्थिति / शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में ग्राम वासियों के विचार।

सूक्ष्म नियोजन द्वारा उपरोक्त सूचनाएँ एकत्र करने के पश्चात निम्न कार्य ग्राम वासियों के सहयोग से किये गये।

१. परिवार सर्वेक्षण
२. स्कूल का मानचित्रण/ शैक्षिक मानचित्र
३. सूचनाओं का विश्लेषण
४. ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण

शैक्षिक मानचित्रण, विश्लेषण, ग्राम शिक्षा योजना निर्माण की तैयारी -

ग्राम प्रधान की अध्यक्षता में ग्राम शिक्षा समिति के सभी सदस्यों, उत्साही युवक- युवतियों, शिक्षकों/ शिक्षिकाओं की एक सभा बुलाकर गांव की शैक्षिक समस्याओं के साथ-साथ अन्य समस्याओं तथा आवश्यकताओं पर चर्चा की गई। समूहों द्वारा सर्वेक्षण प्रपत्रों के माध्यम से गांव के समस्त परिवारों का सर्वेक्षण भी कराया गया। इसके पश्चात शैक्षिक मानचित्रण के द्वारा गांव की सम्पूर्ण स्थिति को परिलक्षित किया गया। प्राप्त सूचनाओं एवं स्कूल मानचित्रण के विश्लेषण के द्वारा ग्रामवासियों के सहयोग से गाँव की उत्तम व्यवस्था के लिये ग्राम शिक्षा योजना बनायी गई।

शैक्षिक मानचित्रण द्वारा प्रत्येक ग्राम के लिये निम्नलिखित सूचनायें एकत्र की गईं।

१. वस्ती की पूरी जनसंख्या
२. विभिन्न आयु वर्ग की जनसंख्या
३. स्त्री-पुरुष की जनसंख्या
४. पढ़ने व न पढ़ने वाले बच्चों की संख्या
५. बाल श्रमिकों के विषय में जानकारी
६. विकलांग बच्चों के विषय में जानकारी
७. बालिका शिक्षा की स्थिति

उपरोक्त सभी तथ्यों, सन्ध्याओं आदि पर वस्ती के लोगों व समुदाय के सभी सदस्यों से विचार-विमर्श के दौरान उभरे बिन्दुओं को सम्मिलित करते हुए परिवारों/बस्तियों के विवरण की समेकित करके ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गई। इस योजना को अद्यावधिक बनाने के उद्देश्य से वर्ष 1998-99 तथा 1999-2000 में पुनः उपरोक्त सारी प्रक्रिया दोहराई गई ताकि बस्तीवार शैक्षिक योजनायें उपलब्ध हो सकें। इन सभी योजनाओं का रिकार्ड पूर्व में विकासखण्ड स्तर पर रखा गया किन्तु इनका समुचित उपयोग नहीं किया जा सका। फलस्वरूप वर्ष 1998-99 में माइक्रोप्लानिंग डाटा को अद्यावधिक बनाने के साथ ही जो ग्राम शिक्षा योजना तैयार की गयी उन्हें ग्राम स्तर पर ही विद्यालय में रखा गया ताकि इनका उपयोग गांव स्तर पर आसानी से हो सके। वर्ष 1998-2000 तक माइक्रोप्लानिंग के जो आंकड़े एकत्र किये गये थे उन्हें जनपद स्तर पर संकलित किया गया तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु इसी को आधार बनाया गया है।

माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त परिवारवार/ बस्तीवार आंकड़ों को सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोगी बनाने हेतु विकासखण्ड के सहायक वैयक्तिक शिक्षा अधिकारियों की सहायता से वर्गीकृत व विकासखण्डवार संकलित किया गया। 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों को दो श्रेणी में विभक्त किया गया। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित शिक्षा गारंटी योजना तथा वैयक्तिक शिक्षा/ नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या 6-8 वर्ष तथा 9-14 वर्ष समूहों में आंकलित की गयी। इन बच्चों में बालकों व बालिकाओं की संख्या पृथक पृथक ज्ञात की गयी। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों की संख्या भी आंकलित की गयी जो कामकाजी हैं, पैतृक व्यवसाय में माता-पिता की सहायता करते हैं अथवा सड़क छाप बच्चे (स्ट्रीट चिल्ड्रें) हैं।

सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी है, जो नवीन विद्यालय खोले जाने का नानक पूरा करते हैं तथा विद्यालय प्रस्तावित किये गये हैं। उन बस्तियों की सूची भी तैयार की गयी जिनमें शिक्षा गारंटी केन्द्र/ वैयक्तिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा केन्द्र स्थापित किया जाना सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के प्लान की संरचना में अधिक से अधिक बस्तीवार सूचना एकत्रित कर उपयोग में लायी गयी तथा विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या का आंकलन करते हुए उनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु कार्यक्रम रखे गये हैं। इन सूचनाओं का विस्तृत विवरण पुस्तिका के अध्याय-7 में दर्शाया गया है।

ग्राम शिक्षा समितियों द्वारा समस्त समुदाय की सहभागिता से सूक्ष्म नियोजन का अद्यावधिक चक्र सर्व शिक्षा अभियान की दीर्घकालीन योजना की प्रथम वार्षिक योजना 2001-2002 के क्रियान्वयन के दौरान पूर्ण किया जायगा। इसके द्वारा प्राप्त आंकड़ों/सूचनाओं का उपयोग वार्षिक कार्य योजना 2002-2003 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रम तैयार करने हेतु किया जायगा।

जहां तक नगरीय क्षेत्रों के सुसंगत शैक्षिक आंकड़ों का सम्बन्ध है, इन क्षेत्रों में परियोजना पूर्व गतिविधियों (प्री प्रोजैक्ट एक्टीविटीज) के अन्तर्गत सर्वेक्षण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है जो प्रगति पर है। इस सर्वेक्षण से प्राप्त आंकड़ों का सारिणीयन व संकलन किया जायेगा तथा निष्कर्षों का उपयोग वर्ष 2002-2003 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार करते समय किया जायगा।

स्कूल चलो अभियान :

शिक्षा के नार्वभौतिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6-94 वय वर्ग के बच्चों-को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के संरक्षण

रहें।

1. विद्यालय (प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, आई स्कूल तथा इण्टरमीडियट एवं नर्सरी, साक्षरता केन्द्र तथा अनौपचारिक एवं आंगनवाड़ी केन्द्र)।
2. घर (गांव के समस्त आवासीय घर)
3. प्रत्येक घर में रहने वाले सदस्यों की संख्या-
 - (क) प्रौढ़ (स्त्री-पुरुष, शिक्षित-अशिक्षित)
 - (ख) विभिन्न आयु वर्ग के लड़के/लड़कियों की संख्या- 0-3, 3-6, 6-11 तथा 11-14 वर्ष।
 - (ग) स्कूल जाने योग्य बच्चों की संख्या
 - (घ) स्कूल जाने योग्य बच्चों में स्कूल न रहे तथा न जा रहे बच्चों की संख्या।
 - (ङ) ऐसे बच्चों की संख्या जिन्होंने स्कूल बीच में ही छोड़ दिया है।
 - (च) गांव के ऐसे बेरोजगार जो शिक्षा कार्य में रुचि लेते हों।
 - (छ) गांव के विकलांग प्रौढ़ एवं विकलांग बच्चों की संख्या।
 - (ज) गांव में यदि पुस्तकालय या वाचनालय हो।

ग्राम शिक्षा योजना का निर्माण करते समय नृक्षता 2 उद्देश्य रखे गये- (1) शिक्षा का सार्वजनिककरण (2) गुणवत्तापरक शिक्षा।

योजना बनाने की निम्न विधि अपनाई गई-

1. ग्राम का सर्वेक्षण।
2. आंकड़ों का एकत्रीकरण।
3. प्राप्त सूचनाओं का विश्लेषण।
4. सहभागी आंकलन विधियों द्वारा प्राथमिकताओं का निर्धारण।

योजना का अनुश्रवण ग्राम, ब्लाक एवं जिला शिक्षा समितियों तथा समुदाय द्वारा किया गया और इसका मूल्यांकन ब्लाक शिक्षा समिति तथा जिला शिक्षा समिति द्वारा किया गया।

वर्ष 1998-99 में पुनः सूक्ष्म नियोजन किया गया जिसमें परिवार सर्वेक्षण द्वारा स्कूल से बाहर बच्चों का चिन्हीकरण किया गया। सभी आंकड़े विमान खण्डों के बी.आर.सी. पर सुलभ हैं जिनका प्रयोग सर्व शिक्षा अभियान योजना निर्माण में किया गया है।

स्कूल चलो अभियान-

शिक्षा के सार्वभौमिकरण लक्ष्य की प्राप्ति हेतु 6-4 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने के परिप्रेक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देशन पर जिलाधिकारी इलाहाबाद के संरक्षण

में बेसिक शिक्षा विभाग, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 01 जुलाई, 2000 से 09 जुलाई, 2000 तक चलाया गया और द्वितीय चरण 10 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2000 तक चलाया गया।

प्रथम चरण-

इस चरण में मुख्य रूप से बच्चों के चिन्हांकन का कार्य किया गया। अभियान का शुभारम्भ मुख्यालय पर जिलाधिकारी, इलाहाबाद द्वारा किया गया। इसमें विभिन्न विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया तथा उनके बीच समन्वय स्थापित कर कार्यक्रम को सफल बनाने का आह्वान किया गया। उसी समय विकास खण्ड स्तर पर ब्लाक प्रमुख/जिला पंचायत सदस्यों द्वारा तथा विद्यालय स्तर पर प्रधानाध्यापकों द्वारा नवनिर्वाचित ग्राम प्रधानों एवं सदस्यों के माध्यम से "स्कूल चलो अभियान" का शुभारम्भ किया गया।

"स्कूल चलो अभियान" के लिये उत्तर प्रदेश सरकार/शासन द्वारा नामित प्रभारी मंत्री, उ.प्र. सरकार की उपस्थिति में "स्कूल चलो अभियान" के सन्दर्भ में जनजागरण हेतु हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया गया। इसके पूर्व अपने सम्बोधन में उन्होंने बच्चों के विद्यालय में नामांकन के साथ ठहराव भी सुनिश्चित करने का अनुरोध किया। साथ ही बालिका शिक्षा पर बल दिया। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड एवं विद्यालय स्तर पर भी रैली एवं प्रभात फेरियां निकाल कर जन जागरण का कार्य किया गया।

बच्चों के चिन्हांकन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर अध्यापकों/आगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों/स्वास्थ्य कार्यकर्त्रियों/ बहुउद्देशीय कर्मचारियों के टीम का रोस्टर बनाकर एक ही साथ प्रत्येक ग्राम पंचायत में घर-घर धूम कर बच्चों का चिन्हांकन किया गया। जिलाधिकारी महोदय के निर्देश में 208 न्यायपंचायत के लिये राजकीय निर्माण इकाई/जल निगम/नलकूप प्रकण्ड के अवर अभियन्ता तथा विकास खण्ड के सहायक विकास अधिकारियों को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया था, जिनके प्रवेक्षण में प्रत्येक क्षेत्र के प्रत्येक परिवार का चिन्हांकन कार्य हेतु आच्छादित किया गया।

इस प्रकार जनपद के कुल 208 न्यायपंचायत एवं नगरीय क्षेत्र के कुल 178 वार्ड के परिवारों का बाल गणना किया गया। इसमें 6-14 वय वर्ग के कुल 1009568 बच्चे चिन्हित किये गये, इसमें 6-11 वय वर्ग के कुल 743092 तथा 11-14 वय वर्ग के 266476 बच्चे चिन्हित हुए।

द्वितीय चरण-

इस चरण में प्रातः 10.00 बजे से अपराह्न 2.00 बजे तक चिन्हांकित बच्चों का नामांकन किया गया तथा 2.00 बजे से 4.00 बजे तक अग्निवकों से जन सम्पर्क कर बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु उन्हें प्रेरित करने का कार्य किया गया, इन्हें संकुल प्रभारियों द्वारा प्रवेक्षण का कार्य किया गया तथा समय-समय पर जनपदीय एवं ब्लाक स्तरीय अधिकारियों द्वारा ग्रामों का भ्रमण भी किया

गमा विद्यालय न आने वाले बच्चों को विद्यालय में दाखिला कराने हेतु प्रत्येक ब्लाक में गोष्ठियों की गयी एवं गांव स्तर पर जागृक व्यक्तियों की टॉप/ग्राम शिक्षा समिति द्वारा जनसम्पर्क किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप द्वितीय, चरण के समाप्त होने तक 6-11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले 77601 चिन्हांकित बच्चों में से 20200 बच्चों का नामांकन कराया गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले 49616 चिन्हांकित बच्चों में से 11270 का नामांकन कराया गया।

अवशेष नामांकन हेतु विशेष चरण-

न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चों में से अवशेष बच्चों की संख्या को देखते हुए उनके नामांकन हेतु "विशेष अभियान" चला कर कार्य पूरा कराया गया, जिसके फलस्वरूप 6-11 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित 77601 बच्चों में से 25140 बच्चों का नामांकन करा लिया गया। इसी प्रकार 11-14 वय वर्ग के न पढ़ने वाले चिन्हांकित 49616 बच्चों में से 18160 बच्चों का नामांकन करा दिया गया। इस प्रकार 6-11 वय वर्ग में अभी भी 52461 तथा 11-14 वय वर्ग में 31456 बच्चे स्कूल न जाने के श्रेणी में आते हैं, उपरोक्त विवरण निम्नलिखित तालिका में स्पष्ट है:

(1 जुलाई, 2000 से 15 जुलाई, 2000 तक)

| बालक/ बालिका | बालगणना में कुल चिन्हांकित बच्चों की संख्या | | अभियान के अन्तर्गत न पढ़ने वाले चिन्हांकित बच्चे | | अभियान के अन्तर्गत नामांकित बच्चे | |
|-----------------|--|---------------|---|---------------|--------------------------------------|---------------|
| | 6-11 वय वर्ग | 11-14 वय वर्ग | 6-11 वय वर्ग | 11-14 वय वर्ग | 6-11 वय वर्ग | 11-14 वय वर्ग |
| बालक | 415054 | 151358 | 26419 | 13423 | 12600 | 7584 |
| बालिका | 328038 | 115118 | 26042 | 13033 | 12540 | 10576 |
| योग- | 743092 | 266476 | 52461 | 31456 | 25140 | 18160 |

योजना निर्माण में स्कूल चलो अभियान का दोगदान लिन गया है। सभी संचालित कार्यक्रमों की सबसे बड़ी त्रुटि यह रही है कि इनके नियोजन की प्रक्रिया या तो ऊपर से थोप दी गयी या जनपद स्तर पर किन्चित लोगों के पारस्परिक विचार विमर्श से निर्मित की गई। फलतः लक्ष्य दूर होता चला गया, ऐसी स्थिति में यह अनुभव किया जाना स्वाभाविक हो गया कि नियोजन की प्रक्रिया नीचे से प्रारम्भ होकर ऊपर तक जाये और नियोजन की योजना निचले स्तरीय दस्तियों व ग्राम लोगों विशेषता अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ी जाति, अल्पसंख्यक, महिलायें एवं बाल श्रमिक, स्ट्रीट चाइल्ड आदि परिवारों के अभिभावकों से वैचारिक परामर्श कर बनाई जाये। इसी की वैचारिक परिणति सर्वशिक्षा अभियान के रूप में हुई और यह योजना जनवरी, 2001 में चालू की गई। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के समस्त बच्चों को 2003 तक नामांकित कराना, 2007 तक अनिवार्यता, पांचवी कक्षा तक शिक्षा प्रदान कराना तथा 2010 तक आठवी कक्षा तक की

शिक्षा प्रदान कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत गाँव स्तर की आवश्यकताओं को चिन्हित करने के निमित्त जनवरी 2001 से जन-जागरण अभियान जनपद स्तर से लेकर ग्राम पंचायत स्तर तक चलाये गये। सहभागिता परख प्रक्रिया के माध्यम से विकास खण्ड स्तर पर विकेन्द्रीकृत नियोजन को अन्तर्गत किया गया। इसके अन्तर्गत विकास खण्ड को इकाई मानते हुए (विशेषतः यमुनापार के 9 विकास खण्डों में) प्रत्येक विकास खण्ड 4 सेक्टरों में विभाजित किया गया और प्रत्येक सेक्टर में नियोजन प्रक्रिया को सुदृढ़, व्यवहारिक एवं फलापेक्षी बनाने के लिये एक नोडल अधिकारी नामित किया गया। इतना ही नहीं सभी नोडल अधिकारियों के कार्यों के सुपर विन्न हेतु प्रत्येक ब्लॉक में एक जूनियर अधिकारी को नामित किया गया और इन्हें प्रत्येक न्याय पंचायत के त्रिस्तरीय एवं त्रिदिवसीय कार्यक्रम को प्रभावी बनाने का दायित्व सौंपा गया—

1. सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से वातावरण सृजित करना।
2. ग्राम सभा की खुली बैठकें आहूत करना और सर्वशिक्षा की विशिष्टताओं और लक्ष्य को जन सामान्य में प्रभावित ढंग से प्रसारित करना।
3. शिक्षकों, बहु-उद्देशीय कर्मियों के द्वारा बाल गणना कराना। (विशेष रूप से यमुनापार के 9 विकास खण्डों में)

जनपद स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में 2 समितियों का गठन किया गया—

1. कोर समिति
2. अभियान समिति (कैम्पेन कमेटी)

1. कोर समिति— कोर समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान को प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित कराना है।
2. अभियान समिति— अभियान समिति का मुख्य कार्य जनपद में सर्व शिक्षा अभियान का व्यापक पचार प्रसार कराना, विद्यालय न जाने वाले एवं ड्रापआउट बच्चों एवं उनके अभिभावकों की समस्याओं पर विचार विमर्श करना तथा समस्याओं के निराकरण का विकेन्द्रीकृत उपाय ढूँढना ही इस समिति का मुख्य उद्देश्य है।

इस प्रकार जनपद इलाहाबाद में सर्व शिक्षा अभियान को सार्थक एवं सफल बनाने के उद्देश्य से विकेन्द्रीकृत नियोजन के माध्यम से वस्ती स्तर से शैक्षिक योजना तैयार करना तथा उसके पश्चात विकास खण्ड और जिला स्तर की समेकित योजना तैयार करने की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है ताकि स्कूल से बाहर के सभी बच्चों को विद्यालयों में लाया जा सके। इस प्रकार जिले में परियोजना नियोजन हेतु—

1. विकास खण्ड स्तर पर टीम का गठन किया गया।
2. वस्तियों में फोकस ग्रुप डिसकसन किया गया।

3. जनपद स्तर पर जिलाधिकारीकी अध्यक्षता में बैठकों का आयोजन किया गया।

विन्दु 2 और 3 के द्वारा यह प्रयास किया गया कि समुदाय विशेष क्षेत्र विशेष की विशिष्ट समस्याएँ उभर कर आ सकें और उन्ही के परामर्श से इन समस्याओं का समाधान भी ढुंढा जा सके। इसमें सामान्य रूप से निम्नलिखित समस्याएँ एवं सुझाव उभर कर सामने आये।

1. भौतिक संसाधनों की कमी।
2. अध्यापकों की कमी।
3. अध्यापकों की अनुपस्थिति।
4. अध्यापकों से शिक्षा कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों का लिया जाना।
5. शिक्षकों में शिक्षण कला का अभाव।
6. प्रभावी निरीक्षण-पदवेक्षण का अभाव, शैक्षिक गुणवत्ता का अभाव एवं जीवने-पयोगी शिक्षा का अभाव।
7. विद्यालय प्रबन्धन में सामुदायिक सहभागिता का अभाव।
8. शिक्षा में बढ़ता राजनैतिक हस्तक्षेप।
9. फोकस ग्रुप डिस्कशन में विभिन्न क्षेत्रों/वर्गों से प्राप्त विशिष्ट समस्याएँ व सुझाव।

तालिका-3.1
बैठकों का विवरण

| क्र० | तिथि | स्थान | प्रतिभागियों का विवरण | बैठक के दौरान परामर्श में उमरे विन्दुओं का संक्षिप्त विवरण एवं सुझाव |
|------|----------|------------------------------|--|--|
| 1. | 5.1.2001 | विकास भवन सभागार | जिलाधिकारी, इलाहाबाद, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद, प्राचार्य डायट, ए.डी.बी., बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, सचिव साधारण, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, परियोजना अधिकारी, लेखा अधिकारी बेसिक शिक्षा, उप-बेसिक शिक्षा अधिकारी, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, प्रति उपविद्यालय निरीक्षक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, डी.पी.आर.ओ. इलाहाबाद, हरिजन समाज कल्याण अधिकारी, जिला कृषि अधिकारी, डी.आई.ओ. एस. इलाहाबाद, ए.एल.सी. इलाहाबाद, पिछड़ावर्ग कल्याण अधिकारी, जिला सूचना अधिकारी आदि | फोकस ग्रुप डिस्कसन के माध्यम से जनपद के विभिन्न विकास खण्डों में विद्यालय न जाने वाले ड्रापआउट बच्चे एवं उनके अभिभावकों की विभिन्न समस्याओं पर रणनीति तय की गयी। तदुपश्चात निम्न सुझाव दिया गया- 1. बस्ती/ग्राम स्तर के व्यक्तियों से विचार-विमर्श कर उनके समस्याओं के आधार पर कार्य योजना का निर्माण किया जाये। 2. 6-14 वय वर्ग के बच्चों को चिन्हित कर विद्यालयों में नामांकन कराया जाय। जिसमें अभिभावकों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रचार-प्रसार सामग्री का सहयोग लिया जाय। 3. 1:40 के अनुपात में शिक्षकों की कमी को ग्राम पंचायत की खुली बैठक में शिक्षा मित्र की नियुक्त कर पूरी की जाय। |
| 2. | 8.1.2001 | विकास खण्ड मुख्यालय, चाका | जिलाधिकारी, इलाहाबाद, उप-शिक्षा निदेशक (चतुर्थ गण्डल), इलाहाबाद, (जनल अधिकारी एस. एस.ए., चाका), बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, वी.डी.ओ., चाका, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी, चाका, ब्लाक प्रमुख चाका, डी.आई.ओ., माननीय विधायक शहर दक्षिणी के प्रतिनिधि, वी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर. रौ. प्रगारी, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक, जिला पंचायत सदस्य (यमुनापार), वी.डी.सी. सदस्य, पत्रकार बन्धु, रंग रोगी संस्थान, अगिगावक, परियोजना अधिकारी, चाका, एवं उपस्थित जन समुदाय। | 1. अध्यापकों की कमी। 2. शिष्योत्तर कार्य लिये जाने से शिक्षकों की गुणवत्ता में ह्रास। 3. शिक्षकों में सम-सामयिक ज्ञान का अभाव तथा शिक्षा की नवीन विधा का ज्ञान न होना। 4. अध्यापक अभिभावक के लिये संवादीनता। 5. अध्यापकों का समय से विद्यालय न आना। 6. शिक्षकों में असुरक्षा की भावना। 7. जन-सहभागिता की कमी। 8. महिला बरतियों के बच्चों का विद्यालय में न जाना। |

| | | | | |
|----|----------|----------------------|--|--|
| | | | | <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 40:1 के भाग के अनुसार अध्यापकों को नियुक्त की जाया 2. शैक्षणिक कार्य के अतिरिक्त अध्यापकों से अन्य कार्य न लिया जाय। 3. डायट एवं वी.आर.सी. में अध्यापकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाय, उन्हें राम-सामयिक तथा शिक्षा की नवीनतम विधा का बोध कराया जाय। 4. पी.टी.ए., एम.ए.टी.ई. की मासिक बैठक आयोजित हो। 5. अध्यापक-अभिभावक संवाद वरारबर बना रहे। 6. शिक्षा विभाग के विभागीय अधिकारियों द्वारा विद्यालय का आकरिमक निरीक्षण किया जाय, जिससे अध्यापक समय से उपरिथत मिलें। 7. ग्राम पंचायत एवं ग्राम शिक्षा समिति का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय। 8. डूडा से सम्पर्क कर करके स्तन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा असुविधा को दूर करने का प्रयास किया जाय। इसके लिये उनके सहयोग से कुछ विद्यालय खोले जा सकते हैं तथा कुछ विद्यालयों में द्विपत्नी की व्यवस्था की जाये तथा ऐसे समय में विद्यालय चलाये जायें जिसमें मलिन बस्तियों के बच्चे घर और परिवारों में रहते हैं। |
| 3. | 8.1.2001 | ब्लॉक मुख्यालय, जसरा | <p>मुख्य विचार अधिकारी, इलाहाबाद, जिला वैरिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वैरिक बक्ता, डायट, वैरिक शोध अधिकारी राजकीय सी.पी.आई. (जोनल अधिकारी, जसरा); सभी नोडल अधिकारी बी.डी.ओ., जसरा, परियोजना अधिकारी, जसरा, ब्लॉक प्रमुख, यमुनापार क्षेत्र के पंचायत सदस्य, जिला सूचना अधिकारी, उपवैरिक शिक्षा अधिकारी, वी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. प्रभारी, संपन्न प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय जनता।</p> | <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. कक्षावार अध्यापकों का अभाव। 2. अच्छे छात्रों एवं अध्यापकों के लिये पुरस्कार की समुचित व्यवस्था का अभाव। 3. बच्चों की प्रगति रिपोर्ट का न लेना। 4. शिक्षक एवं छात्रों के रातत मूल्यांकन का अभाव। 5. व्यवसायिक शिक्षा का अभाव। <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. प्रति वरारवार अध्यापक की व्यवस्था की जाय। 2. योग्य, कर्मठ एवं ईमानदार अध्यापकों तथा गरीब व भेधावी छात्रों के लिये विशेष पुरस्कार/पारितोषिक की व्यवस्था की जाय। 3. प्रत्येक छात्र की प्रगति रिपोर्ट हो। 4. शिक्षकों एवं छात्रों का निरन्तर वैज्ञानिक पद्धत से मूल्यांकन किया जाय। |

| | | | | |
|----|----------|------------------------------|---|--|
| | | | | <p>5. चूंकि विकास खण्ड जसरा कृषि की दृष्टि से अनुपजाऊ एवं पथरीय क्षेत्र है। कृषि ही क्षेत्र का मुख्य व्यवसाय है। इस लिये यह विन्डु उभर कर सामने आया कि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय। उचित होगा कि ब्लॉक मुख्यालय पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाय।</p> |
| 4. | 8.1.2001 | विकास खण्ड, शंकरगढ़ मुख्यालय | <p>जिलाधिकारी, इलाहाबाद, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, सचिव साक्षरता (जोनल अधिकारी), सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. शंकरगढ़, अध्यक्ष जिला पंचायत, इलाहाबाद, सदस्य जिला पंचायत (यमुनापार), ब्लॉक प्रमुख, शंकरगढ़, उप सूचना निदेशक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, प्रतिनिधि सीमेट, सहायक श्रम आयुक्त, स्वेच्छिक संगठनों के प्रतिनिधि, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जगता।</p> | <p>अन्य सामान्य विन्डुओं के अतिरिक्त शंकरगढ़ ब्लॉक की विशेष परिस्थिति को देखते हुए निम्न विशेष विन्डु उभर कर सामने आये।</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बाल श्रम विद्यालयों का अभाव। 2. रोजगार परख शिक्षा का अभाव। 3. शिक्षण संस्थाओं की कमी। 4. अध्यापकों की कमी। 5. बरसात के समय पत्थर के खदानों में पानी भर जाने के कारण बच्चों के माता पिता एक स्थान से दूसरे स्थान को माइग्रेड कर जाते हैं, जिससे उनके साथ पढ़ने वाले उनके बच्चे भी विद्यालय छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे बच्चों की शिदा-दीक्षा की समुचित व्यवस्था की कमी है। <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. चूंकि विकास खण्ड शंकरगढ़ शैक्षणिक व सामाजिक दृष्टि से अविकसित विकास खण्ड है। यहाँ की अधिकांश जन-संख्या पत्थर तोड़ने के कार्य में लगी रहती है, जिससे बच्चे विद्यालय में न जाकर अपने माता-पिता के साथ पत्थर तोड़ने के काम में लगे रहते हैं अतः ऐसे बच्चों की शिक्षा के लिये आवश्यक है कि उन्हें गाँ धाप से अलग रख कर शिक्षा दी जाय। प्रायोगिक तौर पर विकास खण्ड में सर्व प्रथम एक ब्रिज कॉर्स चलाया जाय। क्योंकि बाल श्रमिकों की अधिकता है। अतः एन.सी. सी.पी. विद्यालयों की संख्या में वृद्धि देनी चाहिए। बाल श्रमिकों को उसी वर्ग के लोगों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। 2. इस विकास खण्ड में पत्थर तोड़ने का कार्य अधिक होता है इसलिए उच्च प्राथमिक विद्यालय में पत्थर के बने सागानों जैसे- जाता, चकरी, रिल आदि बनाने वाली बस्तात्मक एवं व्यवसायिक शिक्षा बच्चों में दिया जाय। 3. चूंकि शंकरगढ़ की आधादी दूर-दूर है इस लिये यहां इ.जी.एस. केन्द्र व ए.आई.ई. |

| | | | |
|----|----------|-------------------------------|---|
| | | | के केन्द्रों की स्थापना ऐसे सभी बस्तियों में की जानी चाहिए जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और विद्यालय जाने वाले 25-30 बच्चे हों। 1. अध्यापकों का ब्लाक कैंडर किया जाय, जिससे अध्यापक ब्लाक के बाहर न जा सकें। |
| 5. | 8.1.2001 | विकास क्षेत्र कोरांव मुख्यालय | <p>मुख्य विकास अधिकारी, जिला विकास अधिकारी, इलाहाबाद, जेनल अधिकारी, जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, सभौ नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. कोरांव, सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी, कोरांव, परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, उप-वैशिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, यमुनापार, जिला सूचना अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।</p> |
| 6. | 8.1.2001 | विकारा क्षेत्र उरुवा मुख्यालय | <p>भण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (वैशिक), जिला वैशिक शिक्षा अधिकारी, शिक्षक संघ प्रतिनिधि, उप सूचना निदेशक, खण्ड विकास अधिकारी उरुवा, समस्त नोडल अधिकारी, सहायक वैशिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रमुख उरुवा, जिला पंचायत अध्यक्ष, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य, पत्रधार एवं अन्य गणपान नागरिका</p> |

| | |
|---|--|
| के केन्द्रों की स्थापना ऐसे सभी बस्तियों में की जानी चाहिए जहाँ प्राथमिक विद्यालय नहीं हैं और विद्यालय जाने वाले 25-30 बच्चे हों। 1. अध्यापकों का ब्लाक कैंडर किया जाय, जिससे अध्यापक ब्लाक के बाहर न जा सकें। | <p>1. महिलाओं का निम्न स्तर। 2. ड्रपआउट बच्चों का लेखा-जोखा एवं मासिक समीक्षा का अभाव। 3. जीवनोपयोगी शिक्षा का अभाव।</p> <p>सुझाव-</p> <p>1. महिलाओं के स्तर में सुधार किया जाय। विभिन्न लाभकारी योजनाओं की उन्हें जानकारी दी जाय। 2. कोरांव इलाहाबाद जनपद का रिमोटस्ट ब्लाक है। जहाँ की आवादी अत्यन्त विरल व दूर-दूर बसी है। शिक्षा केन्द्रों की कमी है। इसलिये ड्रपआउट की संख्या में वृद्धि होती है। इसके लिये आवश्यक है कि विद्यालय स्तर पर ड्रपआउट बच्चों का लेखा-जोखा रखा जाय तथा उनको विद्यालय लाने का प्रयास किया जाय। 3. ड्रपआउट को रोकने के लिये विज कोरां या वैकल्पिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षा दी जाय। 4. बालिकाओं के टहराव एवं शिक्षा हेतु प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक के साथ-2 इ.सी. सी.ई. केन्द्र खोले जायें। 5. सिलाई कढ़ाई आदि में हरत कौशल में शिक्षा की व्यवस्था दे।</p> <p>चूँकि विकास खण्ड उरुवा शिक्षक एवं आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न है। इसलिये यहाँ निम्न प्रकार के विचार सामने आये, जैसे-</p> <p>1. गुणात्मक शिक्षा का अभाव। 2. बालिका विद्यालयों की कमी। 3. अध्यापकों की कमी। 4. शिक्षण की वैज्ञानिक विधियों का अभाव। 5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों का पर्याप्त संख्या में न होना।</p> |
|---|--|

| | | | | |
|----|----------|-------------------------------|--|---|
| | | | | <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. अध्यापकों को समय-समय पर बी.आर.सी. तथा डाफट पर प्रशिक्षण दिया जाना 2. बालिकाओं के लिये अलग विद्यालय खोले जायें 3. पैरा टीचरों की नियुक्ति की जायें 4. रुचिपूर्ण शिक्षा की आवश्यकता पर बल दिया जाय 5. उच्च प्राथमिक विद्यालयों की और स्थापना की जाय |
| 7. | 8.1.2001 | विकास क्षेत्र माण्डा मुख्यालय | <p>जोनल अधिकारी, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, विशेषज्ञ वैसिक शिक्षा अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. माण्डा, सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी, माण्डा, परियोजना अधिकारी, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, उप-वैसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, यमुनापार, जिला सूचना अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. समन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता</p> | <ol style="list-style-type: none"> 1. बालिका शिक्षा की अभिवृद्धि हेतु विचार विमर्श किया गया 2. स्कूल दूर होने के कारण बालिकाओं को असुरक्षा की भावना से विद्यालय नहीं भेजते हैं। 3. स्कूलों में टीक से पढ़ाई नहीं होती। 4. जूनियर विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी के कारण परिजनों का पुरुष अध्यापकों पर अविश्वास के कारण बालिकायें विद्यालय नहीं जाती हैं। 5. जनमानस में कि लड़कियां घर गृहस्थी का कार्य करेंगी उन्हें पढ़कर नौकरी तो करना नहीं है। 6. छोटे भाई-बहन की देखा भाल एवं बूल्हा-चौकी के कारण भी तमाम बालिकायें विद्यालय नहीं जाती हैं। |
| 8. | 8.1.2001 | ब्लाक मुख्यालय, मेजा | <p>जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी, वरिष्ठ गणता,</p> | <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. बालिकाओं के लिये विद्यालय का नजदीक होना अनिवार्य हो। 2. विद्यालयी पढ़ाई को सुदृढ़ किया जाय 3. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापिकाओं की नियुक्ति की जाय 4. सामुदायिक जागरण द्वारा जनमानस की भावना में परिवर्तन लाने का प्रयास किया जाय 5. बालिका शिक्षा में अभिवृद्धि के लिये ई.सी.सी.ई. केन्द्र खोले जायें। 6. शिक्षा में लिंग समानता पर बल दिया जाय <ol style="list-style-type: none"> 1. मेजा विकास सण्ड की भौगोलिक संरचना पत्राई है। अतः अंतर आवासी उन्मुखित जाति की है जिससे गरीबी एवं अशिक्षा व्याप्त है। विद्यालय पास होने के बावजूद |

| | | | |
|----|---|--|---|
| | | <p>डायट, जौनल अधिकारी, मेजा, सभी नोडल अधिकारी बी.डी.ओ., मेजा, परियोजना अधिकारी, मेजा, ब्लाक प्रमुख, यमुनापार क्षेत्र के पंचायत सदस्य, जिला सूचना अधिकारी, उपवैसिक शिक्षा अधिकारी, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. प्रभारी, समस्त प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक एवं क्षेत्रीय जनता।</p> | <p>शतप्रतिशत बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। 2. ज्यादातर अभिभावक जंगलों में लकड़ी काटते हैं बच्चे उनके काम में मदद करते हैं। अभिभावक बच्चों के भविष्य के बारे में कम सोचते हैं। 3. गरीब अभिभावक आर्थिक कमजोरी एवं टेकेदारों की डर से अपने बच्चों को शिक्षा हेतु विद्यालय में नहीं भेजते। 4. अभिभावक अपने बच्चों के प्रति अध्यापकों के उोभाताक व्यवहार के कारण भी विद्यालय भेजने में रुचि नहीं लेते।</p> <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ऐसे समाज में जागृकता पैदा करने के लिये शिक्षक अभिभावक एवं मातृ शिक्षक संघ का गठन किया जाय तथा इसकी नियमित बैठक विद्यालय में हो, जिसके दौरान शिक्षा के महत्त्व पर प्रकाश डाला जाय। उन्हें अपने बच्चों को विद्यालय भेजने हेतु प्रोत्साहित किया जाय। 2. इस प्रकार के बच्चों के लिये समुदाय के समय के अनुसार ई.जी.एस. केन्द्र खोले जायें। 3. बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, पोषाहार, छात्रवृत्ति के बारे में बताया जाये तथा टेकेदारों से उन्हें मुक्त कराया जाय। 4. अध्यापकों को ऐसे गरीब बच्चों की शिक्षा के मात्त्व से अवगत कराया जाय तथा उन्हें इनके प्रति संवेदनशील बनाया जाय। |
| 9. | <p>8.1.2001</p> <p>ब्लाक मुख्यालय, कौशियारा</p> | <p>जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, जौनल अधिकारी, सभी नोडल अधिकारी, बी.डी.ओ. कौशियारा, सदस्य जिला पंचायत (यमुनापार), ब्लाक प्रमुख, कौशियारा, उप सूचना निदेशक, वरिष्ठ प्रवक्ता, डायट, प्रतिनिधि सीमेट, सहायक श्रम आयुक्त, स्वेच्छक संगठनों के प्रतिनिधि, बी.आर.सी. समन्वयक, एन.पी.आर.सी. रागन्वयक, ग्राम प्रधान, प्रधान अध्यापक, प्राथमिक विद्यालय/उच्च प्राथमिक विद्यालय एवं क्षेत्रीय जनता।</p> | <p>1. कौशियारा विकारा खण्ड टोरा नदी के किनारे बसा है। बच्चे-बच्चे नाले के कारण अधिकतर गरीब आवादी के बच्चे स्कूल समय से नहीं जाते। 2. स्कूल बस्ती की पहुंच से दूर है। 3. गरीबी तथा अशिक्षा के कारण ज्यादातर बच्चे लघु उद्योग जैसे- वीडो बनाना, सूत कातना, आदि कार्य करते हैं। 4. आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के कारण अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने में ज्यादा रुचि नहीं लेते हैं।</p> <p>सुझाव-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. जिन बस्तियों की पहुंच में विद्यालय नहीं है तथा पंचायत राश्या में बच्चे हैं वहां |

| | | | | |
|--|---------------|--|---|--|
| | 10. 11.1.2001 | वृजमंगल सिंह इ. का. रामपुर करछना | | <p>नवीन विद्यालय खोल दिया जाय।</p> <p>2. बच्चों को स्कूल लाने के लिये अभिभावकों में जनजागृत के द्वारा चेतना लाना होगा।</p> <p>3. स्कूलों में बच्चों को व्यवसायिक शिक्षा भी प्रदान की जाय।</p> <p>4. उन्हें निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, छात्रवृत्ति तथा पोषाहार, आकर्षक लाभप्रद योजनाओं के बारे में आवश्यक बताया जाय।</p> |
| | | | <p>माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, संयुक्त सचिव मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, अतिरिक्त निजी सचिव मानव सं. विकास मंत्रालय, सचिव बेसिक शिक्षा उ.प्र., निदेशक बेसिक शिक्षा, डी.एम.ए.आई. आई.डी, सी.डी.ओ. इलाहाबाद, डी.डी.ओ., इलाहाबाद, अपर शिक्षा निदेशक, सचिव बेसिक शिक्षा निदेशक, उपशिक्षा निदेशक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद, विभिन्न विकास खण्डों के डी.डी.ओ., यमुना पार क्षेत्र के ब्याक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष/सरदार, प्रिन्ट मीडिया/इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग, ग्राम प्रधान, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापक, अभिभावक-छात्र एवं क्षेत्रीय जनता।</p> | <p>1. गरीबी के कारण बालिकाओं एवं अनुसूचित जाति के बच्चों का गुट कार्य में संलग्न होना।</p> <p>2. अध्यापकों की कमी।</p> <p>3. जन-सहभागिता की कमी।</p> <p>4. विद्यालयों कक्षा-कक्षों की कमी।</p> <p>5. पेयजल/शौचालय की कमी।</p> <p>6. भौतिक साज-सज्जा एवं टी.एल.एम. की कमी।</p> <p>7. बच्चों के पाठ पाठ्य पुस्तकों का न होना।</p> <p>8. छात्रवृत्ति एवं पोषाहार का नियमित वितरण न होना।</p> <p>9. विद्यालय में पाठ्य सहभागी सामग्रियों का अभाव एवं विद्यालय का नीरस वातावरण।</p> <p>10. बच्चों की रुचि के अनुसार शिक्षा का अभाव।</p> <p>11. अभिभावकों का अपने बच्चों के शिक्षा के प्रति उदासीन होना।</p> |
| | | | | <p>सुझाव-</p> <p>1. क्षेत्र विशेष की समस्याओं एवं परिस्थानोंसार शिपट शिक्षण की व्यवस्था हो। जैसे- शहरी मलिन वस्तियों के लिये विद्यालयों में द्विभाषी शिक्षा व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त ऐसे बच्चों के लिये निम्नलिखित व्यवस्थायें भी की जायें।</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ बैंक टू स्कूल केंपेन। ▪ विज कोर्स / रेमिडियल कोर्स। ▪ जहां पर धार्मिक / अल्पसंख्यक समाज की बहुलता हो वहां पर भव्यता और मंदिरों को अधिक सुविधायें देकर उन्हें सम्भूद्ध करना। |

| | | | |
|-----|-----------|--|---|
| | | | <p>2. पैरा टीचर की व्यवस्था हो।</p> <p>3. जन प्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं अभिभावकों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाये।</p> <p>4. आवश्यकतानुसार प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायें एवं ई.जी.एस. और ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायें।</p> <p>5. निजी क्षेत्र के माध्यम से स्कूल को फण्ड दिलाया जाय तथा मान्यता की शर्तों को सरल करके निजी क्षेत्र में विद्यालय खोलने को प्रोत्साहन दिया जाय।</p> <p>6. विद्यालय में पेयजल शौचालय की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय।</p> <p>7. विद्यालय में कुरी भेज, टाटपट्टी एवं अध्ययन अध्यापन की सामग्रियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराई जायें।</p> <p>8. जुलाई में ही कक्षा 1 से 5 तक सभी बच्चों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी जायें।</p> <p>9. पात्र छात्रों को पोषाहार एवं छत्रवृत्ति का समय से वितरण सुनिश्चित किया जाय।</p> <p>10. खेल-कूद, संगीत की सामग्री की प्रत्येक विद्यालय में व्यवस्था की जाय। इसके अतिरिक्त विद्यालयों में बाल उद्यान की व्यवस्था की जाये जिरारे बच्चों में विद्यालय में टहराव की स्थिति बनी रहे।</p> <p>11. विद्यालयों में व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा दिया जाय।</p> <p>12. 6-14 वय वर्ग के विद्यालय न जाने वाले बच्चों के अभिभावकों को शिक्षा के महत्त्व, लाभ को बताया जाय तथा शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के द्वारा उन्हें गतिशील बनाया जाय।</p> |
| 11. | 16.2.2001 | <p>जिलाधिकारी कैम्प कार्यालय रायगढ़ 4.30 बजे</p> | <p>1. अध्यापकों की कमी।</p> <p>2. शिक्षकों में सम-सामयिक ज्ञान तथा शिक्षण की नवीन विधियों का अभाव।</p> <p>3. जन-सहभागिता का अभाव।</p> <p>4. गलिन बरितवों में शिक्षण की विशेष व्यवस्था का अभाव।</p> <p>5. विद्यालय में पाठ्य (सहभागी) सामग्रिया का अभाव।</p> <p>6. विद्यालय का नीरस वातावरण।</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | <p>संयुक्त सचिव, वैसिक शिक्षा परिषद, इलाहाबाद, साधव जिला साक्षरता समिति/जिला अनीपचारिक शिक्षा अधिकारी, क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी, भारत सरकार इलाहाबाद, प्रतिनिधि, विधायक झूरी, प्रतिनिधि, माननीय सांसद फूलपुर, प्रति निधि, राज्य मंत्री, लोक निर्माण विभाग, उ.प्र. सरकार, प्रतिनिधि, विधायक, बारा, उपनिदेशक, सूचना, उपशिक्षा निदेशक, माध्यमिक, इलाहाबाद, जिलाध्यक्ष, शा.ज.पा., इलाहाबाद, ब्लाक प्रमुख, चाका, प्रतिनिधि मानव संसाधन मंत्री, भारत सरकार, प्रतिनिधि, माननीय विधानसभा अध्यक्ष, सहायक अभियन्ता, लघु/रिचार्ज, सी.ई.ओ./एफ. एफ.डी.ए., सहायक श्रम आयुक्त, जिला विद्यालय निरीक्षक, इलाहाबाद, सहायक शिक्षा निदेशक, धेरिक चतुर्थ गण्डल, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद</p> | <p>7. विद्यालय में अतिरिक्त कक्षा-कर्मियों की कमी। 8. व्यावसायिक शिक्षा का अभाव। 9. बालश्रम विद्यालयों का अभाव। 10. क्षेत्र विशेष में मेजोरिटी विल्ड्रेन की शिक्षा के समुचित व्यवस्था का अभाव (शंकरगढ़) 11. महिलाओं का निम्न शैक्षिक स्तर। 12. बालिका विद्यालयों की कमी। 13. उच्च प्राथमिक विद्यालयों में महिला अध्यापकों की कमी। 14. अभिभावकों का पारस्परिक दृष्टिकोण। 15. उच्च प्राथमिक विद्यालयों का विशेष अभाव। 16. 9 वर्ष से अधिक आयु के बच्चों के लिये पृथक विद्यालयों का अभाव। 17. अल्प संख्यक संस्थाओं में वैज्ञानिक सौंच का अभाव।</p> <p>सुझाव -</p> <ol style="list-style-type: none"> 40:1 के अनुपात में अध्यापकों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय। इतने लिये निर्गता अध्यापकों के साथ ही पेटाचर की व्यवस्था की जाय। शिक्षकों में सम-सांगतिक ज्ञान एवं प्रशिक्षण की नई विधियों से परिचित करने के लिये डायट एवं बी.आर.सी. में प्रशिक्षण की नियमित व्यवस्था की जाय। शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी सुनिश्चित की जाय तथा जनप्रतिनिधियों, ग्राम प्रधानों एवं अभिभावकों में स्वयं सेवी संस्थाओं के द्वारा शिक्षा के प्रति जागरूकता लाई जाय। शहरी मलिन वर्तियों के विद्यालयों में द्विपातीय शिक्षण व्यवस्था की जाय। लेबर चाइल्ड के लिये उनके काम न करने की अवधि में प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाय इस संन्दर्भ में ऐसी चरित्तों में निम्न शैक्षिक गतिविधियों चलाई जा सकती है। जैसे वेव टू स्कूल कैम्पेन, विज कोर्स, मुसलिम वाहुल्य क्षेत्रों में मकतव एवं मदरसों को सुदृढ़ करना। राष्ट्रीय साक्षरता क्रियओं को बढ़ाना दिया जाय। विद्यालयों में खेलकूद सामग्री की समुचित व्यवस्था की जाय जैसे लेजिंग, ज्ञान |
|--|--|---|

- हारमोनियम आदि वागवानी एवं साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाय।
8. शिक्षा व्यवस्था को अधिक व्यवहारिक बनाया जाय।
 9. बच्चों के प्रांत कटोरता के स्थान पर लचीला एवं वातास्थ परक व्यवहार किया जाय।
 10. जहाँ विद्यालय न हों वहाँ पर नवीन विद्यालय खोले जायें।
 11. जहाँ कक्षा कक्षा की कमी हो नवीन कक्षा कक्षा प्रदान किया जाय और असेवित बस्तियों/मोहल्लों में आवश्यकतानुसार ई.जी.एस.ए.आई.ई. केन्द्र खोले जायें।
 12. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये।
 13. संभरत उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कंप्यूटर शिक्षा की व्यवस्था की जाय।
 14. शंकरगढ़ जैसे विकास खण्डों के लिये बालश्रम विद्यालयों की अधिक व्यवस्था की जाय तथा सामान्य विद्यालयों से उनका सामंजस्य बनाया जाय।
 15. माइग्री चिल्ड्रेन की समस्या विशेष रूप से विकास खण्ड शंकरगढ़ में है ऐसे विकास खण्ड में कम से कम 2 विजकीर चलाये जाने की आवश्यकता है।
 16. महिलाओं में शिक्षा के प्रति जनजागरण के द्वारा विशेष जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। इसके लिये नुक्कड़ नाटक, अन्य कार्यक्रम चलाये जाने की आवश्यकता है।
 17. उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर अंगिक रो अंगिक बालिका विद्यालय खोले जायें।
 18. उच्च प्राथमिक विद्यालय में 50 प्रतिशत स्थान महिला अध्यापिकाओं के लिये आरक्षित किया जाय जिससे कम से कम ग्रामीण क्षेत्र के अभिभावक विद्यालय परिपद में बालिकाओं की सुरक्षा से निश्चित हो सकें।
 19. जनमानस की इस अवधारणा को बदलने का प्रयास किया जाना चाहिय कि लड़कियां घर गृहस्थी का कार्य करेंगी उन्हें पढ़कर नौकरी नहीं करना है। इसके लिये राण-राण पर रैलियां निकाल कर बैंग, गोरटर तथा रंगोपिठों एवं भीडिया के माध्यम से जन सामान्य में नई सोच पैदा करना चाहिये।
 20. शिक्षा के द्वारा लिंग सामानता पर भी बल देने की आवश्यकता है।
 21. प्राथमिक विद्यालयों की तुलना में उच्च प्राथमिक विद्यालय को अंगिक रो अंगिक

| | |
|--|--|
| | <p>खोलने की व्यवस्था की जानी चाहिए।</p> <p>22. अल्प संख्यक संस्थाओं को शिक्षा की आधुनिक नवीन धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाय।</p> <p>23. ब्लाक प्रमुख चाका ने सुझाव दिया कि सर्व शिक्षा अभियान को तभी सफल एवं सार्थक बनाया जा सकता है। जब उच्च स्तर से लेकर ग्राम स्तर पर सब का सहयोग प्राप्त किया जाय।</p> <p>24. प्रतिनिधि, माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि 6-14 वय वर्ग के शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिये अभिभावकों में भय होना आवश्यक है उनमें यह धारणा विकसित की जाय यदि वे अपने बच्चों को नही पढ़ायेंगे तो उन्हें सरकारी लोगों से बंधित कर दिया जायेगा।</p> <p>25. स्वयं सेवी संस्था की प्रतिनिधि ने सुझाव दिया कि प्राथमिक शिक्षा में सुधार हेतु प्राथमिक विद्यालयों की समीक्षा की जाय और विद्यालयों में अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाय।</p> <p>26. जिला अध्यक्ष भाजपा ने सुझाव दिया कि ब्रिज कोर्स सुदूरवर्ती एवं अन्यत्र पिछड़े क्षेत्रों में खोले जायें।</p> <p>27. ब्लाक प्रमुख गेजा ने सुझाव दिया कि वि.वि. विहीन विद्यालयों को आधिकारिक मान्यता प्रदान की जाय जिससे विद्यालयों की संख्या में वृद्धि हो सके इसके लिये मान्यता की शर्तों में सिधिलीकरण किया जाना चाहिए।</p> <p>28. स्वैच्छिक संगठन के प्रतिनिधि का सुझाव रहा है कि प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की भूमिका सुनिश्चित की जाय।</p> |
|--|--|

ब्लाकवार एवं तिथिवार की गयी ग्राम पंचायतों की खुली बैठक का विवरण इस प्रकार है-

तालिका-3.2
ग्राम पंचायत की खुली बैठकें

| क्र० | विकास खण्ड का नाम | ग्राम पंचायतों की खुली बैठकें तिथिवार संख्या | | | | | | | | | | | | | | | | | योग | | | |
|------|-------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|---|---|----|
| | | 12 ज. | 13 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 27 | 28 | 30 | 31 | 1फ | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | |
| 1. | शंकरगढ़ | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 60 |
| 2. | जसरा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | 60 |
| 3. | चाक्का | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 49 |
| 4. | करछना | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | - | - | - | - | 71 |
| 5. | कौंधियारा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 44 |
| 6. | कोरांव | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 99 |
| 7. | मेजा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | 60 |
| 8. | उरुवा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | 54 |
| 9. | भाण्डा | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 63 |
| | योग- | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 38 | 37 | 38 | 37 | 37 | 38 | 30 | 26 | 24 | 21 | 16 | 12 | 8 | 6 | | 50 |

उक्त के अतिरिक्त टाउन एरिया शंकरगढ़, कोरांव, सिरसा एवं भारतगंज में भी एक-एक बैठकें हुईं। कुल ग्रामीण क्षेत्र में 560 नगर (टाउन एरिया) में चार बैठकें की गईं।

सोसल एससमेन्ट स्टडी-

शिक्षा के सार्वभौमिकरण में आनेवाली समस्याओं, बाधाओं का अभियान म रखकर जनपद इलाहाबाद में सोसल एससमेन्ट स्टडी में निम्न सुझाव प्राप्त हुये-

1. वी.सी एवं एस.सी. समुदाय के अभिभावक प्रायः निरक्षर हैं। अतः इन अपवंचित वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराना है।
 2. अपवंचित समुदाय के क्षेत्र में स्थित विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देकर मोटिवेशन दिया जाय।
 3. विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षक दिये जायें और उनकी विद्यालय में नियमित तथा क्रियाशील उपस्थिति बनी रहे।
 4. समुदाय तथा शिक्षकों के बीच समस्याओं पर डिस्कशन होता रहे।
 5. पिछड़े तथा गरीब समुदाय के बच्चों को निःशुल्क शिक्षण सामग्री और पोशाक दिये जायें।
 6. पिछड़े तथा गरीब परिवार के बच्चों के प्रति शिक्षक सहृदयता का व्यवहार करें।
 7. वी.आर.सी/एन.पी.आर.सी. द्वारा उचित पर्यवेक्षण लिये जायें।
 8. माइक्रोप्लानिंग का क्रियान्वयन किया जाय।
 9. सेवारत प्रशिक्षण दिया जाय।
 10. विकलांग बच्चों की विद्यालय जाने तथा उनसे ट्रेन का व्यवहार करते हुए हीनभावना समाप्त करने का प्रयास किया जाय।
 11. कक्षा में विकलांग बच्चों के बैठने कीसही-व्यवस्था हो।
 12. कक्षा का वातावरण एवं शिक्षण कार्य रोचक हो।
 13. रूढ़िवादी परम्परा को समाप्त करने में अभिभावक को प्रेरित कर बालिकाओं का विद्यालय लाया जाय।
 14. ड्रापआउट को समाप्त किया जाय।
- उपर्युक्त सुझावों को सर्वशिक्षा परियोजना में समाहित कर लिया गया है।



LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Ansari Road, Connaught Place,
New Delhi-110002
Date: 05/12/1985
05/12/1985

प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न एजेन्सीज/विभागों से समन्वय व सहयोग

प्रारंभिक शिक्षा के विकास व उन्नयन हेतु निम्नांकित विभागों से सुनियोजित ढंग से सहयोग प्राप्त किया जाता है—

(A) आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय

जिला कार्यक्रम अधिकारी व समन्वयक बालिका शिक्षा, स्वास्थ्य कर्मी, N.G.O. आदि को सम्मिलित कर जिला संदर्भ समूह तथा विकास खण्ड संदर्भ समूह का गठन किया जाता है और निम्नवत् आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय स्थापित किया जाता है—

- 1- ऑगनबाड़ी केन्द्रों का समय स्कूलों के समय के अनुसार निर्धारित किया जाता है।
- 2- ऑगनबाड़ी केन्द्रों की स्थापना विद्यालय प्रांगण में या उनके निकट की जाती है।
- 3- ऑगनबाड़ी केन्द्रों को शिक्षण सहायक सामग्री उपलब्ध करायी जाती है।
- 4- केन्द्रों के सुदृढीकरण हेतु प्रशिक्षण क्षमता का विकास किया जाता है।
- 5- केन्द्रों के संचालन के अतिरिक्त समस्या हेतु आनुपालिक ढंग से अतिरिक्त मानदेय दिया जाता है।

(B) स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय

स्वास्थ्य विभाग के साथ समन्वय स्थापित करके प्रत्येक वर्ष परिषदीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा, जिससे चिन्हित रोगी छात्र-छात्राओं के उपचार हेतु उनके अभिभावकों को अवगत कराया जा सके तथा बच्चों के स्वास्थ्य की समुचित देख भाल हो सके। स्वास्थ्य वार्ड का रखरखाव विद्यालय स्तर पर किया जाता है। स्वास्थ्य परीक्षण हेतु राजकीय चिकित्सक अथवा पंजीकृत चिकित्सकों की सेवाएं ली जाती हैं। चिकित्सकों के आने-जाने की व्यवस्था विभाग से की जाती है।

(C) समाज कल्याण विभाग से समन्वय

समाज कल्याण विभाग के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों व उच्च प्राथमिक विद्यालयों के अनु० जाति के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने हेतु कमशः 300/- व 480/- प्रति छात्र की दर से प्रति वर्ष छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है।

(D) ग्राम पंचायतों से समन्वय

असेवित क्षेत्रों में नवीन विद्यालयों की स्थापना हेतु ग्राम पंचायतों के सहयोग से ग्राम पंचायत भूमि प्रबंध समितियों द्वारा निःशुल्क भूमि उपलब्ध करायी जाती है, जहाँ पर विद्यालयों का निर्माण कर संचालित किया जाता है।

(E) खाद्य एवं आपूर्ति विभाग से समन्वय

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के समन्वय एवं सहयोग से प्रत्येक विद्यालय में 80% मासिक उपस्थिति वाले प्रत्येक छात्र-छात्रा को 3 किलोग्राम प्रति छात्र की दर से पोषाहार योजनान्तर्गत खाद्यान वितरित कराया जाता है।

(F) विकलांग कल्याण विभाग से समन्वय

विकलांग कल्याण विभाग के सहयोग से विकलांग छात्र-छात्राओं को उपकरण (टायसाइकल, वैसाखी आदि) उपलब्ध कराने हेतु सहयोग प्राप्त किया जाता है। बच्चों के चिन्हीकरण में सहयोग किया जाता है। शासन द्वारा यह आदेश भी जारी किये गये हैं कि विकलांगों की सहायतार्थ उपकरणों/संयंत्रों के वितरण में छात्र-छात्राओं को प्राथमिकता दी जाये।

(G) उ०प्र० जल निगम/ यू.पी. एग्री से समन्वय

इन दोनों विभागों के सहयोग से प्राथमिक विद्यालय व उच्च प्राथमिक विद्यालयों ने छात्र-छात्राओं के लिए पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने हेतु हैण्डपम्पों की स्थापना की जाती है।

(H) युवा कल्याण विभाग से समन्वय

युवा कल्याण विभाग से समन्वय स्थापित कर छात्रों की क्रीडा प्रतियोगिता सम्पादित करायी जाती है ताकि उनमें खेल भावना का विकास हो सके। नेहरू युवा केन्द्रों तथा युवक मंगल दल के कार्यकर्ताओं के सहयोग से छात्र नामांकन में वृद्धि हेतु कार्यक्रम चलाये जाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में ग्राम शिक्षा समितियों व स्थानीय समुदाय की सामुदायिक सहभागिता विकसित की जाती है।

(I) पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से समन्वय

इन दोनों विभागों से समन्वय स्थापित कर पिछड़ी जाति एवं अल्पसंख्यक बच्चों को 300/- प्रति छात्र प्रति वर्ष की दर से छात्रवृत्ति वितरित करायी जाती है ताकि इन छात्रों को गणवेश एवं आवश्यक पठन सामग्री उपलब्ध हो सके।

(J) जिला ग्राम्य विकास अभिकरण विभाग से समन्वय

शिक्षा के उन्नयन हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण (D.R.D.A.) से समन्वय स्थापित कर विद्यालय भवनों के निर्माण हेतु 40% धनराशि शिक्षा विभाग से प्रदान कर शेष 60% धनराशि ग्राम्य विकास विभाग से प्राप्त कर विद्यालय भवनों का निर्माण कराया जाता है जिससे अधिक से अधिक विद्यालयों को आच्छादित किया जा सके।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपरोक्त सभी विभागों से समन्वय स्थापित कर समुचित सहयोग प्राप्त किया जायेगा। उपर्युक्त विभागों के साथ पूर्व से ही कन्वर्जेन्स स्थापित है जिसे आगे भी जारी रखा जायेगा।

अध्याय – 4

सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्य एवं लक्ष्य

भारत सरकार द्वारा कक्षा 1-8 तक की प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राज्यों में "सर्व शिक्षा अभियान" संचालित करने का निर्णय लिया गया है। सर्व शिक्षा अभियान केन्द्र पुरोनिधानित योजना के रूप में चलाया जायेगा। नवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि तक केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 85:15, दसम् पंचवर्षीय योजना में अंशदान का प्रतिशत 75:25 तथा उसके आगे की अवधि के लिए केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार के मध्य अंशदान का प्रतिशत 50:50 रहेगा।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के सार्वजनीकरण हेतु राष्ट्रीय स्तर पर मुख्य रूप से निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं :-

- वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का विद्यालय, शिक्षा गारंटी केन्द्र, वैकल्पिक स्कूल, बैक टू स्कूल शिविर आदि के माध्यम से शत प्रतिशत नामांकन।
- वर्ष 2007 तक समस्त बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर लेना।
- वर्ष 2010 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 8 तक की प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करना।
- गुणवत्तापरक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना।
- बालक-बालिका तथा समाज के विभिन्न वर्गों के मध्य वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन, ठहराव व सम्प्राप्ति में अन्तर समाप्त करना।
- वर्ष 2010 तक सार्वभौमिक ठहराव।

उक्तवत अंकित राष्ट्रीय लक्ष्यों को जनपद के लिये भी मान लिया गया है। उक्त वृहद लक्ष्यों के साथ ही जनपद के लिए विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जिनका दिवरण आगे पृष्ठों में अंकित है।

नामांकन के लक्ष्य

बाल संख्या तथा नामांकन प्रोजेक्शन हेतु अपनायी गयी विधा

जनगणना – 2001 से प्रदेश की जनपदवार जनसंख्या के आँकड़े प्राप्त हो गये हैं। जनगणना – 1991 की जनसंख्या के आँकड़ों को आधार मानते हुए विगत 10 वर्षों में जनपद की जनसंख्या में हुई वृद्धि के आधार पर नीपा, नयी दिल्ली के माड्यूल में वर्णित 'कम्पाउण्ड रेट आफ ग्रोथ मेथेड' से जनपद की वार्षिक वृद्धि दर ज्ञात की गयी। जनपद की वार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर 2.88% है। इस वार्षिक वृद्धि दर से वर्ष 2002 से 2010 तक प्रत्येक वर्ष की जनपद की कुल जनसंख्या प्रक्षेपित की गयी है।

जनगणना 2001 की आयुवर्गवार जनसंख्या के आँकड़े अभी उपलब्ध नहीं हैं। अतः जनगणना 1991 की आयु वर्गवार जनसंख्या के प्रतिशत को मानते हुए वर्ष 2001 तथा इससे आगे की प्रक्षेपित जनसंख्या में 6-11 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 14.9% तथा 11-14 वर्ष की बालसंख्या ज्ञात करने के लिये 6.2% का अनुपात लिया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के विभिन्न आयुवर्ग की जनसंख्या, ग्रामीण/ नगरीय, अनुसूचित जाति/ जनजाति के लिये विशिष्ट आँकड़े उपलब्ध होने पर इन आँकड़ों का पुनरावलोकन आगामी वार्षिक योजनाओं में किया जा सकता है।

नामांकन के प्रोजेक्शन हेतु वर्तमान जी०ई०आर० को आधार मानते हुए नीपा, नयी दिल्ली द्वारा प्रतिपादित 'इनरोलमेंट रेशियो मेथड' से 2002 से 2010 तक का जी०ई०आर० प्रक्षेपित किया गया। वर्ष विशेष के लिये प्रक्षेपित जी०ई०आर० तथा प्रक्षेपित बाल संख्या से उस वर्ष के लिए नामांकन प्रक्षेपित किया गया है। प्राथमिक स्तर (6-11) के लिए वर्ष 2003 तक तथा उच्च प्राथमिक स्तर (11-14) के लिये वर्ष 2007 तक शत-प्रतिशत नामांकन का लक्ष्य रखा गया है। चूँकि कुल नामांकन में कुछ ओवर ऐज तथा अण्डर ऐज बच्चे भी होंगे अतः जी०ई०आर० का लक्ष्य 100 से अधिक रखा गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2003 के बाद तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर वर्ष 2007 के बाद जी०ई०आर० में वृद्धि कम होगी क्योंकि जितने बच्चे 6-11 वर्ष व 11-14 वर्ष में बढ़ेंगे उतने ही लगभग नामांकन में बढ़ेंगे।

वर्ष 2001 से 2010 तक वर्षवार प्रक्षेपित जनपद की 6-11 वर्ष की बाल संख्या व नामंकन तथा 11-14 की बाल संख्या व नामांकन निम्नवत् है।

सारिणी 4.1
प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद -इलाहाबाद

| वर्ष | 6-11 वय वर्ग के बच्चों की संख्या | | | नामांकन | | | जी०ई०आर० |
|---------|----------------------------------|--------|--------|---------|--------|---------|----------|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | |
| 2000-01 | 390231 | 346054 | 736285 | 308282 | 273383 | 581665 | 79 |
| 2001-02 | 401157 | 355744 | 756901 | 357030 | 316612 | 673642 | 89 |
| 2002-03 | 412390 | 365704 | 778094 | 408266 | 362047 | 770313 | 99 |
| 2003-04 | 423937 | 375944 | 799881 | 453612 | 402260 | 855873 | 107 |
| 2004-05 | 435807 | 386470 | 822278 | 479388 | 425118 | 904505 | 110 |
| 2005-06 | 448010 | 397292 | 845301 | 501771 | 444967 | 946737 | 112 |
| 2006-07 | 460554 | 408416 | 868970 | 525031 | 465594 | 990625 | 114 |
| 2007-08 | 473449 | 419851 | 893301 | 549201 | 487028 | 1036229 | 116 |
| 2008-09 | 486706 | 431607 | 918313 | 574313 | 509297 | 1083610 | 118 |
| 2009-10 | 500334 | 443692 | 944026 | 600400 | 532431 | 1132831 | 120 |

सारिणी 4.2
उच्च प्राथमिक स्तर पर नामांकन के लक्ष्य

जनपद -इलाहाबाद

| वर्ष | 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या | | | नामांकन | | | जी०ई०आर० |
|---------|-----------------------------------|--------|--------|---------|--------|--------|----------|
| | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | |
| 2000-01 | 162378 | 143996 | 306374 | 125031 | 110877 | 235908 | 77 |
| 2001-02 | 166925 | 148028 | 314952 | 136878 | 121383 | 258261 | 82 |
| 2002-03 | 171598 | 152173 | 323771 | 149291 | 132390 | 281681 | 87 |
| 2003-04 | 176403 | 156434 | 332837 | 162291 | 143919 | 306210 | 92 |
| 2004-05 | 181343 | 160814 | 342156 | 174089 | 154381 | 328470 | 96 |
| 2005-06 | 186420 | 165316 | 351737 | 186420 | 165316 | 351737 | 100 |
| 2006-07 | 191640 | 169945 | 361585 | 199305 | 176743 | 376049 | 104 |
| 2007-08 | 197006 | 174704 | 371710 | 208826 | 185186 | 394012 | 106 |
| 2008-09 | 202522 | 179595 | 382117 | 218724 | 193963 | 412687 | 108 |
| 2009-10 | 208193 | 184624 | 392817 | 229012 | 203087 | 432098 | 110 |

ठहराव के लक्ष्य

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत जिले की प्लान संरचना में वर्ष 2007 तक प्राथमिक स्तर पर तथा वर्ष 2010 तक उच्च प्राथमिक स्तर पर शत प्रतिशत ठहराव का लक्ष्य रखा गया है। तदनुसार प्राथमिक स्तर पर 'ड्रॉप आउट' कम करने के लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, जो निम्नवत हैं-

| वर्ष | प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट की दर |
|---------|----------------------------------|
| 2000-01 | 42 |
| 2001-02 | 37 |
| 2002-03 | 31 |
| 2003-04 | 25 |
| 2004-05 | 18 |
| 2005-06 | 12 |
| 2006-07 | 6 |
| 2007-08 | 0 |
| 2008-09 | 0 |
| 2009-10 | 0 |

परियोजना क्रियान्वयन के दौरान जनपद में 'ड्रॉप आउट' के संबंध में हुयी प्रगति तथा अनुश्रवण हेतु प्रत्येक तीन वर्ष पर प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट तथा उच्च प्राथमिक स्तर का ड्रॉप आउट ज्ञात करने हेतु वृद्धक-पृथक 'कोहोर्ट स्टडी' करायी जायेगी।

अध्याय-5

समस्यायें व रणनीतियाँ

सर्वशिक्षा अभियान के निदेशन की प्रक्रिया पूर्णतया विकेन्द्रीकृत रूप में अपनाई गयी है और दस्ती आधारित कार्यक्रम का निदेशन किया गया है। शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्तियों, समुदाय के विभिन्न वर्गों, शिक्षकों, ग्राम प्रधानों, अभिभावकों आदि के साथ ग्राम पंचायत, न्याय पंचायत, विकास खण्ड तथा जनपद स्तर पर बैठकें कर ली गयी हैं। इन बैठकों में विचार विमर्श के बाद प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में मुख्य समस्यायें व नुस्खे निम्नवत उभर कर आये हैं। इन समस्याओं के समाधान हेतु सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत अपनाई जाने वाली रणनीतियाँ इस प्रकार हैं-

| मुद्दे | रणनीतियाँ |
|---|--|
| (क) शिक्षा की पहुँच- | |
| 1. असेवित वस्तियों में विद्यालय उपलब्ध नहीं है। | परिवार सर्वेक्षण के आधार पर 300 से अधिक आबादी वाले 305 असेवित वस्तियों के लिये 186 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। इस प्रकार मानक अनुसार (2:1 प्राथमिक विद्यालय तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय) जनपद में 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले जायेंगे। |
| 2. 300 से कम आबादी वाली विखरी वस्तियों में 1.5 किमी. के अन्दर कोई शैक्षिक सुविधा नहीं है। | इन वस्तियों के लिये 511 ई०जी०एस०(EGS) केन्द्र स्थापित किये जायेंगे। |
| 3. कामकाजी वच्चों के लिये शिक्षा की विशेष सुविधाओं का अभाव है। | समस्त कामकाजी वच्चों को शिक्षा से जोड़ने हेतु वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जायेगी। ईट के भट्टे तथा बीड़ी एवं कालीन बनाने के उद्योग में लगे हुए परिवार के वच्चों के लिये 93 शिक्षा घर तथा 94 ग्रीष्म कालीन शिविर का आयोजन किया जायेगा। |
| (ख) नामांकन सम्बंधी- | |
| 1. समुदाय में वच्चों के नियमित पठन-पाठन प्रक्रिया के प्रति जागरूकता नहीं है। | ग्राम शिक्षा समितियों को सक्रिय करते हुए मासिक बैठकों का आयोजन कराया जाएगा। विद्यालयों द्वारा रैली का आयोजन, शिक्षा सप्ताह का आयोजन करते हुए जन जागृति तथा समुदायिक सहभागिता सुनिश्चित किया जायेगा। |

| | |
|--|---|
| 2. समाज के कुछ वर्ग विपन्नता से प्रभावित हैं। | आर्थिक दृष्टि से पिछड़े अभिभावकों को, बच्चों से कार्य न लेने हेतु प्रेरित किया जाएगा। शिक्षा के महत्व को समझते हुए उनके बच्चों को विद्यालय के प्रति आकर्षित किया जाएगा। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप समाजसेवकों का उपयोग कार्य जैसे वांस की टोकरी, पंख बनाना, गुड़िया, खिलौना, मिट्टी का कार्य, सिलाई, बुनाई, चित्रकारी, कागज के चित्र, अलवम आदि की शिक्षा पर बल दिया जायेगा। |
| 3. बच्चों का घरेलू कार्य में व्यस्त होना | अभिभावकों तथा ग्रामीण जनों में जागरूकता लाने हेतु बच्चों में घरेलू कार्य न कराये जाने तथा विद्यालय के लिये समय देने के प्रति प्रेरित किया जाएगा। विद्यालय में प्रवेश करने हेतु वातावरण का सृजन किया जायेगा। |
| 4. छात्र को दी जाने वाली सुविधाओं/ प्रोत्साहनों के सदुपयोग की कमी। | विद्यालय में छात्रों का नामांकन बढ़ाने, उनके टहराव को बढ़ाये रखने तथा अभिभावकों की आर्थिक मदद को दृष्टि से दिया जाने वाला स्कूल पैसाहार, छात्रवृत्ति तथा निःशुल्क पाठ्य पुस्तक के वितरण प्रक्रिया में सुधार किया जायेगा। इसे इस प्रकार कराया जायेगा कि विद्यालय में छात्रों की उपस्थिति तथा टहराव सुनिश्चित करने में सहयोग मिल सके। |
| (ग) ठहराव सम्बंधी- | |
| 1. जनसहयोग एवं समर्थन की कमी। | सामाजिक रुढ़ियों तथा अभिभावकों की उदासीनता को समाप्त करते हुए जन सहयोग प्राप्त करके बच्चों का टहराव विद्यालयों में सुनिश्चित किया जायेगा। |
| 2. विद्यालय सौन्दर्यीकरण तथा वातावरण में आकर्षण का अभाव। | विद्यालय को वागवानी, साजसज्जा से सज्जित करते हुए आकर्षक बनाया जायेगा तथा विद्यालय में बच्चों के खेलने, तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु वातावरण उपलब्ध होने की व्यवस्था की जायेगी। |
| 3. सौन्दर्यीकरण की सुरक्षा का अभाव। | चहरदीवारी विहीन 1641 प्रा०वि० तथा 332 उ०प्रा०विद्यालयों में चहरदीवारी का निर्माण करते हुए विद्यालय के लिये आकर्षक वागवानी की सुरक्षा की जायेगी। |
| 4. पेयजल, शौचालय का अभाव। | पेयजल सुविधा विहीन 234 प्राथमिक तथा 75 उ० प्राथमिक विद्यालयों तथा शौचालय विहीन 195 प्राथमिक तथा 24 उ०प्रा०विद्यालयों में क्रमशः हेण्डपम्प तथा शौचालय की सुविधा प्रदान करते हुए विद्यालय में अध्ययनरत बालक-बालिकाओं के विद्यालय में टहराव को बढ़ाया जायेगा। |
| 5. उपयुक्त भवन कक्षा कक्ष, साजसज्जा तथा शिक्षकों की कमी | प्राथमिक स्तर पर 1325 कक्षा कक्ष, 1085 शिक्षकों की कमी तथा उ०प्रा० स्तर पर 474 कक्षा कक्ष तथा शिक्षकों की कमी को दूर किया जायेगा। सभी विद्यालयों में पर्याप्त साजसज्जा की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए टहराव की समस्या दूर की |

| | |
|--|--|
| | जायेगी। |
| 6. शिक्षकों में कार्य के प्रति अभिप्रेरणा की कमी तथा बहुश्रेणी शिक्षण के कौशल का न होना। | शिक्षकों में नियमित बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से कर्तव्य बोध का ज्ञान कराते हुए शिक्षा के प्रति समर्पण भाव जगृत किया जायेगा तथा अभिप्रेरित किया जायेगा। शिक्षणोत्तर विभिन्न कलाओं में अत्यधिक व्यस्तता, निपुणता स्थान के बजाय घरेलू कार्य में उनकी अत्यधिक रुचि को समाप्त करते हुए बालकों के प्रति उनका दायित्व बोध बढ़ाकर ठहराव समस्या को शून्य किया जायेगा। |
| (घ) गुणवत्ता सम्बंधी- | |
| 1. नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान में कमी | नवीन पाठ्यक्रमानुसार शिक्षकों के ज्ञान की आधुनिक बनाने हेतु उन्हें भाषा, गणित तथा विज्ञान विषयों में प्राथमिक स्तर पर तथा गणित, अंग्रेजी, संस्कृत एवं विज्ञान विषयों में उच्च प्राथमिक स्तर पर सेवारत प्रशिक्षण प्रतिवर्ष दिया जायेगा। |
| 2. विद्यालय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षण-प्रशिक्षण का अभाव | सामाजिक रीतिरिवाज, स्थानीय स्थितियों तथा विद्यालय में शिक्षक उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए शिक्षकों में उनके अनुरूप ढालने की क्षमता का विकास विशेष पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। |
| 3. निरीक्षण अधिकारियों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण का न होना | नवीन पाठ्यक्रमों की जानकारी, सर्वशिक्षा अभियान के लक्ष्य को प्राप्त कराने के उपायों के क्रियान्वयन तथा स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को ढालने के साथ-साथ शिक्षकों के गुणवत्ता सम्वर्धन हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने की दृष्टि से निरीक्षकों का पुनर्वोधात्मक प्रशिक्षण कराया जायेगा। |
| 4. समुदाय में पठन-पाठन प्रक्रिया के समुचित ज्ञान की कमी। | शिक्षा में सामाजिक सहभागिता प्राप्त करने के साथ ही ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, माता शिक्षक तथा अभिभावक शिक्षक एशोसिएशन के सदस्यों को शिक्षा के गुणवत्ता सम्बन्धी कार्यक्रमों से भी परिचित कराया जायेगा। |
| 5. शिक्षकों में सहायक शिक्षण सामग्री के निर्माण एवं उपयोग कौशल का अपर्याप्त होना। | पाठों के अनुरूप सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण सम्वन्धित कक्षाध्यापक द्वारा कराया जायेगा तथा उसके उपयोग को सुनिश्चित किया जायेगा ताकि छात्रों में विषयवस्तु को समझने में आसानी हो साथ ही कक्षा शिक्षण रुचिकर हो सकें, इस हेतु प्रत्येक शिक्षक को प्रतिवर्ष शिक्षक अनुदान दिया जायेगा। |
| 6. शिक्षकों का गैर-शैक्षिक कार्यों में व्यस्त होना | विद्यालय स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर पर विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का संकलन, भवन निर्माण, पोषाहार वितरण तथा अन्याय गैरविज्ञानीय कार्यों के निस्तारण में शिक्षकों की व्यस्तता को कम किया जायेगा तथा उनका पूरा समय शिक्षण तथा छात्रों |

| | |
|--|--|
| | के हितों में व्यतीत हो ऐसा क्रियान्वयन सुनिश्चित कराया जायेगा तथा समय प्रवन्धन की क्षमता विकसित की जायेगी। |
| (ड)संस्थागत क्षमताओं सम्बंधी- | |
| 1. न्याय पंचायत एवं ब्लॉक संसाधन केन्द्र पर विद्यालयों के पर्यवेक्षण हेतु अपर्याप्त क्षमताएं होना। विद्यालयों को सतत रूप से अकादमिक सपोर्ट न मिल पाना। | न्याय पंचायत तथा ब्लॉक संसाधन केन्द्रों के सनन्वयकों का मुख्य दायित्व शिक्षकों के गुणवत्ता एवं दक्षता विकास हेतु निर्धारित किया जायेगा। न्याय पंचायत तथा विकास खण्ड स्तर पर सूचना संकलन में वितरित जा रहे समय के अपव्यय को कम किया जायेगा तथा उन्हें शिक्षण कार्य में अनिच्छित उत्पन्न करने विद्यालय प्रवन्धन के प्रति दक्ष बनाने का कार्य किया जायेगा। ब्लॉक संसाधन केन्द्रों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों को शैक्षिक पर्यवेक्षण व अकादमिक सपोर्ट देने के लिये क्षमतावान बनाया जायेगा ताकि विद्यालय व शिक्षकों को नियमित रूप से मार्ग दर्शन व अकादमिक सपोर्ट प्राप्त हो सके। |
| 2. जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में कक्षा कक्ष परिस्थितियों के अनुरूप प्रशिक्षण न दिया जाना। | जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वे शिक्षकों को स्थानीय परिस्थितियों तथा कक्षा कक्ष की स्थितियों के अनुरूप शिक्षकों को प्रशिक्षित करें। विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षकों की कमी की स्थिति में बहु कक्षा शिक्षण की विधा से परिचित कराया जायेगा। |
| 3. प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में शोधकार्य की कमी। | प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं, प्रगति तथा विभिन्न क्रियाकलापों के क्रियान्वयन संबंधी शोध कार्य को पर्याप्त व्यवस्था की जायेगी तथा सुझाए गये तरीकों का उपयोग करते हुए लक्ष्य को प्राप्त किया जायेगा। प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग कार्यक्रमों के संचालन में किया जायेगा। |
| 4. विद्यालय सांख्यिकी तथा इन्डिकेटर्स का अपर्याप्त उपयोग। | ई.एम.आई.एस. को और सुदृढ़ बनाया जायेगा और आँकड़े नियमित रूप से संकलित कर विश्लेषण कराकर प्राप्त निष्कर्षों का उपयोग वार्षिक कार्ययोजना निर्माण में किया जायेगा। |



अध्याय-6

शिक्षा की पहुँच का विस्तार (नवीन औपचारिक विद्यालय)

(1) नवीन प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना—

यह सर्वमान्य तथ्य है कि 6-11 वय वर्ग के बालक छोट होने के कारण दूरस्थ विद्यालयों में प्रवेश नहीं लेते और यदि विभिन्न अभियानों के माध्यम से प्रेरित करके उन्हें विद्यालय में नवीनीकृत करा भी दिया जाय तो वे प्रतिदिन विद्यालय में उपस्थित नहीं होते और कालान्तर में विद्यालय छोड़ देते हैं। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा प्रति 1.5 किमी० पर एक प्राथमिक विद्यालय खोलने का संकल्प लिया है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिये वार्षिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में कुल 770 नवीन प्राथमिक तथा 166 उप-प्राथमिक विद्यालय खोले गये हैं फिर भी वांछित संख्या में विद्यालय स्थापित नहीं हो पाये हैं। सर्वशिक्षा अभियान के माध्यम से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु जनपद इलाहाबाद में परिवार एवं वस्तीवार सर्वेक्षण तथा मानचित्रण करके असेवित वस्तियाँ चिह्नित की गयी हैं और उनमें विद्यालयीय सुविधा सुलभ कराने का प्रस्ताव बनाया गया है।

जनपद इलाहाबाद में वस्तियों की कुल संख्या 5531 है जिनमें 305 वस्तियाँ ऐसी हैं, जिनकी आबादी 300 से अधिक है और जिनके 1.5 किमी० की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है। सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत इन वस्तियों को सेवित करने की दृष्टि से देखा गया तो यह ज्ञात हुआ कि 186 विद्यालय खोले जाने पर 300 आबादी वाली जनस्त असेवित वस्तियों को विद्यालयीय सुविधा प्राप्त हो सकेगी। अतः 186 प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रस्ताव है।

सभी नवीन प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण व्यवस्था सुदृढ़ और गुणवत्ता पूर्ण हो सके इस दृष्टि से प्रस्तावित भवनों में शौचालय, पेयजल, चहरदीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण, उपस्कर एवं शिक्षकों की आवश्यकता होगी। जिनकी व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है।

विद्यालय साज-सज्जा—

प्रत्येक नवीन प्राथमिक विद्यालय को सुसज्जित करने के उद्देश्य से मानक के अनुसार निर्धारित धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। इस उपलब्ध धनराशि का उपभाग वी.ई.पी. की भौतिक शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जायेगा। इस धनराशि से निम्न सामग्री को क्रय किया जायेगा—
मेज, कुर्सी, बाल्टी, घन्टा, लोटा, गिलास, टाट पट्टी, अलमारी, सन्दूक, श्याम पट्ट, कूड़ादान, न्यूनिक्ल इन्सुलनेन्ट (ढोलक, नजारा, हारमोनियम, बंसुरी आदि), कूड़ा सामग्री (फुटबाल, बालबाल, हवा भरने का पम्प, रिंग, गेंद, कूदने की रस्ती, टावर युक्त कूदने की रस्ती), क्लासरूम टैब्लिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, मानचित्र, शैक्षिक चार्ट, नोट, शब्दकोष, ज्ञान कोष, खिलौने, वैज्ञानिक खेलकूद के साक आदि) उपरोक्त सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से करायी जायेगी।

सारणी 6.2

वर्षवार नवीन खोजे गये प्राथमिक विद्यालय

| वर्ष | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| प्राथमिक | 66 | 60 | 60 | - | - | - | - | - | - |

(2) नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना-

जनपद इलाहाबाद के ग्रामीण विकास खण्डों में उच्च प्राथमिक विद्यालयों का अभाव है यद्यपि नगर क्षेत्र में 11-14 वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की शिक्षा की सुविधा सुलभ है तथा नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने हेतु भूमि भी उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में नगर क्षेत्र में निर्धारित मानक 2:1 में कोई नवीन उ.प्राथमिक विद्यालय प्रस्तावित नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में सभी लक्ष्यवत वय वर्ग के बच्चों को उच्च प्राथमिक स्तर की सुविधा प्राप्त हो सके इसके लिये निर्धारित मानक 2:1 (दो प्राथमिक विद्यालय : एक उ०प्रा० विद्यालय) के अनुसार 595 उच्च प्राथमिक विद्यालय की आवश्यकता है, जिसका विवरण इस प्रकार है-

| | | |
|--------------------------------|---|-------------|
| कुल प्राथमिक विद्यालय | - | 1688 |
| नवीन प्रस्तावित विद्यालय | - | 186 |
| योग - | - | <u>1874</u> |
| 2:1 में आवश्यक उ.प्रा.वि. | - | 937 |
| वर्तमान उच्च प्राथमिक विद्यालय | - | 342 |
| आवश्यक उ. प्रा. विद्यालय | - | 595 |

इन प्रस्तावित विद्यालयों में विद्यालय भवन की समुचित व्यवस्था के साथ-साथ शौचालय, हैण्ड पम्प, चहार दीवारी, शिक्षण सामग्री, काष्ठोपकरण तथा उपस्कर एवं शिक्षकों की भी आवश्यकता है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद में उच्च प्राथमिक विद्यालयों को ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सामग्रियों की व्यवस्था की गई थी। इसी प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित नवीन उ.प्राथमिक विद्यालयों में साज-सज्जा एवं शिक्षण सामग्री की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराया जाना प्रस्तावित है। जो इस प्रकार है- मेज, कुर्सी, बाल्टी, घण्टा, लोटा, गिलास, कूड़ादान, म्यूजिकल इन्स्ट्रुमेंट डोलक, नजीरा, हारमोनियम, बांसुरी आदि), क्रीड़ा सामग्री, फुटबाल, वालीबाल, स्कीपिंग रो, हवा भरने का पम्प, क्लब हून, टीचिंग मैटेरियल (गणित किट, विज्ञान किट, विभिन्न प्रकार के मानचित्र, ग्लोब, टू इन वन आदि) तथा टीचर इक्वीपमेन्ट की व्यवस्था ग्राम शिक्षा समिति के माध्यम से कराई जायेगी।

पेयजल, शौचालय एवं चहारदीवारी-

नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में स्वच्छ पेय के पानी की व्यवस्था हेतु इन्डियन मार्क-11 हेन्डपम्प अधिष्ठापित कराया जायेगा। प्रत्येक विद्यालय में बालक एवं बालिकाओं के लिये पृथक-पृथक शौचालय का निर्माण कराया जायेगा। बालिकाओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए तथा विद्यालय प्रांगण को सुसज्जित एवं सुरक्षित करने के उद्देश्य से चहारदीवारी का निर्माण कराया जायेगा। इन सब की लागत प्रत्येक विद्यालय की घुनित लागत में सामिल किया गया है।

निर्माण कार्यदायी संस्था-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिलाधिकारी इलाहाबाद की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया कि अभियान के अन्तर्गत विद्यालय का सन्पूर्ण निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके अतिरिक्त भी सामुदायिक सहभागिता एवं विद्यालयों के प्रति स्व की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से विद्यालय भवनों के निर्माण के उद्देश्य से ग्राम शिक्षा समिति को दायित्व सौंपा गया है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षादार एवं विषयदार शिक्षकों की आवश्यकता होती है। अतः प्रत्येक विद्यालय के लिये एक प्र०अ० और चार स०अ० की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। विकसित खण्डवार विस्तृत विवरण निम्नलिखित सारणी में प्रदर्शित है, जिन्हें सेवापूर्व तथा सेवारत प्रशिक्षण देकर शिक्षा कार्य में दक्ष बनाया जायेगा।

सारणी 6.3

नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना

| क्र० | नाम विकास खण्ड | नवीन उच्च प्रा० विद्यालय | विद्यालय भवन | शौचालय | हेन्डपम्प | चहार दीवारी | शिक्षकों की व्यवस्था | | शिक्षण सामग्री (संख्या विद्यालय) | काष्ठोपकरण उपस्कर (सं.वि.) |
|------|----------------|--------------------------|--------------|--------|-----------|-------------|----------------------|------|----------------------------------|----------------------------|
| | | | | | | | प्र०अ० | स०अ० | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | शंकरगढ़ | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 136 | 34 | 34 |
| 2. | जसरा | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 32 | 32 |
| 3. | चाका | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 28 | 28 |
| 4. | करछना | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | 42 | 42 |
| 5. | कौधियारा | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | 20 | 20 |
| 6. | कोरांव | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 172 | 43 | 43 |
| 7. | मेजा | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | 29 | 29 |
| 8. | उरुया | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 32 | 32 |
| 9. | माण्डा | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 10. | कोड़िहार | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 | 25 | 25 |
| 11. | सोरांव | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 22 | 22 |
| 12. | होलामड़ | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 96 | 24 | 24 |

| | | | | | | | | | | |
|-----|-------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|
| 13. | नऊआइमा | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 26 | 26 |
| 14. | बहरीचा | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 128 | 32 | 32 |
| 15. | फूलपुर | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 88 | 22 | 22 |
| 16. | बहादुरपुर | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 116 | 29 | 29 |
| 17. | हंडिया | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 104 | 26 | 26 |
| 18. | नैदावाद | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | 38 | 38 |
| 19. | धनुपुर | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 112 | 28 | 28 |
| 20. | प्रतापपुर | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 152 | 38 | 38 |
| | योग ग्रामीण | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | 2380 | 595 | 595 |

सारणी 6.4

वर्षवार नवीन खुलने वाले उच्च प्राथमिक विद्यालय

| वर्ष | 2000-01 | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| उ.प्र. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 | - | - | - |

नवीन प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में की वर्षवार आवश्यकता तथा शिक्षक आवश्यकता संकलित रूप में निम्नांकित सारणी 6.5 में प्रदर्शित है।

सारणी-6.5

वर्षवार शिक्षकों की आवश्यकता

| क्र० | वर्ष | नवीन प्रा. विद्यालय | प्रधान अध्यापक | शिक्षा मित्र | नवीन उ.प्रा. विद्यालय | प्रधान अध्यापक | सहायक अध्यापक |
|------|---------|------------------------|-------------------|-----------------|--------------------------|-------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | 2001-02 | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | 400 |
| 2. | 2002-03 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 400 |
| 3. | 2003-04 | 60 | 60 | 60 | 100 | 100 | 400 |
| 4. | 2004-05 | - | - | - | 100 | 100 | 400 |
| 5. | 2005-06 | - | - | - | 100 | 100 | 400 |
| 6. | 2006-07 | - | - | - | 95 | 95 | 380 |
| 7. | 2007-08 | - | - | - | - | - | - |
| 8. | 2008-09 | - | - | - | - | - | - |
| 9. | 2009-10 | - | - | - | - | - | - |



नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना लागत में कमी लाने की व्यवस्था

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रति दो प्राथमिक विद्यालयों पर एक उच्च प्राथमिक विद्यालय की उपलब्धता बनायी गयी है। पूर्व से संचालित प्राथमिक विद्यालय में आवश्यक भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय आदि यथा संभव उपलब्ध हैं। जनपद में नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय खोलने की योजना 1:2 के अनुपात के आधार पर बनायी गयी है। सम्यक विचारोपरान्त यह तय किया गया है कि नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना वर्तमान प्राथमिक विद्यालयों का उर्चीकरण करते हुए प्राथमिक विद्यालय के परिसर में ही की जायेगी, जिससे प्राथमिक विद्यालय में उपलब्ध भूमि, भवन, हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी आदि भौतिक संसाधनों का अधिकतम उपयोग किया जा सके। फलस्वरूप नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना में हैण्डपम्प, शौचालय आदि मदों पर बचत की जा सकेगी।

शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता हेतु सर्वेक्षण :

प्रथमतः नवीन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना राज्य सरकार द्वारा निर्धारित वस्ती की आवृत्ति एवं दूरी के मानक के अनुसार की जायेगी। वस्ती में छात्र-छात्राओं की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुये जनपद में नवीन प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों की आवश्यकता एवं विद्यालयों में भौतिक सुविधाओं के आंकलन हेतु त्वरित सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कराया जायेगा जिसके आधार पर आगामी वर्ष के बजट एवं वार्षिक कार्य योजना में नवीन विद्यालयों तथा भौतिक सुविधाओं की स्थापना का प्रस्ताव सम्मिलित किया जायेगा। सर्वेक्षण कार्य के लिये रुपये 2 लाख का वित्तीय प्रावधान प्रतिवर्ष रखा गया है। सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों/सूचना का प्रयोग परियोजना के द्वितीय वर्ष से किया जायेगा।

विद्यालय निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण

विद्यालय भवन, शौचालय, हैण्डपम्प, चाहरदीवारी आदि निर्माण कार्य ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किये जायेंगे। निर्माण कार्यों का तकनीकी पर्यवेक्षण विकासखण्ड पर उपलब्ध ग्रामीण अभियंत्रण सेवा/लघु सिंचाई विभाग के अभियंताओं से कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में आवश्यक व्यवस्था का विवरण अध्याय-10 परियोजना क्रिचन्वयन एवं अनुश्रवण में दिया गया है।

अध्याय-7

शिक्षा की पहुँच का विस्तार

(अनौपचारिक शिक्षा, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा, तथा ब्रिज कोर्स)

वर्तमान में ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक प्र०वि० में प्रवेश नहीं ले पाते, उनके लिये अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र / शिक्षाघर की व्यवस्था रही है। यह शिक्षण सुविधा से वंचित 6-14 वय वर्ग के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा सुलभ कराने का एक सशक्त विकल्प है। इस केन्द्र पुरो-निर्धारित योजना के अन्तर्गत 6-14 वय वर्ग के जो बच्चे बीच में ही पढ़ाई छोड़कर बैठ गये, वैतुक व्यवसाय में अभिभावक की मदद करने लगे, कारखानों में काम करने लगे, बाल श्रमिक बन गये, पढ़ना चाहकर भी प्रतिदिन 6 घण्टे का प्राथमिक विद्यालयीय समय नहीं दे सके, वे बालिकाएँ जे. माता पिता के काम पर चले जाने के बाद घर के अवोध शिक्षुओं की देखभाल में लग गईं ऐसे अपदंचित असुविधाग्रस्त बालक, बालिकाओं को उनकी सुविधानुसार अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से शिक्षित करने की व्यवस्था रही है।

7.1 उद्देश्य -

अनौपचारिक शिक्षा के अन्तर्गत कक्षा एक से पांच तक के पाठ्यक्रम को संघनित करके अंशकालिक शिक्षा दो घण्टे प्रतिदिन छः माह के चार सेमेस्टरों में प्रदान की जाती है। कक्षा 5 उत्तीर्ण करने पर समतुल्य प्रमाण पत्र प्रदान कर इन बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का यत्न किया जाता है। जनपद इलाहाबाद में 15 विकास खण्डों में अनौपचारिक शिक्षा की परियोजनाएं संचालित हैं।

7.2 आच्छादित विकास खण्डों के नाम-

वर्तमान समय में जनपद इलाहाबाद निम्न 15 परियोजनाओं में अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र संचालित हैं-

- | | |
|--------------|---------------|
| 1. चाका | 9. हण्डिया |
| 2. जसरा | 10. धनूपुर |
| 3. शंकरगढ़ | 11. प्रतापपुर |
| 4. कौधियारा | 12. फूलपुर |
| 5. करछना | 13. बहरिया |
| 6. उरुवा | 14. सोरांव |
| 7. बहादुरपुर | 15. कौड़हार |
| 8. सैदाबाद | |

7.3 परियोजना विहीन विकास खण्ड—

- | | |
|-----------|------------|
| 1. मेजा | 4. मऊआइना |
| 2. माण्डा | 5. हैलागढ़ |
| 3. कोरांव | |

नगर क्षेत्र में अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र संचालित नहीं हैं।

7.4 केन्द्र संचालन—

इलाहाबाद की संचालित सनस्त परियोजनाओं में से प्रत्येक में 100-100 केन्द्र संचालित किये गये हैं। प्रत्येक केन्द्र में 25-25 बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। जिसमें बालिकाओं की शिक्षा की प्रमुखता दी जाती है।

7.5 केन्द्र निर्धारण व स्थल चयन—

परियोजना से आच्छादित विकास खण्ड में ग्राम शिक्षा समिति की मांग/आवश्यकता एवम् 6-14 वय वर्ग के निरक्षर बच्चों की संख्या को आधार बनाकर ग्राम पंचायत व न्याय पंचायत स्तर पर केन्द्र संख्या का निर्धारण किया जाता है।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा निर्णित किसी सार्वजनिक स्थल पर अनुदेशक द्वारा दो घण्टे प्रतिदिन केन्द्र संचालन किया जाता है।

7.6 अनुदेशक चयन—

जनपद इलाहाबाद में नवीनतम शासनादेशों के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत पैनल पर आरक्षण व्यवस्था तथा शैक्षिक योग्यता वरीयता के आधार पर अब तक चयनित 1694 अनुदेशकों में 561 महिलाएं एवं 1133 पुरुष अनुदेशक हैं।

7.7 पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षण सामग्री की उपलब्धता—

अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों में नामांकित बच्चों के लिये निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों एवं निःशुल्क शिक्षण सामग्री दिये जाने की शासन द्वारा व्यवस्था है। वर्ष 99-2000 की शिक्षण सामग्री केन्द्रों तक पहुंचाकर लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है।

7.8 प्रशिक्षण—

जनपद इलाहाबाद में कार्ययोजित अनुदेशकों को प्रारम्भ में दस दिवसीय प्रथम चक्र का प्रशिक्षण जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के सक्रिय सहयोग से सम्पन्न करने की व्यवस्था है। तदनुसार जनपद इलाहाबाद के 2089 अनुदेशकों का प्रथम चक्र का प्रशिक्षण पूर्ण हो चुका है।

7.9 निरीक्षण-

इलाहाबाद के परियोजनाओं में संचालित अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों का निरीक्षण परियोजना अधिकारी तथा स्थानीय स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। सहायक वैसिक शिक्षा अधिकारी, उप-वैसिक शिक्षा अधिकारी, जिला वैसिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला अनौपचारिक शिक्षा अधिकारी द्वारा भी केन्द्रों पर निरीक्षण किया जाता है।

7.10 शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ना-

बच्चों द्वारा कक्षा 5 स्तर की परीक्षा उत्तीर्ण कर लेने के पश्चात् उनको शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाता है, यह बच्चे औपचारिक विद्यालयों की कक्षा 6 में प्रदेश के लिये अर्ह होते हैं।

7.11 मानदेय भुगतान-

मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समितियों के खातों के माध्यम से किया जाता है। प्रति अनुदेशक 200/- रूपया प्रतिमाह मानदेय दिया जाता है।

अनौपचारिक शिक्षा से लाभान्वित छात्रों का संख्यात्मक विवरण सारणी 7.1 में प्रदर्शित है।

यह योजना 31 मार्च, 2001 को समाप्त हो रही है।

सारणी 7.1

अनौपचारिक शिक्षा से लागून्वित होने वाले छात्रों का संख्यात्मक वितरण (1999-2000 तक)

| क्र० | परियोजना का नाम | केंद्रों पर पंजीकृत छात्र संख्या | | | परीक्षा में सम्मिलित छात्र | | | परीक्षा में सफल छात्र | | | मुख्य धारा से जुड़े छात्र | | |
|------|-----------------|----------------------------------|--------|-------|----------------------------|--------|-------|-----------------------|--------|------|---------------------------|--------|------|
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1. | फूलपुर | 1469 | 1031 | 2500 | 894 | 623 | 1517 | 894 | 623 | 1517 | 65 | 35 | 100 |
| 2. | बहादुरपुर | 1190 | 1316 | 2506 | 713 | 798 | 1511 | 713 | 798 | 1511 | 70 | 40 | 110 |
| 3. | बहरिया | 972 | 1550 | 2522 | 386 | 457 | 843 | 386 | 457 | 843 | 20 | 30 | 50 |
| 4. | हण्डिया | 270 | 222 | 492 | 211 | 183 | 394 | 211 | 183 | 394 | 15 | 13 | 28 |
| 5. | धनुपुर | 1358 | 1142 | 2500 | 761 | 545 | 1306 | 744 | 532 | 1276 | 55 | 25 | 80 |
| 6. | सैदाबाद | 1251 | 1249 | 2500 | 568 | 542 | 1110 | 568 | 542 | 1110 | 61 | 42 | 103 |
| 7. | प्रतापपुर | 1148 | 1359 | 2507 | 838 | 827 | 1665 | 692 | 736 | 1428 | 50 | 45 | 95 |
| 8. | सौरांव | 1192 | 1309 | 2501 | 780 | 906 | 1786 | 769 | 828 | 1667 | 65 | 60 | 125 |
| 9. | कौड़िहार | 654 | 596 | 1250 | 295 | 234 | 529 | 292 | 229 | 521 | 25 | 15 | 40 |
| 10. | शंकरगढ़ | 1226 | 1274 | 2500 | 594 | 548 | 1142 | 587 | 528 | 1125 | 30 | 25 | 55 |
| 11. | जसरा | 487 | 563 | 1050 | 341 | 320 | 661 | 341 | 320 | 661 | 20 | 15 | 35 |
| 12. | कराभना | 906 | 1594 | 2500 | 386 | 631 | 1017 | 386 | 631 | 1017 | 31 | 29 | 60 |
| 13. | चाका | 511 | 539 | 1050 | 366 | 400 | 766 | 346 | 377 | 723 | 20 | 16 | 36 |
| 14. | कौधियारा | 442 | 566 | 1008 | 271 | 340 | 611 | 271 | 340 | 611 | 25 | 25 | 50 |
| 15. | उरुवा | 1091 | 1409 | 2500 | 780 | 849 | 1629 | 755 | 83 | 1573 | 25 | 15 | 40 |
| | योग-- | 14167 | 15719 | 29886 | 8184 | 8203 | 16387 | 7955 | 8022 | 5977 | 577 | 430 | 1007 |

7.2 सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत प्रस्ताव

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 6-14 वय वर्ग के सभी प्रकार के विद्यालय से बाहर, शातात्यागी तथा बाल श्रमिक/काम-काजी बच्चों के लिए एवं बालिकाओं के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की गयी है इस व्यवस्था के अंतर्गत इस बात पर बहुत अधिक ध्यान दिया गया है कि उक्त वय वर्ग की कोई भी बालक बालिका शिक्षा सुविधा से वंचित न रह जायें इस दृष्टि में बच्चों की विशिष्ट आवश्यकतानुसार प्राथमिक शिक्षा के अलग-अलग माडल दिये गये हैं विकास खण्डवार विद्यालय न जाने वाले बच्चों की संख्या निम्नलिखित है :-

सारणी 7.2
विद्यालय न जाने वाली बालक-बालिकाएँ

| क्र. सं. | ब्लाक का नाम | 6-11 वय वर्ग | | | 11-14 वय वर्ग | | |
|----------|--------------|----------------------|--------|-------|----------------------|--------|-------|
| | | विद्यालय न जाने वाले | | | विद्यालय न जाने वाले | | |
| | | बालक | बालिका | योग | बालक | बालिका | योग |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | शंकरगढ़ | 1935 | 2175 | 4108 | 594 | 744 | 1338 |
| 2. | जसरा | 835 | 1031 | 1866 | 322 | 372 | 694 |
| 3. | चाका | 1466 | 1635 | 3101 | 699 | 865 | 1564 |
| 4. | करछना | 1008 | 1547 | 2555 | 573 | 1048 | 1621 |
| 5. | कौथिया | 1095 | 1482 | 2577 | 408 | 608 | 1016 |
| 6. | कोरांव | 3351 | 3816 | 7167 | 1113 | 1249 | 2362 |
| 7. | मेजा | 1940 | 2603 | 4543 | 610 | 869 | 1479 |
| 8. | उरुवा | 803 | 1083 | 1886 | 261 | 623 | 884 |
| 9. | माण्डा | 763 | 1382 | 2145 | 215 | 698 | 913 |
| 10. | कोड़िहार | 185 | 65 | 250 | 299 | 190 | 489 |
| 11. | सोरांव | 131 | 120 | 251 | 140 | 150 | 290 |
| 12. | होलागढ़ | 124 | 413 | 537 | 644 | 860 | 1504 |
| 13. | मऊआइमा | 60 | 150 | 210 | 75 | 125 | 200 |
| 14. | बहरिया | 2860 | 1527 | 4387 | 2812 | 3721 | 6533 |
| 15. | फूलपुर | 756 | 858 | 1614 | 496 | 602 | 1098 |
| 16. | बहादुरपुर | 1919 | 1714 | 3633 | 1383 | 1428 | 2811 |
| 17. | हडिया | 2029 | 962 | 2991 | 531 | 533 | 1064 |
| 18. | सैदाबाद | 349 | 813 | 1162 | 335 | 706 | 1041 |
| 19. | धनुपुर | 1403 | 1710 | 3113 | 754 | 1096 | 1850 |
| 20. | प्रतापपुर | 407 | 353 | 765 | 959 | 546 | 1505 |
| | योग | 23419 | 25442 | 48861 | 13223 | 17033 | 30256 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 3000 | 600 | 3600 | 200 | 1000 | 1200 |
| | महायोग | 26419 | 26042 | 52461 | 13423 | 18033 | 31456 |

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी लक्ष्यगत वय वर्ग के बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से क्षेत्रवार विशिष्टता की जानकारी प्राप्त की गयी है और तदनुसार वैकल्पिक शिक्षा के रूप में शिक्षा गारण्टी योजना, शिक्षा घर, विद्यालय वापस चलो, समर कैम्प तथा वृज कोर्स की सुविधा करने के प्रस्ताव पर जन-प्रतिनिधियों, जनसमुदाय, सम्बन्धित शिक्षा अधिकारियों और अन्य विभागों के साथ बात-चीत तथा विचार दिग्दर्श करके निम्नलिखित व्यवस्था प्रस्तावित की गई है।

नवाचार-

विद्यालय में बच्चों के ठहराव हेतु तैयारी- प्रायः वह देखा जाता है कि माता-पिता या शिक्षक बच्चों को जोर-जबरदस्ती से विद्यालय में प्रवेश के लिये ले आते हैं। बच्चे विद्यालय में अनमने भाव से आते हैं या रोते हुए आते हैं। इसका मुख्य कारण है कि विद्यालय का वातावरण उनके घरेलू उन्मुक्त वातावरण से भिन्न होता है। घर में वे स्वतंत्रतापूर्वक अपने सम-वयस्कों के साथ खेलते हैं और आनन्दित होते हैं, यदि विद्यालय में भी खेलकूद और आनन्दनय वातावरण का निर्माण किया जाय तो निश्चित ही उनका मन विद्यालय में लगेगा। इसको ध्यान में रखते हुए यह प्रस्तावित किया गया है कि सत्र के प्रारम्भ में लगभग एक से डेढ़ माह तक विशेषकर कक्षा एक के बच्चों के लिये ऐसे कार्यक्रम रखे जायेंगे जिनमें मनोरंजन अधिक हो, यह कार्यक्रम निम्नलिखित हो सकते हैं-

1. रिंग (छल्ले), गेंद से खेलना।
2. रंग विरंगे गुटकों के साथ विभिन्न प्रकार की आकृतियां बनाना।
3. जानवरों, पक्षियों के चित्रों के कट आउट देकर उनको जुड़वाना।
4. छोटे कागजों पर रंगीन पेंसिलों से चित्रों को बनवाना।
5. बाल सुतल कविताओं को नाच, उछल-कूद द्वारा गाना और उनसे पढ़ाना।
6. रंग विरंगे चित्र युक्त पुस्तकों को देकर उनमें बने हुए चित्रों के विषय में बच्चों से बातचीत करना।
7. मिट्टी की गोलियां, खिलौने, कागज की नाव, पतंग, हवाई जहाज आदि बनवाना।

इन वस्तुओं का प्रयोग करते हुये बच्चों को धीरे-धीरे लेखन की ओर आकर्षित किया जायेगा। इसके लिये विद्यालयों में निम्नलिखित सामग्री देने का प्रस्ताव है-

1. रिंग (छल्ले), गेंद, कूदने की रस्सी, डम्बल, तेजिन आदि।
2. ढोलक, हारमोनियम, झांझ, मजीरा, आदि।
3. विभिन्न प्रकार की आकृति बनाने हेतु प्लास्टिक के रंग-विरंगे गुटके, चित्रों के कटआउट।
4. चित्रों वाली बाल कहानी की पुस्तकें।
5. पतंगी कागज, चार्ट, कैंची, रंगीन पेंसिलें आदि।

इनके उपयोग को देखते हुए, इसी प्रकार की अन्य मनोरंजन एवं ज्ञानवर्धक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जायेगा।

यह कार्य मुख्य रूप से कक्षा एक में सत्र के प्रारम्भ में चलाया जायेगा। पी.टी.- व्यायाम से जुड़े कार्यक्रम जो खेल, सांस्कृतिक कार्यक्रम के हैं उन्हें नियमित रूप से प्रतिदिन अन्तिम पीरीएड में चलाया जाता रहेगा। इन कार्यक्रमों के सकुशल संचालन के लिये प्रत्येक विद्यालय के एक अध्यापक को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

एम.यू.पी.डब्ल्यू. (सोसली यूथ फुल प्रोजेक्टिव वर्क) नानाप्रयोगी कार्य-

उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के नानांकन एवं दृढ़त्व में वृद्धि करने के लिये यह आवश्यक है कि वे कुछ ऐसे कार्य करें, जिससे उनके कौशल का विकास हो और उनके द्वारा किये गये कार्यों से वे स्वयं संतुष्टि पा सकें। कार्यों का चयन करते समय इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि कार्य उत्पादक हो और उनके दैनिक जीवन के लिये उपयोगी तथा रुचिकर हों।

सामान्यतया उच्च प्राथमिक स्तर पर 11-12 वय वर्ग से लेकर 14-15 वर्ष की बालिकायें शिक्षा ग्रहण करती हैं। इस उम्र में जहां उन्हें एक ओर हस्त कौशल युक्त कार्यों के करने में आनन्द आता है वहीं दूसरी ओर वे इन कार्यों को शीघ्रता से सीख भी लेती हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुये निम्नलिखित कुछ कार्यों को प्रस्तावित किया गया है। इसके लिये सप्ताह में दो दिन अंतिम चक्रों में स्थान दिया जायेगा।

1. रद्दी कागज, कतरन से गुड़िया बनाना।
2. कागज की लुगदी से खिलौने बनाना।
3. सिलाई, कढ़ाई का कार्य करना।
4. जैम, जैली, अचार, मुरब्बा आदि बनाना।
5. गृह वाटिका लगाना, सजाना आदि।

इन कार्यों के संचालनार्थ आवश्यक उपयोगी सामग्रियों यथा- सिलाई, कढ़ाई फ्रेम, सुई-डोरा, सांचे इत्यादि क्रय किये जाने का प्रस्ताव है। प्रदत्त चरण में प्रत्येक विकास खण्ड के पांच-पांच ऐसे विद्यालयों को सामग्री दी जायेगी जहां रख-रखाव एवं सुरक्षा की व्यवस्था हो। पर्याप्त कुशल शिक्षक हों और आस-पास इस प्रकार की शिक्षण की सुविधा मुलभ न हो। धीरे-धीरे इसका अभिमत वर्षों में चरण बद्ध तरीके से विस्तार किया जायेगा।

कम्प्यूटर शिक्षा-

वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत अधिक उन्नति हुई है। आने-वाले समय में बच्चे समाज की बढ़ती हुई आवश्यकता के अनुरूप अपने आप को ढाल सकें। इस लिये यह आवश्यक है कि इनको उच्च प्राथमिक स्तर से ही कम्प्यूटर की व्यावहारिक जानकारी दी जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुए जनपद के प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में एक-एक कम्प्यूटर तथा यू.पी.एस. देने का प्रस्ताव है। इनको चरण बद्ध तरीके से विद्यालयों में दिया जायेगा। प्रथम चरण में ऐसे विद्यालयों को कम्प्यूटर तथा यू.पी.एस. दिये जायेंगे जिनमें सुरक्षा एवं विजली की पर्याप्त व्यवस्था है।

शिक्षा गारंटी योजना (ई.जी.एस. केन्द्र)-

ऐसे बच्चे जो 6-7 वर्ष के हैं और 1.5 कि.मी. की दूरी तक स्थित प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने नहीं जा रहे हैं उनके लिए कक्षा 1 व 2 तक की शिक्षा ग्रहण करने हेतु ई.जी.एस. केन्द्रों की

स्थापना का प्रस्ताव है यह केंद्र प्रतिदिन चार घंटे तक चलेंगे केंद्रों पर पुस्तक शिक्षण सामग्री एवं साज-सज्जा की व्यवस्था अन्य प्राथमिक विद्यालयों की भांति होगी। ई.जी.एस. केंद्रों पर अध्ययनरत बच्चों द्वारा कक्षा 2 तक का स्तर प्राप्त करने के पश्चात उन्हें तनीपरस्थ विद्यालय से जोड़ दिया जायेगा। इसके लिए उनको सतत प्रेरित किया जायेगा। और उनके शैक्षिक स्तर की जानकारी हेतु सतत मूल्यांकन किया जायेगा। प्रत्येक केंद्र में 30 बच्चे सम्मिलित किये जायेंगे।

ई.जी.एस. में शिक्षण हेतु शिक्षा आचार्य का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जायेगा और आचार्य को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा।

जनपद में 511 ई.जी.एस. केंद्रों की स्थापना अभियान के प्रथम 3 वर्षों में की जायेगी केंद्रों की स्थापना करते समय इस बात का ध्यान दिया जायेगा कि दोनो वर्षों में सभी चिन्हित न्याय पंचायतों में केंद्रों का वितरण अधिकाधिक समता के साथ हो ताकि सभी न्याय पंचायतों में शिक्षा की सुविधा प्रथम वर्ष से ही सुलभ हो सके वर्ष 2001-2002 में 200 तथा 2002-2003 में 200 तथा 2003-04 में 111 केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

शिक्षा घर-

6-14 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो कामकाजी तथा बाल श्रमिक हैं और रोजी रोटी से सम्बन्धित कार्य में व्यस्त होने के कारण पूर्ण समय तक विद्यालय में रह कर शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, उनके लिए शिक्षा घर की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है शिक्षा घर का समय प्रतिदिन 4 घंटे का होगा और स्थानीय परिस्थिति के कारण इसका निर्धारण किया जायेगा। 1 शिक्षा घर में 30 बच्चे नामांकित होंगे ऐसे स्थान पर जहाँ पर लड़कियों की संख्या अधिक है वहाँ लड़कियों के शिक्षा घर खोले जाने का प्रस्ताव है शिक्षा घर में स्थानीय कक्षा 10 उत्तीर्ण योग्यताधारी अनुदेशक/अनुदेशिका को नियुक्ति किया जायेगा और इनका चयन ग्राम पंचायत के द्वारा किया जायेगा। शिक्षा घर के लिए शिक्षण सामग्री लालटेन, मिट्टी का तेल, चार्ट, पुस्तकें इत्यादि निःशुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। अनुदेशकों को शिक्षण कार्य में दक्ष बनाने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। एक केंद्र में 30 बच्चे होंगे।

जनपद इलाहाबाद में कुल 98 केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें वर्ष 2001-02 में 60 तथा वर्ष 2002-03 में 38 केंद्र स्थापित किये जायेंगे।

त्रिज कोर्स-

6-11 वय वर्ग के ऐसे बच्चे जो किसी कारण शलात्याग कर चुके हैं उनके लिए त्रिज कोर्स की विशिष्ट व्यवस्था है इसका यह उद्देश्य है कि बच्चों को 3 माह, 6 माह अथवा 9 माह तक

शिविर में रखकर उनको इस प्रकार शिक्षित किया जाये कि वे अपनी योग्यतानुसार प्राथमिक शिक्षा के किसी निश्चित स्तर को प्राप्त कर सकें कोर्स चलने की अवधि में बच्चों का नियमित रूप से मूल्यांकन किया जायेगा। और जैसे ही वे किसी कक्षा में 3, 4 या 5 स्तर को प्राप्त कर ले उन्हें उस कक्षा विशेष में प्रवेश लेने के लिए अभिप्रेरित किया जायेगा। इस कार्य में इस कोर्स द्वारा सभी बच्चों विशेषकर अनुसूचित तथा बालिकाओं के शालात्याग की समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जायेगा।

जनपद के यमुनापार विकास खण्डों में ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ ट्रिज कोर्स की आवश्यकता है इस बस्तियों को चिन्हित कर लिया गया है। इन क्षेत्रों में बालिकाओं के शालात्याग की समस्या अधिक है इनके माता पिता बालिकाओं की शिक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते और कुछ समय तक विद्यालयों में भेजने के बाद उन्हें वापस ले लेते हैं साथ ही साथ कुछ बच्चे विद्यालय में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ जाने के कारण निराशा युक्त हो जाते हैं और शालात्याग देते हैं ऐसी स्थिति में कोर्स के द्वारा उनको विशेष उपचारात्मक शिक्षण देकर उनका स्तरोन्नयन किया जाने का प्रस्ताव है, जिन्हें अभियान के 2000-01 में 6 वर्ष 2002-03 में 6 तथा 2003-04 में 6 ट्रिज कोर्स चलाये जायेंगे। इसकी अवधि 6 माह होगी। प्रत्येक ट्रिज कोर्स में 40 बच्चे होंगे।

विद्यालय वापस चलो शिविर (समर कैम्प)–

इस प्रकार के शिविरों का प्रमुख उद्देश्य शालात्यागी बच्चों विशेषकर अनुसूचित जाति बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना है यह शिविर प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक दोनों के ही लिए चलाये जाने हैं शिविरों का संचालन प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में होगा इन शिविरों में उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से सभी बच्चों को जो शालात्याग कर चुके हैं और इसके कारण शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ गये हैं, शिक्षित करके उनके स्तर के अनुसार औपचारिक, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रवेश लेने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा। शिविर की अवधि 10 दिन की होगी, इन शिविरों में ऐसे बच्चों को भी प्रवेश दिया जायेगा जो विद्यालय से बाहर रहे हैं और आभिप्रेरणा के अभाव में शिक्षा की मुख्य धारा से वंचित रहे हैं इन शिविरों में बालक बालिकाओं के अभिभावकों को भी आमंत्रित किया जायेगा और साहित्यिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से शैक्षिक वातावरण का निर्माण किया जायेगा।

जनपद में 95 समर कैम्प बस्तियों के निकटस्थ विद्यालयों में कराने का प्रस्ताव है। जिसको वर्ष 2001-02 में 50 वर्ष 2002-03 में 30 तथा वर्ष 2003-04 में 14 समरकैम्प संचालित किये जायेंगे। प्रत्येक में प्रतिभागियों की संख्या 40 होगी।

मकतबों का सुदृढीकरण–

जनपद के विकास खण्ड चाक, कौड़िहार, मऊआइमा, वहरिया, फूलपुर, इण्डिया, सैदावाद में मुसलिम बाहुल्य आबादी वाली बस्तियों में 21 मकतब संचालित हैं। इन मकतबों में पढ़ने वाले अल्प

संख्यक बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के लिये इनके सुदृढीकरण का प्रस्ताव किया गया है।

जनपद के यमुनापार क्षेत्र के 9 विकास खण्डों में परिवार नर्देक्षण तथा ग्राम पंचायत स्तरीय केंद्रों के माध्यम से ऐसे कठिन समूह के बच्चों का पहचान की गई जिनके लिये विशिष्ट प्रयासों की आवश्यकता है। ऐसे बच्चे विशेषकर जो बालश्रमिक हैं, इनके लिये वृज कोर्स का प्रस्ताव किया गया है। व्यवस्था के प्रस्ताव में इस बात पर भी ध्यान दिया गया है कि प्रथम वर्ष में इन केंद्रों की संख्या बहुत कम रखी जाय ताकि उनका नियंत्रण सही ढंग से हो सके। उनके क्रियान्वयन से प्राप्त अनुभवों के आधार पर अगामी वर्षों में अन्य विकास खण्डों में इसका विस्तार किया जा सके। प्रथम वर्ष में इलाहाबाद जनपद के केवल जमुना पार क्षेत्र के 9 विकास खण्डों में इन केंद्रों को चलाया जायेगा। इन आवश्यक केंद्रों की संख्या नीचे दी गई सारणी 7.3 में प्रस्तुत की गई है।

सारणी 7.3

शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक शिक्षा, नवाचार शिक्षा/त्रिज कोर्स का प्रस्ताव

| क्र० | विकास खण्ड का नाम | विशिष्टता | इ.जी.ए.रा. | शिक्षा पर | विद्यार्थ्य वयस वाले शिशु संख्या | वृज कोर्स मान्यता का | सुदृढीकरण |
|------|-------------------|--|------------|-----------|----------------------------------|----------------------|-----------|
| 1. | शंकरगढ़ | पटारी, जंगली तथा अनुपजाऊ भूमि, विखरी वस्तियाँ अनु.जाति बाहुल क्षेत्र, बाल श्रमिक | 50 | 4 | 5 | 2 | - |
| 2. | जसरा | पिछड़ी जाति बाहुल्य क्षेत्र, अनुपजाऊ एवं असंचित भूमि, गरीबी | 26 | 4 | 2 | 1 | - |
| 3. | चाका | लघु उद्योगों की अधिकता, मजदूरी, बालश्रमिक तथा शिक्षित वर्ग | 34 | 9 | 8 | 3 | 5 |
| 4. | करछना | समतल भूमि, कृषि प्रधान, बाढ प्रभावित, सघन आवादी | 56 | 6 | 3 | 3 | - |
| 5. | कौधियारा | पटारी, अनुपजाऊ भूमि, बाढ प्रभावी, बाल श्रमिक, अशिक्षा एवं गरीबी | 30 | 8 | 3 | 3 | - |
| 6. | कोरांव | पटारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, विखरी वस्तियाँ, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र | 53 | 9 | 8 | 1 | - |
| 7. | मेजा | पटारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, विखरी वस्तियाँ, अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र | 42 | - | 9 | 1 | - |
| 8. | उरुवा | सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | 23 | 4 | 8 | 3 | - |
| 9. | माण्डा | पटारी, पथरीली, अनुपजाऊ भूमि, बाल श्रमिक, विखरी वस्तियाँ, अशिक्षा तथा सामाजिक पिछड़ाण | 11 | 10 | 2 | 1 | - |
| 10. | कोड़िहार | सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | 10 | 5 | 4 | - | 3 |
| 11. | सोरांव | सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | 10 | 5 | 4 | - | - |
| 12. | होलागढ़ | सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि | 33 | - | 4 | - | - |

| | प्रधान कार्य | | | | | |
|-----|--|-----|----|----|----|----|
| 13. | मऊआइना पिछड़ापन, अल्प संख्यक वाहुल्य, यातायात में कमी, वर्षा ऋतु में जल भराव | 3 | - | 4 | - | 2 |
| 14. | बहरिया सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | 18 | 4 | 4 | - | 1 |
| 15. | फूलपुर अल्प संख्यक मुनतिम वाहुल्य, समतल भूमि, सामाजिक पिछड़ापन, ऊसर भूमि, उद्योग सहित | 20 | 5 | 4 | - | 2 |
| 16. | बहादुरपुर शहरी क्षेत्र से तगा हुआ, कठोर एवं बाढ़ प्रभावित, कृषि प्रधान क्षेत्र, मजदूरी आश्रित आवादी | 24 | 4 | 4 | - | - |
| 17. | हंडिया सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | 53 | 5 | 4 | - | 1 |
| 18. | सैदावाद सघन आवादी, समतल एवं उपजाऊ भूमि, कृषि प्रधान कार्य | - | 5 | 4 | - | 1 |
| 19. | धनुपुर सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, घनी आवादी, जल भराव, कृषि प्रधान कार्य, यातायात का अभाव। | - | 6 | 4 | - | 2 |
| 20. | प्रतापपुर सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ा, घनी आवादी, जल भराव, कृषि प्रधान कार्य, यातायात का अभाव। | - | 5 | 4 | - | - |
| | योग- | 496 | 98 | 92 | 18 | 17 |
| | नगर क्षेत्र 15 नलिन वस्तियों तथा मजदूरी में संलग्न लोग | 15 | - | 2 | - | 4 |
| | महायोग- | 511 | 98 | 94 | 18 | 21 |

परिवार सर्वेक्षण आंकड़ों का वार्षिक अद्यावधिकरण

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से 6-11 व 11-14 वर्ष के बच्चों के बारे में विवरण प्राप्त कर 'आउट ऑफ स्कूल' बच्चों को चिन्हित किया जाता है। "अन्डर ऐज" व "ओवर ऐज" बच्चों को चिन्हित करने तथा आयु वर्ग के स्थान पर विशिष्ट आयुदार बच्चों का विवरण प्राप्त करने हेतु वर्तमान सर्वेक्षण प्रपत्र को संशोधित किया जायेगा, ताकि वांछित अतिरिक्त सूचना प्राप्त हो सके। प्रति वर्ष हाउस होल्ड सर्वेक्षण आंकड़ों को अद्यतन किया जायेगा। इस कार्य हेतु प्रति वर्ष रू० 50,000/- की वित्तीय व्यवस्था रखी गयी है।

माइक्रो-प्लानिंग के अन्तर्गत हाउस होल्ड सर्वे के माध्यम से 11-14 वय वर्ग के बच्चों की संख्या के विवरण की व्यवस्था है। बेसिक शिक्षा परियोजना द्वारा विकसित प्रपत्र के अनुसार परियोजना नियोजन में इस विवरण का प्रयोग किया गया है। इस आधार पर जनपद में 11-14 वय वर्ग के आउट ऑफ स्कूल बच्चे चिन्हित किये गये हैं। आगामी वर्षों में आंकड़ों के वार्षिक अद्यतन के समय इस सूचना का अंकन भी किया जायेगा कि बच्चे द्वारा किस कक्षा में ड्रॉप आउट किया गया है। यह सूचना प्राप्त करने हेतु हाउस होल्ड सर्वे से सम्बन्धित वर्तमान प्रपत्र को पुनरीक्षित किया जायेगा, ताकि वांछित सूचना का समावेश हो सके। परियोजना के द्वितीय वर्ष से उपरोक्त विवरण प्राप्त करने के लिये संशोधित प्रपत्र प्रयोग किया जायेगा।

अभिनव मॉडल्स 11-14 आयु वर्ग हेतु

11-14 आयु वर्ग के ऐसे बच्चों के लिये जो औपचारिक विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने में किन्हीं कारणों से असमर्थ रहे हैं, उनके लिये नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत स्थानीय परिवेश, बच्चों के विशिष्ट समूह की आवश्यकताओं तथा कालान्तर में औपचारिक विद्यालयों में समेकित किये जाने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये कतिपय इन्नोवेटिव मॉडल्स विकसित किये जायेंगे। इस हेतु नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिनव मॉडल्स विकसित करने के उद्देश्य से जनपद में रू० 50,000/- का इन्नोवेटिव फण्ड रखा जायेगा। पहले दो वर्षों में इस आयु वर्ग हेतु कम से कम 2-3 मॉडल विकसित किये जायेंगे। इस कार्य में वैकल्पिक शिक्षा के विशेषज्ञों, शिक्षा विदों, अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों आदि की सहायता प्राप्त की जायेगी।

ई0जी0एस0 वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

वैकल्पिक शिक्षा के विभिन्न मॉडल्स तथा नवाचार शिक्षा योजना के अन्तर्गत अभिन्न कार्यक्रमों की रणनीति विकसित करने के लिए जनपद में उपलब्ध अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों को शिक्षा केन्द्रों के संचालन एवं पर्यवेक्षण में योगदान लिया जायेगा। स्वयंसेवी संगठनों के चयन हेतु निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जायेगी जिसके अन्तर्गत समाचार पत्रों में विज्ञप्ति प्रकाशित कर स्वयंसेवी संगठनों की सहभागिता आमंत्रित की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों से प्राप्त आवेदन पत्र/प्रस्ताव का डेस्ट टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल कराया जायेगा। बेसिक शिक्षा विभाग के स्थानीय अधिकारियों एवं सन्दर्भ व्यक्तियों के सहयोग से स्वयं सेवी संगठनों के प्रस्ताव का अप्रेजल एवं चिन्हीकरण किया जायेगा। उपयुक्त पाठ्य गये स्वयं सेवी संगठनों के कार्य क्षेत्र एवं आवश्यक बजट की संस्तुति सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा राज्य स्तरीय ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना क्रियान्वयन समिति को प्रेषित की जायेगी। जनपद में जिला शिक्षा परियोजना समिति गठित है तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या रा0प0नि0/466/2001-2002 दिनांक 15 जून, 2001 द्वारा उक्त समिति को ई0जी0एस0/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन हेतु स्पष्ट अधिकार प्राप्त हो चुके हैं। सन्दर्भित कार्यालय ज्ञाप की प्रति परिशिष्ट में दी गई है। राज्य स्तर पर ई0जी0एस0, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति कार्यालय ज्ञाप संख्या : रा0प0नि0/539/2001-2002 दिनांक 7 जनू, 2001 द्वारा उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परिषद् के अधीन गठित की जा चुकी है। इस कार्यालय ज्ञाप की प्रति भी परिशिष्ट में दी गई है।

राज्य स्तरीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा संस्तुत स्वयं सेवी संगठन की सहभागिता सुनिश्चित करने तथा भारत सरकार की ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 योजना के तहत मानक के अनुरूप बजट स्वीकृत करने के अधिकार प्राप्त हैं। उक्त समिति के अनुमोदन के पश्चात् जनपद में चयनित स्वयं सेवी संगठन द्वारा एजुकेशन गारण्टी स्कीम, वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जायेगा।

इसी प्रकार जो स्वयं सेवी संगठन वैकल्पिक शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण अथवा अनुदेशकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का अनुभव रखते हैं, उनका भी सहयोग ई0जी0एस0, एजुकेशन गारण्टी स्कीम व नवाचार शिक्षा योजना के क्षमता विकास के लिए जनपद में लिया जायेगा। इन स्वयं सेवी संगठनों/सन्दर्भ संस्थाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया भी उपर्युक्तानुसार रखी गई है।

जनजाति/घुमन्तु परिवारों के बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा व्यवस्था

इलाहाबाद के कुछ विकासखण्ड क्षेत्रों में जनजाति जन संख्या है। उन क्षेत्रों में जीविकोपार्जन के अत्यन्त न्यून अवसर होने के कारण ये परिवार काम की खोज में विभिन्न स्थानों पर घूमते रहते हैं तथा वर्ष भर इनके रहने का कोई निश्चित ठिकाना नहीं होता है। ऐसी स्थिति में इन परिवारों के बच्चों विशेषकर बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था बाधित होती रहती है। इसके अतिरिक्त कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न आर्थिक स्तर के कारण सम्पूर्ण परिवार, बच्चे जीविकोपार्जन के कार्यों में संलग्न रहते हैं जिससे बच्चे नियमित विद्यालय नहीं जा पाते, बालिकायें तो विशेषकर सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक कारणों से अधिकांशतः विद्यालय नहीं भेजी जाती अथवा कक्षा 1-2 के बाद विद्यालय छोड़ देती हैं। ऐसे क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए पूर्णकालिक आवासीय विद्यालयों की स्थापना बालिकाओं की शिक्षा की दिशा में कारगर कदम होगा। आवासीय विद्यालय मल्टीग्रेड, मल्टी लेवल होंगे जिसमें 8-14 वर्ष तक की बालिकाओं को कक्षा 3 से 8 तक की शिक्षा दी जायेगी कक्षा 1 एवं 2 के लिए स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार विद्या केन्द्र की सुविधा प्रदान करते हुए क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। आवासीय विद्यालयों में मुख्य पाठ्यक्रम के साथ-साथ उच्च कक्षाओं (कक्षा 3-8) में बालिकाओं के कौशल वृद्धि हेतु व्यवसायिक शिक्षा को भी जोड़ा जायेगा। व्यवसायिक शिक्षा/कौशल वृद्धि हेतु स्थानीय ट्रेड/व्यवसायों का उनकी आधुनिक तकनीक से जोड़ते हुए चयनकिया जायेगा ताकि विद्यालयी शिक्षा उनके वास्तविक जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके। इस प्रकार के पाठ्यक्रम उपयोगी होने के साथ-साथ अभिभावकों को अपनी बालिकाओं को विद्यालय में नामांकित कराने एवं शिक्षा पूरी कराने हेतु भी प्रेरित एवं आकर्षित करेंगे।

आवासीय विद्यालयों में नियमित महिला अध्यापिकाओं के साथ-साथ व्यवसायिक प्रशिक्षकों की भी व्यवस्था की जायेगी। ये पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक होंगे। विद्यालय में बालिकाओं के आवास, भोजन, पाठ्य पुस्तकों, विद्यालयी पोषाक आदि की व्यवस्था हेतु बजट का आकलन कम से कम 50 बालिकाओं की संख्या के आधार पर किया गया है। इन विद्यालयों में प्रदेश के अन्य विद्यालयों की तरह सामान्य पाठ्यक्रम लागू किया जायेगा, अतः पाठ्यपुस्तकें भी वही होंगी। किशोरी बालिकाओं को जीवनोपयोगी दक्षताएं प्रदान करने सम्बंधी प्राविधान इन पिछड़े क्षेत्रों की बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्मबल की वृद्धि करने में सहायक होगा।

बालिकाओं की आवास व्यवस्था हेतु विद्यालय भवन का ही प्रयोग किया जायेगा। वस्तुतः विद्यालय भवन 'कक्षा-कक्ष-कम-डॉरमेट्री' के रूप में उपयोग किया जायेगा। भवन निर्माण के लिए राज्य सरकार का मानक रखा गया है। आवासीय विद्यालय का भवन उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन के समतुल्य होगा, जिसमें शौचालय, हैण्डपम्प व चाहरदीवारी का निर्माण भी कराया जायेगा। इन निर्माण कार्यों की इकाई लागत राज्य सरकार द्वारा निर्धारित इकाई लागत के समान रखी गयी है।

आवासीय विद्यालय के संचालनार्थ उच्च प्राथमिक स्तर के 1 प्रधानाध्यापक, 2 सहायक अध्यापक, 1 रसोइया व 2 परिचारक/चौकीदार के पद रखे गये हैं। प्रधानाध्यापक व सहायक अध्यापक अन्य उच्च प्राथमिक विद्यालयों की भाँति तैनात किये जायेंगे।

आवासीय विद्यालय के संबंध में बच्चों के भोजन आदि के स्पष्ट मानक व इकाई लागत पूर्व में निर्धारित नहीं है। अतः भारत सरकार की ई.जी.एस्त./ए.आई.ई. की गाइड लाइन्स में उच्च प्राथमिक स्तर के लिए अंकित प्रति शिक्षार्थी निर्धारित लागत अधिकतम रु. 3000/- प्रतिवर्ष की सीमा के अंदर रखते हुए कार्यक्रम की लागत अनुमानित की गयी है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार जनपद में दो आवासीय विद्यालयों की स्थापना परियोजना प्रारंभ के द्वितीय वर्ष से की जायेगी। प्रति आवासीय विद्यालय 50 बच्चों की संख्या रखी गयी है।

प्रस्तावित बजट

| मद | प्रति बच्चा इकाई लागत प्रति वर्ष |
|--------------------------|----------------------------------|
| भोजन व्यय (10 माह) | 2000 |
| विद्यालय पोशाक (2 जोड़ी) | 400 |
| पठन-पाठन सामग्री | 100 |
| आवश्यक बर्तन | 50 |
| स्टील ट्रंक | 100 |
| आकरिमिक मद | 100 |
| कुल योग | 2750 |

प्रशासनिक व्यय

| | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 1. विद्यालय भवन | भवन | रु0 2,70,000 |
| हैण्डपम्प, शौचालय, चाहरदीवारी सहित | हैण्डपम्प | रु0 22,000 |
| | शौचालय | रु0 10,000 |
| | चाहरदीवारी | रु0 40,000 |
| | योग | रु0 3.42 लाख |
| 2. फर्नीचर/साज सज्जा/ टाट-पट्टी | | रु0 50,000/- |
| 3. वेतन | दर प्रतिपद/प्रतिमाह | एक माह |
| प्रधानाध्यापक - 1 | रु0 7500 | = 7500 |
| सहायक अध्यापक - 2 | रु0 6500 X 2 | = 13000 |
| रसोइया - 1 | रु0 3000 | = 3000 |
| परिचारक/चौकीदार - 2 | रु0 3000 X 2 | = 6000 |
| | योग | रु0 29500 |
| 4. अनुसंगिक व्यय | | रु0 20000 प्रतिवर्ष |

अध्याय-8

ठहराव में वृद्धि के कार्यक्रम

उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत विगत 7 वर्षों में विद्यालयों के बच्चों के ठहराव को सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम चलाये गये योजना आरंभ करते समय जनपद में शालात्याग की दर 41.7 प्रतिशत थी जो 2000-2001 में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत किये गये परिवार सर्वेक्षण के अनुसार घट कर 21.0 प्रतिशत रह गयी परन्तु अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत शालात्याग की दर को कम करने के लिए अनेक प्रयास किये गये जनपद के 819 विद्यालयों में इण्ड पन्स लगवाये गये, 1563 विद्यालयों में शौचालय बनवाये गये, बढ़ते हुये छात्र नामांकन को देखते हुये 2179 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्मित कराये गये। इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के पश्चात् अध्यापन क्रिया आधारित तथा बालकेंद्रित शिक्षण द्वारा बच्चों को विद्यालय में रोक सके इसके लिए बोधात्मक प्रशिक्षण तथा भाषा गणित एवं पर्यावरणीय अध्ययन में विषय गत प्रशिक्षण दिया गया। ठहराव हेतु सामुदायिक सहयोग प्राप्त हो सके इसके लिए ग्राम शिक्षा समिति का भी प्रशिक्षण कराया गया। वर्तमान में सभी प्राथमिक शिक्षक पर्युक्त प्रशिक्षण को प्राप्त कर चुके हैं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में यद्यपि पेयजल, शौचालय और अतिरिक्त कक्षा कक्ष की व्यवस्था की गयी है परन्तु सभी विद्यालय इससे आच्छादित नहीं हो पाये हैं। उ.प्र. बेसिक शिक्षा परियोजना 2 के अंतर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों को विज्ञान एवं गणित में प्रशिक्षण दिया जा चुका है परन्तु अन्य विषयों में प्रशिक्षण नहीं हो पाया। प्राथमिक स्तर पर अनु.जा., जन.जा. के बालक एवं सभी वर्ग की बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें एवं सुसूचित जाति, जन.जा., पिछड़ी जाति तथा अल्प संख्यक समुदाय के छात्रों को छात्र वृत्तियां दी जा रही हैं इस प्रकार परियोजना के अंतर्गत अनु.जा. के बालक और सभी वर्ग की बालिकाओं को विद्यालय में ठहराव के लिए अनेकों प्रयास किये गये।

उपर्युक्त प्रयासों के बावजूद अभी भी शालात्याग की दर बहुत अधिक है इसके लिए सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत यह प्रयास क्रिया जायेगा कि इतने प्रतिशत विद्यालय नूतनभूत सुविधाओं से सुसज्जित हों जिसके लिए जनवरी/फरवरी 2001 में सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण क्रिया का और गाँव स्तर पर आवश्यकताओं का चिन्हीकरण किया गया।

1.A विद्यालय भवन का पुनर्निर्माण-

जनपद में भवनहीन/जर्जर विद्यालयों की संख्या 25 है जिनमें 15 प्राथमिक तथा 10 उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं। इन विद्यालयों की कक्षाएं या तो पेड़ के नीचे लगती हैं अथवा खुले मैदान में इसके कारण सामान्यतया बच्चे मध्यावकाश के बाद वापस नहीं आते साथ ही साथ कुछ महीनों तक अध्ययन करने के पश्चात् बच्चे विद्यालय आना बन्द कर देते हैं जिससे ड्रापआउट में वृद्धि होती है। इसे रोकने के लिये 25 विद्यालय भवनों का पुनर्निर्माण प्रस्तावित है, जिसे योजना के

प्रथम वर्ष में ही पूर्ण कर लिया जायेगा। (सन्दर्भ सारणी 2.9) इन विद्यालय भवनों का निर्माण वर्ष 2001-2002 में प्रस्तावित किया गया है।

8.1B अतिरिक्त कक्षा-कक्ष-

वर्तमान में जनपद के प्रा.वि. में कुल कक्षा-कक्षों की संख्या 6500 है। प्रत्येक अध्यापक के लिये एक कक्षा-कक्ष का मानक पूरा करने हेतु प्रभावी नामांकन के अनुसार 40:1 मानक में 2001-02 में कुल 7957 अध्यापकों की आवश्यकता है अस्तु कुल वांछित कक्षा-कक्ष = 7957 है। इस प्रकार 1457 अतिरिक्त कक्षा-कक्ष की आवश्यकता होगी।

जनपद में चलाये गये स्कूल चलो अभियान के फलस्वरूप छात्र नामांकन में अत्यधिक वृद्धि हुई है। पूर्व में दी गई सारणी 4.3 के अनुसार अतिरिक्त कक्षा कक्षों की वर्षवार आवश्यकता शिक्षकों के ही अनुसूच होगी, जो निम्नलिखित सारणी 8.2.1 में प्रदर्शित है।

तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रा०वि० के लिये 1457 कक्ष तथा उच्च प्रा०विद्यालय के लिये 474 कक्षा कक्ष के निर्माण के लिये प्रस्ताव है। छात्र संख्या वृद्धि के फलस्वरूप वर्ष 2010 तक वांछित अतिरिक्त कक्षा-कक्षों की आवश्यकता का विवरण संलग्न तालिका संख्या 8.2.1 में तथा उ.प्रा.वि. हेतु आवश्यकता सारणी 8.2.2 में प्रदर्शित है-

सारणी 8.2.1
अतिरिक्त कक्षा-कक्ष (प्राथमिक विद्यालय)

| क्रमांक | वर्ष | अतिरिक्त कक्षा-कक्ष | | |
|---------|---------|---------------------|------------------------|------|
| | | प्राथमिक विद्यालय | नवीन प्राथमिक विद्यालय | योग |
| 1. | 2001-02 | 1457 | 132 | 1325 |
| 2. | 2002-03 | 542 | 120 | 422 |
| 3. | 2003-04 | 564 | 120 | 444 |
| 4. | 2004-05 | 585 | - | 585 |
| 5. | 2005-06 | 606 | - | 606 |
| 6. | 2006-07 | 630 | - | 630 |
| 7. | 2007-08 | 653 | - | 653 |
| 8. | 2008-09 | 264 | - | 264 |
| 9. | 2009-10 | 270 | - | 270 |

स्रोत : 1991 की जनगणना पर आधारित प्रक्षेपण ।

8.1C शौचालय-

वर्तमान में प्रत्येक विद्यालय शौचालय युक्त करने के लिये 195 प्राथमिक 24 उच्च प्राथमिक कुल 219 शौचालयों की आवश्यकता है। अतः प्रा०वि० के लिये 195 तथा उच्च प्रा० के लिये 24 शौचालय निर्माण प्रस्तावित है, जिसका निर्माण निम्न वर्षों में किया जाना प्रस्तावित है-

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|--------|---------|---------|---------|
| संख्या | 119 | 50 | 50 |

8.1D हैण्डपम्प

यद्यपि उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जनपद के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक कुल 819 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था की गई है, अभी भी 309 विद्यालय ऐसे हैं जहां पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण इन विद्यालयों में बच्चों की नियमित उपस्थिति नहीं हो पाती है। अतः 309 हैण्डपम्प लगवाने का प्रस्ताव किया गया है। इसका विकास खण्डवार विवरण तालिका 2.9 में दिया गया है। आवश्यक 309 हैण्डपम्प निम्न वर्षों में लगवा दिये जाने का प्रस्ताव है—

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|--------|---------|---------|---------|
| संख्या | 209 | 50 | 50 |

8.1E चहार दीवारी

विद्यालयों का सुन्दरीकरण बच्चों को उच्च लक्ष्य की ओर आकर्षित करता है। विद्यालय वागवानी तथा विद्यालय सामग्री की सुरक्षा हेतु चार दीवारों की नितान्त आवश्यकता है। चार दीवारी होने से विद्यालय भूमि का अतिक्रमण भी रूकता है। जनपद में लगभग 90 प्रतिशत विद्यालय चार दीवारी विहीन हैं। तालिका 2.9 के अनुसार कुल 1973 विद्यालयों के लिये चार दीवारी की आवश्यकता है जिसके निर्माण के लिए वर्षवार निम्नवत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|--------|---------|---------|---------|
| संख्या | 1000 | 500 | 473 |

चार दीवारी हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक लागत रु० 40000/- से अधिक लागत आने पर अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था समुच्चय द्वारा की जायेगी। चार दीवारी हेतु कम लागत के विकल्पों को भी अपनाया जायेगा।

8.1F भवन मरम्मत

विद्यालय भवन का रख-रखाव ग्राम शिक्षा समिति के ऊपर निर्भर है साधन के अभाव के कारण ग्राम शिक्षा समितियों, विद्यालय भवन मरम्मत तथा रख-रखाव में अपेक्षित सहायोग नहीं दे पा रही हैं। 10 वर्ष से पूर्व निर्मित विद्यालय भवनों के मरम्मत की आवश्यकता पड़ रही है। मरम्मत कार्य को 2 भागों में विभक्त करते हुए विद्यालयों को चिह्नित किया गया है। रूपया 20,000/- से 70,000/- तक की लागत से मरम्मत कार्य को दीर्घ मरम्मत में शामिल किया गया है। जिसका ब्लाकवार विवरण निम्न है—

| क्र. सं. | नाम विकास खण्ड | लघु मरम्मत | | दीर्घ मरम्मत | |
|----------|----------------|----------------|------------------|----------------|------------------|
| | | प्रा. विद्यालय | उ.प्रा. विद्यालय | प्रा. विद्यालय | उ.प्रा. विद्यालय |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | शंकरगढ़ | 14 | 4 | 10 | 3 |
| 2 | जसरा | 32 | 2 | 10 | 2 |
| 3 | चाका | 23 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | करछना | 23 | 10 | 5 | 4 |
| 5 | कौंधियारा | 9 | 1 | 6 | 1 |
| 6 | कोरांव | 10 | 3 | 20 | 6 |
| 7 | मेजा | 15 | 4 | 10 | 2 |
| 8 | उरुवा | 4 | - | 1 | 1 |
| 9 | माण्डा | 12 | 3 | 8 | 2 |
| 10 | कोडिहार | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 11 | सोरांव | 34 | 2 | 10 | 2 |
| 12 | होलागढ़ | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 13 | मंऊआइमा | 5 | - | - | - |
| 14 | बहरिया | 10 | 2 | 5 | 1 |
| 15 | फूलपुर | 25 | 4 | 6 | 1 |
| 16 | बहादुरपुर | 4 | 3 | - | - |
| 17 | हँडिया | 10 | 3 | 5 | 1 |
| 18 | सैदाबाद | 12 | 3 | 3 | 1 |
| 19 | धनुपुर | 12 | 4 | 4 | - |
| 20 | प्रतापपुर | 1 | 1 | - | - |
| | योग ग्रामीण | 262 | 58 | 110 | 32 |
| 21 | नगर | 20 | 6 | - | - |
| | महायोग | 282 | 64 | 110 | 32 |

विद्यालय मरम्मत

जनपद में 282 प्राथमिक विद्यालय तथा 64 उच्च प्राथमिक विद्यालय लघु मरम्मत योग्य जिनकी मरम्मत हेतु रू. 20000/- की दर से वित्तीय व्यवस्था की जायेगी। 110 प्राथमिक विद्यालय तथा 32 उच्च प्राथमिक विद्यालय वृहत मरम्मत योग्य हैं जिनकी मरम्मत हेतु रू. 70000/- की दर से धनराशि दी जायेगी। लघु मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार जिला शिक्षा परियोजना समिति तथा उच्च मरम्मत की स्वीकृति का अधिकार राज्य परियोजना कार्यालय को होगा।

इस प्रकार 346 लघु तथा 142 दीर्घ कुल 488 भवन मरम्मत का कार्य निम्न वर्षों में कराया जायेगा।

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 |
|--------------|---------|---------|---------|
| लघु मरम्मत | 200 | 100 | 46 |
| दीर्घ मरम्मत | 80 | 40 | 22 |

8.2 अतिरिक्त शिक्षक/शिक्षा मित्र-

| क्र.सं. | वर्ष | परिषदीय नामांकन | | | दर | पंचायत समिति नामांकन (परिषदीय) | | | 40.1 से शिवा की आवश्यकता | शिक्षक/शिक्षा मित्र | अतिरिक्त आवश्यकता | | |
|---------|---------|-----------------|--------|--------|------|--------------------------------|--------|--------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|------|
| | | बालक | बालिका | योग | | बालक | बालिका | योग | | | शिक्षक | शिक्षामित्र | योग |
| 1. | 2001-02 | 213684 | 189183 | 402867 | 21.0 | 168510 | 149455 | 318265 | 7957 | 6872 | 543 | 542 | 1085 |
| 2. | 2002-03 | 218577 | 193515 | 412092 | 17.5 | 180325 | 159651 | 339977 | 8499 | 7357 | 271 | 271 | 542 |
| 3. | 2003-04 | 223582 | 197946 | 421528 | 14.0 | 192230 | 170233 | 362513 | 9063 | 8499 | 282 | 282 | 554 |
| 4. | 2004-05 | 228702 | 202478 | 431180 | 10.5 | 204539 | 181217 | 385905 | 9648 | 9063 | 293 | 292 | 585 |
| 5. | 2005-06 | 233939 | 207114 | 441053 | 7.0 | 217563 | 192516 | 410179 | 10254 | 9648 | 303 | 303 | 606 |
| 6. | 2006-07 | 239396 | 211556 | 451252 | 3.5 | 230920 | 204441 | 435351 | 10884 | 10254 | 315 | 315 | 630 |
| 7. | 2007-08 | 244775 | 216707 | 461482 | 0 | 244775 | 216707 | 461482 | 11537 | 10884 | 327 | 326 | 653 |
| 8. | 2008-09 | 250380 | 221669 | 472049 | 0 | 250380 | 221669 | 472049 | 11801 | 11537 | 132 | 132 | 264 |
| 9. | 2009-10 | 256113 | 226745 | 482858 | 0 | 256113 | 226745 | 482858 | 12071 | 11801 | 135 | 135 | 270 |

शिक्षकों की आवश्यकता

| क्र.सं. | वर्ष | परिषदीय कुल विद्यालय | नवीन विद्यालय | 1:5 शिक्षक शिक्षक | वर्तमान शिक्षक | आवश्यक शिक्षक | 1:4 की दर से | वर्तमान कक्षा क्र.सं. | आवश्यक कक्षा क्र.सं. |
|---------|---------|----------------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|--------------|-----------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | 2001-02 | 366 | 100 | 2330 | 1724 | 606 | 1864 | 1390 | 474 |
| 2. | 2002-03 | 466 | 100 | 2830 | 2330 | 500 | 2264 | 1864 | 400 |
| 3. | 2003-04 | 566 | 100 | 3330 | 2830 | 500 | 2664 | 2264 | 400 |
| 4. | 2004-05 | 666 | 100 | 3830 | 3330 | 500 | 3064 | 2664 | 400 |
| 5. | 2005-06 | 766 | 100 | 4330 | 3830 | 500 | 3464 | 3064 | 400 |
| 6. | 2006-07 | 890 | 95 | 4805 | 4330 | 495 | 3844 | 3464 | 380 |
| 7. | 2007-08 | 990 | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 3844 | 3844 | 0 |
| 8. | 2008-09 | 990 | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 3844 | 3844 | 0 |
| 9. | 2009-10 | 990 | 0 | 4805 | 4805 | 0 | 3844 | 3844 | 0 |

8.3A विद्यालय की सुविधायें (प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय)-

सुन्दर और आकर्षक विद्यालय होने पर बच्चे उत्सुक और आकर्षित होते हैं जिससे विद्यालय में उनका धारण बढ़ता है। वर्तमान में जनपद में 1308 प्राथमिक 366 उच्च प्राथमिक विद्यालय परिषदीय विद्यालय हैं, जिनके मरम्मत तथा रख-रखाव हेतु 5000/- रुपये प्रति विद्यालय प्रति वर्ष की दर से विद्यालय मरम्मत और रख-रखाव का प्रस्ताव दिया गया है। आगामी वर्षों में निम्न विवरणानुसार विद्यालयों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी-

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| संख्या | 2174 | 2340 | 2500 | 2660 | 2760 | 2884 | 2952 | 2952 |

8.3B विद्यालय विकास अनुदान-

विद्यालयों में होने वाले सामान्य व्यय जैसे चाक/डस्टर की व्यवस्था, स्टेशनरी विद्यालय अभिलेखों हेतु रजिस्टर तथा अन्य अल्प व्यय के लिये रूपया 2000/- प्रति विद्यालय की दर से नवीन प्राथमिक तथा 4000/- की दर से नवीन उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिये धनराशि की मांग की गयी है। इस प्रकार वर्षवार दी जाने वाली धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है-

| वर्ष | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 |
|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| प्रा.वि. | 66 | 60 | 60 | - | - | - |
| उ.प्रा.वि. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 95 |

8.3C बालिका शिक्षा-

वर्ष 1991 की जनगणना के राष्ट्रीय स्तर पर पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर क्रमशः 64.2 तथा 39.29 प्रतिशत पाई गई, जबकि उत्तर प्रदेश में पुरुषों की साक्षरता 55.73 और महिला साक्षरता केवल 25.31 प्रतिशत रही है, जबकि जनपद इलाहाबाद की कुल साक्षरता 46.3 है जिले में पुरुषों की साक्षरता 63.3 और महिलाओं की 26.8 प्रतिशत है। ग्रामीण तथा नगरीय साक्षरता प्रतिशत में भी पर्याप्त अन्तर है। ग्रामीण महिला साक्षरता जहाँ 15.0 प्रतिशत है वहीं नगरीय महिला साक्षरता 60.3 प्रतिशत है।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में बालिकाओं की शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने महिला साक्षरता और शिक्षा को विशेष रूप से रेखांकित किया और तदनुसार बालिका शिक्षा विकास के लिये विशेष कार्यक्रम चलाये गये और जो अभी भी चल रहे हैं।

साक्षरता तथा नामांकन दोनों दृष्टि से महिला एवं पुरुषों की तुलना में पीछे है। किसी भी राष्ट्र का विकास वहाँ की महिला साक्षरता से बहुत प्रभावित होता है। कहा जाता है कि एक महिला शिक्षित होने पर एक परिवार शिक्षित होता है। अतः बालिका शिक्षा हमारा एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है और सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बालकों का नामांकन शतप्रतिशत करने के साथ-साथ सभी वर्ग की शतप्रतिशत बालिकाओं का नामांकन भी 100 प्रतिशत करना है।

नामांकन हेतु चलाये गये विभिन्न अभियानों और गांव स्तर पर बैठक में आये विभिन्न स्तर के जनों से चर्चा के दौरान कई ऐसी समस्याएँ उभर कर आई हैं जिनके समाधान के लिये बालिकाओं की विशिष्ट आवश्यकतानुसार सुविधा प्रदान करना आवश्यक है। इलाहाबाद जनपद में सत्र

2000-2001 में की गयी बाल गणना के अनुसार बालिकाओं के शतप्रतिशत नामांकन हेतु निम्नलिखित रणनीतियां प्रस्तावित हैं।

बालिकाओं के ठहराव हेतु रणनीति

• समूहों का निर्माण एवं प्रशिक्षण

माता शिक्षक संघ – ऐसे गाँव जहाँ प्राथमिक विद्यालय है उस गाँव की 10-12 सक्रिय माताओं तथा शिक्षकों के समूह का निर्माण कर उन्हें उनके कार्य एवं दायित्व के प्रति संवेदनशील बनाने हेतु प्रशिक्षित किया जायेगा। ये माता शिक्षक संघ विशेष रूप से बच्चों की नियमित उपस्थित सुनिश्चित करने हेतु कार्य करेंगे।

महिला प्रेरक दल – ऐसे गाँव / मजरे जहाँ विद्यालय से कुछ दूरी पर होंगे वहाँ बालिकाओं की विद्यालय में उपस्थिति व ठहराव सुनिश्चित करने हेतु महिला प्रेरक दल गठित कर प्रशिक्षित किया जायेगा। महिला प्रेरक दल ही स्थानीय स्तर पर वै०शि० केन्द्र/विद्या केन्द्र तथा विद्यालयों की विभिन्न गतिविधियों का अनुश्रवण कर सन्तुदाय तथा शिक्षा विभाग पर दबाव बनाने हेतु प्रयास करेंगे।

• ठहराव परिक्रमा तथा तारांकन

◆ बच्चों की विद्यालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु ठहराव परिक्रमा प्रत्येक सप्ताह गाँव स्तर पर निकाली जायेगी जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक व अभिभावक शामिल होंगे। ठहराव परिक्रमा के दौरान जो बच्चे कम विद्यालय में उपस्थित रहते हैं उनके घर के बाहर थोड़ी देर तक खड़े होकर नारे लगाकर बच्चे को विद्यालय आने के लिये दबाव बनाया जायेगा।

◆ बच्चों की उपस्थिति के प्रति अभिभावकों एवं बच्चों को सचेत करने के लिये बच्चों का हरा, पीला एवं लाल तारा निशान प्रतिमाह उनकी उपस्थिति के आधार पर दिया जायेगा। उपस्थिति के आधार पर निम्न प्रकार तारांकन किट जायेगा –

- माह में 15 दिन या उसकी अधिक उपस्थिति – हरा निशान
- माह में 14 दिन से 7 दिन तक की उपस्थिति – पीला निशान
- माह में 6 दिन या उससे कम की उपस्थिति – लाल निशान

बच्चों तथा अभिभावकों को बच्चों को मिले निशान से अवगत कराया जायेगा तथा यह निशान प्रतिमाह चार्ट पर इंगित कर ग्राम स्तरीय सन्तुहों की बैठकों में चर्चा किया जायेगा। बच्चों को रिबन बने वैज प्रदान किये जायेगें।

- सत्र के मध्य एवं सत्रान्त में अभिभावक सम्मेलन

शिक्षा सत्र के मध्य में अभिभावकों की बैठक में छात्रों की उपस्थिति तथा उससे प्रभावित होने वाले उनका उपलब्धि स्तर दोनों के विषय में उन्हें अवगत कराते हुए, नियमित आने वाले बच्चों अभिभावकों को सम्मानित कर अन्य को प्रेरित किया जायेगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के अन्त में सत्रा समारोह में गाँव के समस्त अभिभावकों को बुलाकर ऐसे बच्चों तथा अभिभावकों को प्रोत्साहित व जिनके बच्चे नियमित विद्यालय आ रहे हैं। सत्रान्त समारोह में अगले सत्र के लिये बच्चों के नामांकन भी सुनिश्चित कराया जायेगा।

- कोहार्ट स्टडी

अधिकतम शालात्याग दर वाले विद्यालयों में पिछले पाँच वर्षों का बच्चों का शालात्याग दर रजिस्टर से निकाल कर ऐसे बच्चों को सूचीबद्ध किया जायेगा जिन्होंने पिछले पाँच साल में विद्यालय छोड़े हैं। ऐसे बच्चों के लिये ग्रीष्म कालीन शिविरों के माध्यम से पुनः विद्यालय में लाने हेतु प्रयास किया जायेगा।

- ग्रीष्म कालीन शिविर

ऐसे गाँव/ ग्राम सभा जहाँ न्यूनतम 40 बालिकायें शाला त्यागी के रूप में चिन्हित की जायें उनमें 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर चलाकर उन्हें पुनः विद्यालय में दाखिल कराया जायेगा।

- "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान

सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु कला जत्था एक सशक्त माध्यम है। "बालिकायें बीच विद्यालय न छोड़ दें" यह सुनिश्चित करने के लिये "बेटी हो स्कूल में" – कला जत्था अभियान चलाया जायेगा जिसमें स्थानीय कलाकारों को प्रशिक्षित कर गाँव-गाँव में नाटकों की प्रस्तुतियां व

जायेगी। यह अभियान ऐसे गाँवों में चलाया जायेगा जहाँ महिला साक्षरता दर कम है तथा बालिका शाला त्याग दर अधिकतम है।

- शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण

बालिका शिक्षा के प्रति शिक्षकों का नज़रिया बदलने तथा उन्हें संवेदनशील बनाने हेतु अलग से शिक्षकों का जेण्डर संवेदीकरण प्रशिक्षण किया जायेगा। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों/बालिकाओं के विद्यालय बीच में छोड़ देने के कारणों उनके निराकरण तथा उपायों/उपागमों पर चर्चा /अभ्यास कर उनका संवेदीकरण किया जायेगा।

8.3.2. कार्यक्रम

- जनजागरण अभियान— जनपद इलाहाबाद में 6-14 वय वर्ग की 44075 बालिकायें हैं जो अभी भी औपचारिक प्राथमिक विद्यालयों में नामांकित नहीं हैं इन बालिकाओं का नामांकन सुनिश्चित करने के लिए जन जागरण अभियान चलाये जायेंगे। विशेष कर विकास खण्ड मऊ आइमा, फूलपुर, सैदाबाद, धनपुर, ऐसे हैं जहाँ पर बालिकाएं घरों में बीड़ी बनाती हैं अथवा अल्पसंख्यक हैं और अपेक्षकृत पिछड़े हुए हैं। इनमें माह जुलाई से सितम्बर तक प्रति माह एक बार जनजागरण अभियान चलाया जायेगा। इसके अंतर्गत प्रभात फेरियों, जुलूस तथा पोस्टर तथा नारों का लेखन, जन सम्पर्क कार्यक्रम तथा महिला मण्डल की बैठकों का आयोजन किया जायेगा।
- बालिका शिक्षा हेतु क्षमता संवर्धन कार्यक्रम— समस्त ग्राम शिक्षा समितियों को बालिका शिक्षा हेतु संवेदनशील बनाने के लिये प्रशिक्षण प्रदान किये जायेंगे।
- महिला प्रेरक समूहों, माता शिक्षक त्तमूहों का गठन एवं प्रशिक्षण।

- जनपद के समस्त विद्यालयों के सेवारत अध्यापकों को बालिका शिक्षा संवेदीकरण हेतु प्रशिक्षण।

8.3.3 जनपद इलाहाबाद के 6-11 वय वर्ग की 26042 बालिकायें जे विद्यालय में नामांकित नहीं हैं तथा औपचारिक विद्यालयों में जाने की स्थिति में नहीं हैं उनके लिये 577 ई.जी.एम. केन्द्र खोला जायेगा।

8.3.4 11-14 वय वर्ग की ऐसी बालिकायें जो प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कर चुकी हैं परन्तु बालकों के साथ बैठकर उच्च प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने हेतु उनके मता-पिता वेचन नहीं हो रहे हैं उनके लिये 95 ग्रीष्म कर्तान शिविर आयोजित किये जायेंगे।

- बालिका शिक्षा हेतु विशेष रणनीति- जनपद के अत्यन्त पिछड़े एवं सुदूरवर्ती क्षेत्रों विकास खण्डों, न्याय पंचायतों एवं ग्राम सभाओं में बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

8.4 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना तथा सुदृढीकरण-

जनपद इलाहाबाद में 3-6 वय वर्ग के बच्चों के लिये बालवाड़ी, आंगनवाड़ी, ई.सी.सी.ई. तथा आई.सी.डी.एस. केन्द्र चल रहे हैं। इस स्तर पर बच्चों के शारीरिक, मानसिक और इन्द्रियों के विकास के लिये शिक्षा दी जाती है इसके प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार हैं-

1. छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगी बालिकाओं को नुक़्त कर विद्यालय तक लाना एवं प्रतिभागिता सुनिश्चित करना।
2. 3-6 आयु वर्ग के प्रथम पीढ़ी के बच्चों को स्कूल पूर्व तैयारी विषयक गतिविधियां उपलब्ध कराना।
3. उचित पोषण आहार एवं स्वास्थ्य शिक्षा द्वारा बच्चों के सामान्य स्वास्थ्य और पौष्टिक आवश्यकताओं की देख-रेख के लिये माताओं को योग्य बनाना। 11-18 वर्ष की किशोरी बालिकाओं का चयन एवं उन्हें आंगनवाड़ी केन्द्र की सेवायें प्रदान करना।

इन केन्द्रों में पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, सन्दर्भ सेवाएं, महिला एवं बालविकास विभाग द्वारा की जायेगी जबकि 3-6 वय वर्ग के बच्चों को विद्यालय पूर्व शिक्षा एवं सामाजिक बौद्धिक भावनात्मक विकास हेतु कार्यक्रम उपलब्ध कराये जायेंगे। इसमें अनौपचारिक शिक्षा तथा स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा का कार्य किया जाता है। सामान्यतया इनमें 3-6 वर्ष के बच्चे 7 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे, गर्भवती एवं धार्त्री महिलायें और किशोरियां लाभान्वित होती हैं।

प्रत्येक ई.सी.सी.ई. केन्द्र पर 0-6 वय वर्ग के 40 बच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्तमान में जनपद इलाहाबाद में विकास खण्डवार केन्द्रों की संख्या इस प्रकार है-

सारणी-8.3

| क्र० | विकास खण्ड का नाम | आई.सी.डी.एस. केन्द्रों की संख्या | विकास खण्ड की 3-6 आयु वर्ग के बच्चों की संख्या |
|------|-------------------|----------------------------------|--|
| 1. | चाका | 94 | 3760 |
| 2. | वहादुरपुर | 183 | 7320 |
| 3. | वहरिया | 135 | 5400 |
| 4. | शंकरगढ़ | 100 | 4000 |
| 5. | माण्डा | 19 | 760 |
| 6. | मेजा | 91 | 3640 |
| 7. | जसरा | 120 | 5200 |
| 8. | सौरांव | 93 | 3720 |
| 9. | धनुपुर | 84 | 33690 |
| 10. | प्रतापपुर | 119 | 4760 |
| 11. | कौड़िहार | 134 | 5360 |
| 12. | कोरांव | 68 | 2720 |
| | नगर क्षेत्र | 182 | 7280 |

इस प्रकार वर्तमान में संचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों से 3-6 उम्र के समस्त बालक बालिकाओं को सेवित नहीं किया जा पा रहा है। ऐसी स्थिति में जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों, शहरी क्षेत्रों के आई.सी.डी.एस. एवं डूडा के साथ समन्वयन कर ई.सी.सी.ई. (केन्द्र संचालित) को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव दिया गया है।

जनपद के ग्रामीण क्षेत्र विशेषकर जमुनापार के विकास खण्डों में ई.सी.सी.ई. केन्द्र चलाने से प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के धारण में वृद्धि होगी तथा उन केन्द्रों में पढ़ने वाले बच्चे सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करने हेतु तैयार होंगे। इस प्रक्रिया से भविष्य में पुनः जनजागरण अभियानों की आवश्यकता नहीं होगी। अतः निम्नलिखित विकास खण्डों में जिन्हें ई.सी.सी.ई./आई.सी.डी.एस. की आवश्यकतानुसार चिन्हित किया गया है उनके लिये ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का सुदृढ़ीकरण किया जाना प्रस्तावित किया गया है।

सारणी 8.4

शिशु शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता

| क्र. | विकास खण्ड का नाम | प्रस्तावित ई.सी.सी.ई. के प्रथम चरण |
|------|-------------------|------------------------------------|
| 1 | शंकरगढ़ | 11 |
| 2 | जसरा | 10 |
| 3 | चाका | 10 |
| 4 | करछना | - |
| 5 | कौंधियारा | - |
| 6 | कोरांव | 10 |
| 7 | मेजा | 8 |
| 8 | उरुवा | - |
| 9 | माण्डा | 6 |
| 10 | कोड़िहार | 6 |
| 11 | सोरांव | 7 |
| 12 | होलागढ़ | - |
| 13 | मऊआइमा | - |
| 14 | बहरिया | 8 |
| 15 | फूलपुर | - |
| 16 | बहादुरपुर | 7 |
| 17 | हंडिया | - |
| 18 | सेदाबाद | - |
| 19 | धनुपुर | 6 |
| 20 | प्रतापपुर | 7 |
| | योग ग्रामीण | 96 |
| 21 | नगर | 10 |
| | महायोग | 106 |

इन प्रस्तावित केन्द्रों के लिये आवश्यक सामग्री यथा खिलौने, रोचक चित्रयुक्त पुस्तकें, स्लेट पेन्सिल इत्यादि की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। ऐसे प्रस्तावित 106 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों में कार्यरत कार्यकर्त्री को 1 वर्ष के लिये शिक्षण सहायक समग्री मद में अनुदान, अतिरिक्त मानदेय, कान्टीनजेन्सी तथा रिकरिंग अनुदान की व्यवस्था प्रस्तावित है। सभी कार्यकर्त्रियों को सेवा पूर्व प्रशिक्षण दिया जायेगा। 53 ई.सी.सी.ई. केन्द्रों का वर्ष 2001-02 तथा शेष 53 वर्ष 2002-03 में जुड़ुदोकरण किये जाने का प्रस्ताव है।

पूर्व प्राथमिक शिक्षा में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पूर्व प्रथमिक शिक्षा कार्यक्रम संचालित किया जायेगा। जिन विकास खण्डों में आई.सी.डी.एस. के आंगनबाड़ी केन्द्र नहीं संचालित हैं, उन विकास खण्डों में स्वयं सेवी संगठनों के द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों के पर्यवेक्षण, अभिकर्त्रियों के प्रशिक्षण तथा उन्हें संसाधनों की सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण हेतु पारदर्शी व्यवस्था की जायेगी, जिनके अंतर्गत जनपद स्तर पर रूचाति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेजल तथा फील्ड अप्रेजल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.4B-1 माडल कलस्टर डेवेलपमेन्ट एप्रोच—

प्रत्येक विकास खण्ड में चयनित न्याय पंचायत को माडल कलस्टर के रूप में विकसित किया जायेगा। कलस्टर के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यक्रम संचालित किये जायेंगे, ताकि इन न्याय पंचायत की

सनस्त ग्राम सभाओं में 6-14 वय वर्ग की बालिकाओं का शतप्रतिशत नामांकन एवं टहराव सुनिश्चित हो सके साथ ही साथ समुदाय में बालिकाओं में शिक्षा के प्रति स्वामित्व, उनकी भागीदारी भी विकसित हो। चयनित न्याय पंचायतों में बालिकाओं में आत्मविश्वास एवं आत्म छवि को विकसित करने, उनमें नेतृत्व के गुण विकसित करने हेतु विभिन्न कार्यक्रम प्रस्तावित हैं। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ग्रीष्म कालीन शिविरों, किशोरी संघों के गठन लाइफ स्किल ट्रेनिंग आदि आयोजित होंगे। धीरे-धीरे माडल क्लस्टर की संख्या में वृद्धि की जायेगी। प्रत्येक वर्ष 26 क्लस्टर का चुनाव करके उनको माडल स्वरूप दिया जायेगा। इस प्रकार वर्ष 2008-09 तक सभी 208 संकुल को आच्छादितकर लिया जायेगा।

विशेष नामांकन अभियान—

चयनित क्लस्टर में पी.आर.ए. विधि से सूझ नियोजन किया जायेगा। प्राप्त आकड़ों के आधार पर विशेष क्षेत्रों हेतु नामांकन अभियान चलाया जायेगा। सभी लक्ष्यगत समूह की बालिकाओं का विद्यालय में नामांकन हो सके, वे नियमित रूप से विद्यालय आयेँ और उनकी शैक्षिक सम्प्राप्ति में वृद्धि हो इसके लिये चिन्हित बच्चों के घर-घर तक पहुंचना आवश्यक है। इस कार्य में स्थानीय शैक्षिक संस्थाओं और समुदाय विशेष रूप से महिला प्रेरक समूहों का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। इसी के साथ निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित किये जायेंगे।

1. मीना कम्पेन— इसके माध्यम से प्रत्येक गांव स्तर पर गोष्ठियों का आयोजन किया जायेगा। फिल्म प्रदर्शन, बैनर, चार्ट, पोस्टर इत्यादि के माध्यम से माता-पिता तथा अभिभावकों को अभिप्रेरित किया जायेगा।
2. माँ-बेटी मेला आयोजन— ग्राम स्तर पर माँ-बेटी मेले का आयोजन किया जायेगा। जिसका उद्देश्य माताओं को उनकी बेटी को स्कूल भेजने तथा कक्षा 8 तक की शिक्षा पूरी करने हेतु प्रेरित करना है।
3. ग्राम शिक्षा समितियों की न्याय पंचायत स्तर पर कार्यशालायें / प्रशिक्षण— प्रत्येक स्तर पर समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित हो सके इसके लिये माता-शिक्षक तथा शिक्षक-अभिभावक एसोसिएशन, ग्राम शिक्षा समिति, महिला प्रेरक समूह, क्लस्टर तहसील न्याय पंचायत केन्द्रों के समन्वयक के लिये सघन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। माडल न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र सामुदायिक गतिविधियों के केन्द्र तथा शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित किये जायेंगे।
4. ग्राम शिक्षा समितियों/माता शिक्षक संघों / महिला प्रेरक समूहों का गठन तथा प्रशिक्षण— बालिकाओं की शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं, उनके नामांकन, विद्यालय में टहराव तथा सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि हेतु वी.ई.सी., एम.टी.ए., डब्लू.एम.सी. को संवेदनशील बनाना,

विद्यालय एवं विद्यालय से बाहर की गतिविधियों में उनका योगदान सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस हेतु उ.प्र. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्य के अन्तर्गत विकसित प्रशिक्षण मंजूषा प्रयोग किये जायेंगे।

5. सेवारत अध्यापक/बी.आर.सी., सी.आर.सी.समन्वयकों का प्रशिक्षण— तनस्त अध्यापकों एवं बी.आर.सी., सी.आर.सी. समन्वयकों को बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करने वाली कक्षा-कक्ष प्रक्रियाओं, गतिविधियों हेतु प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।

8.4B-2 ग्रीष्म-कालीन शिविर—

जनपद में बालिका नामांकन 91 प्रतिशत है और बालिकाओं के नामांकन , विद्यालय में बने रहने और गुणवत्तापूर्ण सम्प्राप्ति हेतु प्रत्येक विकास खण्ड के माडल क्लस्टर अथवा अन्य क्षेत्रों की चयनित ग्राम सभाओं में 10 दिवसीय ग्रीष्म-कालीन शिविर लगाने का प्रस्ताव है। इन शिविरों में शालात्यागी बालिकाओं उनके अभिभावकों तथा स्वयं सेवी संस्थाओं के प्रधान तथा सनुदाय के प्रतिनिधियों के सहयोग से बालिकाओं को विद्यालय लाने के लिये प्रेरित किया जायेगा। इस तरह 208 न्याय पंचायत तथा नगर क्षेत्र के 20 वार्डों प्रति वर्ष 120 विद्यालयों में 10 दिवसीय ग्रीष्म कालीन शिविर लगाये जायेंगे। आगामी वर्षों में अन्य स्थानों में शिविर लगाकर इसका विस्तार किया जायेगा। शिविर के लिये मुस्कान पैकेज का प्रयोग किया जायेगा।

8.4.B-3 अन्य—

चयनित क्लस्टर में आवश्यकता के अनुसार बालिकाओं के लिये त्रिजकोर्स, आवासीय शिविर भी आयोजित किये जायेंगे। ऐसे 18 कोर्स जमुना पार के 9 विकास खण्डों में प्रस्तावित हैं। इन शिविरों में 3 माह का त्रिज कोर्स आयोजित कर शालात्यागी बालिकाओं को केन्ट्स कोर्स के माध्यम से उनकी योग्यता के आधार पर सीधे कक्षा 5 तथा 8 की परीक्षा दिला कर मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जायेगा।

4.4B-4 उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के लिये अन्य कार्यक्रम (कार्यानुभव)—

करके सीखने की शिक्षण विधि के आधार पर प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव शिक्षा को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके अन्तर्गत जनपद के परम्परागत ट्रेड तथा गैरपरम्परागत ट्रेड का चयन कर उन्हें आधुनिक तकनीक से जोड़कर प्रशिक्षण प्रदान किया जाना प्रस्तावित है। खिलौने बनाना, कला चित्रण, रंगाई, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की शिक्षा के साथ-साथ स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कच्चे माल की उपलब्धता के आधार पर टोकरियाँ, मिट्टी के खिलौने, कागज के सामान

वनाने की कला सिखाई जायेगी। कार्यानुभव योजना में कृषि, पशुपालन, पुस्तक कला, धातुकला, आदि से सम्बन्धित सामान्य ज्ञान, अनुभव आधारित कर विद्यालय के प्रति आकर्षण पैदा किया जायेगा। प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कार्यानुभव योजना के अन्तर्गत समजोपयोगी उत्पादक कार्य सन्दर्भी शिक्षा प्रस्तावित है। प्रत्येक वर्ष 74 उच्च प्राथमिक विद्यालय को इस हेतु चयनित किया जायेगा और इस प्रकार वर्ष 2008-09 तक समस्त 595 उच्च प्रा.विद्यालय में इसे लागू कर दिया जायेगा। जनपद के समस्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के सामान्य ज्ञान देने हेतु कम्प्यूटर की व्यवस्था की जायेगी तथा उन्हें रोजगार हेतु स्वावलम्बी बनाया जायेगा। वर्षवार आयोजित किये जाने वाले कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है-

| कार्यक्रम | 2001-02 | 2002-03 | 2003-04 | 2004-05 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 |
|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| समर कैंप | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 132 |
| माडल क्लस्टर | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| समाजोपयोगी उत्पादक कार्य | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 77 |

8.5 निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण-

आकर्षक एवं उपयोगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का छात्र नामांकन तथा उनके विद्यालय में ठहराव हेतु विशेष महत्व है। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं और अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरित करने का प्रस्ताव है। वर्तमान छात्र संख्या तथा आगामी 10 वर्षों में अनुमानित उच्च प्राथमिक तथा प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं की संख्या के आधार पर सारणी 8.5 तथा 8.6 के अनुसार निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें वितरित की जायेंगी।

छात्र अधिगम का मूल्यांकन-

छात्रों के मूल्यांकन का अभिलेखन करने हेतु प्रत्येक छात्र के लिये छात्र प्रगति कार्ड की व्यवस्था की गई है। इससे छात्रों की प्रगति में अभिन्नवक अवगत हो सकेंगे और उनकी विद्यालय के प्रति सहभागिता बढ़ेगी साथ ही साथ छात्रों में भी स्वयं प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी।

क्रियात्मक शोध-

विद्यालयी समस्याओं के समाधान हेतु शिक्षकों द्वारा क्रियात्मक शोध किया जाना अति आवश्यक है इससे वे स्वयं अपनी समस्याओं की पहचान कर सकेंगे और तदनुसार उनके समाधान हेतु वैज्ञानिक पद्धति अपना सकेंगे। इससे जहाँ एक ओर अध्यापकों की क्षमता का सम्वर्धन होगा वहीं दूसरी ओर विद्यालयी शिक्षा में गुणात्मक सुधार होगा इसके लिये आवश्यक धनराशि का प्रस्ताव किया गया है।

सारणी 8.5
छात्र संख्या अनु. जाति बालक तथा कुल बालिकाएँ

| क्रमांक | वर्ष | 6-11 वय वर्ग (प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनु.जाति बालक | 11-14 वय वर्ग (उच्च प्राथमिक स्तर) कुल बालिका तथा अनु.जाति बालक |
|---------|---------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | 2001-02 | 165638 | 11402 |
| 2. | 2002-03 | 169248 | 17203 |
| 3. | 2003-04 | 172935 | 23231 |
| 4. | 2004-05 | 176700 | 23695 |
| 5. | 2005-06 | 180549 | 24169 |
| 6. | 2006-07 | 188270 | 24653 |
| 7. | 2007-08 | 188501 | 25146 |
| 8. | 2008-09 | 192610 | 25645 |
| 9. | 2009-10 | 196807 | 26162 |

प्राथमिक स्तर

| क्र० सं० | ब्लाक का नाम | कुल बालक बालिकायें तथा अनुसूचित जाति बालक वर्षवार | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------|--------------|---|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|
| | | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | |
| | | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के | कुल लड़कियाँ | अनु० लड़के |
| 1 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | |
| 1. | शंकरगढ़ | 7031 | 3851 | 7192 | 3939 | 7357 | 4029 | 7525 | 4121 | 7697 | 4215 | 7873 | 4312 | 8053 | 4411 | 8237 | 4512 | 8426 | 4615 |
| 2. | जरारा | 6889 | 3014 | 7047 | 3083 | 7208 | 3154 | 7373 | 3226 | 7542 | 3300 | 7715 | 3376 | 7892 | 3453 | 8073 | 3532 | 8258 | 3613 |
| 3. | चाका | 7986 | 3629 | 8169 | 3712 | 8356 | 3797 | 8547 | 3884 | 8743 | 3973 | 8943 | 4064 | 9148 | 4157 | 9357 | 4252 | 9571 | 4349 |
| 4. | करछना | 10628 | 3814 | 10871 | 3901 | 11120 | 3990 | 11375 | 4081 | 11635 | 4174 | 11901 | 4270 | 12174 | 4368 | 12453 | 4468 | 12738 | 4570 |
| 5. | कौथियारा | 5112 | 2544 | 5229 | 2602 | 5349 | 2662 | 5471 | 2723 | 5596 | 2785 | 5724 | 2849 | 5855 | 2914 | 5989 | 2981 | 6120 | 3049 |
| 6. | कोरांव | 12319 | 6606 | 12601 | 6757 | 12890 | 6912 | 13185 | 7070 | 13487 | 7232 | 13796 | 7398 | 14112 | 7567 | 14435 | 7740 | 14766 | 7917 |
| 7. | मेजा | 6595 | 2546 | 6746 | 2604 | 6900 | 2664 | 7058 | 2725 | 7220 | 2787 | 7385 | 2851 | 7554 | 2916 | 7727 | 2983 | 7904 | 3051 |
| 8. | उरुवा | 7754 | 2328 | 7932 | 2381 | 8114 | 2436 | 8300 | 2492 | 8490 | 2549 | 8684 | 2607 | 8883 | 2667 | 9086 | 2728 | 9294 | 2790 |
| 9. | माण्डा | 9432 | 3509 | 9648 | 3589 | 9869 | 3671 | 10095 | 3755 | 10326 | 3841 | 10562 | 3929 | 10804 | 4019 | 11051 | 4111 | 11304 | 4205 |
| 10. | कोडिहार | 7941 | 3721 | 8123 | 3806 | 8309 | 3893 | 8499 | 3982 | 8694 | 4073 | 8893 | 4166 | 9097 | 4261 | 9305 | 4359 | 9518 | 4459 |
| 11. | सोरांव | 8537 | 3313 | 8732 | 3389 | 8932 | 3467 | 9137 | 3546 | 9346 | 3627 | 9560 | 3710 | 9779 | 3795 | 10003 | 3882 | 10232 | 3971 |
| 12. | दोलागढ़ | 8112 | 3673 | 8321 | 3757 | 8534 | 3843 | 8752 | 3931 | 8975 | 4021 | 10203 | 4113 | 10437 | 4207 | 10676 | 4303 | 10920 | 4402 |
| 13. | मऊआइमा | 7549 | 3178 | 7722 | 3251 | 7899 | 3325 | 8080 | 3401 | 8265 | 3479 | 8454 | 3559 | 8648 | 3641 | 8846 | 3724 | 9049 | 3809 |
| 14. | बहरिया | 10946 | 3495 | 11197 | 3575 | 11453 | 3657 | 11715 | 3741 | 11983 | 3827 | 12257 | 3915 | 12538 | 4005 | 12825 | 4097 | 13119 | 4191 |
| 15. | फूलपुर | 9591 | 3878 | 9811 | 3967 | 10036 | 4058 | 10266 | 4151 | 10501 | 4246 | 10741 | 4343 | 10987 | 4442 | 11239 | 4544 | 11496 | 4648 |
| 16. | बहादुरपुर | 16461 | 5434 | 16838 | 5558 | 17224 | 5685 | 17618 | 5815 | 18021 | 5948 | 18434 | 6084 | 18856 | 6223 | 19288 | 6366 | 19730 | 6512 |
| 17. | हडिया | 9537 | 3540 | 9730 | 3612 | 9927 | 3685 | 10128 | 3759 | 10333 | 3835 | 10542 | 3912 | 10755 | 3991 | 10972 | 4072 | 11194 | 4154 |
| 18. | सैदाबाद | 11177 | 4430 | 11403 | 4519 | 11633 | 4610 | 11868 | 4703 | 12108 | 4798 | 12353 | 4895 | 12603 | 4994 | 12858 | 5095 | 13118 | 5198 |
| 19. | धनुपुर | 8908 | 3492 | 9088 | 3563 | 9272 | 3635 | 9459 | 3708 | 9650 | 3783 | 9845 | 3859 | 10044 | 3937 | 10247 | 4017 | 10454 | 4098 |
| 20. | प्रतापपुर | 10940 | 4487 | 11169 | 4578 | 11395 | 4670 | 11625 | 4764 | 11860 | 4860 | 12100 | 4958 | 12344 | 5058 | 12593 | 5160 | 12847 | 5264 |
| | योग | 110707 | 42641 | 113134 | 43575 | 115614 | 44528 | 118147 | 45501 | 120736 | 46497 | 123382 | 47514 | 126088 | 48554 | 128852 | 49619 | 131677 | 50706 |
| 21. | नगर क्षेत्र | 9830 | 2400 | 10029 | 2510 | 10232 | 2561 | 10439 | 2613 | 10650 | 2666 | 10865 | 2720 | 11084 | 2775 | 11308 | 2831 | 11536 | 2888 |
| | महायोग | 120537 | 45101 | 123163 | 46085 | 125846 | 47089 | 128586 | 48114 | 131386 | 49163 | 134247 | 50234 | 137172 | 51329 | 140160 | 52450 | 143213 | 53594 |
| | महायोग | 165638 | | 169248 | | 172935 | | 176700 | | 180549 | | 184481 | | 188501 | | 192610 | | 196807 | |

सारणी 8.6.3
आवश्यक सहायता/ उपकरण

| क्र० | सहायता का प्रकार | कोरांव | शंकरगढ़ | मेजा | करछना | उरुवा |
|------|------------------|--------|---------|------|-------|-------|
| 1. | क्रचेज | 48 | 39 | 22 | 41 | 25 |
| 2. | (W/C & T/C) | 55 | 49 | 69 | 44 | 25 |
| 3. | कैलिपर्स | 84 | 122 | 56 | 91 | 28 |
| 4. | श्रवण यन्त्र | 37 | 56 | 30 | 44 | 12 |
| 5. | त्रेल | 11 | 19 | 44 | 9 | 20 |
| 6. | विशिष्ट विद्यालय | 84 | 55 | 23 | 15 | 24 |
| 7. | विशिष्ट शिक्षक | 84 | 96 | 107 | 15 | 24 |
| 8. | संदर्भ शिक्षक | 24 | 101 | 22 | 27 | 46 |

जनपद में कुल 2312 विकलांग बच्चों का चिन्हीकरण किया गया है जिनमें 390 बच्चे विशिष्ट हैं जिनके लिये स्वयं सेवी संस्थाओं का सहयोग लिया जायेगा। उपर्युक्त विकास खण्डों में समेकित शिक्षा चलाने का प्रस्ताव है।

समेकित शिक्षा हेतु त्रिस्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाये जायेंगे, जिसके लिये विकलांग केन्द्र, इलाहाबाद का सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**— इसमें जनपद स्तर पर प्रति ब्लाक 4 मास्टर ट्रेनर के हिसाब से ट्रेनर प्रशिक्षित किये जायेंगे, जिनका प्रशिक्षण विकलांग केन्द्र के विशेषज्ञ अथवा अन्य राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ द्वारा किया जायेगा। प्रशिक्षण की अवधि तथा चक्रों का निर्धारण विकलांग केन्द्र के सुझाव के अनुसार किया जायेगा।
2. **ब्लाक स्तरीय प्रशिक्षण**— जनपद स्तर पर प्रशिक्षित चार मास्टर ट्रेनर द्वारा विकास खण्ड स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे। समेकित शिक्षा के अनुश्रवण हेतु सम्बन्धित सहायक, वैसिक शिक्षा अधिकारी, ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक को भी प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. **सम्बेदन शीलता का प्रशिक्षण**— विकलांग बच्चों के प्रति सम्बेदनशीलता का विकास करने हेतु दो दिवसीय सम्बेदन शीलता प्रशिक्षण कार्यक्रम विकास खण्ड स्तर पर चलाये जायेंगे, जिसमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

8.7 छात्र स्वास्थ्य परीक्षण—

प्रत्येक छात्र का वार्षिक प्रगति के साथ उनके स्वास्थ्य प्रगति संबंधी जानकारी भी प्राप्त की जायेगी। स्वास्थ्य चेकअप कार्ड प्रत्येक विद्यालय में रखे जायेंगे। स्वास्थ्य परीक्षण कार्य प्रति वर्ष प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के चिकित्सक दल द्वारा न्याय पंचायत स्तर के सभी बच्चों का परीक्षण कराने का प्रस्ताव है। इसी तरह नगर क्षेत्र में स्वास्थ्य परीक्षण करने का कार्य वार्ड में स्थित कार्यालय में किया जायेगा। प्रतिवर्ष कम से कम 288 कैम्प की आवश्यकता पड़ेगी। विकास खण्ड वार छात्र नामांकन तालिका 2001 में दिया गया है जिसको दृष्टिगत रखते हुये कैम्प की अवधि तथा आवृत्ति निर्धारण किया जायेगा। आवश्यक दवाईयों स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त कराई जायेगी।

8.8 सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम -

जनपद इलाहाबाद में सन् 1993 से 2000 तक उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना चलाई गयी। यह परियोजना 30 सितम्बर 2000 को समाप्त हो गई। परियोजना की उपलब्धियों को बनाये रखने और शैक्षिक सम्बर्धन कार्यक्रमों को गतिशीलता देने की दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान एक महत्वपूर्ण और साहसिक प्रयास है। अभियान प्रारम्भ होने से पूर्व यह जानना भी आवश्यक है कि ऐसे बच्चे जो उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना से भी विद्यालयों में नहीं जुड़ पाये हैं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के माध्यम से शिक्षा के साथ जोड़ा जाना है। इस गुरुतर दायित्व को पूर्ण करने के लिये सामुदायिक सहभागिता की नितान्त आवश्यकता है। जब तक जनसमुदाय विद्यालय को नहीं अपनायेगा और इनकी व्यवस्था की जिम्मेदारी ग्रहण नहीं करेगा तब तक सभी लक्ष्यगत बच्चों को प्रारम्भिक शिक्षा के साथ जोड़ना अत्यन्त दुरुह कार्य होगा। अतः अभियान को मूर्त रूप देने के लिये सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रमों को चलाना अत्यन्त आवश्यक और अपरिहार्य है। अभियान के प्रारम्भिक चरण में उन बच्चों के चिन्हीकरण करने का कार्य किया गया जो अब तक विद्यालय में नामांकित नहीं हुए थे। इन्हें हेतु निम्नलिखित कार्यक्रमों को चलाया गया। इन्ही कार्यक्रमों को योजना अवधि में आवश्यकतानुसार बार-बार चलाया जायेगा।

सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

अभिभावकों, शिक्षकों तथा स्थानीय समुदाय में बच्चों की शिक्षा के प्रति जागृति उत्पन्न करने तथा अनुकूल वातावरण सृजित करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सामुदायिक गतिशीलता के कार्यक्रम प्रस्तावित किये गये हैं। इन कार्यक्रमों से स्वयं सेवी संगठनों को जोड़ा जायेगा। विशेष रूप से ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण, ग्राम स्तरीय सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय एवं स्थानीय समुदाय को परस्पर समीप लाने की प्रक्रिया में स्वयं सेवी संगठनों का महत्वपूर्ण योगदान लिया जा सकता है। इस हेतु स्वयं सेवी संगठनों के चिन्हीकरण के लिए जनपद स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया तथा पारदर्शी व्यवस्था अपनायी जायेगी, जिसके अन्तर्गत जनपद स्तर पर ख्याति प्राप्त एवं अनुभवी स्वयं सेवी संगठनों से प्रस्ताव आमंत्रित किये जायेंगे। इन प्रस्तावों को डेस्क टॉप अप्रेज़ल तथा फील्ड अप्रेज़ल स्थानीय अधिकारियों द्वारा किया जायेगा और संस्तुति प्रदान की जायेगी। स्वयं सेवी संगठनों के चयन का निर्णय जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किया जायेगा।

8.8.1 स्कूल चलो अभियान -

माह जुलाई 2000 में जिलाधिकारी, इलाहाबाद के संरक्षण में स्कूल चलो अभियान चलाया गया। इस अभियान के अन्तर्गत माह जुलाई में गांव स्तर, ब्लाक स्तर तथा जनपद स्तर पर बच्चों की रैलियां निकाली गयी, पोस्टर, बैनर, नारे के द्वारा जन सम्पर्क अभियान चलाये गये। घर-घर जाकर परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से ऐसे बच्चों की पहचान की गयी, जो विद्यालय में नामांकित नहीं हुए हैं। इस अभियान में शिक्षा विभाग के साथ-साथ अन्य विभागों जैसे स्वास्थ्य, राजस्व, ग्राम विकास, पंचायती राज इत्यादि को जोड़ा गया और बच्चों का नामांकन कराया गया। आवश्यकतानुसार आगामी वर्षों में भी इस कार्यक्रम के माध्यम से नामांकन वृद्धि की जायेगी।

8.8.2 सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत परिवार सर्वेक्षण द्वारा आकड़ों का संकलन और विश्लेषण—

31 दिसम्बर, 2000 के माननीय मानव संसाधन विकास मंत्री, भारत सरकार, डॉ० नुरली नन्नेहर जोशी जी द्वारा जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, इलाहाबाद सहित जनपद के सन्त शिक्षा अधिकारियों, अभिकर्मियों के सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत एक जुट होकर 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकन करने, उनको गुणवत्तायुक्त शिक्षा प्रदान करने के लिये आह्वान किया गया।

माह जनवरी तथा फरवरी में पुनः ग्राम स्तर से लेकर जनपद स्तर तक जन जागरण के लिये अन्य विभागों को साथ में लेकर मुख्य विकास अधिकारी के निर्देशन और जिलाधिकारी के संरक्षण में अभियान चलाया गया। इस अभियान को चलाने के लिये विकास खण्डवार अभिप्रेरक दल गठित किये गये जिसमें ब्लाक स्तर पर एक जोनल अधिकारी तथा प्रत्येक दो न्याय पंचायत स्तर पर एक नोडल अधिकारी और ब्लाक तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के समन्वयकों को सदस्यों के रूप में रखा गया। दल के सभी सदस्यों का 5 जनवरी, 2001 को सीमेट द्वारा अभियान से जुड़े सभी अभिकर्मियों का प्रशिक्षण सम्पन्न किया गया है। तदुपश्चात् इस दल ने जनजागरण अभियान प्रारम्भ किया जिसका विस्तृत विवरण नियोजन प्रक्रिया अध्याय 3 में दिया गया है।

परिवार सर्वेक्षण से प्राप्त आकड़ों के आधार पर विकास खण्डवार योजनावद्ध तरीके से वातावरण सृजन करने हेतु सभी विभागों के सहयोग से कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इन योजनाओं का अनुश्रवण और पुनरीक्षण का कार्य किया जायेगा।

8.8.3 वातावरण सृजन—

सभी लक्ष्यगत बच्चे विद्यालयों में नामांकित हों, उनकी नियमित उपस्थिति बनी रहे तथा उन्हें गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्राप्त हो, इसके लिये सभी विकास खण्डों में ग्राम स्तर से लेकर विकास खण्ड स्तर तक शैक्षिक वातावरण सृजन की निरन्तरता बनाये रखना आवश्यक है। यह कार्यक्रम प्रथम 3 वर्षों तक चलाये जाने का प्रस्ताव है। प्रत्येक सूत्र में जुलाई से सितम्बर तक नामांकन हेतु जनजागरण कार्यक्रम चलाये जायेंगे। तदुपश्चात् सन्तुदाय के विद्यालयी व्यवस्था में सहयोग प्राप्त है। इसके लिये शिक्षक अभिभावक तथा माता अभिभावक एंगेजिमेंशन, बाल सभा, कुमारी सभा, नुक्कड़ नाटक तथा विद्यालयों एवं संकुल केन्द्रों में साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

8.8.4 ग्राम शिक्षा समिति / नगर शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण—

सामुदायिक गतिशीलता को सुनिश्चित करने के लिये यह आवश्यक है कि ग्राम शिक्षा समिति और नगर शिक्षा समिति के सदस्य अपने दायित्वों को पूरी भाँति समझें और उनका निर्वहन करें। इस हेतु उनका प्रशिक्षण भी किया जाना आवश्यक है। इनका अनुश्रवण विशेष रूप से माइक्रो लार्निंग, पी.आर.ए. तथा सम्बन्धित सहभागी नियोजन की विधियों में बल दिया जायेगा। प्रशिक्षण के क्रयान्वयन निम्नलिखित चरणों में प्रस्तावित है।

1. **मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण**— यह प्रशिक्षण जनपद स्तर में डायट में किया जायेगा। प्रशिक्षण में प्रति विकास खण्ड चार सन्दर्भ दाताओं को प्रशिक्षित किया जायेगा, जिसमें एक वी.आर.सी. समन्वयक और तीन ब्लाक रिसोर्स समूह के सदस्य होंगे। डायट में यह प्रशिक्षण चालीस सन्दर्भदाता प्रति चक्र के हिसाब से दो चक्रों में चलाया जायेगा।

नगर क्षेत्र के प्रति वार्ड एक सन्दर्भदाता के रूप में 80 सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण 2 चक्रों में पूर्ण किया जायेगा। नगर क्षेत्र के लिये वार्ड सदस्य को प्रशिक्षित किया जायेगा। इस प्रकार डायट पर चलने वाले इस प्रशिक्षण में 4 चक्र होंगे।

2. **सन्दर्भदाताओं का प्रशिक्षण**— यह प्रशिक्षण विकास खण्ड में वी.आर.सी. पर मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ग्राम प्रधानों तथा न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयकों को दिया जायेगा। प्रति ब्लाक 30 प्रतिभागियों के हिसाब से 4 चक्रों में प्रशिक्षण पूरा किया जायेगा।
3. **ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण**— इनका प्रशिक्षण न्याय पंचायत स्तर पर होगा जिसमें न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र के समन्वयक तथा ग्राम प्रधान सन्दर्भदाता के रूप में कार्य करेंगे और ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। प्रत्येक चक्र में 20-25 सदस्य प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। जनपद में कुल 1378 ग्राम शिक्षा समितियों की कुल 11024 सदस्य वर्ष पूरी योजनाओं में 4 बार वर्ष 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2008-09 में प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। इस प्रकार पांच वर्षों में 2 बार प्रशिक्षण दिया जायेगा।

विकास खण्ड स्तर पर चलने वाले प्रशिक्षण की व्यवस्था, प्रतिभागियों की उपस्थिति एवं अनुश्रवण का कार्य सम्बन्धित समन्वयक वी.आर.सी. द्वारा किया जायेगा।



अध्याय — 9

गुणवत्ता के लिए नियोजन

इलाहाबाद जनपद में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति में बदलाव के लिए वर्ष 1993 में बेसिक शिक्षा परियोजना आरंभ की गई थी। परियोजना के अंतर्गत भौतिक सुविधाओं तथा संसाधनों का सृजन और संवर्द्धन करने के अतिरिक्त गुणवत्ता सुधार हेतु कार्यक्रमों का संचालन किया गया। जनपद स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की संस्थापना वर्ष जून 2000 में हुई तथा इसके पूर्व डायट कौशाम्बी (अविभाजित जनपद इलाहाबाद का जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी में संचालित था) के अकादमिक नेतृत्व में प्रशिक्षण, अकादमिक पर्यवेक्षण, शिक्षकों को कार्यस्थल पर सहयोग-समर्थन हेतु योजनाबद्ध कार्य किया गया। इस कार्य में जनपद में स्थापित 20 बी.आर.सी. तथा 208 एन.पी.आर.सी. की महत्वपूर्ण भूमिका रही। बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत डायट में संस्थागत क्षमता का बहुआयामी विकास हुआ। शिक्षक प्रशिक्षण तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में डायट की क्षमता संवर्द्धन के अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समितियों, ई.सी.सी.ई. कार्यकर्त्रियों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के संचालन हेतु प्रशिक्षण और क्षमता विकास का कार्य किया गया। इसके अतिरिक्त एक्शन रिसर्च के क्षेत्र में भी डायट की क्षमता विकसित हुई। परियोजना के अन्तर्गत डायट में मानव संसाधनों की बेहतर व्यवस्था हुई। डायट में प्रशिक्षण सुविधाओं के विस्तार, उपकरण तथा सामग्रियों की व्यवस्था, अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्षाओं, दृश्य-श्रव्य उपकरणों आदि की व्यवस्था तथा अनुरक्षण भी सुनिश्चित किया गया।

शिक्षकों को सहयोग-समर्थन की व्यवस्था—

बेसिक शिक्षा परियोजना का मुख्य उद्देश्य रहा है — प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार तथा शैक्षिक संप्राप्ति में गुणात्मक विकास करना। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए 3 लक्ष्य निर्धारित किये गये थे। 1- सार्वभौमिक नामांकन, 2- सार्वभौमिक धारण, 3- गुणात्मक संप्राप्ति। प्रभावी शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कार्य में डायट, बी० आर० सी० व एन० पी० आर० सी० की महत्वपूर्ण भूमिका है।

जनपद में प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता युक्त सम्प्राप्ति का मुख्य उत्तरदायित्व डायट पर है। इस दिशा में डायट द्वारा बी० आर० सी०, एन० पी० आर० सी० समन्वयक व प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को विभिन्न प्रकार के विषय आधारित सेवारत प्रशिक्षण प्रदान किये गये हैं। प्रशिक्षणों में विषयों के शिक्षण की नवीनतम विधियाँ, सहायक शिक्षण सामग्री का निर्माण एवं समुचित प्रयोग, कठिन संबोधों का सरल रूप में शिक्षण, विद्यार्थियों का सतत व्यापक मूल्यांकन तथा विद्यालय को आकर्षक एवं आदर्श बनाने हेतु किये जाने वाले प्रयासों का सैद्धान्तिक और व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया है। प्रशिक्षणोपरांत प्रशिक्षकों द्वारा अपने-अपने विद्यालयों में प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं, इसका मूल्यांकन शैक्षिक पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण द्वारा डायट, बी० आर० सी० व एन० पी० आर० सी० द्वारा किया जाता है।

डायट के प्रवक्ताओं को शैक्षिक सपोर्ट हेतु एक विकास खण्ड का मेन्टर निर्धारित किया गया है, जहाँ शैक्षिक सुधार कार्यक्रम का निर्धारण माह में एक दिन कोरग्रुप की बैठक में प्रवक्ताओं द्वारा किया जाता है। प्रत्येक माह 2 एन.पी.आर.सी. और 4 प्राथमिक विद्यालयों का अनुश्रवण किया जाता है और यथा स्थान शैक्षिक सहयोग भी दिया जाता है। इसी प्रकार बी.आर.सी. के समन्वयक अपने विकास खण्ड के विद्यालयों का पर्यवेक्षण एवं शैक्षिक सपोर्ट करते हैं और उन्हें गुणवत्ता के आधार पर श्रेणी प्रदान करते हैं। एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी भी अपने क्षेत्र के विद्यालयों को अनुश्रवण करके शैक्षिक सपोर्ट देते हैं। प्रतिमाह बी.आर.सी. समन्वयक द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन पर डायट की "अकादमिक संसाधन समूह" की बैठक में कठिनाइयों के निवारण हेतु कार्यक्रम बनाये जाते हैं। यह अनुभव किया गया कि बेसिक शिक्षा परियोजना से आच्छादित प्राथमिक विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं की पूर्ति तो की जा सकी किन्तु कतिपय क्षेत्र अनाच्छादित रहे जिन्हें समुचित प्रकार से सहयोग और पर्यवेक्षण नहीं प्रदान किया जा सका यथा—

1. उच्च प्राथमिक स्तरीय विद्यालयों तथा शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं पर पूरा ध्यान नहीं दिया जा सका।
2. अशासकीय हाईस्कूल, इण्टर कालेज के साथ संचालित कक्षा 6-8 तथा 1-5 के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं—कठिनाइयों के निवारण, शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में सुधार और शिक्षकों की कठिनाइयों को दूर करने हेतु अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में नहीं लाया गया।
3. मकतब मदरसों में अध्ययनरत बच्चे तथा उनके शिक्षक भी जनपद में संचालित गुणवत्ता विकास कार्यक्रम से लाभान्वित नहीं हो सके।

2. स्कूल पूर्व शिक्षा की सुविधा :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण में 'स्कूल पूर्व शिक्षा' की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुये जनपद इलाहाबाद में यू.पी.—बी.ई.पी. में 30 शिशु शिक्षा केन्द्रों का संचालन आई.सी.डी.एस. के साथ समन्वय से किया गया। महिला एवं बाल विकास विभाग उ०प्र० द्वारा जनपद में संचालित परियोजना के आंगनबाड़ी केन्द्रों में से केन्द्रों का चयन कर इन्हें शिशु शिक्षा केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया। इन केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकों को 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में दिये गये। इनके पर्यवेक्षण हेतु संबधित एन पी.आर.सी. समन्वयकों को भी प्रशिक्षित किया गया। इन केन्द्रों तथा समीपस्थ प्राथमिक विद्यालय की समय—सारिणी में अनुरूपता लाई गयी। केन्द्र का समय दो घंटा बढ़ाकर बच्चों खासकर लड़कियों को अपने छोटे भाई—बहनों की देखभाल से मुक्त कर विद्यालय शिक्षा हेतु अवसर दिया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना की ओर से केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों तथा सहायिका के अतिरिक्त मानदेय, अभिमुखीकरण, प्रशिक्षण और प्रतिवर्ष सात दिवसीय पुनश्चर्या प्रशिक्षण, केन्द्रों के लिए खेल सामग्री, उपकरण, शिक्षण सामग्री हेतु रु० 5000 तथा आकस्मिक व्यय हेतु वार्षिक रु० 1500 भी प्रदान किया गया। शिशु शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण से ग्राम शिक्षा समिति तथा प्रधानाध्यापक को भी जोड़ा गया।

शिशु शिक्षा केन्द्रों के अध्ययन (Shishu Shiksha Kendra: An UP BEP Initiative, NCERT, 1998) से निम्नवत् निष्कर्ष सामने आये—

1. शिशु शिक्षा केन्द्रों के बच्चे अधिक विकसित अनुशासित, आत्मविश्वासी और गतिविधियों में अधिक भाग लेते पाये गये।
2. समुदाय के सदस्यों का मत था कि इन केन्द्रों का सकारात्मक प्रभाव बालक-बालिकाओं के नामांकन तथा उपस्थिति पर पड़ा है, खासकर केन्द्रों को प्राथमिक विद्यालय में स्थानांतरित करने के बाद।
3. सामान्य निष्कर्ष था कि केन्द्रों का समय बढ़ाये जाने से बालिकाओं के नामांकन और स्कूल में भागीदारी में वृद्धि हुई।
4. प्राथमिक विद्यालयों में इन केन्द्रों से आने वाले बच्चों के ठहराव में बहुत वृद्धि हुई।

जनपद में शिशु शिक्षा केन्द्रों की प्राभावकारिता को दृष्टिगत रखते हुये स्कूल पूर्व शिक्षा सुविधा के विस्तार की आवश्यकता है।

ग्राम शिक्षा समिति :

प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय प्रबन्धन तथा क्रियान्वयन में स्थानीय समुदाय की सहभागिता बढ़ाने के लिए, स्कूलों के प्रति समुदाय के लगाव को प्रोत्साहित करने के लिए ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है तथा इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति के अभिभावकों, स्वयं सेवी संगठन के सदस्यों को भी प्रतिनिधित्व दिया गया है। समिति का सदस्य सचिव परिषदीय विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। इसके अतिरिक्त समिति में विकलांग बच्चों के अभिभावकों को भी सम्मिलित करने के निर्देश हैं। विद्यालय भवन की मरम्मत, अनुरक्षण, विद्यालय की अन्य सुविधाओं, भवन निर्माण आदि का उत्तरदायित्व ग्राम शिक्षा समिति का है। इसके अतिरिक्त ग्राम शिक्षा समिति विद्यालय तथा शिक्षकों के कार्यों का भी पर्यवेक्षण करती है।

बेसिक शिक्षा परियोजना में जनपद इलाहाबाद में डायट के नेतृत्व में 1378 ग्राम शिक्षा समितियों को तीन दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया गया तथा प्रशिक्षण के दो चक्र आयोजित किये गये हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के लिए जिला संसाधन समूह (डी.आर.जी.) तथा ब्लाक संसाधन समूह (बी.आर.जी.) का गठन किया गया। ब्लाक संसाधन समूह में नेहरू युवा केन्द्रों के स्वयं सेवकों, शिक्षकों, स्वयं सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं। बी.आर.जी. सदस्यों को प्रशिक्षण डायट स्तर पर प्रदान किया गया तथा इस अनुक्रम में बी.आर.जी. के सदस्यों ने ग्राम शिक्षा समितियों के लिए विकेन्द्रीकृत प्रशिक्षण आयोजित किया। ये प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये गये तथा ये निम्नांकित बिन्दुओं पर आधारित थे:-

1. प्रतिभागितापरक विश्लेषण और समस्या समाधान अभ्यास कार्य।
2. कौशल निर्माण अभ्यास कार्य।
3. समुदाय तथा ग्राम शिक्षा समिति के अभ्यासों का सफलतापूर्वक प्रस्तुतीकरण
4. प्रतिभागिता उपागम, रोल प्ले, केस स्टडी, क्षेत्र भ्रमण और सम्प्रेषण अभ्यास।

जनपद में ग्राम शिक्षा समितियों को अधिक क्रियाशील बनाने, विद्यालय की गतिविधियों में उनकी प्रतिभागिता को बढ़ाने तथा शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों में योगदान देने के लिए आयोजित इस प्रशिक्षण

में स्कूल मैपिंग तथा माइक्रोप्लानिंग अभ्यास भी किये गये तथा इसके आधार पर ग्राम शिक्षा योजनायें तैयार की गईं। ग्राम शिक्षा योजना विद्यालय स्तर पर संरक्षित की गई है तथा उनका क्रियान्वयन किया जाता है।

विद्यालय स्तर पर नियोजन, स्कूल न आने वाले बच्चों की पहचान तथा उनके स्कूल न आने के कारणों की पहचान के लिए सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण का कार्य किया गया है। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के दौरान 'ग्राम शिक्षा समिति - संकल्प एवं प्रयास' नामक माड्यूल तथा एक कार्य पुस्तिका का उपयोग किया गया है जिसमें सूक्ष्म नियोजन और विद्यालय मानचित्रण के विभिन्न प्रारूप संकलित हैं। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण तथा विद्यालय विकास योजना के निर्माण से विद्यालय के क्रियाकलापों में समुदाय की भागीदारी बढ़ी है, स्कूल के क्रियाकलापों का स्थानीय स्तर से पर्यवेक्षण में सुविधा हुई है तथा स्कूल न आने वाले बच्चों खासकर लड़कियों के नामांकन में लक्ष्य के अनुरूप वृद्धि हुई है।

किन्तु जहां तथा बच्चों की शिक्षा में परिवार के सहयोग का प्रश्न है, स्थिति संतोषप्रद नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में अधिकांश परिवार के प्रत्येक सदस्य छोटे से लेकर बड़े तक अपने जीविकोपार्जन कार्य में लगे रहते हैं प्रायः अशिक्षित होने के कारण बच्चों को शैक्षिक वातावरण नहीं दे पाते तथा विद्यालय के द्वारा दिये गये गृहकार्य में बच्चों को भी कोई सहयोग नहीं दे पाते।

शिक्षकों की स्थिति और मुद्दे :

गुणवत्ता विकास खासकर बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति स्तर में वृद्धि करने और कक्षा की प्रक्रिया में बदलाव लाने में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान कौशाम्बी (तत्कालीन) के नेतृत्व में 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत शिक्षक की क्षमता बढ़ाने, उनके विषयवस्तु-ज्ञान में अभिवृद्धि और शिक्षण कौशलों में अपेक्षित बदलाव लाने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनाई गई थी। बी.ई.पी. के पूर्व 'एस.ओ.पी.टी.' कार्यक्रम के दौरान जो कठिनाइयां अनुभव की गई थीं वे इस प्रकार हैं -

- प्रशिक्षण कार्यक्रम की विषयवस्तु शिक्षकों की अकादमिक आवश्यकताओं से सीधे जुड़ी हुई न होकर सभी शिक्षकों, चाहे वे जिस स्तर के हों, के लिए एक समान थी तथा कक्षा की वास्तविकताओं और प्रक्रियाओं से इसे जोड़ने में कठिनाई हुई।
- प्रशिक्षण में प्रतिवर्ष सभी शिक्षकों को शामिल नहीं किया जा सका वरन् सीमित संख्या में शिक्षकों को ही प्रशिक्षण प्रदान किया जा सका।
- प्रशिक्षण के उपरांत "फालोअप" खासकर विकासखंड और न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों को सहयोग प्रदान करने की व्यवस्था नहीं की जा सकी।

इन अनुभवों के आधार पर 'बेसिक शिक्षा परियोजना' के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के लिए प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किये गये। ये प्रशिक्षण सभी शिक्षकों- परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधानाध्यापकों, नवनियुक्त शिक्षकों के लिए आयोजित किये गये। डायट स्तर पर मार्स्टर ट्रेनर्स तथा संदर्भ व्यक्तियों का प्रशिक्षण आयोजित किया गया। विकास खंड स्तरीय इन प्रशिक्षणों का

पर्यवेक्षण और अनुश्रवण डायट सदस्यों द्वारा किया गया।

बेसिक शिक्षा परियोजना में दिये गये सेवारत शिक्षक-प्रशिक्षण का विवरण :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण शिक्षकों में शिक्षण की दक्षता एवं कौशलों का विकास करने हेतु दिये गये हैं। समय की बदलती हुई परिस्थितियों में यह आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों के परिवेश में तेजी से आने वाले परिवर्तन के अनुरूप अपने शिक्षण में उतना ही अधिक दक्ष और योग्य हो कि बच्चों को उतनी ही गति से शिक्षण दे सकें, जितनी गति से वह सीखना चाहते हैं।

इन प्रशिक्षणों का एक उद्देश्य यह भी रहा है कि कक्षा शिक्षण प्रभावी, रुचिपूर्ण एवं बाल केन्द्रित हो। शिक्षक प्रशिक्षण की प्रतिवर्ष व्यवस्था की गयी थी।

शिक्षकों की विभिन्न शैक्षिक समस्याओं का समाधान करने हेतु तथा शिक्षण की दक्षताओं एवं कौशलों का विकास करने हेतु विभिन्न सेवारत अध्यापक प्रशिक्षणों का आयोजन किया गया है। बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षणों के 5 चक्र आयोजित किये जा चुके हैं -

प्रथम चक्र

प्रथम चक्र में "प्रशिक्षण का उद्देश्य यह था कि शिक्षक बच्चों को सक्रिय करके शिक्षण कार्य कर। डायट में यह प्रशिक्षण 15 दिनों का था। इस प्रशिक्षण के निम्नांकित उद्देश्य थे -

1. शिक्षण-अधिगम की नवीनतम प्रभावकारी प्रविधियों की जानकारी प्राथमिक शिक्षकों को देना।
2. विद्यालय को आनन्ददायी शिक्षा केन्द्र के रूप में विकसित करने में शिक्षक सक्षम हो सकें।
3. स्कूली शिक्षा की तैयारी। नेतृत्व प्रशिक्षण, बहुकक्षा शिक्षण की विधियां तथा रणनीति।
4. विद्यालय के विकास में ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रोत्साहित करना।
5. स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री को शिक्षण सामग्री के रूप में प्रयुक्त करना।

यह प्रशिक्षण प्रधानाध्यापकों के लिए 10 दिवसीय तथा सहायक अध्यापकों के लिए 8 दिवसीय था।

प्रथम चक्र में बोधात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को विद्यालय परिवेश को आकर्षक बनाना, शिक्षण प्रक्रिया को सरस एवं रुचिकर बनाना, बच्चों में न्यूनतम अधिगम स्तर की दक्षताओं का विकास करना। स्थानीय परिवेश के अनुसार सहायक शिक्षण सामग्री के प्रयोग एवं स्कूली शिक्षा की तैयारी सम्बन्धित व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

प्रशिक्षण के दूसरे चक्र में अध्यापकों को दक्षता आधारित भाषा-शिक्षण का व्यावहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। भाषा की प्रमुख दक्षताएँ सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना का विकास किन शिक्षण विधियों द्वारा किया जाये, इसकी सम्यक् जानकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण के द्वारा दी गई। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बच्चों में स्वपठन की आदत का विकास, विषय सामग्री को पढ़कर समझ लेने की क्षमता का

(6)

विकास, भाषा की दक्षताओं में परिपक्वता, अवकाश के दिनों में खाली समय का सदुपयोग का अवसर प्राप्त कराने के उद्देश्य से प्रशिक्षण के तीसरे चक्र के माध्यम से अध्यापक को अनुपूरक अध्ययन सामग्री का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में इन्द्र धनुष भाग-1 से 5 द्वारा रंगीन चित्रों के माध्यम से रोचक कहानियाँ एवं बाल कविताओं को सरल शिक्षण विधियों के माध्यम से कक्षा-1 से 5 तक के बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने का व्यवहारिक ज्ञान प्रदान किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

गणित विषय को सरल एवं रुचिकर बनाकर बाल केन्द्रित विधियों द्वारा शिक्षण का ज्ञान प्रदान करने हेतु सेवारत अध्यापक प्रशिक्षण के चौथे चक्र में गणित प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में गणित के 5 अधिगम क्षेत्र क्रमशः संख्याओं एवं संख्याओं को समझना, जोड़ने-घटाने, गुण तथा भाग की मौलिक संक्रियाएँ, अन्तर्राष्ट्रीय अंको की पहचान, मुद्रा, लम्बाई, भार, धारिता, क्षेत्र तथा समय का मापन, भिन्न, दशमलव भिन्न, प्रतिशत तथा ज्यामितीय आकृतियों के शिक्षण को सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से रुचिकर शिक्षण विधियों द्वारा अध्यापकों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

पंचम चक्र :

इस प्रशिक्षण में निम्न बिन्दुओं पर बल दिया गया।

1. पर्यावरण में पायी जाने वाली विभिन्न वस्तुओं से छात्रों को परिचित कराना।
2. प्राकृतिक वातावरण के सन्तुलन के महत्त्व को समझना।
3. पर्यावरण प्रदूषित करने वाले कारणों की जानकारी देना।
4. सामाजिक वातावरण का ज्ञान कराना।
5. सामाजिक कुरीतियों के दोषों का ज्ञान कराना तथा दूर रहने के लिए प्रोत्साहित करना।
6. छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान देने पर अधिक बल
7. स्वयं सीखने पर बल
8. कहानी तथा गतिविधियों द्वारा शिक्षण पर बल
9. स्थानीय संसाधनों से शिक्षण में सहायक सामग्री का निर्माण तथा उपयोग
10. विज्ञान के सिद्धान्त तथा तथ्यों को प्रयोग द्वारा करके समझने पर बल

यह प्रशिक्षण 6 दिवसीय था।

बेसिक शिक्षा परियोजना में उच्च प्राथमिक स्तर पर अध्यापक प्रशिक्षण :

गणित प्रशिक्षण : गणित को सरल एवं सरस बनाने के लिए छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न हो सके एवं छात्र दैनिक जीवन में आने वाली कठिनाइयों का निवारण कर सकें। इस आशय से शिक्षकों को 8 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया।

उद्देश्य :

1. छात्रों में तार्किक एवं रचनात्मक शक्ति का विकास

2. छात्रों को गणित के नियमों से परिचित करना।
3. छात्रों में खोज प्रवृत्ति का विकास करना।
4. छात्रों में शुद्धता तथा शीघ्रता से कार्य करने का अभ्यास डालना।

यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय था।

विज्ञान प्रशिक्षण

उद्देश्य :

1. छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना।
2. अन्ध विश्वास को दूर करना तथा सत्य के प्रति निष्ठा उत्पन्न करना।
3. सामान्य ज्ञान की जिज्ञासा उत्पन्न करना।
4. छात्रों को स्वयं करके सीखने का अवसर दिया जाना।

यह प्रशिक्षण 8 दिवसीय था।

प्रशिक्षणों के संचालन की व्यवस्था और अनुश्रवण —

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत जनपद इलाहाबाद में बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. की स्थापना की गई। बी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक तथा एक सह समन्वयक और एन.पी.आर.सी. स्तर पर एक समन्वयक का चयन तथा पदस्थापन किया गया था जो कार्यरत शिक्षक ही हैं। इनको विभिन्न बिन्दुओं पर आयोजित प्रशिक्षण प्रदान किया गया—

1. बी.आर.सी. के कार्य तथा दायित्व संबंधी आधारभूत 5 दिवसीय प्रशिक्षण जो समर्थन मॉड्यूल पर आधारित था।
2. अकादमिक पर्यवेक्षण एवं सहयोग संबंधी तीन दिवसीय प्रशिक्षण।
3. ये प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये।

बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों, सह-समन्वयकों को उनके कार्य तथा दायित्वों के सम्बंध में पांच दिवसीय तथा अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में तीन दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किये गये। समन्वयकों द्वारा नियमित विद्यालय भ्रमण, आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण, विद्यालयों, एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. का उनके भौतिक-अकादमिक पक्षों के आधार पर श्रेणीकरण, एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक बैठकों में शिक्षकों की समस्याओं के समाधान, शिक्षण सामग्री मेलों का आयोजन आदि उपायों के माध्यम से नियमित गुणवत्ता अनुश्रवण कार्यक्रम संचालित किये गये।

समन्वयकों की भूमिका :

बी.आर.सी. द्वारा वर्तमान में प्रमुख रूप से निम्नांकित कार्य किये जा रहे हैं—

1. बी.आर.सी. संदर्भ केन्द्र के रूप में विकसित किया गया है जिसका उपयोग शिक्षक अपनी अकादमिक कठिनाइयों के समाधान हेतु करते हैं।
 - विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों का नियोजन, आयोजन और फालोअप
 - विद्यालय भ्रमण, मासिक बैठकों का आयोजन, कक्षाओं का अवलोकन और उन्हें फीडबैक प्रदान करते हैं।
 - वार्षिक कार्ययोजना तथा बजट का निर्माण कर उसका क्रियान्वयन करते हैं।

- शिशु शिक्षा केन्द्रों तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों का अनुश्रवण करते हैं।
- एन.पी.आर.सी. स्तरीय क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करते हैं।
- ई.एम.आई.एस. के आंकड़ों का संकलन।
- डायट के मार्गदर्शन में विकास खंड स्तरीय गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, सूक्ष्म नियोजन तथा शाला मानचित्रण, वातावरण सृजन आदि कार्यों का आयोजन करते हैं।

एन.पी.आर.सी. समन्वयकों की भूमिका—

संकुल स्तर पर शैक्षिक अकादमिक तथा पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के केन्द्रिक बिन्दु एन.पी.आर.सी. हैं। स्थानीय समुदाय को अभिप्रेरित करना, सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय मानचित्रण अभ्यास में ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण आयोजित करना, शिक्षकों के अनुभवों का परस्पर-विनिमय, स्कूल भ्रमण तथा शिक्षकों को सहयोग प्रदान करना आदि एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के प्रमुख कार्य हैं। इसके अतिरिक्त समन्वयकों द्वारा किये जाने वाले मुख्य कार्य निम्नवत् हैं—

1. शिक्षकों की मासिक बैठकों तथा कार्यशालाओं का आयोजन।
2. वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों तथा शिशु शिक्षा केन्द्रों का भ्रमण तथा पर्यवेक्षण करना।
3. स्कूल चलो अभियान, बालगणना तथा ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा टेस्ट चेकिंग।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहयोग से सूक्ष्म नियोजन तथा विद्यालय शिक्षण योजना का विकास करना।
5. बी.आर.सी. को सहयोग प्रदान करना, मासिक बैठकों में प्रतिभाग तथा सूचनाओं का आदान प्रदान।
6. कार्यों तथा कार्यक्रमों की रिपोर्ट तैयार कर बी.आर.सी. तथा डायट को भेजना।

टी.एल.एम. तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास :

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत प्राथमिक कक्षाओं हेतु हिन्दी भाषा की अनुपूरक अध्ययन सामग्री के रूप में "इन्द्रधनुष" नाम की पाँच पुस्तकों (5 कक्षाओं हेतु) का विकास किया गया जिनका उद्देश्य बच्चों में भाषा अध्ययन के प्रति रुचि जागृत करना तथा उनकी भाषिक क्षमता का विकास करना था। इन पाठ्यपुस्तकों का विकास राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा लेखकों, शिक्षकों, विशेषज्ञों तथा चित्रकारों की सहायता से सहभागितापरक प्रक्रिया के अन्तर्गत किया गया तथा मुद्रण के उपरान्त ये प्राथमिक विद्यालयों को वितरित की गई। इसके अतिरिक्त सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण का एक चक्र मूलतः अनुपूरक अध्ययन सामग्री के समुचित उपयोग पर केन्द्रित कर आयोजित किया गया था।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से रु० 500/- की धनराशि शिक्षक अनुदान के रूप में उपलब्ध कराई गई थी। इस धनराशि के समुचित उपयोग हेतु तथा शिक्षकों में पाठ्यवस्तु आधारित शिक्षण सामग्री के विकास के संदर्भ में अभिमुखीकरण हेतु एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. तथा जनपद स्तर पर मेटेरियल मेलों का आयोजन किया गया जिसके बेहतर परिणाम सामने आये तथा कक्षा-कक्ष में शिक्षण के दौरान संबंधित शिक्षण सामग्री के उपयोग को बढ़ावा मिला।

एक्शन रिसर्च :

एक्शन रिसर्च की दृष्टि से जनपद, विकासखण्ड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तर पर क्षमता विकास हेतु सीमेट, इलाहाबाद द्वारा शिक्षकों तथा डायट अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया गया। जिसके फलस्वरूप शिक्षकों की स्थानीय शैक्षिक समस्याओं को केन्द्र में रखकर एक्शन रिसर्च का कार्य किया गया तथा प्राप्त परिणामों का उपयोग कक्षा-कक्ष की प्रक्रिया, स्कूल स्तरीय समस्याओं के समाधान तथा स्कूलों को अधिक आकर्षक बनाने में किया गया।

इन प्रशिक्षणों का कक्षा में प्रभाव :

प्राथमिक स्तर पर प्राथमिक शिक्षकों के शिक्षण-कौशल में दक्षता लाने हेतु उनको प्राथमिक कक्षाओं की भाषा, गणित, अनुपूरक अध्ययन सामग्री और पर्यावरणीय प्रशिक्षण दिया गया। इसके साथ ही अन्य प्रशिक्षण जैसे सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण, शैक्षिक मापन एवं मूल्यांकन विषयों से सम्बन्धित प्रशिक्षण का प्रभाव अध्यापकों के क्रियाकलापों में दिखाई पड़ा। बाल केन्द्रित शिक्षण पर शत-प्रतिशत अध्यापक बल दे रहे हैं। समूह में गतिविधि आधारित शिक्षण का प्रयास अध्यापक कर रहे हैं, समूह में गतिविधि सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग 50 प्रतिशत अध्यापक कर रहे हैं। शिक्षक द्वारा क्रियाओं का प्रदर्शन विद्यार्थी के सीखने में सहयोग प्रदान कर रहा है। छात्रों में सक्रियता दिखायी पड़ रही है।

उच्च प्राथमिक स्तर के अध्यापकों को भी गणित एवं विज्ञान विषयों का प्रशिक्षण दिया गया। विज्ञान एवं गणित किट के उपकरणों के प्रयोग की जानकारी दी गयी। अधिकांश विद्यालयों में अध्यापकों ने गणित एवं विज्ञान किट के उपकरणों का प्रयोग करके कक्षा शिक्षण को प्रभावी बनाया है। छात्रों ने भी उन सामग्रियों का निर्माण परिवेश से प्राप्त सामग्री द्वारा किया। कक्षा में छात्रों की सक्रियता पूर्व की अपेक्षा अधिक दिखायी दे रही है। अध्यापक कठिन सम्बोधों को सरल से सरल ढंग से गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा बच्चों को पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। किन्तु प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षणोपरान्त दिक्कतें देखने को मिलती हैं।

प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम को क्रिया आधारित/गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा पूरा करने में अधिक समय लगता है। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने के मय से कुछ अध्यापक परम्परागत ढंग से शिक्षण करते हैं। पाठ योजना की तैयारी न होने के कारण कुछ अध्यापक विद्यालयों में प्रभावी शिक्षण नहीं कर पाते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षण का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है लेकिन जनपद में लगभग 40 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहाँ 1 या 2 ही अध्यापक कार्यरत हैं। अतः ऐसे विद्यालयों में विषयों के विशेषज्ञ अध्यापकों के अभाव में प्रभावी शिक्षण में कठिनाई देखी गयी है।

डायट के निर्देशन में शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन विकास खंड स्तर पर तथा ग्राम शिक्षा समितियों का प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर किया गया था। शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करने के लिए जिन संदर्भ व्यक्तियों का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया गया वे मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे। शिक्षक प्रशिक्षणों के विशद अनुभव में दो कठिनाई बिन्दुओं का उल्लेख ध्यान देने योग्य है—

1. प्रशिक्षक मुख्यतः अवकाश प्राप्त शिक्षा अभिकर्मी थे इसलिए प्रशिक्षणों के दौरान शिक्षकों की पृच्छाओं का समाधान तथा प्रशिक्षण को कक्षा, पाठ्यपुस्तकों तथा पाठ्यक्रम से जोड़ने में कठिनाई हुई।

2. शिक्षक प्रशिक्षण पैकेज में प्रशिक्षण के फालोअप की रणनीति तथा कार्ययोजना सम्मिलित न होने से प्रशिक्षण का समुचित फालोअप नहीं किया जा सका कि प्रशिक्षण के दौरान बताये गये कौशलों, रणनीतियों और शिक्षण विधाओं का किस सीमा तक कक्षा में उपयोग किया जा रहा है।

शैक्षिक योग्यता :

जनपद में कार्यरत शिक्षकों की शैक्षिक योग्यता व अनुभव की स्थिति इस प्रकार है।

सारणी - 1

परिषदीय शिक्षकों की योग्यता व अनुभव का विवरण

| | | प्राथमिक स्तर के शिक्षक | उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षक |
|-----|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| 1. | शिक्षकों की कुल संख्या | 4900 | 1431 |
| 2. | हाईस्कूल से कम योग्यताधारी शिक्षक | 198 | 06 |
| 3. | केवल हाईस्कूल उत्तीर्ण | 840 | 35 |
| 4. | केवल इण्टर उत्तीर्ण अप्रशिक्षित | 41 | |
| 5. | स्नातक अप्रशिक्षित | 27 | |
| 6. | (क) विज्ञान शिक्षक | 156 | 331 |
| | (ख) संस्कृत शिक्षक / उर्दू शिक्षक | 470 | 366 |
| 7. | परास्नातक अप्रशिक्षित | | |
| 8. | इन्टरमीडिएट एवं प्रशिक्षित | 1913 | 318 |
| 9. | स्नातक एवं प्रशिक्षित | 1042 | 240 |
| 10. | परास्नातक एवं प्रशिक्षित | 213 | 135 |

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 'स्नातक' तथा 'प्रशिक्षित' (बी.टी.सी. अथवा समकक्ष) होना आवश्यक है। उपर्युक्त सारिणी से स्पष्ट है कि जनपद के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से 22.57 प्रतिशत शिक्षक निर्धारित शैक्षिक योग्यता नहीं रखते।

उच्च प्राथमिक विद्यालय में हाईस्कूल / इण्टर एवं स्नातक अप्रशिक्षित कार्यरत अध्यापकों की संख्या 2.87 प्रतिशत है, जबकि इन्टर प्रशिक्षित 70.93 प्रतिशत स्नातक प्रशिक्षित 17.0 प्रतिशत एवं परास्नातक प्रशिक्षित 9.20 अध्यापक कार्यरत हैं। विगत कई वर्षों से बी.टी.सी. प्रशिक्षण की निर्धारित योग्यता स्नातक कर दी गयी है जबकि ऑकड़ों से ज्ञात होता है कि लगभग 73.79 प्रतिशत कार्यरत अध्यापक या तो इन्टरमीडिएट प्रशिक्षित हैं या तो इससे कम योग्यता के लोग कार्यरत हैं। इसलिए इस प्रकार के अध्यापकों को उच्च प्राथमिक स्तर के सभी विषयों का प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है।

शिक्षकों का शिक्षण अनुभव :

जनपद में शिक्षण अनुभवों के आधार पर शिक्षकों की स्थिति निम्न प्रकार -

सारणी 2

| शिक्षण अनुभव | प्राथमिक विद्यालय में | उच्च प्राथमिक विद्यालय में |
|--------------------------|-----------------------|----------------------------|
| 1. 5 वर्ष से कम | 1470 | 208 |
| 2. 5 वर्ष से 10 वर्ष तक | 592 | 213 |
| 3. 10 वर्ष से 15 वर्ष तक | 213 | 149 |
| 4. 15 वर्ष से 20 वर्ष तक | 233 | 223 |
| 5. 20 वर्ष से 25 वर्ष तक | 330 | 185 |
| 6. 25 वर्ष से 30 वर्ष तक | 1602 | 187 |
| 7. 30 वर्ष से अधिक | 470 | 260 |

स्रोत : कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

उपर्युक्त सारिणी शिक्षण अनुभव के आधार पर शिक्षकों की स्थिति दर्शाती है। निरीक्षण के दौरान यह देखा गया कि जो अध्यापक 20 वर्ष से अधिक समय से शिक्षण कार्य कर रहे हैं वे परम्परागत विधि से शिक्षण कार्य करते हैं। नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी होने पर भी वे अभ्यास के कारण शिक्षण कार्य को नवीन विधा से नहीं करना चाहते हैं। इसके वितरीत नये अध्यापक बाल केंद्रित शिक्षा पर ध्यान देते हैं और कक्षा में गतिविधि आधारित शिक्षण करते हैं। अधिक समय से कार्यरत शिक्षकों को नवीन शिक्षण विधियों की जानकारी हेतु प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षकों का पदस्थापन :

जनपद इलाहाबाद में कुछ परिषदीय विद्यालयों में बच्चों की संख्या तथा संचालित कक्षाओं के अनुपात में शिक्षक पदस्थापित नहीं है। निम्नलिखित सारणी जनपद में शिक्षकों परिषदीय संख्या के अनुसार प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों की स्थिति दर्शाती है -

सारणी - 3

| एकल शिक्षक विद्यालयों की संख्या | दो शिक्षक विद्यालयों की संख्या | तीन शिक्षक विद्यालयों की संख्या | चार शिक्षक विद्यालयों की संख्या | पांच शिक्षक विद्यालयों की संख्या |
|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| प्राथमिक विद्यालय 105 | 840 | 531 | 230 | 102 |
| उच्च प्राथमिक 12 | 45 | 102 | 127 | 80 |

स्रोत : बेसिक शिक्षा अधिकारी, इलाहाबाद ।

उपर्युक्त सारणी से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तरीय लगभग 5.8 प्रतिशत एकल शिक्षक विद्यालय तथा लगभग 46.46 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं, जहाँ दो ही शिक्षक कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर भी ऐसे विद्यालयों की संख्या काफी अधिक है। जहाँ प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध नहीं है। अतः ऐसे विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से समय प्रबन्धन, कक्षा प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन तथा शिक्षण विधियों का प्रशिक्षण दिये जाने की आवश्यकता है।

प्रोत्साहन योजनाएँ :

प्राथमिक विद्यालय में छात्रों के नामांकन एवं ठहराव के लिए सरकार द्वारा अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति की व्यवस्था की गयी है। जनपद के 14 वर्ष तक के आयु के समस्त बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के बालकों तथा सभी बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायी गई हैं। जिसके फलस्वरूप छात्रों के नामांकन में वृद्धि हुई है। बच्चों के लिए पोषाहार कार्यक्रम चलाया गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धन अभिभावकों को भी सहारा मिला।

वी.ई.सी. के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय के विकास में सहयोग देने वाली ग्राम शिक्षा समिति को क्रमशः 15000 एवं 10000 के प्रथम एवं द्वितीय पुरस्कार निर्धारित किये गये थे। जिसके कारण अन्य ग्राम शिक्षा समितियों में नई चेतना जागृत हुई है।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतिम वर्ष में जनपद में प्राथमिक कक्षाओं में अध्ययनरत समस्त बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें वितरित की गई थीं तथा इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1.60 लाख छात्र-छात्राएँ लाभान्वित हुईं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय को बुक बैंक हेतु भी निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के प्रत्येक के 10 सेट उपलब्ध कराये गये थे जिनका उपयोग विद्यालय के अन्य छात्र-छात्राओं द्वारा किया जाता है। इससे कक्षा में शिक्षण के दौरान प्रत्येक बच्चे के पास पाठ्यपुस्तकों की उपलब्धता सुनिश्चित हुई है तथा शिक्षण प्रक्रिया बेहतर हुई है।

शैक्षिक सम्प्राप्ति के अनुसार बच्चों का स्तर

बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत बच्चों की शैक्षिक उपलब्धि ज्ञात करने के लिए कक्षा-2 एवं कक्षा-5 के बच्चों का भाषा एवं गणित में परीक्षण किया गया। प्रथम सर्वेक्षण जिसे आधारभूत सर्वेक्षण कहते हैं, 1992-93 में किया गया। मध्यावधि मूल्यांकन जुलाई 1996 में और अन्तिम मूल्यांकन अगस्त 2000 में निर्धारित विधि से चयनित विद्यालयों में किया गया। जनपद में एस.सी.ई. आर.टी. द्वारा वर्ष 2000 में किये गये बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति के अन्तिम मूल्यांकन के आधार पर जनपद की स्थिति इस प्रकार है-

सारणी 4 : कक्षा 2 एवं 5 में भाषा तथा गणित की मध्यमान उपलब्धि

| कक्षाएं | भाषा | | | गणित | | |
|---------|------|-------|-------|------|-------|-------|
| | N | M | SD | N | M | SD |
| कक्षा 2 | 673 | 83.35 | 13.81 | 673 | 87.94 | 10.77 |
| कक्षा 5 | 830 | 91.73 | 3.82 | 830 | 92.56 | 4.56 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

(13)

सारणी संख्या 4 में भाषा तथा गणित विषयों की कक्षा 2 एवं कक्षा 5 में मध्यमान उपलब्धि एवं मानक विचलन दर्शाये गये हैं। कक्षा 2 भाषा में औसत उपलब्धि 83.35 प्रतिशत तथा मानक विचलन 13.81 है जबकि कक्षा 2 गणित में औसत उपलब्धि 87.94 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.77 है। सारणी 1 यह भी दर्शाती है कि कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि 91.73 प्रतिशत है जबकि मानक विचलन मात्र 3.82 है इसी प्रकार कक्षा 5 गणित में मध्यमान 92.56 प्रतिशत एवं मानक विचलन 4.56 है। कक्षा 5 में दोनों ही विषयों भाषा एवं गणित में मानक विचलन का कम होना यह दर्शाता है कि सभी छात्र लगभग समान स्तर के हैं।

सारणी 5 : कक्षा 2 में भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

| कक्षाएं | भाषा | | | गणित | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | 376 | 83.2 | 14.3 | 297 | 83.6 | 13.2 |
| गणित | | 88.4 | 10.4 | | 87.4 | 11.2 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी संख्या 5 यह दर्शाती है कि कक्षा 2 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 83.2 प्रतिशत है जबकि गणित में यह उपलब्धि 88.4 प्रतिशत है।

कक्षा 2 भाषा एवं गणित में बालिकाओं की उपलब्धि भी बालकों के सापेक्ष लगभग समानता पर है। भाषा में बालिकाओं की औसत उपलब्धि 88.4 प्रतिशत तथा गणित में 87.4 प्रतिशत है।

सारणी 5क : कक्षा 5 भाषा तथा गणित में लिंगवार मध्यमान उपलब्धि

| कक्षाएं | भाषा | | | गणित | | |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|
| | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | 474 | 91.7 | 3.8 | 356 | 91.8 | 3.9 |
| गणित | | 92.8 | 4.7 | | 92.3 | 4.3 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5क प्रदर्शित करती है कक्षा 5 भाषा में बालकों की औसत उपलब्धि 91.7 प्रतिशत जबकि गणित में 92.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार लगभग बालकों के समान ही बालिकाओं की औसत उपलब्धि भाषा में 91.8 प्रतिशत तथा गणित में 92.3 प्रतिशत है। इससे यह स्पष्ट होता है कि बालक एवं बालिकाओं की उपलब्धि भाषा एवं गणित में समान है।

सारणी 5ख : कक्षा 2 भाषा तथा गणित में वर्गवार मध्यमान उपलब्धि

| कक्षाएं | भाषा | | | गणित | | |
|---------|------|------|------|------|------|------|
| | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | 255 | 84.3 | 13.7 | 418 | 82.8 | 13.9 |
| गणित | | 88.2 | 10.7 | | 88.1 | 11.1 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5ख दर्शाती है कक्षा 2 भाषा में अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों की औसत उपलब्धि 84.3 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग में यह 82.8 प्रतिशत है। इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति बालकों की औसत उपलब्धि 88.2 प्रतिशत एवं मानक विचलन 10.4 है और अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 88.1 प्रतिशत एवं मानक विचलन 11.1 है।

सारणी 5ग : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में वर्गवार औसत उपलब्धि

| कक्षाएं | भाषा | | | गणित | | |
|---------|------|------|-----|------|------|-----|
| | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | | 81.2 | 6.1 | | 82.1 | 9.1 |
| गणित | 305 | 92.7 | 4.2 | 268 | 92.3 | 4.6 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5ग प्रदर्शित करती है कि अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की कक्षा 5 भाषा में औसत उपलब्धि अन्य वर्ग के बालकों के लगभग समान है। अनुसूचित जाति/जनजाति की बालकों की भाषा में औसत उपलब्धि 81.2 प्रतिशत है जबकि अन्य वर्ग के बालकों की उपलब्धि 82.1 प्रतिशत है। कक्षा 5 गणित में अनुसूचित जाति/जनजाति के बालकों की औसत उपलब्धि 92.7 प्रतिशत एवं अन्य वर्ग के बालकों की औसत उपलब्धि 92.3 प्रतिशत है।

सारणी 5घ : कक्षा 2 भाषा एवं गणित में आधारभूत, मध्यावधि एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में उपलब्धि

| | आधारभूत सर्वेक्षण | | | मध्यावधि सर्वेक्षण | | | अन्तिम मूल्यांकन | | |
|------|-------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|------------------|-------|-------|
| | N | M | SD | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | 602 | 57.70 | 31.25 | 645 | 50.70 | 27.80 | 673 | 83.35 | 13.81 |
| गणित | 602 | 43.64 | 30.21 | 645 | 46.00 | 27.50 | 673 | 87.94 | 10.77 |

स्रोत : एफ. ए. एस. 2000

सारणी 5घ दर्शाती है कि कक्षा भाषा में अन्तिम मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 83.35 प्रतिशत रही जबकि यह मध्यावधि में 50.70 तथा आधारभूत सर्वेक्षण में 57.70 प्रतिशत थी इसी प्रकार कक्षा 2 गणित में भी अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में बालकों की औसत उपलब्धि 87.94 प्रतिशत प्राप्त हुई जबकि यह आधारभूत सर्वेक्षण में 43.64 प्रतिशत तथा मध्यावधि सर्वेक्षण मूल्यांकन में औसत उपलब्धि 46 प्रतिशत रही। उपर्युक्त सारणी 6 से यह स्पष्ट होता है कि कक्षा 2 भाषा एवं गणित में मध्यावधि एवं आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण की तुलना में अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में सार्थक बढ़ोतरी हुई जो उद्देश्यानुसार 50 प्रतिशत से भी अधिक रही।

सारणी 5च : कक्षा 5 भाषा एवं गणित में आधारभूत सर्वेक्षण, मध्यावधि सर्वेक्षण तथा अन्तिम सर्वेक्षण में उपलब्धि

| | आधारभूत सर्वेक्षण | | | मध्यावधि सर्वेक्षण | | | अन्तिम मूल्यांकन | | |
|------|-------------------|-------|-------|--------------------|-------|-------|------------------|-------|------|
| | N | M | SD | N | M | SD | N | M | SD |
| भाषा | 745 | 40.6 | 12.36 | 614 | 44.04 | 8.64 | 830 | 91.73 | 3.82 |
| गणित | 745 | 32.13 | 12.62 | 614 | 33.90 | 10.93 | 830 | 92.56 | 4.56 |

सारणी 5च प्रदर्शित करती है कि कक्षा 5 भाषा में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में जहाँ बच्चों की औसत उपलब्धि मात्र 40.6 प्रतिशत थी वही मध्यावधि में यह बढ़कर 44.04 प्रतिशत एवं अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में 91.73 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार गणित में आधारभूत मूल्यांकन सर्वेक्षण में औसत उपलब्धि 32.13 प्रतिशत से बढ़कर मध्यावधि में 33.90 प्रतिशत तथा अन्तिम मूल्यांकन सर्वेक्षण में यह

बढ़कर 92.56 प्रतिशत रही।

सामान्य निष्कर्ष :

बी.ए.एस. और एम.एस. की अपेक्षा एफ.ए.एस. में कक्षा दो एवं कक्षा पाँच के भाषा एवं गणित की उपलब्धि में अशांति वृद्धि है। इन दोनों कक्षाओं के बच्चों के भाषा और गणित के मध्यमानों का प्रतिशत भी लगभग सामान्य है। इससे पता चलता है कि भाषा और गणित जो प्राथमिक शिक्षा के मुख्य विषय हैं, दोनों में बच्चों ने समान रूप से योग्यता प्राप्त की है।

विद्यालयों में जाति और लिंग के अधार पर अन्तर कम हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के बच्चों का प्रवेश बढ़ा है। इसी प्रकार बालिकाओं की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई है। वर्गवार और लिंगवार भाषा और गणित की उपलब्धि भी लगभग समान हैं। 85 प्रतिशत बच्चे दक्षता को प्राप्त कर लिए हैं, 15 प्रतिशत बच्चे दक्षता प्राप्ति की ओर अग्रसर हैं।

'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी' के आधार पर प्रमुख निष्कर्ष

ए स्टडी ऑफ क्लासरूम प्रोसेसेज, सीमेट, 1998-99 तथा 'क्लासरूम ऑब्जरवेशन स्टडी, एस0सी0ई0आर0टी0 (2000) के आधार पर जनपद में निम्नांकित निष्कर्ष उल्लेखनीय हैं—

- 1— सर्वेक्षण की तिथि को 95 प्रतिशत अध्यापक उपस्थित पाये गये। इनमें से लगभग 70 प्रतिशत अध्यापक क्रिया आधारित शिक्षा एवं सहायक सामग्री का प्रयोग करते पाये गये। कक्षा में शिक्षक मार्गदर्शक के रूप में कार्य कर रहा है। बालक पठन-पाठन कार्य में रुचि ले रहे थे। शिक्षक समय से उपस्थित पाये गये। कक्षा-कक्ष में बैठने की व्यवस्था में शिक्षक मेधावी छात्रों को पीछे और कमजोर छात्रों को आगे बैठाते हैं। विशेषकर बालिकाओं को आगे की पंक्ति में बैठाया जाता है।
- 2— इस व्यवस्था में कमजोर बच्चे लाभान्वित थे। शिक्षक कठिन शब्दों का निराकरण पूछकर श्यामपट्ट पर लिखता है। पठन-पाठन को समूह में बारी-बारी पढ़ाते हैं। मेधावी बच्चों के सहयोग से समूह में उच्चारण दोष का निराकरण करते हैं तथा शिक्षक स्वयं भी उच्चारण करते हैं। गतिविधि आधारित शिक्षण पर ध्यान रखते हैं। प्रश्नोत्तर एवं अनुपूरक अध्ययन सामग्री का भी प्रयोग किया जाता है। अधिकतर बाजार से बनी हुई सामग्री का प्रयोग हो रहा है। कुशल अध्यापक ही केवल स्व निर्मित सामग्री का प्रयोग अपने शिक्षण कार्य में कर रहे हैं। कुछ विद्यालयों के अध्यापक शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

'ए स्टडी आफ क्लासरूम प्रोसेस सीमेट, 1998-99 तथा 'क्लासरूम आब्जरवेशन स्टडी', एस0सी0 ई0 आर0 टी0 (2000) अध्ययन के निम्नांकित निष्कर्ष प्राप्त हुये हैं—

1. सेवापूर्व एवं सेवारत दोनों प्रकार के प्रशिक्षणों में क्लासरूम प्रक्रिया की जानकारी स्पष्ट की जानी चाहिये।
2. शिक्षकों के विषय ज्ञान का विस्तार ही काफी नहीं है बल्कि शैक्षिक सत्र के आरम्भ में ही शिक्षकों को शैक्षिक तकनीकों एवं आधुनिक सूचना तकनीकों से अवगत कराया जाना चाहिये।
3. प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को बी0आर0सी0 स्तर पर सूचना तकनीक के उपयोग हेतु प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये।
4. सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया को लागू करने के लिये विभिन्न प्रकार के परीक्षणों की

- डिजाइनिंग के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाय। परीक्षाओं को विश्वसनीय बनाने के लिये निर्धारित विधियों की जानकारी शिक्षकों को दिया जाना चाहिये।
5. क्लासरूम की प्रक्रिया में सुधार लाने के लिये शिक्षकों को बी०आर०सी० स्तर पर 6 सं० 10 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये और उन्हें एक्शन रिसर्च की रणनीति बनाने हेतु जानकारी देना आवश्यक है।
 6. शिक्षकों एवं बच्चों को सक्रियता प्रदान करने के उद्देश्य से डायट, एन०जी०ओ० और शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक शिक्षण सामग्री एवं अनुपूरक साहित्य का विकास किया जाना चाहिये।
 7. विद्यालयों के सामाजिक रूप से अपवंचित एवं अकादमिक रूप से पिछड़े हुये बच्चों की देखभाल करने के लिये बी०आर०सी० एवं एन०पी०आर०सी० स्तर पर विशेष प्रकोष्ठ बनाने की आवश्यकता है।
 8. शिक्षकों एवं बच्चों की शत-प्रतिशत उपस्थिति को सुनिश्चित करने एवं पाठ्य सहगामी क्रियाओं को प्रोत्साहित करने के लिये विद्यालय स्तर पर गहन पर्यवेक्षण की आवश्यकता है।
 9. विद्यालय के अकादमिक, सामाजिक व अन्य परिणामों को जानने के लिये हर दूसरे वर्ष मूल्यांकन करके अच्छे परिणाम वाले विद्यालयों को पुरस्कार एवं अन्य प्रकार का प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये। इसके लिये जिला स्तर के प्राधिकारी के सहयोग से डायट स्तर पर योजना निर्माण की आवश्यकता है।
 10. शिक्षण में प्रयोग हेतु सहायक सामग्री के निर्माण एवं अन्य दृश्य-श्रव्य उपकरणों के प्रयोग बढ़ावा देने के लिये एन०पी०आर०सी० स्तर पर उचित निर्देश दिया जाना चाहिये। इस प्रकार शिक्षण में सुधार लाने वाले शिक्षकों की पहचान करके उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

जनपद में विशेष बच्चों के बारे में :

जनपद की शहरी मलिन बस्तियों में बच्चे हैं और बालश्रमिक भी हैं। बाल श्रमिकों का जीवन गरीबी के शिकंजों से जकड़ा रहता है। जिनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर होते हैं, क्योंकि इनके पास आय के स्रोत नहीं होते हैं। धनाभाव में भी माता-पिता अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और विद्यालय में प्रवेश कराते हैं। किन्तु परिस्थितिवश घर के काम में अथवा बाहर के काम में बच्चे को लगा देते हैं। जिससे उनको आर्थिक लाभ होने लगता है। शहरी मलिन बस्तियों में रहने वाले बच्चे अपने जीविकोपार्जन के लिए कूड़े कचरे से पालिथिन की थैली आदि सामग्रियों को बटोर कर विक्रय कार्य में लगे रहते हैं। जनपद के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां बच्चे कठिन स्थितियों में बालश्रमिक के रूप में कर्म करते हैं अथवा मातापिता के साथ 'खदानों' के आसपास रहते हैं। पत्थर खदानों के पास स्थित बच्चों तथा बीड़ी बनाने के काम में लगे हुए बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करनी है।

बाल श्रमिकों तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक शिक्षा व्यवस्था से जोड़ना कठिन है अतः इन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है। ये बच्चे प्राथमिक विद्यालयों

की निर्धारित समय—सारिणी के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ रहते हैं और इनके पास समय कम होता है। साथ ही ये बच्चे औपचारिक स्कूल की कक्षा में प्रवेश लेने की उम्र (6 वर्ष) को भी प्रायः पार कर जाते हैं अतः इनका प्रवेश कक्षा 1 के बजाय इनके स्तर के अनुरूप कक्षा में कराना ही उपयुक्त होगा। बाल श्रमिक तथा मलिन बस्तियों में रहने वाले ऐसे बच्चों को औपचारिक पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि 8 वर्ष पूर्ण कराने के स्थान पर कम अवधि के पाठ्यक्रम और तदनुरूप शिक्षण सामग्री विकसित करने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त इन बच्चों को जीवनोपयोगी कौशलों और कार्यानुभव की शिक्षा देना भी उपयुक्त होगा।

डायट के प्रवक्ताओं के द्वारा प्रत्येक माह अपने आवंटित विकास खण्डों में निरीक्षण तथा अनुश्रवण और क्लासरूम आब्जर्वेशन स्टडी 1998 तथा 2000 से शिक्षकों की अकादमिक समस्याएं ज्ञात हुई—

लम्बे समय से शिक्षण करने वाले अध्यापक नवीन शिक्षण विद्या को मानसिक रूप से स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। परम्परागत ढंग से ही शिक्षण कार्य करने में विश्वास करते हैं। कुछ अध्यापक अपनी शैक्षिक योग्यता की कमी के कारण तथा नवीन पाठ्य पुस्तक के विषय वस्तु को ज्ञान के अभाव में बच्चों की सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। अध्यापकों का कहना है कि नयी विद्या से शिक्षण कार्य करने पर पाठ्यक्रम को पूरा नहीं किया जा सकता। उच्च प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक का मानना है कि प्राथमिक विद्यालय से प्रवेश लेने वाले बच्चे सभी विषयों में न्यूनतम अधिगम स्तर के मानक को पूर्ण नहीं कर पाते हैं।

एस. एस. ए. के अन्तर्गत प्रस्तावित आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण

सर्वशिक्षा अभियान गुणवत्तापरक प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण का अत्यंत महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है। जनपद इलाहाबाद में 6-14 वयवर्ग के सभी बालक-बालिकाओं को वर्ष 2010 तक जीवनोपयोगी तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है जिसे स्कूली शिक्षा व्यवस्था में गुणात्मक परिवर्तन करके तथा समुदाय की भागीदारी सहित प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने की रणनीति के द्वारा प्राप्त किया जायेगा। कार्यक्रम के लक्ष्य इस प्रकार हैं—

1. 6-14 वय वर्ग के सभी बच्चों को स्कूल, ई.जी.एस. केन्द्र, वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों में लाया जायेगा।
2. सभी बच्चे पांच वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2007 तक प्राप्त कर लिया जायेगा।
3. सभी बच्चे आठ वर्ष की शिक्षा पूरी करें, यह लक्ष्य वर्ष 2010 तक प्राप्त किया जायेगा।
4. गुणवत्तापरक शिक्षा जो जीवनोपयोगी कौशलों पर बल देती हो, प्रदान की जायेगी।
5. प्राथमिक स्तर पर बालक-बालिकाओं, समुदायों और समूहों के मध्य अंतर को 2007 तक तथा समग्र प्रारंभिक स्तर पर 2010 तक समाप्त कर लिया जायेगा।
6. लक्ष्य समूह (6-14) के सभी बच्चों का स्कूल में ठहराव का लक्ष्य 2010 तक सुनिश्चित किया जायेगा।

इन लक्ष्यों की प्राप्ति में शिक्षक तथा बेहतर शिक्षण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्वप्रथम गुणात्मक परिवर्तन के लिए जनपद का एक 'विजन' विकसित किया जायेगा जिसमें जनपद—विकासखंड, न्याय पंचायत तथा स्कूल स्तरीय अभिकर्मियों की भागीदारी होगी। इस हेतु 4 दिवसीय वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। सर्वप्रथम जनपद स्तरीय अभिकर्मियों यथा डायट के संकाय सदस्यों, जिला परियोजना कार्यालय के कर्मियों, विकासखण्ड तथा न्याय पंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के

लिए डायट स्तर पर वीजनिंग कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी जिनमें मुख्यतः सर्व शिक्षा अभियान के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों, बच्चों की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों, शिक्षकों, विद्यालयों तथा कक्षा-कक्षों की प्रक्रिया की वर्तमान स्थिति तथा उसमें बदलाव के लक्ष्यों को दृष्टिगत रखते हुए सहभागिता आधारित निष्कर्ष और सहमतियाँ तय की जायेंगी। इन कार्यशालाओं का उद्देश्य होगा कि परियोजना के अंतर्गत समस्त स्तरीय अभिकर्मियों में परिवर्तन के लक्ष्यों के प्रति समान विचार-अवधारणाएं बन सकें। शिक्षकों के लिए भी वीजनिंग कार्यशालाओं का आयोजन न्याय पंचायत स्तर पर किया जायेगा।

कार्यरत शिक्षकों की दक्षता तथा उनके शिक्षण कौशल में अभिवृद्धि, उनके विषय ज्ञान को बढ़ाने के लिए शिक्षक-प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे। सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण वर्ष में एक बार आयोजित करने की रणनीति के स्थान पर सेवारत प्रशिक्षणों को सतत प्रक्रिया के रूप में संचालित किया जायेगा। शिक्षक प्रशिक्षणों का इस प्रकार शृंखलाबद्ध नियोजन किया जायेगा कि प्रशिक्षण का एक प्रमुख भाग बी.आर.सी. स्तर पर 6-8 दिवसों की अवधि के लिए तथा इसके अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं बी.आर.सी. और मुख्यतः एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। प्रशिक्षण की यह कार्ययोजना शिक्षकों के लिए नियमित आधार पर अभिमुखीकरण में सहायक सिद्ध होगी।

बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण अनुभवों, वर्तमान में अनुभूत आवश्यकताओं यथा : बहुकक्षा-बहुस्तरीय शिक्षण प्रविधियों की जानकारी, वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाना, प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं के लिए विकसित नवीन पाठ्यक्रम और पाठ्यवस्तुओं के बेहतर और प्रभावी उपयोग आदि के आलोक में ये सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे।

प्राथमिक शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण-

प्रथम वर्ष में पाठ्यपुस्तको पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्राथमिक विद्यालयों के सभी सहायक, प्रधान अध्यापकों और शिक्षानिर्वाहकों को प्रदान किया जायेगा। इस आठ दिवसीय प्रशिक्षण के उपरांत इसी के अनुक्रम में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी। जिनका विवरण इस प्रकार है-

1. वीजनिंग कार्यशालाएं- 3 दिवसीय - एन.पी.आर.सी. स्तर पर
2. बहुकक्षा शिक्षण की दृष्टि से पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु एक-एक दिवसीय तीन कार्यशालाएं-एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी।
3. मैटीरियल मेला - एक दिवसीय - एन.पी.आर.सी. स्तर पर
4. विकासखण्ड स्तरीय शिक्षक प्रशिक्षण के फालोअप के अंतर्गत एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण/कार्यशालाएं जो पाठ प्रस्तुतीकरण पर केन्द्रित होंगी।

ये वर्ष के 5 महीनों में आयोजित की जायेंगी। इनका प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा एजेण्डा डायट द्वारा तैयार कर उपलब्ध कराया जायेगा।

एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित इन प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का अभिलेखन भी किया जायेगा तथा बी.आर.सी. तथा डायट द्वारा इनका नियमित पर्यवेक्षण किया जायेगा।

प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से व्यय अनुमानित है तथा इस प्रकार रु0 96.20 लाख की धनराशि प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में इसी प्रकार 'भाषा तथा गणित' की विषयवस्तु आधारित तथा बहुकक्षा शिक्षण विधियों पर आधारित 7 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस 7 दिवसीय प्रशिक्षण के उपरान्त तथा इसी तारतम्य में लघु अवधि के प्रशिक्षण तथा कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बहुकक्षा शिक्षण तथा बहुस्तरीय शिक्षण हेतु बी.आर.सी. स्तर पर 3 दिवसीय शिक्षक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें मुख्यतः शिक्षण विधियों, प्रथम वर्ष के दौरान शिक्षण सामग्री निर्माण के अनुभवों के आधार पर सामग्री निर्माण, समय तथा सामग्री प्रबंधन आदि बिन्दुओं पर प्रशिक्षण दिया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर मासिक प्रशिक्षण आयोजित किये जायेंगे जो वर्ष के 7 महीनों में आयोजित होंगे तथा इनमें बी.आर.सी. स्तरीय प्रशिक्षण के फालोअप को ध्यान में रखकर डायट द्वारा तैयार किये गये एजेण्डा का उपयोग किया जायेगा।
3. वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने के लिए शिक्षण रणनीतियों सम्बंधी 3 दिवसीय प्रशिक्षण एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित किया जायेगा।

द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी रु0 70 प्रतिदिन की दर से अनुमानतः रु0 103.81 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में 'विज्ञान तथा सामाजिक विषय और मूल्यांकन' पर केन्द्रित 8 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इस तारतम्य में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो विज्ञान शिक्षण को रुचिकर बनाने, सामग्री निर्माण तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
2. बी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला जो सामाजिक विषय शिक्षण को प्रभावी बनाने तथा पाठ प्रस्तुतियों पर आधारित होगा।
3. बी.आर.सी. स्तर पर सतत् तथा व्यापक छात्र मूल्यांकन हेतु प्रश्नों/टेस्ट आइटम निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेंगी।
4. प्रशिक्षणों के फालोअप के लिए एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं 5 माह में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।

तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 107.7 लाख प्रस्तावित है।

चतुर्थ वर्ष में 'शिक्षण अधिगम प्रक्रिया तथा सामग्री निर्माण उपयोग' पर केन्द्रित 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। इसी तारतम्य बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तर पर अन्य प्रशिक्षण कार्यशालाएं भी आयोजित की जायेंगी जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. प्रशिक्षण के फालोअप हेतु एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक प्रशिक्षण कार्यशालाएं वर्ष के 7 महीनों में आयोजित की जायेंगी जिनका एजेण्डा डायट द्वारा तैयार किया जायेगा।
2. एन.पी.आर.सी. स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकसित करने हेतु 2 दिवसीय कार्यशालाएं

आयोजित की जायेंगी जिसमें न्यायपंचायत में स्थित प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों को आमंत्रित किया जायेगा।

3. एन.पी.आर.सी. स्तर पर गणित शिक्षण हेतु आदर्श पाठ योजनाओं की प्रस्तुती तथा सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।
4. कक्षा शिक्षण में दृश्य-श्रव्य उपकरणों के उपयोग सम्बंधी 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी।

इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 111.55 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवे वर्ष में प्राथमिक शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रशिक्षणों के आधार पर पुर्नबोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जिसमें अभिप्रेरण एक प्रमुख बिन्दु होगा। इसके उपरांत आगामी प्रशिक्षणों की रूपरेखा तथा विषयवस्तुओं निर्धारण उपर्युक्त प्रशिक्षणों के अनुभवों और फीडबैक के आधार पर किया जायेगा। इन प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 115.65 लाख प्रस्तावित है।

प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिये उपर्युक्त प्रस्तावित प्रशिक्षणों के अतिरिक्त शिक्षकों के लिए अन्य विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे, जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. प्रत्येक विद्यालय से एक-एक शिक्षक को अंग्रेजी तथा संस्कृत शिक्षण हेतु 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय की पाठ्य पुस्तकों के कक्षा में उपयोग तथा सामग्री निर्माण के संबंध में होगा।
2. जिन प्राथमिक विद्यालयों में उर्दू भाषा-भाषी बच्चे तथा शिक्षक हैं ऐसे शिक्षकों के लिए उर्दू विषय शिक्षण के लिए 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
3. जिन अध्यापकों की शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडियट अथवा उससे कम है उनके लिये विषय वस्तु आधारित 05 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
4. जिन शिक्षकों का शैक्षिक अनुभव 15-20 वर्षों से अधिक है उनके लिए नवीन शिक्षण विधियों पर आधारित 06 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा।
5. नवनियुक्त सहायक अध्यापकों के लिए 10 दिवसीय सेवा पूर्वगमन प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा जिसमें प्रतिवर्ष नवीन नियुक्त होने वाले सहायक अध्यापक-अध्यापिकाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
6. जो शिक्षक पदोन्नति प्राप्त कर प्रधानाध्यापक बनें उनके लिए तथा अन्य प्रधानाध्यापक, प्राथमिक विद्यालयों के लिए भी 05 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो मुख्यतः नेतृत्व, समय-प्रबंधन, विद्यालयी अभिलेखों के रखरखाव, स्कूल पर्यवेक्षण आदि विन्दुओं पर केन्द्रित होगा।

उच्च प्राथमिक स्तर के शिक्षकों का प्रशिक्षण

बेसिक शिक्षा परियोजना के अधीन उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के प्रशिक्षण अनुभव के आधार पर प्रतिवर्ष प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा। जिसमें सहायक अध्यापक, प्रधानाध्यापक, हाईस्कूल तथा इण्टर कालेजों में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षक-शिक्षिकाएं प्रतिभाग करेंगे। प्राथमिक कक्षाओं के

विपरीत उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा शिक्षण में शिक्षण विधियों की तुलना में पाठ्यवस्तु का महत्व अधिक है तथा शिक्षकों के विषय ज्ञान में अपेक्षित स्तर की वृद्धि की आवश्यकता अनुभव की गई है। इस आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम निम्नवत् आयोजित किये जायेंगे—

प्रथम वर्ष में शिक्षकों का विज्ञान विषय के शिक्षण, विषय वस्तु, शिक्षण विधियों तथा शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 8 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर विज्ञान विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय मैटीरियल मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय मैटीरियल मेला आयोजित किया जायेगा। प्रथम वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित है।

द्वितीय वर्ष में शिक्षकों को गणित विषय के शिक्षण हेतु विषय-वस्तु, शिक्षण विधियों, सामग्री निर्माण तथा उपयोग संबंधी 07 दिवसीय प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर गणित विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। एन.पी.आर.सी. स्तर पर 1 दिवसीय गणित मेला का आयोजन किया जायेगा जिसमें शिक्षकों द्वारा शिक्षण सामग्री तैयार कर प्रदर्शित की जायेगी। इसी अनुक्रम में बी.आर.सी. स्तर पर भी 1 दिवसीय गणित मेला आयोजित किया जायेगा। द्वितीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 21 लाख प्रस्तावित है।

तृतीय वर्ष में अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के शिक्षण हेतु शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधियों पर आधारित प्रशिक्षण दिया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इस अनुक्रम में विकासखण्ड स्तर पर अंग्रेजी तथा संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तकों के आधार पर पाठों की प्रस्तुति, पाठ योजना तथा सम्बंधित सहायक शिक्षण सामग्री निर्माण हेतु 3 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेंगी तथा वर्ष के 6 माह में इनका आयोजन सुनिश्चित किया जायेगा। उपर्युक्त के अतिरिक्त भाषा शिक्षण हेतु शिक्षकों के सहयोग से अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास करने हेतु क्रमशः बी.आर.सी तथा एन.पी.आर.सी. स्तर पर 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। तृतीय वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0 70 की दर से अनुमानतः रु0 22 लाख प्रस्तावित है।

चौथे वर्ष उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए हिन्दी भाषा शिक्षण तथा बच्चों के मूल्यांकन पर केन्द्रित प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो 08 दिवसीय होगा। शिक्षक प्रशिक्षण के इस क्रम में बी.आर.सी. स्तर पर हिन्दी भाषा शिक्षण हेतु अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

भाषा शिक्षण हेतु पाठ्यपुस्तकों के आधार पर आदर्श पाठों की तैयारी तथा प्रस्तुति की जायेगी। इसके साथ-साथ भाषा शिक्षण हेतु सामग्री निर्माण हेतु 2 दिवसीय कार्यशाला एन.पी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। प्रशिक्षण के फालोअप हेतु डायट द्वारा तैयार किए गए एजेण्डा के आधार पर एन.पी.आर.सी. स्तरीय मासिक बैठकें वर्ष के 6 माह में सुनिश्चित की जायेगी जिनका पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी. तथा डायट के संकाय सदस्य भी करेंगे।

उच्च प्राथमिक स्तर पर छात्र-छात्राओं की शैक्षिक उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली सम्बंधी शिक्षकों के अभिमुखीकरण के उपरांत इस तारतम्य में "टेस्ट आइटम" बनाने हेतु 2 दिवसीय तथा 1 दिवसीय कार्यशालाएं क्रमशः एन.पी.आर.सी. तथा बी.आर.सी. स्तर पर आयोजित की जायेगी। चौथे वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0.70 की दर से अनुमानतः रु0.22 लाख प्रस्तावित है।

पाँचवें वर्ष में उपर्युक्त प्रशिक्षण के आधार पर पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जो 06 दिवसीय होगा। इन प्रशिक्षणों के उपरान्त आगामी प्रशिक्षणों की विषय वस्तु की रूपरेखा इन प्रशिक्षणों के अनुभवों तथा फीडबैक के आधार पर निर्धारित की जायेगी तथा उसी के अनुरूप प्रशिक्षण पैकेज का विकास किया जायेगा। पाँचवें वर्ष में आयोजित शिक्षक प्रशिक्षणों पर प्रति प्रतिभागी प्रतिदिन रु0.70 की दर से अनुमानतः रु0.22 लाख प्रस्तावित है।

उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण डायट के नेतृत्व में विकास खण्ड स्तर पर संचालित किये जायेंगे।

उपर्युक्त प्रशिक्षण के अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं के शिक्षकों के लिए कुछ विशेष प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिसका विवरण इस प्रकार है—

1. **कम्प्यूटर उपयोग सम्बंधी प्रशिक्षण** — सूचना प्रौद्योगिकी के बढ़ते हुए प्रभाव तथा भावी समय की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक है कि बच्चों को कम्प्यूटर संबंधी जानकारी दी जाये। इस हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विकास खण्ड के एक उच्च प्राथमिक विद्यालय में कम्प्यूटर शिक्षण की व्यवस्था हेतु शिक्षकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के लिये डायट के सदस्यों को एक मास का आधारभूत प्रशिक्षण प्रदान कराने के उपरांत उच्च प्राथमिक शिक्षकों के लिये 1 माह का प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण माड्यूल का विकास डायट तथा एस.सी. ई.आर.टी के सहयोग से किया जायेगा। इस प्रकार प्रशिक्षित उच्च प्राथमिक शिक्षक अपने विद्यालयों में छात्र-छात्राओं को कम्प्यूटर उपयोग संबंधी शिक्षण प्रदान करेंगे। पाइलट आधार पर चलाये गये इस कार्यक्रम का अनुश्रवण डायट के प्रशिक्षित सदस्यों द्वारा किया जायेगा तथा कार्यक्रम की सफलता के आधार पर इसके विस्तार की कार्यवाही आगामी वर्ष में की जायेगी।

अन्य प्रशिक्षण

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षकों के प्रशिक्षण के अतिरिक्त डायट के नेतृत्व में अन्य प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे जिनका विवरण इस प्रकार है—

1. शिक्षामित्र / आचार्य जी प्रशिक्षण— जनपद के 1566 शिक्षामित्रों तथा 511 ई.जी.एस. केन्द्रों के आचार्य जी के लिए 30 दिवसीय आधारभूत प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षामित्रों के लिए सेवारत शिक्षक प्रशिक्षणों के अतिरिक्त होगा। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्र आचार्य जी के लिए 15 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी प्रतिवर्ष आयोजित किया जायेगा।
2. वैकल्पिक शिक्षा — जनपद में प्रस्तावित वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की संख्या 98 है। इन केन्द्रों के अनुदेशकों के लिए आधारभूत प्रशिक्षण 15 दिवसीय होगा तथा प्रतिवर्ष डायट में आयोजित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त 10 दिवसीय रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास डायट द्वारा तथा एस.सी.ई.आर.टी के सहयोग से जनपद स्तर पर किया जायेगा। वैकल्पिक शिक्षा का पर्यवेक्षण एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा तथा पर्यवेक्षण हेतु क्षमता विकास हेतु समन्वयकों का 3 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किया जायेगा।
3. ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण — पूर्व प्राथमिक शिक्षा की दृष्टि से 106 शिशु शिक्षा केन्द्रों की स्थापना की जायेगी तथा इनकी कार्यकर्त्रियों तथा सहायिकाओं के लिए 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट में आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण हेतु राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद द्वारा विकसित प्रशिक्षण मॉड्यूल का उपयोग किया जायेगा।
ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियों के प्रशिक्षण हेतु वर्ष 1997 में राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया था। कालान्तर में इस मॉड्यूल को अनुभूत आवश्यकताओं के आलोक में संशोधित किया गया। राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद तथा राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ के सहयोग से इस प्रकार "आधारशिला" (भाग 1 व 11) प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास किया गया है। अनुदेशकों का प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा तथा प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं : स्कूल रेडिनेस, बच्चों की देखभाल को प्रोत्साहित करने, सहयोग करने हेतु समुदाय का संवेदीकरण, 3-6 वय वर्ग के बच्चों के संज्ञानात्मक, शारीरिक विकास, भाषाई कौशलों का विकास, बच्चों में सामाजिक-संवेगात्मक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति, सौन्दर्यानुभूति के विकास हेतु अभ्यास आदि। प्रशिक्षण सात दिवसीय है और इसका 40 प्रतिशत समय खेल सामग्री, शैक्षिक सामग्री के विकास में लगाया जाता है तथा इसके अतिरिक्त 5 केन्द्रों का भ्रमण भी कराया जाता है। इस मॉड्यूल का आगामी तीन-चार वर्षों तक उपयोग किया जायेगा। तदनंतर इसकी समीक्षा की जायेगी।
4. बी.आर.सी./ एन.पी.आर.सी समन्वयकों का प्रशिक्षण— बेसिक शिक्षा परियोजना के अंतर्गत परिषदीय विद्यालयों को सहयोग तथा पर्यवेक्षण प्रदान किया गया था। एस.एस.ए परियोजना में अशासकीय सहायता प्राप्त हाईस्कूल इण्टर कालेज में संचालित कक्षा 6-8 के शिक्षकों को भी अकादमिक सहयोग प्रदान किया जाना है। इस प्रकार बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों की

- क्षमता में अभिवृद्धि की आवश्यकता है। इस दृष्टि से बी.आर. सी., एन.पी.आर.सी समन्वयकों का उनके कार्य तथा दायित्व सम्बंधी अकादमिक पर्यवेक्षण के संदर्भ में 7 दिवसीय प्रशिक्षण डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर किया गया है तथा इसे जनपद की आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित परिवर्तित कर उपयोग किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के समन्वयक सेवारत शिक्षकों के लिए आयोजित समस्त प्रशिक्षणों को भी प्राप्त करेंगे तथा इसके अतिरिक्त समय-समय पर शिक्षामित्र, वैकल्पिक शिक्षा, शिक्षा गारंटी योजना, ई.सी.सी.ई. तथा अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु विकसित किये गये प्रशिक्षण नॉड्यूल के आधार पर भी इनकी क्षमता का विकास किया जायेगा। जिससे बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत इन कार्यक्रमों का भी बेहतर अनुश्रवण तथा सहयोग कर सकें।
5. ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई प्रशिक्षण— जनपद में विकासखण्ड स्तर पर गुणवत्ता विकास कार्यक्रमों के नियोजन तथा क्रियान्वयन में ए.बी.एस.ए. एस.डी.आई. की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से इनका 5 दिवसीय ओरियन्टेशन कार्यक्रम डायट स्तर पर आयोजित किया जायेगा। इस हेतु प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास सीमेट द्वारा डी.पी.ई.पी. के अन्तर्गत किया गया है। ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. के लिए अनुबोधात्मक प्रशिक्षण का आयोजन सीमेट द्वारा डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण के मुख्य बिन्दु इस प्रकार हैं— अपने क्षेत्रान्तर्गत प्रशासनिक नियंत्रण तथा कार्यक्रमों का अनुश्रवण, विद्यालयों, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी., वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों, ई.सी.सी.ई. केन्द्रों, ई.जी.एस. केन्द्रों आदि का अकादमिक पर्यवेक्षण आदि। अकादमिक पर्यवेक्षण हेतु आयोजित प्रशिक्षण, ई.एम.आई.एस., माइक्रोप्लानिंग तथा सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों हेतु आयोजित प्रशिक्षणों में भी प्रतिभाग करेंगे।
6. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों का प्रशिक्षण — स्कूल की गतिविधियों में समुदाय की भागीदारी बढ़ाने, स्थानीय स्तर पर पर्यवेक्षण की कारगर व्यवस्था लागू करने, बच्चों खासकर बालिकाओं का नामांकन शत प्रतिशत करने, ग्राम शिक्षा योजनाएं बनाकर उसका क्रियान्वयन करने की दृष्टि से ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों तथा जागरूक अभिभावकों के लिए तीन दिवसीय प्रशिक्षण ग्राम स्तर पर आयोजित किये जायेंगे। ये प्रशिक्षण प्रत्येक दो वर्ष के अंतराल पर आयोजित किये जायेंगे तथा एस.एस.ए. के प्रथम वर्ष में इसका आरम्भ किया जायेगा। प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास राज्य स्तर पर डी.पी.ई.पी.—।।। के अन्तर्गत किया गया है जिसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप जनपद स्तर पर संशोधित परिवर्द्धित किया जायेगा। ग्राम शिक्षा समितियों के लिए 03 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा जिसमें निम्नांकित सदस्य प्रतिभाग करेंगे— ग्राम शिक्षा समितियों के सभी सदस्य और महिला सदस्य, युवक मंगल दल के सदस्य, मॉडल क्लस्टर एप्रोच की दृष्टि से चयनित क्षेत्रों या जिन क्षेत्रों में सामुदायिक सहभागिता में प्रयासों को और अधिक बढ़ावा देने की आवश्यकता है ऐसे क्षेत्रों में डब्ल्यू.एम.जी., एम.टी.ए., पी.टी.ए., युवक मंगल दल के सदस्यों की प्रशिक्षण में प्रतिभागिता बढ़ाने के प्रयास किये जायेंगे। ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण के फलस्वरूप अद्यतन माइक्रोप्लानिंग और स्कूल मैपिंग अभ्यास से प्राप्त आंकड़ों और स्कूल विवरण योजनाएं प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त स्कूल सुविधाओं के अधिकतम उपयोग को सुनिश्चित किया जाता है। विद्यालय में नामांकित न होने वाले बच्चों की स्थिति ज्ञात कर उनके स्कूल जाने

के प्रयास किये जाते हैं। स्कूलों के कार्यों में समुदाय की भागीदारी बढ़ती है। स्कूलों की गतिविधियों में समुदाय द्वारा पर्यवेक्षण से शिक्षकों के उत्तरदायित्व का पालन सुनिश्चित होता है जिससे बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति का स्तर बढ़ता है।

7. एस.एस.ए. परियोजना स्टाफ का प्रशिक्षण -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला परियोजना कार्यालय के अभिकर्मियों तथा डायट स्टाफ का प्रशिक्षण सीमेट द्वारा आयोजित किया जायेगा। यह प्रशिक्षण प्रथम 05 वर्ष में आयोजित होगा। प्रशिक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के दिशा निर्देशों तथा कार्ययोजना की रणनीतियों के संबंध में जनपदीय टीम को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। आगामी वर्षों में आवश्यकता अनुसार रिफ्रेशर प्रशिक्षण भी आयोजित किये जायेंगे।

शिक्षण समय को बढ़ाना :

प्रत्येक माह डायट के प्रवक्ताओं द्वारा विद्यालय अनुश्रवण के दौरान प्राथमिक विद्यालय की समय सारिणी का अध्ययन किया गया। प्राथमिक विद्यालय में समय सारिणी का प्रयोग अधिकांश विद्यालयों में किया जाता है। वर्ष में 220 दिन कुल कार्य दिवस के लिए खुला। डी.एम. के आदेश पर 12 दिन का शीतावकाश के लिए बन्द हुआ, तथा निर्धारित तिथियों का अवकाश भी विद्यालय में हुआ। अतः 177 दिवस शिक्षण के लिए शेष रहा।

सारणी - 6

| | प्राथमिक स्तर | उच्च प्राथमिक स्तर |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------|
| कुल कार्य दिवस | 220 | 220 |
| परीक्षा | 08 छमाही सालाना परीक्षा | 12 |
| अन्य कार्य | 15 | 05 |
| नष्ट हो जाने वाले दिन | 12 डी.एम. के विशेष आदेश पर | 12 |
| समुदाय से सम्पर्क | 08 | 08 |
| शिक्षक दिवस | 177 | 183 |

स्रोत - डायट, इलाहाबाद

स्कूल समय सारिणी (साप्ताहिक) के अनुसार उपलब्ध शिक्षण समय सप्ताह के अनुसार

| | प्राथमिक स्तर वादन / समय | उच्च प्राथमिक स्तर वादन / समय |
|-----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| भाषा-1 हिन्दी | 9 वादन 6 घण्टे | 6 वादन/4 घण्टे 30 मिनट |
| भाषा-2 अंग्रेजी | 5 वादन/3 घण्टे 20 मि. | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| भाषा-3 संस्कृत | 5 वादन/3 घण्टे 20 मि. | 4 वादन/3 घं. |
| विज्ञान | 6 वादन / 4 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| गणित | 9 वादन / 6 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| सामाजिक विषय | 6 वादन / 4 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| समाजपयोगी कार्य | 3 वादन / 2 घण्टे | 6 वादन/4 घं. 30 मि. |
| कला शिक्षण | 5 वादन / 3 घण्टे 20 मि. | 8 वादन/6 घं. |

स्रोत - डायट, इलाहाबाद

उपर्युक्त सारिणी-6 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षण कार्य हेतु 177 दिन तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर 183 दिन ही उपलब्ध हो पाते हैं जबकि विभाग द्वारा न्यूनतम 220 कार्यदिवस सुनिश्चित किये जाने के निर्देश हैं। अतः सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षण कार्य हेतु उपलब्ध दिवसों की संख्या कम से कम 220 दिन सुनिश्चित की जायेगी। परिक्षाओं, समुदाय से सम्पर्क तथा अन्य कार्यों में नष्ट हो जाने वाले दिनों को क्रमशः समाप्त किया जायेगा तथा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षक शिक्षण कार्य के लिए विद्यालयों में कम से कम 220 दिन उपलब्ध रहें। इसके अतिरिक्त उपलब्ध शिक्षण समय से अधिकतम उपयोग हेतु शिक्षकों को समय प्रबन्धन, सामग्री प्रबन्धन, स्कूल की गतिविधियों के आयोजन में बच्चों की भागीदारी बढ़ाने, समुदाय से उपलब्ध हो सकने वाले मानव संसाधनों का विद्यालय-गतिविधियों में उपयोग आदि उपायों को बढ़ावा दिया जायेगा।

पाठ्य सामग्री -

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत विकसित प्राथमिक कक्षाओं की नवीन पाठ्यपुस्तकों को जुलाई, 2000 के सत्र में प्राथमिक विद्यालयों में लागू किया गया। इन पाठ्यपुस्तकों का उपयोग सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के अन्तर्गत भी वर्ष 2005 तक जारी रहेगा। तदुपरान्त एस0सी0ई0आर0टी, उ0प्र0 द्वारा प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्यपुस्तकों का यथाआवश्यक संशोधन किये जाने पर तदनुरूप पाठ्यपुस्तकों वितरित करने की व्यवस्था भी सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत लागू की जायेगी। मि:शुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण से लगभग 1.77 लाख बालिकायें तथा बालक लाभान्वित होंगे और इस पर लगभग 265.56 लाख रु0 व्यय होगा। नवीन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर विकसित शिक्षक-संदर्शिकाएं जो डी0पी0ई0पी0 के अन्तर्गत विकसित की गई थीं उन्हें सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत सभी प्राथमिक शिक्षकों के लिए उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय पर एक सेट उपलब्ध कराया जायेगा तथा इस पर अनुमानतः रु0 1.70 लाख धनराशि व्यय होगी।

प्राथमिक कक्षाओं (1-5) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परियोजना उ०प्र० द्वारा जुलाई, 1999 में तथा उच्च प्राथमिक कक्षाओं (6-8) हेतु संशोधित पाठ्यक्रम जनवरी, 2000 में अनुमोदित किये जाने के उपरान्त मुद्रित कराकर सभी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों को वितरित किया गया है। यह पाठ्यक्रम आगामी पाठ्यक्रम संशोधन की कार्यवाही किये जाने तक लागू रहेगा। शिक्षकों को प्रशिक्षण तथा कार्यशालाओं आदि के माध्यम से इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा कि वे इसका अधिकतम उपयोग कक्षा शिक्षण में करें। इस हेतु बी०आर०सी० एन०पी०आर०सी० स्तर पर विशेष रूप से कार्यशालाओं का आयोजन तथा फालोअप किया जायेगा।

कक्षा 6-8 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम के आधार पर नवीन पाठ्यपुस्तकों का विकास एस०सी०ई०आर०टी० के तत्वावधान में किया जा रहा है। ये पाठ्यपुस्तकें एस०सी०ई०आर०टी० के विशिष्ट संस्थानों, राज्य संदर्भ समूह के सदस्यों, शिक्षकों, बाह्य विशेषज्ञों आदि के सहयोग से सहभागिता आधारित प्रक्रिया के अन्तर्गत विकसित की जा रही हैं। इन पाठ्यपुस्तकों की फील्ड ट्रायलिंग वर्ष 2001-02 में की जायेगी तथा इसके उपरान्त जुलाई, 2002 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में इन्हें लागू किया जायेगा। इन पाठ्यपुस्तकों के आधार पर शिक्षक संदर्शिकाओं का भी विकास किया जायेगा तथा ये शिक्षक संदर्शिकाएं प्रत्येक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षकों के उपयोग हेतु एक सेट उपलब्ध करायी जायेगी। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं तथा अनुसूचित जाति जनजाति के बालकों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध करायी जायेंगी जिससे 12000 बच्चे लाभान्वित होंगे तथा इस पर अनुमानतः धनराशि 5.70 लाख व्यय होगी।

किशोरी बालिकाओं के लिए पठन सामग्री

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में उच्च प्राथमिक स्तर पर विशेष बल दिया जायेगा। उच्च प्राथमिक स्तर में अध्ययनरत बालिकाओं को ध्यान में रखकर इस प्रकार की शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित की जायेगी जो किशोरी बालिकाओं की जीवन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके तथा भावी जीवन के लिये अच्छी तरह तैयार कर सके। यह विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा कि किशोरी बालिकाएं जीवनोपयोगी कौशलों का यथेष्ट एवं सम्यक ज्ञान प्राप्त कर सकें। इस हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री विकसित कर उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उपलब्ध कराई जायेगी।

7- गुणवत्ता विकास में डायट की भूमिका -

अकादमिक नेतृत्व प्रदान करना -

जनपद में सर्वशिक्षा अभियान के अंतर्गत गुणवत्ता विकास हेतु डायट द्वारा प्रत्येक स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान किया जायेगा। गुणवत्ता विकास के लिए जनपद तथा उप जनपद स्तर पर वार्षिक कार्ययोजनाएं विकसित की जायेंगी। जनपद, विकासखण्ड, न्यायपंचायत स्तरीय अभिकर्मियों के लिए प्रशिक्षणों का नियोजन तथा क्रियान्वयन, अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु अभिमुखीकरण तथा क्रियान्वयन, विभिन्न स्तरीय अभिकर्मियों की क्षमता का विकास, शोध एवं मूल्यांकन, नवाचार कार्यक्रमों का संचालन तथा अनुश्रवण, सामग्री विकास, ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का विश्लेषण तथा उपयोग आदि प्रमुख दायित्वों का डायट द्वारा जनपद स्तर पर निर्वाह किया जायेगा।

इन कार्यक्रमों का समग्र लक्ष्य होगा शिक्षकों का कार्यस्थल पर सहयोग, समर्थन प्रदान करने की उपयुक्त रणनीतियों का विकास करने हेतु संस्थागत क्षमता संवर्द्धन करना। इस हेतु डायट द्वारा निम्नवत् कार्यवाही की जायेगी।

क्षमता विकास करना -

जनपद स्तर पर डायट की अकादमिक नेतृत्व प्रदान करने की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। प्राथमिक उच्च प्राथमिक शिक्षकों को विषय वस्तु तथा शिक्षण विधा आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने, बी. आर. सी., एन. पी. आर. सी. समन्वकों को पर्यवेक्षण के लिए प्रशिक्षित करने, वैकल्पिक शिक्षा, वी०ई०सी० प्रशिक्षण,

ई.सी.सी. प्रशिक्षण, समेकित शिक्षा हेतु प्रशिक्षण आदि मुख्य दायित्वों के निर्वहन हेतु डायट की क्षमता विकास करने के लिए "संस्थागत क्षमता विकास "कार्यक्रम" को लागू किया जायेगा। इसके अतिरिक्त विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञों तथा स्वयंसेवी संगठनों से रिसोर्स नेटवर्किंग भी की जायेगी। प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में किये जा रहे नवीनतम शोध-मूल्यांकनों का उपयोग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में सुनिश्चित किया जायेगा। डायट द्वारा ए.बी.एस.ए./एस.डी.आई. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक तथा प्रधान अध्यापक और बी.आर.सी. के समन्वयक, एन.पी.आर.सी. के संकुल प्रभारी की क्षमता विकास विभिन्न प्रशिक्षणों के माध्यम से कराया जायेगा। राज्य स्तर के प्रशिक्षण संस्थानों में डायट के सदस्य को प्रशिक्षित करके क्षमता में वृद्धि की जायेगी। वाह्य संस्थानों के विशिष्ट तथा अनुभवी व्यक्तियों, संस्थाओं के अनुभवों से लाभ उठाकर डायट के संकाय सदस्यों हेतु वार्ता/व्याख्यान का आयोजन करके सहायक अध्यापकों में क्षमता विकास किया जायेगा। उनमें नेतृत्व की क्षमता, प्रबन्ध एवं नियोजन की क्षमता, शैक्षिक सपोर्ट की क्षमता का विकास किया जायेगा।

अकादमिक संदर्भ समूह का सुदृढीकरण :

जनपद स्तर पर गुणवत्ता विकास के लिए कार्यक्रमों का नियोजन, क्रियान्वयन तथा अनुश्रवण करने, गुणवत्ता विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों यथा प्रशिक्षण आदि से प्राप्त फीडबैक का विश्लेषण कर उनका समाधान प्रस्तुत करने हेतु अकादमिक संदर्भ समूह संसाधन समूह गठित किया गया है जिसमें डायट स्टाफ के अतिरिक्त बाह्य विशेषज्ञ योग्य शिक्षक आदि सदस्य हैं अकादमिक संसाधन समूह के क्षमता विकास के पूर्व इसमें उच्च प्राथमिक स्तर पर भी अकादमिक सहयोग प्रदान करने की दृष्टि से हाईस्कूल तथा इण्टर कालेज स्तर के शिक्षकों को जोड़ा जायेगा तथा इनकी क्षमता संवर्द्धन हेतु एस0सी0ई0आर0टी0 के सहयोग से 'क्षमता विकास कार्यशाला' डायट स्तर पर आयोजित की जायेगी। ये कार्यशालाएं मुख्यतः अकादमिक पर्यवेक्षण, विषय शिक्षण तथा स्कूलों का प्रबन्ध, शिक्षकों की समस्याओं का निवारण आदि बिन्दुओं पर केंद्रित होंगी तथा प्रत्येक वर्ष 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी। गुणवत्ता सुधार में स्वयं सेवी संगठनों की सहभागिता

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्रस्तावित गुणवत्ता सुधार कार्यक्रमों में प्रदेश के अन्तर्गत स्थापित शासकीय संस्थाओं अथवा स्वैच्छिक संगठनों में जो अकादमिक संसाधन उपलब्ध हैं, उनका सहयोग जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की क्षमता की विकास, अकादमिक सन्दर्भ समूह को सक्रिय बनाने, जिला तथा विकास खण्ड स्तर पर विकास खण्ड संसाधन केन्द्र समन्वयकों तथा मास्टर ट्रेनर्स की क्षमताओं के विकास में लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त अकादमिक पर्यवेक्षण एवं समर्थन प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न स्तर पर क्षमता विकास करने में भी उक्त संस्थाओं की सहभागिता प्राप्त की जायेगी। इस सम्बन्ध में जनपद स्तर पर अनुभवी व ख्याति प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों से प्रस्ताव प्राप्त किया जायेगा तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा स्वैच्छिक संगठनों का चयन किया जायेगा।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण -

डायट में प्रवक्ताओं को भी कम्प्यूटर सिस्टम के उपयोग की जानकारी अवश्य रखनी है। अतः इनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की जायेगी। संस्थान स्तर पर नियोजन तथा अनुश्रवण में कम्प्यूटर की सहायता से कार्य करने की व्यवस्था को बढ़ाया जायेगा। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक कक्षाओं में भी बच्चों को कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य है, जैसा कि ऊपर वर्णित है, इस हेतु भी कम्प्यूटर शिक्षण हेतु शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जायेगा।

शिक्षण सामग्री का विकास करना -

शिक्षण सामग्री तथा अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास का प्रशिक्षण डायट स्तर पर एन.पी.आर.सी. समन्वयकों के लिए आयोजित किया जाएगा। इसी क्रम में एन.पी.आर.सी. स्तर पर संकुल प्रभारी द्वारा कुशल

अध्यापकों की सहभागिता से शिक्षण सामग्री का विकास किया जायेगा तथा इसी प्रकार कमशः विकास खण्ड एवं जनपद स्तर पर अनुपूरक अध्ययन सामग्री का विकास किया जायेगा। इस कार्य में बी. ई. पी. के अन्तर्गत पूर्व में की गयी सामग्री विकास की प्रक्रिया के अनुभवों से लाभ उठाया जायेगा।

बी0ई0पी0 के अन्तर्गत शिक्षकों को रु0 500/- अनुदान के रूप में दिया गया था तथा इसका उद्देश्य यह था कि शिक्षक कक्षा में आवश्यकतानुसार शिक्षण सामग्री के निर्माण में इसे व्यय करेंगे। शिक्षक इससे चार्ट, पोस्टर, अन्य गठन सामग्री सहायक सामग्रियों विशेषकर विज्ञान और गणित शिक्षण में उपयोगी सामग्री तथा उपकरण आदि का क्रय कर सकते हैं। विषय आधारित तथा पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक आधारित शिक्षण सामग्री के निर्माण तथा उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु इस अनुदान की महत्वपूर्ण भूमिका है। इस दृष्टि से सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत शिक्षक अनुदान की योजना को जारी रखा जायेगा तथा सभी शिक्षकों को प्रतिवर्ष रु0 500/- शिक्षक अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा। इसके अतिरिक्त ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना में प्रदत्त विज्ञान किट का उपयोग भी सुनिश्चित किया जायेगा। इस हेतु पूर्व की भांति विभिन्न स्तरों पर मेटिरियल मेले भी आयोजित किये जायेंगे।

न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षण सामग्री की प्रदर्शनी लगायी जायेगी। तत्पश्चात इनकी प्रदर्शनी जिला स्तर पर डायट में करायी जायेगी। जिससे अध्यापकों के अन्तर्गत निहित क्षमता का विकास हो सकेगा।

कार्यशाला, गोष्ठियों का आयोजन -

प्राथमिक विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण हेतु कार्यशालायें एवं गोष्ठियाँ डायट पर की जायेगी। वर्तमान में बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत न्याय पंचायत स्तर पर शिक्षकों की मासिक गोष्ठी का आयोजन किया जाता है जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया पर मुख्यतः केन्द्रित है। इस बैठक में शिक्षकों की अकादमिक समस्याओं का समाधान करने के अतिरिक्त आदर्श पाठ का प्रस्तुतीकरण, सामग्री निर्माण आदि का कार्य किया जाता है। इस प्रकार सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी मासिक स्तरीय इन गोष्ठियों को और अधिक उत्पादक बनाने हेतु डायट स्तर से वार्षिक कार्ययोजना बनाने में एन.पी.आर.सी, बी.आर.सी. की सहायता की जायेगी तथा तैयार की गई वार्षिक कार्ययोजना के आधार पर गोष्ठियों और कार्यशालाओं का आयोजन किया जायेगा। यह कार्यक्रम मुख्यतः उपर्युक्तवत् शिक्षण सामग्री निर्माण, शिक्षकों की कक्षा में अनुभूत कठिनाइयों के निवारण, आदर्श पाठ के प्रस्तुतीकरण आदि बिन्दुओं पर आधारित होगा। निम्नांकित विषयों पर कार्यशालाएं तथा गोष्ठियाँ आयोजित की जायेंगी-

1. बच्चों की संप्राप्ति स्तर के आंकड़ों की शेयरिंग।
2. अनुपूरक अध्ययन सामग्री निर्माण।
3. विज्ञान शिक्षण हेतु शिक्षकों के लिए अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास।
4. छात्र-छात्राओं की अधिगम सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु टेस्ट आइटम का निर्माण।
5. स्कूल पूर्व शिक्षा की तैयारी के लिए कथा-कविता का संकलन।

शोध एवं मूल्यांकन -

जनपद में विभिन्न स्तरों पर शिक्षकों द्वारा एक्शन रिसर्च का कार्य किये जाने की दृष्टि से 05 दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की जायेंगी तथा इन कार्यशालाओं के आयोजन में मुख्यतः सीमेंट इलाहाबाद और एस0सी0ई0आर0टी0, लखनऊ का सहयोग प्राप्त किया जायेगा। बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. को इस दृष्टि से सक्षम बनाया जायेगा कि शिक्षक अपनी अनुभूत समस्याओं के निदान के लिए स्वयं अपनी कार्ययोजना बनाएं और समाधान ढूँढ़ने में कामयाब हो सकें। इस प्रकार क्रियात्मक शोध की प्रक्रिया को संकुल स्तर तक तथा अनंतर विद्यालय स्तर तक ले जायेंगे। क्रियात्मक शोध हेतु प्रस्तावित क्षेत्र इस प्रकार हैं—

1. शिक्षक अनुदान का सार्थक उपयोग किस प्रकार संभव है ?
2. विद्यालय में अपराह्न सत्र में बच्चों की उपस्थिति को सुनिश्चित करने हेतु उपाय।
3. बहुकक्षा शिक्षण परिस्थितियों में विभिन्न विषयों का शिक्षण किस प्रकार हो ?
4. बच्चों के सतत् व्यापक मूल्यांकन में कक्षा के बच्चों का सहयोग।
5. कक्षा की प्रक्रिया में जनभागीदारी बढ़ाने के तरीके।
6. शिक्षक प्रशिक्षण का कक्षा में क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु संकेतों का विकास।
7. कार्य-निष्पादन के आधार पर चिह्नित कमजोर विद्यालयों में 'प्रबंधन' के मुद्दे।
8. 'विद्यालय विकास योजना' के प्रभावी क्रियान्वयन के उपाय।
9. महिला शिक्षिकाओं का रोल-परसेप्शन परिवर्तित करने के लिए रणनीतियाँ।
10. कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले बच्चों के लिए कारगर शिक्षण तकनीक।

जनपदीय परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा एवं शैक्षिक कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने के लिए शोध कार्यों का महत्व निर्विवाद है। अतः निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार संस्थान विभिन्न विषयों जैसे पाठ्यक्रम, कक्षा शिक्षण, निरीक्षण, विद्यालय प्रबन्ध, मूल्यांकन आदि क्षेत्रों में वास्तविक स्थिति का आंकलन कर व्यावहारिक कठिनाइयों के परिप्रेक्ष्य में उनके निवारणार्थ क्रियात्मक शोध करके प्राप्त निष्कर्षों को क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं, शिक्षक, प्रशिक्षक, निरीक्षक तक पहुँचाकर उनके द्वारा आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे। शिक्षकों, समन्वयकों को एक्शन रिसर्च सम्बन्धी प्रशिक्षण सीमेंट के सहयोग से प्रदान किया जायेगा। एक्शन रिसर्च के लिए शिक्षकों को धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी शिक्षक डायट के नेतृत्व में एक्शन रिसर्च हेतु अपनी कार्ययोजना का निर्माण कर इसे क्रियान्वित करेंगे। डायट की भूमिका मुख्यतः एक्शन रिसर्च हेतु शिक्षकों की क्षमता का विकास करने तथा इन शोध परियोजनाओं का सुचारू रूप से क्रियान्वयन कर पूर्ण कराना है।

डायट द्वारा शिक्षकों की शिक्षण क्षमता का भी अध्ययन तथा मूल्यांकन किया जायेगा। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत बच्चों की सम्प्राप्ति स्तर का अध्ययन किया जायेगा। डायट द्वारा एस.सी.ई.आर.टी. के सहयोग से जनपद स्तर पर "क्लास रूम ऑब्जर्वेशन स्टडी" भी की जायेगी।

ऑकड़ों का विश्लेषण, नियोजन तथा प्रशिक्षण में उपयोग -

ई.एम.आई.एस. के द्वारा प्राप्त ऑकड़ों के विश्लेषण से प्रत्येक ब्लाक/प्रत्येक गाँव/प्रत्येक

विद्यालय की मूलभूत समस्या/आवश्यकताओं की जानकारी मिलती है, इसके द्वारा ब्लाकवार, ग्रामवार, विद्यालयवार, लिंगवार तथा श्रेणीवार छात्रों की जानकारी कर सकते हैं। किस स्थान पर ड्राप आउट की अधिकता है। इसकी समस्या का अध्ययन कर सकते हैं। विद्यालय न जाने वाली बालिकाओं के विषय में अध्ययन कर उन्हें विद्यालय में नामांकित किया जा सकेगा।

ई.एम.आई.एस. आंकड़े के विश्लेषण से क्वालिटी इन्डीकेटर्स के संदर्भ में बच्चों की स्थिति का विश्लेषण प्रस्तुत किया जायेगा। उदाहरण के लिए रैपिटिशन रेट, कम्प्लीशन रेट, बच्चों द्वारा शिक्षण चक्र को पूरा करने में लगा समय इत्यादि।

डायट द्वारा ई.एम.आई.एस. से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण किया जायेगा। जिससे उनका उपयोग नियोजन तथा कियान्वयन में हो सकेगा।

11. मूल्यांकन प्रणाली

छात्रों के मासिक, वार्षिक, मूल्यांकन की प्रणाली की जो व्यवस्था वर्तमान में है, उचित हैं किन्तु सुधार के लिए आवश्यक है कि कक्षा 5 की परीक्षा एन.पी.आर.सी. स्तर पर कि जाये तथा कक्षा 8 की परीक्षा बी.आर.सी. स्तर पर कि जायेगी तथा मूल्यांकन की व्यवस्था डायट पर होगी। साथ ही प्रश्न पत्र भी डायट पर कुशल अध्यापकों के सहयोग से बनाये जायेंगे। छात्रों के उपलब्धि के मूल्यांकन और उन्हें फीड बैक प्रदान करने के लिए सतत-व्यापक मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जायेगी। एस.सी.ई.आर.टी., उ0प्र0 द्वारा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत बच्चों में शैक्षिक सम्प्राप्ति के मूल्यांकन हेतु 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन' संबंधी एक प्रणाली का विकास किया गया है। इसका वर्तमान में फील्ड ट्रायल किया जा रहा है। इस 'सतत एवं व्यापक मूल्यांकन प्रणाली' को अंतिम स्वरूप प्रदान कर सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी उपयोग किया जायेगा तथा इस पर आधारित प्रशिक्षण और अभिमुखीकरण जुलाई, 2001 से आरम्भ होने वाले शैक्षिक सत्र में आयोजित किया जायेगा। यह उल्लेखनीय है कि सतत व्यापक मूल्यांकन संबंधी प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों के प्रशिक्षण मॉड्यूल का विकास नहीं किया जायेगा वरन् इसे सर्व शिक्षा अभियान में नियमित शिक्षक-प्रशिक्षण मॉड्यूल में एक अंश के रूप में ही रखा जायेगा तथा मुख्यतः एतद्-विषयक प्रशिक्षण डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. स्तरीय अभिकर्मियों को प्रदान किया जायेगा जिससे वे इस प्रणाली का क्रियान्वयन विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित करा सकें।

डायट स्तर पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा उनके प्रतिभागी निम्नवत् सारिणी द्वारा प्रदर्शित है—

| क्र.सं. | कार्यक्रम | प्रतिभागी | अवधि |
|---------|--|--|--------|
| 1. | विजनिंग कार्यशाला | डायट के संकाय सदस्य, डी.पी.ओ. स्टाफ, ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. बी.आर.सी. समन्वयक | 04 दिन |
| 2. | शिक्षक प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | चुने हुए प्रशिक्षक | 10 दिन |
| 3. | शिक्षामित्र/आचार्य जी का प्रशिक्षण | शिक्षामित्र, आचार्यजी | |
| | 1. आधारभूत प्रशिक्षण | | 30 दिन |
| | 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | | 15 दिन |
| 4. | वैकल्पिक शिक्षा के अनुदेशकों का प्रशिक्षण | अनुदेशक | |

| | | | |
|-----|--|---|--------|
| | 1. आधारभूत प्रशिक्षण | | 15 दिन |
| | 2. रिफ्रेशर प्रशिक्षण | | 10 दिन |
| 5. | वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के पर्यवेक्षण हेतु प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 03 दिन |
| 6. | ई.सी.सी.ई. केन्द्रों के अनुदेशकों का प्रशिक्षण | ई.सी.सी.ई. केन्द्रों की कार्यकर्त्रियाँ तथा सहायिकाएँ | 07 दिन |
| 7. | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयकों का प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 07 दिन |
| 8. | ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. का प्रशिक्षण | ए.बी.एस.ए., एस.डी.आई. | 05 दिन |
| 9. | ग्राम शिक्षा समितियों के प्रशिक्षण हेतु बी.आर.जी. का प्रशिक्षण | बी.आर.जी. के सदस्य | 03 दिन |
| 10. | कम्प्यूटर शिक्षण हेतु प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के चयनित शिक्षक | 01 माह |
| 11. | अंग्रेजी तथा संस्कृत विषयों के शिक्षण हेतु प्रशिक्षण | चुने हुए शिक्षक प्रशिक्षण | 05 दिन |
| 12. | उर्दू शिक्षकों का प्रशिक्षण | उर्दू शिक्षक | 05 दिन |
| 13. | सेवा पूर्वागम प्रशिक्षण | नवनियुक्त सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय | 10 दिन |
| 14. | नेतृत्व प्रशिक्षण | प्रधानाध्यापक पद पर पदोन्नति प्राप्त करने वाले शिक्षक | 05 दिन |
| 15. | एक्शन रिसर्च हेतु प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए समन्वयक तथा चयनित शिक्षक | 05 दिन |
| 16. | मेटैरियल मेला | चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 17. | सतत व्यापक मूल्यांकन हेतु प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. सम0 डायट स्टाफ, चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 18. | अकादमिक पर्यवेक्षण तथा श्रेणीकरण हेतु प्रशिक्षण | डायट स्टाफ, बी.आर.सी. एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 03 दिन |
| 19. | कार्यानुभव प्रशिक्षण | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. के चुने हुए सम0 तथा चयनित उच्च प्रा0वि0 के शिक्षक | 05 दिन |
| 20. | अनुपूरक अध्ययन सामग्री विकास हेतु कार्यशाला | चिन्हित शिक्षक शिक्षिकाएँ | 03 दिन |
| 21. | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान शिक्षण हेतु सामग्री विकास | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 22. | गणित शिक्षण हेतु सामग्री विकास कार्यशाला | प्राथमिक/उच्च प्राथमिक, हाईस्कूल इण्टर कालेज के चुने हुए शिक्षक | 03 दिन |
| 23. | अकादमिक संदर्भ समूह की क्षमता विकास कार्यशाला | अकादमिक संदर्भ समूह के सदस्य | 05 दिन |
| 24. | कक्षा शिक्षण में श्रव्य-दृश्य माध्यम से उपयोग संबंधी कार्यशाला | बी.आर.सी. समन्वयक, चुने हुए विद्यालयों के शिक्षक | 02 दिन |
| 25. | बहुश्रेणी शिक्षण हेतु सेल्फ लर्निंग मेटैरियल का विकास संबंधी कार्यशाला | चुने हुए शिक्षक | 05 दिन |
| 26. | वास्तविक शिक्षण समय को बढ़ाने हेतु | बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. समन्वयक | 02 दिन |

अकादमिक सुपरविजन में डायट, बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका

अकादमिक सुपरविजन में डायट बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. की समेकित भूमिका रहेगी। एन.पी.आर.सी. अनुश्रवण का प्रतिवेदन बी.आर.सी. को देगा, तथा समीक्षा करके बी.आर.सी. प्रतिवेदन डायट में प्रस्तुत करेगा। डायट में ए.आर.जी. के सदस्यों द्वारा मुख्य समस्याओं पर चर्चा करके भविष्य का एजेन्डा तैयार करेगा। डायट जनपद स्तर पर अकादमिक नेतृत्व प्रदान करेगा तथा इसके निर्देशन में बी.आर.सी., एन.पी.आर.सी. कार्य करेंगे। प्रत्येक स्तर पर मासिक बैठकों का आयोजन, भ्रमण, कार्यों का अनुश्रवण तथा "श्रेणीकरण" के माध्यम से प्रभावी कार्य संस्कृति का विकास किया जायेगा। अकादमिक पर्यवेक्षण की परिधि में अशासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों, हाईस्कूल, इण्टर कॉलेज में 6-8 कक्षाओं को पढ़ाने वाले शिक्षकों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई., ई.जी.एस. केन्द्रों को भी लाया जायेगा।

बी.आर.सी. तथा एन.पी.आर.सी. में गुणवत्ता विकास में प्रस्तावित भूमिका के संदर्भ में इनका प्रशिक्षण तथा अभिमुखीकरण डायट स्तर पर किया जायेगा। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का बल इस बात पर होगा कि बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत चलाई गई अकादमिक पर्यवेक्षण प्रणाली को अधिक सुदृढ़ तथा सक्षम बनाया जा सके। विद्यालयों, एन.पी.आर.सी., बी.आर.सी. का उनके कार्य निष्पादन के आधार पर श्रेणीकरण किया जायेगा तथा अपेक्षित स्तर का प्रदर्शन न करने वाले विद्यालयों, संसाधन केन्द्रों को चिन्हित कर उन पर विशेष बल दिया जायेगा।

बी.आर.सी. की भूमिका :

ब्लॉक स्तर पर स्थापित ये संसाधन केन्द्र डायट के नेतृत्व में गुणवत्ता विकास हेतु अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- सेवारत शिक्षकों का प्रशिक्षण- आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों में प्रशिक्षणों के प्रभाव का पर्यवेक्षण करेंगे।
- वैकल्पिक शिक्षा, ई.जी.एस., शिशु शिक्षा केन्द्रों का पर्यवेक्षण करेंगे।
- समुदाय के सदस्यों का बी.आर.सी. के माध्यम से प्रशिक्षण तथा समुदाय की भागीदारी बढ़ाने के लिए पंचायतराज संस्थाओं तथा अन्य विभागों से समन्वय स्थापित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- अकादमिक समस्याओं के निवारण हेतु एन.पी.आर.सी. तथा डायट के मध्य सक्रिय कड़ी का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर गुणवत्ता विकास हेतु 'संदर्भ समूह' विकसित करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराने तथा अकादमिक अनुश्रवण का कार्य करेंगे।
- बी.आर.सी. स्तर पर सामग्री निर्माण कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- प्राथमिक शिक्षा के प्रति समुदाय, अभिभावकों तथा संचार माध्यमों को अभिप्रेरित कर संवेदनशील बनायेंगे।

एन.पी.आर.सी. की भूमिका—

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र अपनी वार्षिक कार्ययोजना विकसित करेंगे।

- शिक्षकों के लिए मासिक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं का आयोजन करेंगे।
- विद्यालयों, वैकल्पिक शिक्षा, ई.सी.सी.ई. तथा ई.जी.एस. केन्द्रों का अकादमिक पर्यवेक्षण करेंगे।
- वी.ई.सी. के सदस्यों, डब्लू. एम.जी./पी.टी.ए./एम.टी.ए. सदस्यों का प्रशिक्षण आयोजित करेंगे।
- ई.एम.आई.एस. आंकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण करेंगे।
- स्कूल भ्रमण तथा आदर्श पाठों का प्रस्तुतीकरण करेंगे।
- शोध एवं मूल्यांकन अध्ययन के लिए शिक्षकों को सहयोग प्रदान करेंगे।
- 'स्कूल डेवलपमेन्ट प्लान' का विकास कराकर इसका अनुश्रवण करेंगे।
- एन.पी.आर.सी., अभिभावकों, शिक्षकों तथा बच्चों के लिए एक स्रोत केन्द्र के रूप में अपने आपको विकसित करेंगे।

12. नवाचार कार्यक्रम —

वर्ष 1994-95 में जनपद इलाहाबाद के 20 विकासखण्डों में एक-एक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तीन वर्षों के लिये प्रायोगिक तौर पर बालिकाओं के लिये कार्यानुभव कार्यक्रम संचालित किया गया जिसमें स्थानीय कला/काशल आधारित प्रशिक्षण बालिकाओं को प्रदान किया गया। इसके अंतर्गत लड़कियों को सिलाई कढ़ाई बुनाई आदि कलारूपों का प्रशिक्षण दिया गया। इस परियोजना का बालिकाओं के नामांकन और टहराव पर प्रभाव की दृष्टि से किये गये अध्ययन के अनुसार (Evaluation of the Pilot Project of work experience for girls of upper primary schools in UP, 1998 C.K. Misra) जिन स्थानों पर यह योजना संचालित की गई वहाँ कोई भी छात्रा विद्यालय से 'ड्राप आउट' नहीं हुई। यह निष्कर्ष इस धारणा की पुष्टि करता है कि कौशल विकास के कार्यक्रम उच्च प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं के धारण में मदद करते हैं।

इस आधार पर बालिकाओं के लिए कार्यानुभव शिक्षण को जनपद में नवाचार कार्यक्रम के रूप में संचालित किया जायेगा। इस हेतु सर्वप्रथम जनपद के 3 विकासखण्डों में सभी उच्च प्राथमिक विद्यालयों/कन्या उच्च प्राथमिक विद्यालयों को चिन्हित किया जायेगा। इसमें सिलाई कढ़ाई, फलसंरक्षण तथा हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शिक्षकों को चिन्हित कर डायट पर प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा जो इस कार्यक्रम के विद्यालय स्तर पर प्रभारी होंगे। विद्यालयवार विभिन्न कौशलों के अनुसार स्थानीय विशेषज्ञों का चयन किया जायेगा और सामग्री- उपकरण क्रय कर व्यवस्था की जायेगी। इन शिल्पों/कौशलों के लिए सप्ताह में तीन दिन शिक्षण समय के उपरान्त अंतिम दो वादनों में लड़कियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। इस कार्यक्रम का पर्यवेक्षण डायट द्वारा किया जायेगा तथा सामग्री क्रय विद्यालय स्तर पर किया जायेगा। कार्यक्रम का वार्षिक मूल्यांकन भी किया जायेगा।

उत्कृष्ट कार्य हेतु पुरस्कार/ प्रोत्साहन की व्यवस्था -

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन जनपद में विभिन्न स्तरों पर किया जायेगा। कार्यक्रम के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन में विकास खण्ड, न्याय पंचायत तथा ग्राम स्तरीय अभिकर्मियों एवं शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। सर्व शिक्षा अभियान हेतु प्रस्तावित कार्ययोजना के क्रियान्वयन विशेषकर गुणवत्ता विकास हेतु कार्यक्रमों का सुचारु संचालन एवं प्रत्येक स्तर पर उपयुक्त कार्य संस्कृति को स्थापित तथा प्रोत्साहित करने की दृष्टि से उप-जनपद तथा अन्य स्तरों पर कार्यरत अभिकर्मियों एवं शिक्षकों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने और उत्कृष्ट कार्य करने वालों को प्रोत्साहन दिया जायेगा और पुरस्कृत भी किया जायेगा।

जनपद में प्रति वर्ष उत्कृष्ट कार्य-निष्पादन वाले 2 बी.आर.सी. को रू. 10,000 की दर से तथा प्रत्येक विकास खण्ड में 1 एन.पी.आर.सी. को रू. 7,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इसी प्रकार प्रत्येक विकास खण्ड में से काट निष्पादन के आधार पर चयनित दो ग्राम शिक्षा समितियों को क्रमशः रू.15,000 तथा रू.10,000 की दर से पुरस्कार प्रदान किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग ग्राम शिक्षा समिति अपने निर्णयानुसार विद्यालय को समृद्ध बनाने में कर सकेगी। शिक्षकों को नवाचार के लिये प्रेरित करने के लिये, पठन-पाठन के उत्कृष्ट मानदण्ड स्थापित करने की दृष्टि से प्रतिभाशाली एवं योग्य शिक्षकों को चुनकर प्रत्येक विकास खण्ड में से एक-एक अध्यापक को पुरस्कृत किया जायेगा तथा इस हेतु उन्हें रू. 5,000 प्रदान किया जायेगा। पुरस्कार के धनराशि का उपयोग बी.आर.सी, एन.पी.आर.सी. समन्वयकों व शिक्षकों के ज्ञान अभिवृद्धि व अन्तर्राज्यीय भ्रमण/ एक्सपोजर विजिट पर किया जायेगा।

गुणवत्ता सुधार में सामुदायिक सहभागिता

शैक्षिक सत्र में दो बार छमाही परीक्षा के बाद, (दिसम्बर) एवं वार्षिक परीक्षा के बाद, (मई) में विद्यालय समारोह आयोजित किये जायेंगे, जिनमें ग्राम शिक्षा समिति के सदस्य एवं अभिभावक प्रतिभाग करेंगे। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं के रिपोर्ट कार्ड वितरित किये जायेंगे तथा बच्चों की शैक्षिक सम्प्राप्ति पर समुदाय के सदस्यों से चर्चा की जायेगी।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान का सुदृढीकरण

भवन का विस्तार

| | अनुमानित लागत (रू०लाख में) |
|---|-----------------------------|
| 1. कार्यालय भवन के एक अतिरिक्त तल (द्वितीय तल) का निर्माण | 40.00 |
| 2. एक सभाकक्ष का निर्माण | 8.00 |
| 3. एक अतिरिक्त प्रशिक्षण कक्ष का निर्माण | 2.00 |
| योग | 50.00 लाख |

उपकरण/साज सज्जा

| | |
|---|------------------|
| 1. कम्प्यूटर,(4) प्रिंटर, यू.पी.एस. | 6.00 |
| 2. फोटोकॉपीयर | 1.50 |
| 3. पुस्तकालय हेतु पुस्तकें रैक, कुर्सी-मेज | 1.00 |
| 4. जनरेटर, वाटर कूलर, डुपलिकॉटिंग मशीन, फैंक्स मशीन | 1.50 |
| योग | 10.00 लाख |

आवर्तक (प्रतिवर्ष)

| | |
|--------------------------|------------------|
| 1. क्रियात्मक शोध/अध्ययन | 2.00 |
| 2. कार्यशालाएं/सेमीनार | 2.00 |
| 3. प्रकाशन एवं मुद्रण | 4.00 |
| 4. कंटीन्जेसी | 1.00 |
| 5. वाहन रख-रखाव/पी.ओ.एल. | 0.50 |
| योग | 10.00 लाख |

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के लिए कम्प्यूटर का प्रावधान किया गया है। ये कम्प्यूटर जनपद में संचालित शिक्षक प्रशिक्षणों के लिये सामग्री विकास के लिये उपयोगी सिद्ध होंगे। सूचना तकनीक पर आधरेत शिक्षक प्रशिक्षण सामग्री के विकास में भी ये कम्प्यूटर उपयोगी सिद्ध होंगे।

अध्याय-10

परियोजना क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण

सर्व शिक्षा अभियान की परियोजना वर्तमान व्यवस्था की सम्पूरक व्यवस्था के रूप में संचालित की जायेगी। इसकी अवधि वर्ष 2001 से वर्ष 2010 तक की होगी। इस अवधि में 6-14 आयु के सभी बालक/ बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान की जायेगी तथा सभी कार्यक्रम एवं उनका प्रबंधन उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। इस अवधि में पर्याप्त क्षमता एवं प्रबंधन कौशल विकसित कर लिये जाने का लक्ष्य है।

परियोजना का प्रबंधन टीम भावना पर आधारित होगा और इसमें व्यक्तिगत पहल के लिये पर्याप्त अवसर उपलब्ध होंगे। प्रबंधन लोकतांत्रिक होगा और इससे यह अपेक्षा होगी कि यह अधिकतम जन सहभागिता सुनिश्चित कर सके। समय-समय पर समीक्षा और रणनीतियों के परिवर्तन के लिये इसे तत्पर रहना होगा और यह परिवर्तन भी सहभागिता पर आधारित होंगे। इससे सबसे निचले स्तर पर जबाबदेही, दिन-प्रतिदिन कार्यक्रमों का अनुश्रवण किया जायेगा। अध्यापकों व छात्रों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी।

प्रबंध तन्त्र : संवेदनशील और लचीली प्रणाली:-

सर्व शिक्षा अभियान की समस्त प्रक्रियाओं में सामुदायिक सहभागिता प्राप्त करते हुये विकेन्द्रीकृत शैक्षिक प्रबंधन प्रणाली स्थापित कर प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के लक्ष्य को प्राप्त किया जाना है। इस व्यापक कार्य के सम्पादन के लिये प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन में उच्च कोटि का लचीलापन लाने, जबाबदेही सुनिश्चित करने की प्रणाली स्थापित करने, वित्तीय निवेशों को अवाध प्रवाह प्रदान करने और नवाचारात्मक विधियों के साथ प्रयोग की सुविधा निर्मित करने के साथ उ0 प्र0 सर्व शिक्षा अभियान ने एक प्रबंध तन्त्र तैयार किया है, जो निम्नवत् दर्शाया जा सकता है-

निर्णयकर्ता समितियां

सर्व शिक्षा अभियान की प्रबंधन पंक्ति

सहायक अकादमिक संस्थायें

साधारण सभा और कार्यकारणी
समिति यू० पी० ई० एफ०
ए०पी०बी०

राज्य परियोजना कार्यालय

एस०सी०ई०आर०टी०
एस०आई०ई०, साईगेट
एस०आई०ई०टी०
एन०जी०ओ० आदि

जिला शिक्षा परियोजना समिति

जिला परियोजना कार्यालय

डायट, एन०जी०ओ० आदि

क्षेत्र विकास समिति

ब्लॉक शिक्षा अधिकारी

ब्लॉक संसाधन केन्द्र

ग्राम शिक्षा समिति

निद्यालयप्रधानाध्यापक/अध्यापक

सकुल संसाधन केन्द्र

संगठनात्मक ढांचा- नीति निर्धारण

ग्राम शिक्षा समिति :

ग्राम स्तर पर बेसिक शिक्षा सम्बन्धी समस्त कृत्यों के सम्पादन हेतु बेसिक शिक्षा अधिनियम 1972 यथा संशोधित वर्ष 2000 के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य है:-

समिति का स्वरूप निम्नवत है :-

1. ग्राम पंचायत का प्रधान अध्यक्ष
2. ग्राम पंचायत में स्थित बेसिक स्कूल का प्रधान अध्यापक और यदि वहां एक से अधिक स्कूल हों तो उनके प्रधान अध्यापकों में से ज्येष्ठतम सदस्य ग्राम शिक्षा समिति का सचिव होगा।।
3. बेसिक स्कूलों के छात्रों के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। : सदस्य

अधिकार एवं दायित्व :

ग्राम शिक्षा समिति निम्नलिखित कार्यों का सम्पादन करेगी-

- (क) पंचायत क्षेत्र में बेसिक स्कूलों के निष्पादन हेतु प्रशासन, नियन्त्रण और प्रबंधन करना।
- (ख) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिये योजनाएँ तैयार करना।
- (ग) पंचायत क्षेत्र में बेसिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ शिक्षा की अभिवृद्धि और विकास करना।
- (घ) बेसिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के सुधार के लिये जिला पंचायत को सुझाव देना।

- (ड) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो बेसिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक समझें जायें।
- (च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी बेसिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसे निहित की जाये लघु दण्ड देने की सिफारिश करना।
- (छ) बेसिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों को करना, जिन्हे राज्य सरकार द्वारा उसे सौंपे जायें।

उ० प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत यह समिति नीति निर्धारण के साथ-साथ मुख्य कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करती रही है, जिसमें विद्यालय भवनों का निर्माण, परीषद में सुधार, शैक्षिक उपकरणों की आपूर्ति आदि सम्मिलित है। ग्राम शिक्षा समिति बेसिक शिक्षा सम्बन्धी कार्यों में जनता की सहभागिता हासिल करने में सफल हुई है। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा विद्यालय प्रबंधन एवं शैक्षिक नियोजन सम्बन्धी सारे कृत्यों का सम्पादन किया जायेगा। इसे अधिक प्रभावी बनाने एवं सक्रिय सामुदायिक भागीदारी के साथ-साथ बस्ती/ ग्राम स्तर पर शैक्षिक योजना तैयार करने और इसका समयबद्ध क्रियान्वयन करने हेतु इसके सदस्यों को माइक्रोप्लानिंग आदि विधाओं में सक्षम बनाया जायेगा ताकि बुनियादी स्तर से प्रारम्भिक शिक्षा का लक्षित विकास हो सके।

उपर्युक्त के अतिरिक्त शिक्षा गारंटी योजना केन्द्र/वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों की मांग तथा शिक्षा के लिये परिवेश का निर्माण एवं अन्य समस्त संसाधनों का संकेन्द्रण (Convergence) इसी समिति का अधिकार एवं दायित्व है। शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों, आचार्यों, आंगनवाडी केन्द्रों के स्टाफ के वेतन/ मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। छात्रवृत्तियों का वितरण,

पोषाहार वितरण का नियन्त्रण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण ग्राम शिक्षा समिति के पर्यवेक्षण में किया जायेगा।

न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र (एन0पी0आर0सी0):-

इस जनपद में सभी न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों का निर्माण 30 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत कराया जा चुका है। इसे सुसज्जित किये जाने के साथ-साथ संकुल प्रभारियों की नियुक्ति कर उन्हें प्रशिक्षित किया जा चुका है। इनको प्रशिक्षण के माध्यम से और अधिक सक्रिय एवं क्रियाशील बनाया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण करना।
2. अध्यापकों की साप्ताहिक बैठक करना उनकी व्यक्तिगत कठिनाइयों पर विचार-विमर्श एवं उसका निराकरण करना।
3. ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित कराना।
4. ग्राम शिक्षा समितियों के सहायोग से न्याय पंचायत क्षेत्र के विद्यालयों में गुणवत्ता के सुधार परिवेश निर्माण आदि की योजना तैयार करना।
5. न्याय पंचायत स्तरीय शैक्षिक सूचनाओं का संकलन एवं सूक्ष्म नियोजन।

क्षेत्र पंचायत स्तरीय समिति :

जिले की भाँति ही प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक ब्लाक शिक्षा सलाहकार समिति गठित है जो सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत विकास खण्ड स्तर पर कार्यक्रम निर्धारण अनुश्रवण आदि के लिये उत्तरदायी होगी।

क्षेत्र पंचायत स्तर पर गठित समिति में निम्नलिखित पदाधिकारी सम्मिलित हैं-

- | | |
|--|--------------|
| 1. ब्लाक प्रमुख | अध्यक्ष |
| 2. सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति उप विद्यालय निरीक्षक | सदस्य - सचिव |

- | | | |
|----|---|-------|
| 3. | विकास खण्ड का एक ग्राम प्रधान | सदस्य |
| 4. | विकास खण्ड का एक वरिष्ठतम प्रधानाध्यापक | सदस्य |

अधिकार एवं दायित्व :

इस समिति का मुख्य कार्य ब्लाक संसाधन केन्द्र एवं न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के कार्यों में समन्वय स्थापित करना। जिला परियोजना समिति के निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित करना तथा क्षेत्र पंचायत के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्त एवं अनुश्रवण करना इसका मुख्य दायित्व होगा। यह समिति ग्राम शिक्षा समितियों एवं जिला शिक्षा परियोजना समिति के बीच सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी तथा सुनिश्चित रोजगार योजना/ जे0जी0एस0वाई0 के लिये आवंटित धनराशि में से प्राथमिकता के आधार पर धन उपलब्ध कराने में यह विशेष सहायक होगी। इस समिति की प्रत्येक महीने में एक बैठक अनिवार्य होगी।

प्रशासनिक संगठन - ब्लाक स्तर :

प्रत्येक क्षेत्र पंचायत स्तर पर एक सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी /प्रति उप विद्यालय निरीक्षक कार्यरत हैं जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के नियन्त्रण में परियोजना के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करायेगे तथा नियमित रूप से पर्यवेक्षण व अनुश्रवण करेगे। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक, परियोजना क्रियान्वयन एवं प्रगति हेतु उत्तरदायी होंगे। विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम शिक्षा समितियों, ब्लाक संसाधन केन्द्र, न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों के मध्य समन्वय स्थापित करना उनका दायित्व होगा और इसके लिये उन्हें आवश्यक अधिकार एवं सुविधायें प्रदान की जायेगी। विकास खण्ड के विद्यालय सांख्यिकी को समय से एकत्रित करना तथा जिला परियोजना समिति को उपलब्ध कराया जाना एवं सांख्यिकी की शुद्धता को बनाये रखने में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी की विशेष भूमिका एवं उत्तरदायित्व होगा। सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन विकास खण्ड परियोजना अधिकारी होंगे। साररूप में विकास खण्ड स्तरीय अधिकारी के प्रमुख उत्तरदायित्व निम्नलिखित होंगे:-

1. सर्व शिक्षा अभियान की नीतियों एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन।
2. विद्यालय भवनों के निर्माण का पर्यवेक्षण करना।
3. ग्राम शिक्षा समितियों को प्रभावी बनाना।
4. ब्लाक परियोजना समिति की बैठक कराना एवं उसके निर्णयों का अनुपालन सुनिश्चित कराना।
5. ब्लाक स्तर पर शैक्षिक ऑकड़े एकत्रित कर संकलित करना।
6. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों का वितरण सुनिश्चित कराना तथा सूचना एकत्र करना।
7. खाद्यान्न वितरण तथा उससे सम्बन्धित सूचना संकलित कराना।
8. विद्यालयों में अध्ययनरत सभी बालिकाओं एवं अनु0जा0/जन0जा0 के सभी बालक/बालिकाओं को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का समय से वितरण सुनिश्चित कराना।
9. विद्यालयों का निरीक्षण करना तथा गुणवत्ता में सुधार लाना।
10. विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात बनाये रखना और आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की नियुक्तियां सुनिश्चित कराना।
11. ग्राम शिक्षा समितियों तथा ब्लाक शिक्षा समिति के बीच समन्वय स्थापित करना।
12. अध्यापकों के वेतन बिल प्रस्तुत करना तथा वेतन भुगतान सुनिश्चित करना।

ई.जी.एस. तथा ए.आई.ई. के संचालन का अनुश्रवण सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/ प्रति उप विद्यालय निरीक्षक करेंगे तथा ई0जा0एस0 एवं ए0आई0ई0 केन्द्रों पर अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं का विवरण एवं कार्यक्रम की प्रगति नियमित रूप से जिला परियोजना कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेगें।

सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय हेतु बेसिक शिक्षा परियोजना के अर्न्तगत पूर्व में ही निर्मित ब्लाक संसाधन केन्द्र में आवश्यक स्थान की व्यवस्था की जायेगी। वे सर्व शिक्षा अभियान

में विकास खण्ड परियोजना अधिकारी की भूमिका में समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इस हेतु उनकी क्षमता में वृद्धि तथा गतिशीलता बढ़ाने के उद्देश्य से एक मोटर साइकिल के साथ यात्रा भत्ता तथा रख-रखाव हेतु नियत धनराशि (18000/- प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड) उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है। उन्हें ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 योजना के कार्य सम्पादन हेतु प्रशिक्षण दिया जायेगा। तथा उनके शासकीय दायित्वों के निष्पादन में सहायता हेतु एक बी0आर0सी0 सह समन्वयक प्रत्येक विकास खण्ड संसाधन केन्द्र में नियुक्त किया जायेगा।

ब्लाक संसाधन केन्द्र (बी0आर0सी0)

इस जनपद में उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना से संचालित हो चुकी है और सभी विकास खण्डों ब्लाक संसाधन केन्द्रों के भवनों का निर्माण कराया जा चुका है। परियोजना के अन्तर्गत सभी ब्लाक संसाधन केन्द्र विद्युतीकृत एवं सुसज्जित है। यहां समन्वयक भी नियुक्त किये जा चुके हैं और वे प्रशिक्षण भी प्राप्त कर चुके हैं। सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत कार्यक्रम की व्यापकता तथा उच्च प्राथमिक स्तर तक विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए प्रत्येक ब्लाक संसाधन केन्द्र में एक अतिरिक्त सह समन्वयक का पद सृजित किया जायेगा, जो सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी के परियोजना कार्यों के पर्यवेक्षण, सूचना को एकत्रित करना, संकलन, विद्यालय सांख्यिकी के संकलन एवं सभी प्रकार की बैठकों के आयोजन तथा कार्यक्रमों के अनुश्रवण में सहायता करेंगे।

शैक्षिक, गुणवत्ता सम्वर्द्धन व समर्थन हेतु देखा गया है कि बी0आर0सी0 समन्वयक का अधिकाधिक समय सूचना के एकत्रीकरण एवं विश्लेषण में व्यय होता है। अतः प्रत्येक बी0आर0सी0 को एक कम्प्यूटर व एक कम्प्यूटर आपरेटर के साथ सुदृढीकृत करने की योजना है। जिसके लिये प्रत्येक बी0आर0सी0 एक लाख रुपये का प्राविधान किया जा रहा है। किसी एक अध्यापक/समन्वयक को प्रशिक्षण देकर कम्प्यूटर का संचालन कराया जायेगा।

कार्य एवं दायित्व :

1. अध्यापकों को अभिनवीकरण प्रशिक्षण प्रदान करना।
2. विद्यालयों का एकेडमिक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करना कि नवीन विधियों के अनुसार शिक्षण कार्य किया जा रहा है अथवा नहीं।
3. विकास खण्डों की एकेडमिक आवश्यकताओं का आकलन एवं संकलन करना, शैक्षणिक आवश्यकताओं का सूक्ष्म नियोजन करना।
4. ब्लाक स्तर पर एकेडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
5. न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण के बीच सम्पर्क सूत्र के रूप में कार्य करना।
6. ब्लाक स्तर के अधिकारियों एवं अन्य विभाग के अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना एवं शिक्षा के हित में उसका नियोजन करना।
7. विकास खण्ड के अन्तर्गत स्कूल से बाहर बच्चों के संबंध में बस्तीवार तथा बच्चों का नामवार कम्प्यूअराइज्ड विवरण तैयार करना।
8. ब्लाक में विद्यालय सांख्यिकी का समय-समय पर एक एकत्रीकरण व सेमिनल चैकिंग का अनुश्रवण करना।

जनपद स्तरीय समिति:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत नीति निर्धारण एवं रणनीतियों के निर्धारण के लिये जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति, उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत पूर्व से ही गठित है जिसके अध्यक्ष जनपद के जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष मुख्य विकास अधिकारी एवं सचिव जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी है।

समिति का गठन निम्नवत है -

| | | |
|---|---|------------|
| ❖ जिलाधिकारी | - | अध्यक्ष |
| ❖ मुख्य विकास अधिकारी | - | उपाध्यक्ष |
| ❖ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | - | सदस्य-सचिव |
| ❖ प्राचार्य डायट | - | सदस्य |
| ❖ जिला श्रम अधिकारी | - | सदस्य |
| ❖ जिला समाज कल्याण अधिकारी | - | सदस्य |
| ❖ वित्त एवं लेखाधिकारी(बेसिक शिक्षा) | - | सदस्य |
| ❖ अधिशासी अभियंता(आर.ई.एस.) | - | सदस्य |
| ❖ अधिशासी अभियंता(पी0डब्ल्यू0डी0) | - | सदस्य |
| ❖ जिला विद्यालय निरीक्षक | - | सदस्य |
| ❖ दो शिक्षा विद् (विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय से) | - | सदस्य |

जिलाधिकारी द्वारा नामित

- ❖ दो क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष वर्णमाला क्रम-से (एक वर्ष के लिये)
- ❖ दो शिक्षक (राष्ट्रीय/राज्य पुरस्कार प्राप्त)
- ❖ स्वैच्छिक संगठन के दो प्रतिनिधि (जिलाधिकारी द्वारा नामित)

जिला शिक्षा परियोजना समिति के अधिकार एवं दायित्व:-

यह समिति सर्व शिक्षा अभियान हेतु जिले की सर्वोच्च नीति नियामक समिति है। जिले स्तर पर उ0 प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना के द्वारा निर्धारित सीमाओं के अर्न्तगत रहते हुये इसे जनपद स्तर पर आवश्यक निर्णय लेने का अधिकार है। रणनीतियों में परिवर्तन से लेकर निर्माण कार्य, गुणवत्ता में सुधार एवं जनसहभागिता सुनिश्चित करने, रणनीति निर्धारण के संबंध में इसके

निर्णय प्रभावी होंगे। प्रवेश, धारण, गुणवत्ता संवर्धन, निर्माण के लिये तकनीकी पर्यवेक्षण के लिये संस्थाओं का निर्धारण एवं प्रचार-प्रसार के लिये सभी कार्य इसी समिति द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। यह समिति जिले के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान के संरचना संचालन एवं निर्देश के लिये जनपद स्तर की सर्वोच्च समिति होगी। जनपद में ई0जी0एस0/ ए0आई0ई0 से सम्बन्धित प्रस्तावों का अनुमोदन तथा कार्यक्रम के संचालन का पूर्ण दायित्व भी इसी समिति का होगा।

जिला बेसिक शिक्षा समिति :

उ0प्र0 बेसिक शिक्षा परियोजना परिषद अधिनियम 1972 के अन्तर्गत प्रत्येक जिले में ग्रामीण क्षेत्र के लिये जिला बेसिक शिक्षा समिति गठित की गयी है जिसकी सदस्यता निम्न प्रकार है:-

- | | | |
|----|--|--------------|
| 1. | जिला पंचायत अध्यक्ष | अध्यक्ष |
| 2. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य - सचिव |
| 3. | अपर जिला मजिस्ट्रेट (नियोजन) | पदेन सदस्य |
| 4. | जिला समाज कल्याण अधिकारी | पदेन सदस्य |
| 5. | जिला विद्यालय निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 6. | अपर बेसिक शिक्षा अधिकारी(महिला)यदि कोई हो और उनकी अनुपस्थिति में विद्यालय उप निरीक्षक | पदेन सदस्य |
| 7. | तीन व्यक्ति, जो जिला पंचायत के सदस्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट किये जायेंगे। | सदस्य |
| 8. | विद्यालय उप निरीक्षक (पदेन) जो समिति का सहायक सचिव होगा। | सदस्य |

जिला बेसिक शिक्षा समिति, परिषद अधीक्षण और निर्देशों के अर्धान रहते हुये निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी।

(क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित बेसिक स्कूलों का प्रशासन करना।

(ख) नये बेसिक स्कूल स्थापित करना।

(ग) ऐसे बेसिक स्कूलों के विकास, प्रसार-सुधार के लिये योजनाएं तैयार करना।

अतः उपरोक्त समिति नये स्कूलों तथा असेवित क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु विद्यालय के लिये स्थल चयन में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन करेगी।

प्रशासनिक तन्त्र - जिला परियोजना कार्यालय :

जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपदीय परियोजना अधिकारी के रूप में कार्य करेगा। राज्य परियोजना समिति तथा जिला परियोजना समिति द्वारा निर्धारित नीति एवं कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियावन्धन, उसका दायित्व होगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी जनपद स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति के निर्देशन व मार्ग दर्शन में कार्यक्रमों का क्रियावन्धन करेगा। इस कार्य में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी की सहायता हेतु जिला परियोजना कार्यालय की स्थापना की जायेगी। जिसमें आवश्यक स्टाफ के पद उ०प्र० सर्भा के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के नियमों के अनुसार सृजित कर उसमें तैनाती की जायेगी।

जिला परियोजना कार्यालय में निम्नलिखित अधिकारी एवं कर्मचारी होंगे-

| | | |
|----|---|-----------------------------------|
| 1. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | पदेन जिला परियोजना अधिकारी |
| 2. | उप बेसिक शिक्षा अधिकारी (ई०जी०एस०/ए०आई०ई०) | 1 प्रतिनियुक्ति पर |
| 3. | समन्वयक | 4 प्रतिनियुक्ति अथवा नियत वेतन पर |
| 4. | सलाहकार | 2 रु. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 5. | ई.एम.आई.एस अधिकारी | 1 रु. 10,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 6. | कम्प्यूटर ऑपरेटर/ सांख्यिकी सहायक | 3 रु. 7,000/- नियत वेतन प्रति पद |
| 7. | सहायक लेखाधिकारी | 1 प्रतिनियुक्ति पर |
| 8. | लिपिक | 1 नियत मानदेय के आधार पर |
| 9. | परिचारक | 1 नियत मानदेय के आधार पर |

उपरोक्त में से उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना के सस्टेनिबिलिटी प्लान के अन्तर्गत कोई भी पद सृजित नहीं है। उपर्युक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी/जिला परियोजना अधिकारी के नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षण में कार्य करेंगे तथा परियोजना कार्यक्रमों के क्रियावयन में उसके प्रति उत्तरदायी होंगे। जनपद के कार्यरत सभी उप बेसिक शिक्षा अधिकारी पदेन उप जिला परियोजना अधिकारी होंगे तथा अपने क्षेत्र से सम्बन्धित सभी प्रकार के परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त स्टाफ के अतिरिक्त, अन्य उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/ सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी/प्रति-उप विद्यालय निरीक्षक तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय के सहायक स्टाफ का यह दायित्व होगा कि वे सर्व शिक्षा अभियान का कार्य अपने सरकारी कर्तव्य की तरह करेंगे। परियोजना के क्रियान्वयन हेतु पूर्ण लिपिकीय समर्थन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में उपलब्ध कर्मियों द्वारा प्रदान किया जायेगा।

निर्माण कार्य के तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था:-

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत होने वाले विद्यालय निर्माण कार्य की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तकनीकी पर्यवेक्षण की व्यवस्था जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम की भांति रखी जायेगी। निर्माण कार्य का तकनीकी पर्यवेक्षण ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अथवा लघु सिंचाई विभाग के अभियन्ताओं से कराया जायेगा, जिसके लिये उन्हें मानदेय सर्व शिक्षा अभियान से दिया जायेगा। ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा व लघु सिंचाई विभाग में पूर्व से ही विकास खण्ड स्तर पर अभियन्ता उपलब्ध हैं। मानदेय की जो दर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत निर्धारित है प्रथमतः उसी दर से भुगतान किया जायेगा। वर्तमान में प्रति प्राथमिक विद्यालय भवन हेतु ₹ 1,000, प्रति अतिरिक्त कक्षा कक्ष /न्याय पंचायत संसाधन केन्द्र हेतु ₹ 500 तथा प्रति शौचालय हेतु ₹ 200 की दर अनुमन्य है। प्राथमिक विद्यालय के भवन के साथ शौचालय के

निर्माण के तकनीकी पर्यवेक्षण हेतु अलग से मानदेय नहीं दिया जायेगा। यह विद्यालय भवन में सम्मिलित माना जायेगा। तीन वर्ष बाद मानदेय की दर में संशोधन का प्रावधान रखा जायेगा। 'अभियन्ताओं को मानदेय की धनराशि का भुगतान कार्य संतोषजनक होने पर जिलाधिकारी की अनुमति से जिला परियोजना कार्यालय द्वारा दिया जायेगा।

एजुकेशनल मेनेजमेन्ट इन्फोरमेशन सिस्टम (ई०एम०आई०एस०):-

सर्व शिक्षा अभियान के अर्न्तगत संचालित कार्यक्रमों के प्रभावी अनुश्रवण हेतु जिला परियोजना कार्यालय में एक सुदृढ़ एवं क्रियाशील एम०आई०एस० स्थापित किया जायेगा। बेसिक शिक्षा परियोजना जनपद में पूर्व से ही एम०आई०एस० डाटा केचर प्रणाली व प्राथमिक स्तर का डायस साफ्टवेयर स्थापित है तथा कम्प्यूटर हार्डवेयर भी उपलब्ध है। वर्ष 1997-98 से वर्ष 2000-2001 तक के शैक्षिक आंकड़े उपलब्ध हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिये साफ्टवेयर डाटाबेस तथा आवश्यकतानुसार कम्प्यूटर हार्डवेयर को उच्चिकृत कराने की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त जनपद में अनौपचारिक शिक्षा के अर्न्तगत एक कम्प्यूटर उपलब्ध है। उससे शिवा गारंटी योजना, वैकल्पिक शिक्षा योजना तथा नवाचार शिक्षा योजना सम्बन्धी गतिविधियों का अनुश्रवण, आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण किया जायेगा। इन दोनों कम्प्यूटर सिस्टम को संकलित कर एक अध्यावधिक एवं उपयुक्त ई०एम०आई०एस० तथा प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट उपलब्ध हो सकेगा।

प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की औपचारिक शिक्षा एवं वैकल्पिक/ नवाचार शिक्षा योजना की प्रतिवर्ष शैक्षिक सांख्यिकी के व्यापक कार्य को संपादित करने के लिये स्थापित कम्प्यूटराइज्ड ई०एम०आई०एस० के संचालनार्थ एक ई०एम०आई०एस० अधिकारी एवं तीन कम्प्यूटर आपरेटर्स/ सांख्यिकी सहायक रखे जायेगें जिससे इस प्रकार की व्यवस्था स्थापित हो सके कि विभिन्न प्रकार के शैक्षिक डाटा की रिपोर्ट व विश्लेषण तत्परता से उपलब्ध हो सके और जिला परियोजना कार्यालय, अपने स्तर पर ही ई०एम०आई०एस० के विभिन्न महत्वपूर्ण इण्डीकेटर्स पर रिपोर्ट तैयार

कर सके। वस्तुतः जिला परियोजना कार्यालय विभिन्न शैक्षिक आंकड़ों के एक संसाधन के रूप में विकसित हो सकेगा, जिसका उपयोग शैक्षिक नियोजन एवं अनुश्रवण में अधिक से अधिक किया जायेगा।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के कार्य एवं दायित्व

जिला परियोजना कार्यालय में स्थापित कम्प्यूटराइज्ड सूचना प्रबन्ध प्रणाली में तैनात ई0एम0आई0एस0 अधिकारी के निम्नलिखित कार्य एवं दायित्व होंगे-

- विद्यालयों हेतु सांख्यिकी प्रपत्रों का मुद्रण व वितरण कराना।
- समय से फील्ड स्टाफ (वी0आर0सी0 समन्वयक, एन0पी0आर0सी0 समन्वयक, प्रधानाध्यापकों) का प्रशिक्षण आयोजित कराना।
- माह अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में विद्यालय से भरे हुए प्रपत्रों का एकत्रीकरण कराना।
- भरे हुए प्रपत्रों की सैम्पुल चैकिंग संपादित कराना तथा परिवर्तन यदि कोई हो, अभिलिखित कराना।
- समयबद्ध रूप में दिसम्बर, 2001 के अन्त तक डाटा एन्ट्री पूर्ण कराना तथा रिपोर्ट तैयार कराकर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजना।
- संकुलवार व विकासखण्डवार जनपद की ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट का विश्लेषण तैयार कराना तथा बेसिक शिक्षा अधिकारी, प्राचार्य, जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान, जिला समन्वयकों तथा सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों को उपलब्ध कराना।
- सर्व शिक्षा अभियान के जिला परियोजना कार्यालय में सभी प्रकार की शैक्षिक सांख्यिकी के लिए नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करना तथा राज्य स्तरीय बैठकों/ कार्यशालाओं में प्रतिभाग कराना।

- माइक्रोप्लानिंग डाटा का कम्प्यूटरीकरण, विश्लेषण तथा रिपोर्ट तैयार कर सभी संबंधित को प्रस्तुत /प्रेषित करना।

ई0एम0आई0एस0 अधिकारी की शैक्षिक योग्यता, कम्प्यूटर आपरेटर की शैक्षिक योग्यता के समतुल्य होने के साथ ही सांख्यिकी विश्लेषण, प्रक्षेपण तकनीक आदि में अभीष्ट जानकारी व अनुभव रखना आवश्यक होगा।

प्रशिक्षण:-

विद्यालय सांख्यिकी सम्बन्धी कार्य हेतु कम्प्यूटर आपरेटर, प्रधानाध्यापक, सकूल प्रभारी, बी0आर0सी0 समन्वयक, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों का जनपद स्तर पर प्रशिक्षण आयोजित किया जायेगा और उन्हें ई0एम0आई0एस0 सम्बन्धी प्रपत्र तथा उन्हें भरने, संकलन, विश्लेषण आदि की जानकारी दी जायेगी। इनके अतिरिक्त विद्यालय सम्बन्धी आंकड़ों के दो प्रतिशत सेम्पल चेकिंग के लिये भी फील्ड स्टाफ को प्रशिक्षण दिया जायेगा जिससे आंकड़ों की शुद्धता की जांच हो सके।

1. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (जिला स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें जिला परियोजना अधिकारी, सभी समन्वयक, स्टाफ, कम्प्यूटर आपरेटर, लेखा स्टाफ प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे।

2. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (ब्लाक स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक एवं बी0आर0सी0 समन्वयक/सह समन्वयक आदि प्रतिभाग करेंगे।

3. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (न्याय पंचायत स्तर पर)

यह प्रशिक्षण दो दिवसीय होगा और इसमें एन0पी0आर0सी0 समन्वयक/ सह समन्वयक तथा सभी विद्यालयों के प्रधानाध्यापक प्रतिभाग करेंगे।

4. ई.एम.आई.एस. का प्रशिक्षण (प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्तर पर)

एस0पी0ओ0/सीमेट द्वारा आयोजित यह प्रशिक्षण एक सप्ताह का होगा इसमें डी0पी0ओ0 एवं बी0आर0सी0 के कम्प्यूटर आपरेटर भाग लेंगे। प्रथम तीन दिन ई0एम0आई0एस0 प्रबंधन एवं दूसरे तीन दिन में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फारमेशन सिस्टम का प्रशिक्षण दिया जायेगा।

आंकड़ों का एकत्रीकरण तथा शुद्धता की जांच:-

प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक स्तर दोनों के लिये नीपा, नई दिल्ली द्वारा तैयार किया गया विद्यालय सांख्यिकी प्रपत्र उपलब्ध हो गया है जिस पर प्रतिवर्ष विद्यालय स्तर से 30 सिमम्बर की स्थिति के अनुसार आंकड़ों को एकत्रित किया जायेगा एवं कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री के पश्चात ई0एम0आई0एस0 रिपोर्ट तैयार की जायेगा। प्रतिवर्ष विद्यालयों से प्राप्त भरे हुये प्रपत्रों का कम्प्यूटर प्रिन्ट-आउट जिला परियोजना कार्यालय द्वारा विद्यालय के प्रधानाध्यापक को भेजा जायेगा ताकि प्रधानाध्यापक को यह जानकारी हो सके कि उनके द्वारा जो सूचना भरकर भेजी गयी थी वह सही है। अप्रत्यक्ष रूप से वह सूचना की पुष्टि स्वरूप होगा और यदि कोई त्रुटि हो गयी हो तो उसे शुद्ध करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

आंकड़ों का उपयोग:-

ई0एम0आई0एस0 आंकड़ों के विश्लेषण से महत्वपूर्ण इन्डिकेटर्स जैसे- जी0ई0आर0, एन0ई0आर0, ड्राप-आउट दर, रिपीटीशन दर छात्र-अध्यापक अनुपात, कक्षा-कक्ष अनुपात, एकल अध्यापकीय विद्यालय आदि प्रतिवर्ष प्राप्त होंगे। इन इन्डिकेटर्स का उपयोग डिसिजन सपोर्ट सिस्टम्स में किया जायेगा ताकि बार-बार सूचनाओं के एकत्रीकरण में समय की बचत हो सके और कार्य योजना की संरचना में तदनुसार कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन किया जा सके। 'डायस' के अर्न्तगत ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों से स्कूल के बाहर के बच्चों की संख्या ज्ञात नहीं हो पाती है और स्कूल में अध्ययनरत तथा स्कूलों के बाहर बच्चों की संख्या का विश्लेषण एक ही स्रोत

से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर नहीं हो पाता है। अतः यह व्यवस्था प्रस्तावित है कि माइक्रोप्लानिंग से प्राप्त ग्राम स्तरीय आंकड़ों तथा ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त आंकड़ों का मिलान व विश्लेषण किया जायेगा तथा तदानुसार कार्य योजना में वांछित कार्यक्रमों का समावेश/ संशोधन अर्थात् होगा। ई0एम0आई0एस0 एवं माइक्रोप्लानिंग के आंकड़ों का उपयोग निम्न कार्यों हेतु भी किया जायेगा:-

1. नवीन विद्यालयों हेतु असेवित वस्तियों की पहचान।
2. शिक्षा गारंटी केन्द्र हेतु वस्तियों की पहचान तथा जनसंख्या के आधार पर वस्तियों की प्राथमिकता का निर्धारण।
3. छात्र संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप अतिरिक्त कक्षा कक्षों की आवश्यकता की पहचान।
4. एकल अध्यापकीय विद्यालयों का चिन्हीकरण।
5. छात्र अध्यापक अनुपात के आधार पर शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की आवश्यकता वाले विद्यालयों की पहचान।
6. बालिकाओं के कम नामांकन वाले विद्यालयों व न्याय पंचायतों का चिन्हीकरण।
7. निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों के वितरण हेतु लाभार्थी समूहों की संख्या का आंकलन।
8. अवस्थापना सम्बन्धी मांग का आंकलन व निर्धारण।
9. शिक्षकों का विवरण।
10. विभिन्न स्तरों पर विद्यालय निरीक्षण का रोस्टर।
11. विकलांगतावार आंकड़ों के अनुसार उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित कराना।

ई0एम0आई0एस0 से प्राप्त महत्वपूर्ण निष्कर्षों एवं सूचनाओं का उपयोग सम्बन्धित विषय/क्षेत्र के अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर अपने से सम्बन्धित कार्यक्रमों के आयोजन की प्राथमिकताओं के निर्धारण में किया जायेगा, जिसके लिये उन्हें प्रशिक्षण दिया जायेगा और उत्तरदायी बनाया जायेगा।
कोहोर्ट स्टडी:-

छात्र-छात्राओं के ठहराव में वृद्धि की प्रगति के अनुश्रवण हेतु जनपद में ड्राप-आऊट दर ज्ञात करने हेतु तीन वर्ष में एक बार कोहोर्ट स्टडी करायी जायेगी। स्टडी बाह्य एजेन्सी द्वारा कराई जायेगी जिसका अनुश्रवण सीमेट द्वारा कराया जायेगा। यह स्टडी प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्तर के लिये पृथक-पृथक से की जायेगी। एक स्टडी की अनुमानित लागत रु.2 लाख रखी गयी है।

प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इन्फोरमेशन सिस्टम:-

एम0आई0एस0 के द्वारा जनपद में परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की रिपोर्ट प्रतिमाह तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को भेजी जायेगी और जिन कार्यक्रमों में प्रगति धीमी है उनकी ओर जनपद के सम्बन्धित कार्यक्रम अधिकारी का ध्यान आकर्षित किया जायेगा तथा प्रगति को बढ़ाने की प्रभावी कार्यवाही की व्यवस्था की जायेगी।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एल0ए0सी0आई0 (LACI) के अन्तर्गत कम्प्यूटाइज्ड वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विकसित की जा रही है, जिसे सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत उपयोग किया जायेगा, जिसके लिये भी एम0आई0एस0 प्रयोग में लाया जायेगा।

जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान :

गुणवत्ता में सुधार के लिए जिला स्तर पर पूर्व से ही जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान स्थापित है। जनपद का प्रशिक्षण संस्थान उ०प्र० बेसिक शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सुदृढ़ किया गया है। सर्व शिक्षा अभियान के व्यापक कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए इसको ओर अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। परियोजना के अन्तर्गत इसके निम्नलिखित कार्य हेमि:-

1. विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षणों के आयोजन हेतु मास्टर ट्रेनर/ सन्दर्भ व्यक्तियों को चयनित कर प्रशिक्षित कराना।

2. राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख संस्थानों से सम्पर्क स्थापित करना तथा शिक्षा के अभिनव कार्यक्रमों और अनुसंधानों तथा अल्पकालिक शोध कार्यों के लिये डायट स्टाफ की क्षमता का विकास करना।
3. ब्लाक स्तर के सन्दर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित करना तथा परियोजना द्वारा निर्धारित शैक्षिक कार्यक्रमों, शिक्षण विधियों और लक्ष्यों से अवगत करना।
4. जिले स्तर की शिक्षा की समस्याओं के निदान एवं उपचार के लिए शोध कार्य करना और उसके परिणामों/ निष्कर्षों की जानकारी सर्व संबंधित को उपलब्ध कराना ताकि आवश्यक उपाय किया जा सके।
5. जिले के समस्त स्कूलों का गुणवत्तामूलक निरीक्षण करना, उनके परिणामों का विश्लेषण करना तथा आवश्यकतानुसार अध्यापकों को मार्गदर्शन देना।
6. ब्लाक संसाधन केन्द्रों के समस्त शैक्षिक क्रिया-कलापों का निर्देशन एवं नियन्त्रण करना।
7. जिले स्तर पर अन्य विभागों एवं अधिकारियों से समन्वय स्थापित करना तथा शैक्षिक कार्यों में नियोजन करना।
8. जिले स्तर पर एकाडमिक संसाधन समूह का गठन करना।
9. न्यूनतम अधिगम स्तर सुनिश्चित करना और इसके लिए बेस लाइन सर्वे कराना।
10. शिक्षा के लिए नवाचार कार्यक्रम विकसित करना।
11. शैक्षिक आकड़ों (ई0एम0आई0एन0 के माध्यम से संकलित) का विश्लेषण करना तथा नियोजन में उनके उपयोग करने हेतु जिला स्तर के अभिकर्मियों को प्रशिक्षण देना।

- 12- शिक्षकों, समन्वयकों, ई0सी0सी0ई0 तथा वैकल्पिक शिक्षा केन्द्रों के अनुदेशकों, ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यों, निरीक्षण अधिकारियों का प्रशिक्षण आयोजित कराना ।


निधि का हस्तांतरण (फ्लो ऑफ फण्ड):-

प्रत्येक वर्ष जनपद अपनी वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट तैयार कर राज्य परियोजना कार्यालय को प्रस्तुत करेगा। सीमित के अप्रैल के पश्चात एवं उ0 प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अनुमोदन के उपरान्त जिले की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट के आधार पर राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा धनराशि जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के लिये अवमुक्त की जायेगी। प्रशिक्षण, आकादमिक पर्यवेक्षण आदि गुणवत्ता कार्यक्रम हेतु धनराशि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा बी0आर0सी0 एवं एन0पी0आर0सी0 को उपलब्ध करायी जायेगी। निर्माण, वैकल्पिक शिक्षा आदि अन्य कार्यक्रमों के लिये धनराशि जिला परियोजना कार्यालय द्वारा सम्बन्धित कार्यदायी संस्था जैसे- ग्राम शिक्षा समिति, स्वम सेवी संस्थाओं, अध्यापकों आदि के सीधे खातों के माध्यम से हस्तान्तरित की जायेगी।

सर्व शिक्षा अभियान के नाम से अलग बैंक खाता होगा जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा लेखाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित किया जायेगा। सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद की वित्तीय सन्दर्शिका पहले से ही प्रख्यापित है जिसके अनुसार जिलाधिकारी को विभागाध्यक्ष के सभी अधिकार प्रतिनिधानित हैं। अतः रू0 5000 मूल्य से अधिक के सभी वित्तीय मामलों पर जिलाधिकारी की अनुमति आवश्यक है। इसी प्रकार कौ व्यवस्था जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पर भी लागू है। डायट का खाता भी डायट प्राचार्य एवं उसी के लेखा सम्बन्धित अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा संयुक्त रूप से संचालित होगा। ब्लाक संसाधन केन्द्र/ न्याय पंचायत संसाधन केन्द्रों पर भी संयुक्त खाता खुला है। जिसका परिचालन उ0प्र0 सभी के लिये शिक्षा परियोजना के नियमों के अनुसार किया जा रहा है। वित्तीय संदर्शिका में लेखा जोखा रखने के वित्तीय नियम

स्पष्ट निर्धारित हैं। परचेज एवं प्रोक्योरमेंट के नियम भी इसी सन्दर्शिका में निर्धारित किये गये हैं, जो परियोजना में भी अपनाये जायेंगे तथापि सर्व शिक्षा अभियान की रूप रेखा में यदि संशोधन की कोई आवश्यकता होगी तो उ०प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा की जायेगी। समस्त लेखा सम्बन्धित स्टाफ को सर्व शिक्षा अभियान के नियमों तथा वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रथम वर्ष में ही प्रशिक्षण दिया जायेगा तथा समय-समय पर रिक्रेशर कोर्स भी आयोजित किये जायेंगे। परियोजना कार्यक्रमों की अधिकांश धनराशि ग्राम शिक्षा समितियों को भेजी जाती है, जिनके बैंक में खाते पूर्व से ही संचालित हैं। जिला परियोजना कार्यालय एवं जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा राज्य परियोजना कार्यालय को प्राप्त एवं व्यय धनराशि का संकलित विवरण प्रतिमाह उपलब्ध कराया जायेगा। सामान्यतः राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा त्रैमासिक आधार पर धनराशि जिलों को अवमुक्त की जायेगी।

फंड फ्लो डॉयग्राम



सम्प्रेक्षण व्यवस्था:-

उ० प्र० सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद के अन्तर्गत प्रतिवर्ष सर्व शिक्षा अभियान के सभी जनपदों में लेखे जोखे का स्वतंत्र सम्प्रेक्षण (इन्डिपैन्डैन्ट आडिट) चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट के माध्यम से

किया जायेगा। यह कार्य वित्तीय वर्ष समाप्ति के तुरन्त बाद प्रारम्भ कर दिया जायेगा। चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का चयन व टर्म्स आफ रिफ़रैन्स फ़ार आडिट का निर्धारण सभी के लिये शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा किया जायेगा। राज्य सरकार/ भारत सरकार के नियमों के अनुसार सर्व शिक्षा अभियान के समस्त जनपदों के लेखे जोखे का सम्प्रेक्षण (आडिट) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा भी प्रतिवर्ष किया जायेगा।

राज्य परियोजना कार्यालय, लखनऊ द्वारा भी समय-समय पर आंतरिक सम्प्रेक्षण (इन्टरनल आडिट) की व्यवस्था रहेगी।

मध्य सत्रीय उपचारात्मक प्रणाली की स्थापना:-

परियोजना का क्रियान्वयन निर्धारित लक्ष्य व उद्देश्यों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु जिला स्तर पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिला समन्वयकों, सहायक बेसिक शिक्षा अधिकारियों, प्रति उप विद्यालय निरीक्षकों, बी०आर०सी० समन्वयकों की पाक्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जायेगी जिसमें योजना कार्यो को सम्पादित करने में आने वाली समस्याओं के विषय में चर्चा की जायेगी एवं उसके स्थानीय समाधान हेतु प्रयास किया जायेगा। इसी प्रकार प्रचार्य डायट द्वारा संक्राय सदस्यों व बी०आर०सी० समन्वयकों की मासिक बैठक आयोजित की जायेगी औ कार्यक्रमों के क्रियान्वयन तथा अनुभूति कठिनाईयों पर फीड बैक प्राप्त किया जायेगा। राज्य स्तरीय निर्देश की आवश्यकता वाली समस्याओं को राज्य परियोजना कार्यालय में होने वाली मासिक बैठक में अवगत कराया जायेगा तथा मार्ग दर्शन व निर्देश प्राप्त कर आवश्यक उपाय किये जायेंगे। साथ ही समय-समय पर पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण कार्यशालाओं के माध्यम से भी योजना को सशक्त किया जाता रहेगा औ कमियों का निराकरण करते हुए सुधार लाया जायेगा।

प्रत्येक माह जनपद से कम्प्यूटराईज्ड पी.एम.आई.एस. रिपोर्ट तैयार की जायेगी, जिसका विश्लेषण किया जायेगा एवं निष्कर्षों के आधार पर कार्य-योजना के क्रियान्वयन व अनुश्रवण में आवश्यक संशोधन किया जायेगा। वार्षिक ई.एम.आई.एस. डाटा के विश्लेषण से प्राप्त इण्डिकेटर्स का उपयोग भी परियोजना कार्यक्रमों के क्रियान्वयन व नियोजन में किया जायेगा तथा यथाआवश्यक उपचारात्मक प्रयास अपनाये जायेंगे।

आगामी वर्ष की वार्षिक कार्य योजना व बजट की संरचना के समय विगत वर्ष में प्राप्त अनुभव, अनुभूत कठिनाइयों, प्राप्त विभिन्न इण्डिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए आगे के वर्ष में कार्य प्रस्तावित किये जायेंगे।

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | | |
|--------|--|---------------------------|------------|--------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|--------------|----------------|--|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | |
| (A) | ACCESS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A1 | New Primary SchoolsUnservd | 259 (191+10+1 8+40) | 66 | 17094 | 60 | 15540 | 60 | 15540 | | | | | | | | | | | | | 186 | 48174 | |
| 1 | New Upper Primary Schools | 338 (270+10+1 8+40) | 100 | 33800 | 100 | 33800 | 100 | 33800 | 100 | 33800 | 100 | 33800 | 95 | 32110 | | | | | | | 595 | 201110 | |
| 2 | Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2 2*12=9 2 | 9.2 | 66 | 7286 | 126 | 13910 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 186 | 20534 | 1494 | 164934 | |
| 3 | Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school | 7 | 400 | 16800 | 800 | 67200 | 1200 | 100800 | 1600 | 134400 | 2000 | 168000 | 2380 | 199920 | 2380 | 199920 | 2380 | 199920 | 2380 | 199920 | 15520 | 1286880 | |
| 4 | HT of New UPS 1 HT/UPS | 7.5*12 | 100 | 9000 | 200 | 18000 | 300 | 27000 | 400 | 36000 | 500 | 45000 | 595 | 53550 | 595 | 53550 | 595 | 53550 | 595 | 53550 | 3880 | 349200 | |
| 5 | Furniture / Fixture & Equipment | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PS | 15 | 66 | 990 | 60 | 900 | 60 | 900 | | | | | | | | | | | | | 186 | 2790 | |
| | UPS | 50 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 100 | 5000 | 95 | 4750 | | | | | | | 595 | 29750 | |
| | Assessment of New UPS Cohort Study | 200 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 9 | 1800 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | 600 | |
| | Total | | 899 | 90170 | 1448 | 154750 | 2007 | 203774 | 2387 | 229934 | 2888 | 272734 | 3352 | 311064 | 3162 | 274204 | 3163 | 274404 | 3162 | 274204 | 22468 | 2085238 | |
| A2 | Upgradatgion of Egs (TLE) to PS | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Total | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | Interventions for out of school children | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| A3 | Alternative School (EGS + AIE) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | EGS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Residential School for Girls | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Civil Work + Furniture | 392 | | | 2 | 784 | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 784 | |
| | Salary | 30 | | | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 12 | 360 | 96 | 2880 | |
| | TLM | 275 | | | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 1 | 275 | 8 | 2200 | |
| | Contingency | 20 | | | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 8 | 160 | |

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|--|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Primary including all models of DPEP | 0 705 per child | 6000 | 4230 | 12000 | 8460 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 15330 | 10808 | 25310 | 88346 |
| | Upper Primary | 1.0 per child | 1800 | 1269 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 2940 | 2073 | 25320 | 17853 |
| | Total | | 7800 | 5499 | 14956 | 11972 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 18284 | 13536 | 150744 | 112223 |
| A4 | Back to school campaign | 1.5 per child | 2000 | 3000 | 1200 | 1800 | 560 | 840 | | | | | | | | | | | | | 3760 | 5640 |
| | Innovation of EGS | 50 | | | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| A5 | Bridge/Remedial courses | 1.5 per child | 240 | 360 | 240 | 360 | 240 | 360 | | | | | | | | | | | | | 720 | 1080 |
| | Updation of Microplanning Data | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9 | 450 |
| A6 | Strengthening Maqtab/Madarsa | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | SubTotal (A) | | 10940 | 99079 | 17846 | 168982 | 21092 | 218560 | 20672 | 243520 | 21173 | 286320 | 21637 | 324650 | 21447 | 287790 | 21448 | 287990 | 21447 | 287790 | 177702 | 2204681 |
| (R) | RETENTION | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Additional Classrooms | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Additional Class Rooms Primary School | 70 | 1325 | 92750 | 422 | 29540 | 444 | 31080 | 585 | 40950 | 606 | 42420 | 630 | 44100 | 653 | 45710 | 264 | 18480 | | | 4929 | 345030 |
| | Additional Class Room Upper Primary School | 70 | 474 | 33180 | 400 | 28000 | 400 | 28000 | 400 | 28000 | 400 | 28000 | 380 | 26600 | | | | | | | 2454 | 171780 |
| R1 | Toilets (PS + UPS) | 10 | 119 | 1190 | 50 | 500 | 50 | 500 | | | | | | | | | | | | | 219 | 2190 |
| | Rec of Old PS | 191 | 15 | 3885 | | | | | | | | | | | | | | | | | 15 | 3885 |
| | Rec of Old UPS | 270 | 10 | 3380 | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 | 3380 |
| R2 | Drinking Water (PS + UPS) | 18 | 209 | 3762 | 50 | 900 | 50 | 900 | | | | | | | | | | | | | 309 | 5562 |
| | Repairs (PS+UPS) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Minor | 20 | | | 282 | 5640 | 64 | 1280 | | | | | | | | | | | | | 346 | 6920 |
| | Major | 70 | | | 110 | 7700 | 32 | 2240 | | | | | | | | | | | | | 142 | 9940 |

145

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|--|------------------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|-------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-------|--------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| R3 | Repair and Maintenance of School | 5PA/per schools | 2174 | 10870 | 2340 | 11700 | 2500 | 12500 | 2660 | 13300 | 2760 | 13800 | 2860 | 14300 | 2955 | 14775 | 2955 | 14775 | | | 21204 | 106020 |
| R3 | Boundary Walls (PS+UPS) Girls School | 40 | 1000 | 40000 | 500 | 20000 | 473 | 18920 | | | | | | | | | | | | | 1973 | 78920 |
| R4 | Salary of Additional Teachers PS | 5.5 | 543 | 17919 | 814 | 53724 | 1086 | 71676 | 1389 | 91674 | 1692 | 111672 | 2007 | 132462 | 2334 | 154044 | 2466 | 162756 | 2601 | 171666 | 14932 | 967593 |
| | Salary of Shiksha Mitra PS | 2.25 | 542 | 7317 | 813 | 20122 | 1095 | 27101 | 1387 | 34328 | 1690 | 41828 | 2005 | 49624 | 2331 | 57692 | 2463 | 60959 | 2598 | 64301 | 14924 | 363272 |
| R6 | School Improvement Grant (PS) | 2 | 66 | 132 | 126 | 252 | 186 | 372 | 186 | 372 | 186 | 372 | 186 | 372 | 186 | 372 | 186 | 372 | 186 | 372 | 1494 | 2988 |
| | School Improvement Grant (UPS) | 2 | 100 | 200 | 200 | 400 | 300 | 600 | 400 | 800 | 500 | 1000 | 595 | 1190 | 595 | 1190 | 595 | 1190 | 595 | 1190 | 3880 | 7760 |
| | Promoting Girls Education | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Summer Camps | 10 per camp | 120 | 1200 | 120 | 1200 | 100 | 1000 | 100 | 100 | 60 | 600 | 30 | 300 | | | | | | | 530 | 4400 |
| R6 | MCDA including Gender Sensitization | 75 per cluster | 26 | 1950 | 26 | 1950 | 20 | 1500 | 20 | 1500 | 15 | 1125 | 15 | 1125 | 10 | 750 | | | | | 132 | 9900 |
| R7 | SUPW for girls | 25 per school | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 74 | 1850 | 666 | 16650 |
| R9 | Opening of ECCE centre in nonICDs block | 18 per centre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 1 | Strengthening ICDs Centres | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Development & Distribution of ECCE Materials | 100 per district | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 4 | Civil Works (one additional room) | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | TLM | 5 per centre | 53 | 265 | 53 | 265 | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 530 |
| 6 | Additional Honorarium (Instructor/Worker) | 0.375 per centre | 53 | 239 | 106 | 477 | 106 | 477 | 106 | 477 | 106 | 477 | 104 | 477 | 106 | 477 | 106 | 477 | 106 | 477 | 899 | 4055 |
| 7 | Contingency/Recurrent grant | 1.5 per centre | 53 | 80 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 106 | 159 | 901 | 1352 |

146

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|---|-----------------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-------|-------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 8 | Training of ECCE Instructor (at BRC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Induction | 3 | 53 | 159 | 53 | 159 | | | | | | | | | | | | | | | 106 | 318 |
| | Recurring | 1.2 | | | 53 | 64 | 106 | 127 | | | 106 | 127 | | | 106 | 127 | | | 106 | 127 | 477 | 572 |
| R10 | Community Mobilisation | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MTA/PTA training | 0.007 | 11024 | 154 | | | 11024 | 154 | | | 11024 | 154 | | | 11024 | 154 | | | 11024 | 154 | 55120 | 770 |
| 2 | Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level) | 8 per NPRC | 208 | 1664 | 208 | 1664 | 208 | 1664 | | | | | | | | | | | | | 624 | 4992 |
| 3 | Development of Awareness Material | 5 per block | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | | | | | | | | | | | | | 60 | 300 |
| 4 | Bal Mela at NPRC | 5 pa/per NPRC | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 1872 | 9360 |
| 5 | Production of Audio Tapes | 10 per district | 1 | 10 | | | | | 1 | 10 | | | | | 1 | 10 | | | | | 3 | 30 |
| 6 | Production of Video Tapes | 10 per district | 1 | 10 | | | 1 | 10 | | | | | 1 | 10 | | | | | | | 3 | 30 |
| 8 | Assistance to NGOs for Community Mobilisation | 50 per district | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| R11 | Award of Best VEC (2 No) | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| R12 | Award of Best Shiksha Mitras | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 3 | 15 | 27 | 135 |
| R12a | Award to Best BRC | 10 per Bl | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| R12b | Award to Best NPRC | 7 per Bl | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 20 | 140 | 180 | 1260 |
| R12c | Award to Best Teacher | 5 per Bl | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 180 | 900 |
| | Special Invention for SC/ST Children | 10 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 1872 | 18720 |
| R13 | Remedial Teaching of SC/ST Education | 0.705 per child | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |

147

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|---|-------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| R14 | Assistance of NGOs, For SC/ST Education | 0.705 per child | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| R15 | Provision For disabled children | 1.20 (per child) | 1852 | 2222 | 1886 | 2263 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 1920 | 2304 | 17178 | 20613 |
| 1 | Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education | 1.20 (per child) | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 390 | 468 | 3510 | 4212 |
| R16 | Computer Education for UPS composite school | 100 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 100 | 10000 | 95 | 9500 | | | | | | | 595 | 59500 |
| | School Health Check Up (PS+UPS) | 0.500 per school | 2174 | 1087 | 2340 | 1170 | 2500 | 1250 | 2660 | 1330 | 2760 | 1380 | 2860 | 1430 | 2955 | 1478 | 2955 | 1478 | 2955 | 1478 | 24159 | 12081 |
| | Book Bank & School Library PS | 5.0 per school | 2174 | 10870 | 2340 | 11700 | 2500 | 12500 | 2660 | 13300 | 2760 | 13800 | 2860 | 14300 | 2955 | 14775 | 2955 | 14775 | 2955 | 14775 | 24159 | 120795 |
| | Sub Total (B) | | 25414 | 250323 | 14443 | 215377 | 26316 | 232142 | 15605 | 244332 | 27716 | 274946 | 17579 | 303981 | 29162 | 299745 | 17896 | 283453 | 26077 | 262731 | 200208 | 2367030 |
| | (Q) Quality Improvement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Q1 | Training Programmes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days) | 0.07 per person per day | 542 | 1138 | 271 | 569 | 282 | 592 | 292 | 613 | 303 | 363 | 315 | 662 | 326 | 685 | 132 | 277 | 135 | 284 | 2598 | 5183 |
| 2 | Induction Training for Assistant Teacher (6 Days) | 0.07 per person per day | 543 | 228 | 271 | 114 | 282 | 118 | 293 | 123 | 303 | 127 | 315 | 132 | 327 | 137 | 132 | 55 | 135 | 57 | 2601 | 1091 |
| 3 | Induction Training of Head Teacher (PS) (6 Days) | 0.07 per person per day | 66 | 28 | 60 | 25 | 60 | 25 | | | | | | | | | | | | | 186 | 78 |
| 4 | Induction Training of Head Teacher (UPS) (6 Days) | 0.07 per person per day | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 100 | 42 | 95 | 40 | | | | | | | 595 | 250 |
| 5 | In Service Teachers Training (10 Days) | 0.07 per person per day | 6872 | 4810 | 7230 | 5061 | 7515 | 5261 | 7804 | 5463 | 8107 | 5675 | 8422 | 5895 | 8748 | 6123 | 8580 | 6216 | 9015 | 6310 | 72293 | 50814 |

148

31.07.2001

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|--|--------------------------|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-----------|-----|-------|------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 6 | Inservice Training of Shiksha Mitra | 0.07 per person per day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 7 | Induction Training of EGS/AIE worker | 0.07 per person per day | 200 | 420 | 200 | 420 | 111 | 233 | 111 | 233 | | | | | | | | | | | 622 | 1306 |
| 8 | Refresher course for Shiksha Mitra | 0.07 per person per day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 9 | Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days) | 0.07 per person per day | | | 200 | 210 | 400 | 420 | 511 | 536 | 622 | 653 | | | | | | | | | 1733 | 1819 |
| 10 | Training for BRC Coordinator (10 days) | 0.07 per person per day | 60 | 84 | | | | | | | | | | | | | | | | | 60 | 84 |
| 11 | NPRC Coordinator's Training (10 days) | 0.07 per person per day | 208 | 146 | | | | | | | | | | | | | | | | | 208 | 146 |
| 12 | Refresher Training for BRC Coordinator (5 days) | 0.07 per person per day | | | 40 | 14 | | | 40 | 14 | | | 40 | 14 | | | 40 | 14 | | | 160 | 56 |
| 13 | Refresher training for NPRC Coordinators (5 days) | 0.07 per person per day | | | 208 | 73 | | | 208 | 73 | | | 208 | 73 | | | 208 | 73 | | | 832 | 292 |
| 14 | Training of resources person at (DIET) (20 days) | 0.07 per person per day | 80 | 112 | | | | | 80 | 112 | | | | | | | | | | | 160 | 224 |
| 15 | Staff Development training for DIETs (7 days) | 0.300 per person per day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 16 | BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days) | 0.300 per person per day | 228 | 80 | | | | | 228 | 80 | | | | | | | | | | | 456 | 160 |

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | | |
|--------|---|------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | |
| 17 | ABSA/SDI Training (5 days) | 0.07 per person per day | 30 | 11 | | | | | 30 | 11 | | | | | | | | | | | | 60 | 22 |
| 18 | Training for AE & JE (5 days) | 0.07 person per day | 20 | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 20 | 7 |
| 19 | Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days) | 1.50 per person | 150 | 4500 | 200 | 6000 | 200 | 6000 | 200 | 6000 | 317 | 9510 | 388 | 11640 | 437 | 13110 | 300 | 9000 | 300 | 9000 | 2492 | 74760 | |
| 20 | Orientation of VECs/Ward Committee (3 days) | 0.03 per person per day | | | 11024 | 992 | 11024 | 992 | | | 11024 | 992 | | | | | 11024 | 992 | | | 44096 | 3968 | |
| 21 | Training of RCI(IED) | 70.00 (45 days) | 1 | 70 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 70 | |
| 22 | Teachers Orientation in IED (5 days) | 0.07 | 3590 | 1257 | 1831 | 641 | 484 | 169 | 507 | 177 | 5964 | 2087 | 457 | 160 | 350 | 123 | 157 | 55 | 6928 | 2425 | 20268 | 7094 | |
| 23 | AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days) | 0.500 per person per day | 84 | 294 | 84 | 294 | 84 | 294 | | | | | | | | | | | | | | 252 | 882 |
| 24 | Training on EMIS by SIEMAT (5 days) | 0.500 per person per day | 42 | 105 | | | 42 | 105 | | | 42 | 105 | | | 42 | 105 | | | | | | 168 | 420 |
| 25 | Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days) | 0.07 per participant per day | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Total | | 12816 | 13332 | 21719 | 14455 | 20584 | 14251 | 10404 | 13477 | 26782 | 19554 | 10240 | 18616 | 10230 | 20283 | 20573 | 16682 | 16513 | 18076 | 149861 | 148726 | |
| Q2 | Teaching Learning Material | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Teacher Grant (PT + SM) | 0.5 | 6757 | 3379 | 8499 | 4250 | 9063 | 4532 | 9648 | 4824 | 10254 | 5127 | 10884 | 5442 | 11537 | 5769 | 11801 | 5900 | 12071 | 6036 | 90514 | 45259 | |
| 2 | Teacher Grant (UPS) | 0.5 | 2330 | 1165 | 2830 | 1415 | 3330 | 1665 | 3830 | 1915 | 4330 | 2165 | 4805 | 2403 | 4805 | 2403 | 4805 | 2403 | 4805 | 2403 | 35870 | 17937 | |

150

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|---|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 3 | Free Text Book to SC/ST children & Girls (PS+UPS) | 0.150 per child per year | 177040 | 26556 | 186451 | 27968 | 196166 | 29425 | 200395 | 30059 | 204718 | 30708 | 206223 | 30933 | 213647 | 32047 | 218255 | 32738 | 222969 | 33445 | 1825864 | 273879 |
| 4 | Supplementary Reading Material (PS) | 0.5 | 1808 | 904 | 1874 | 937 | 1934 | 967 | 1994 | 997 | 1994 | 997 | 1994 | 997 | 1994 | 997 | 1994 | 997 | 1994 | 997 | 17580 | 8790 |
| 5 | Supplementary Reading Material (UPS) | 1 | 366 | 366 | 466 | 466 | 566 | 566 | 666 | 666 | 766 | 766 | 866 | 866 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 961 | 6579 | 6579 |
| 6 | Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide | LS | 1 | 1000 | | | | | 1 | 1000 | | | | | 1 | 1000 | | | | | 3 | 3000 |
| 7 | Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 1440 |
| 8 | Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 | 9 | 1440 |
| 9 | Development Printing and Distribution of AS Training Modules | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | 3 | 30 |
| 10 | Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years) | 400 each | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | 3 | 1200 |
| 11 | Children learning Evaluation (UPS) 3 times | 400 each | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | | | | | | | 1 | 400 | 3 | 1200 |
| 12 | School Awards | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| | Total | | 188308 | 34525 | 200124 | 35391 | 211063 | 37510 | 216537 | 39806 | 222067 | 40908 | 224775 | 40986 | 232948 | 43522 | 237819 | 43344 | 242805 | 44987 | 1976446 | 360979 |
| | Subtotal (C) | | 201124 | 47857 | 221843 | 49846 | 231647 | 51761 | 226941 | 53283 | 248849 | 60462 | 235015 | 59602 | 243178 | 63805 | 258392 | 60026 | 259318 | 63063 | 2126307 | 509705 |
| C1 | DIET | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Civil Work | 5000 | | | 1 | 5000 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5000 |
| 1 | Furniture | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| 2 | Equipments (including Audio Visual) | 400 | | | 1 | 400 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 400 |
| 3 | Computers Work Station | 600 | | | 1 | 600 | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 600 |

151

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|-------------------------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|------------|--------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 4 | Vehicle (where applicable) | 350 | 1 | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 350 |
| 5 | Hiring | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 45 |
| 6 | POL | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 270 |
| 7 | Maintenance of Vehicle | 20 | | | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 8 | 160 |
| 8 | Research/Action Research | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 9 | 1700 |
| | Seminars | 200 | 1 | 100 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 1 | 200 | 9 | 1700 |
| 9 | Faculty Development | 30 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 7 | 210 | 63 | 1890 |
| | Publication | 400 | | | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 8 | 3200 |
| 10 | Exposure visits | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9 | 450 |
| 11 | Library | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 |
| 12 | Salary of Computer Operator | 7 | 12 | 42 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 12 | 84 | 108 | 714 |
| 13 | Salary of Driver (where applicable) | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 14 | Consumable/Computer Stationary | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 |
| | Contingency | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 | 9 | 900 |
| | Total | | 29 | 1072 | 32 | 7334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 29 | 1334 | 264 | 17744 |
| C2 | Block Resource Centre | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Civil Construction | 800 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Asstt. Coordinator | 5.5x1 | 20 | 660 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 20 | 1320 | 180 | 11220 |
| 4 | Chowkidar | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 5 | Equipment/Furniture | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 20 | 2000 | 180 | 18000 |
| 6 | Travelling Allowance | 5 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 180 | 900 |
| 7 | Maint of Equipment | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 180 | 180 |
| 8 | Maint of building | 6 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 20 | 120 | 180 | 1080 |
| 9 | Books | 10 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 20 | 200 | 180 | 1800 |

152

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|--------|---|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 10 | Monitoring & Supervision (PS+UPS) | 0.300 per school | 2174 | 652 | 2340 | 702 | 2500 | 750 | 2660 | 798 | 2760 | 828 | 2860 | 858 | 2955 | 887 | 2955 | 887 | 2955 | 887 | 24159 | 7249 |
| 11 | Consumables | 5 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 20 | 100 | 180 | 900 |
| 12 | Contingency | 12 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 20 | 240 | 180 | 2160 |
| 13 | Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators | 0.300 per meeting | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 208 | 749 | 1872 | 6741 |
| | Total | | 2542 | 4841 | 2708 | 5551 | 2868 | 5599 | 3028 | 5647 | 3128 | 5677 | 3228 | 5707 | 3323 | 5736 | 3323 | 5736 | 3323 | 5736 | 27471 | 50230 |
| C3 | School Complex (NPRC) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Construction | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| 3 | Equipment/Furniture | 10 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 208 | 2080 | 1872 | 18720 |
| 4 | Books for Library/Book Bank | 5 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 208 | 1040 | 1872 | 9360 |
| 5 | Contingency | 2.5 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 208 | 520 | 1872 | 4680 |
| 6 | Monthly Review meeting at CRC | 0.200 x12 per meeting | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 2496 | 499 | 22464 | 4491 |
| 7 | Monitoring & Supervision (PS) | 0.200 per school | 2174 | 435 | 2340 | 468 | 2500 | 500 | 2660 | 532 | 2760 | 552 | 2860 | 572 | 2955 | 591 | 2955 | 591 | 2955 | 591 | 24159 | 4832 |
| | Total | | 5294 | 4574 | 5460 | 4607 | 5620 | 4639 | 5780 | 4671 | 5880 | 4691 | 5980 | 4711 | 6075 | 4730 | 6075 | 4730 | 6075 | 4730 | 52239 | 42083 |

153

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | | |
|--------|--|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | |
| C4 | District Project Office | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Staffing Coordinators4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Consultants2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | AAO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Driver1 (if vehicle is purchases) | 71x12 | 1 | 426 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 1 | 852 | 9 | 7242 | |
| | Equipment Furniture | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 | |
| | Equipment | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 | |
| | Books | 10 | 1 | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 10 | |
| | Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt. | 350 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | |
| | Motorcycle | 50 | 24 | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 24 | 1200 | |
| | Travelling Allowances | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 | |
| | Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 9 | 225 | |
| | Telephone/fax | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 | 9 | 270 | |
| | Vehicle Maintenance & POL | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 | 9 | 450 | |
| | Honorarium to JE/AE | 6 Per Block | 20 | 1440 | 20 | 1440 | 20 | 1440 | 20 | 1440 | | | | | | | | | | | 80 | 5760 | |
| | POL for Motor Cycle | 12x4 | | | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 1 | 48 | 8 | 384 | |
| | Maintenance of Equipment | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | |
| | Hiring of Vehicles | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 9 | 45 | |
| | Supervision & Monitoring | 0.158 per school | 2174 | 344 | 2340 | 370 | 2500 | 395 | 2660 | 420 | 2760 | 436 | 2860 | 452 | 2955 | 467 | 2955 | 467 | 2955 | 467 | 24159 | 3818 | |
| | Contingency | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 | 9 | 90 | |
| | Research & Evaluation | 0.300 per scholl | 2174 | 652 | 2340 | 702 | 2500 | 750 | 2660 | 798 | 2700 | 810 | 2860 | 858 | 2955 | 887 | 2955 | 887 | 2955 | 887 | 24099 | 7231 | |
| | Total | | 4403 | 4322 | 4709 | 3562 | 5029 | 3635 | 5349 | 3708 | 5469 | 2296 | 5729 | 2360 | 5919 | 2404 | 5919 | 2404 | 5919 | 2404 | 48445 | 27095 | |

154

**PROJECT COST
SERVE SHIKSHA ABHIYAN
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S. No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 2001-2002 | | 2002-2003 | | 2003-2004 | | 2004-2005 | | 2005-2006 | | 2006-2007 | | 2007-2008 | | 2008-2009 | | 2009-2010 | | Total | |
|---|---|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C4 1 | MIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | MIS Call Furnishing | 50 | 1 | 50 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 50 |
| | Salary of MIS Officer | 10 | 1 | 60 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 1 | 120 | 9 | 1020 |
| 2 | Salary of Computer Operator (3 Nos.) | 7 p.m. x 12 | 1 | 126 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 | 9 | 2142 |
| 3 | MIS Equipments (where applicable) | 460 | 1 | 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 460 |
| 4 | Printing & Distribution of Data Formats | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 |
| 5 | Maintenance of Equipments & Consumables | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 | 9 | 180 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Total | | 6 | 736 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 4 | 412 | 38 | 4032 |
| | Sub Total (D) | | 12274 | 15545 | 12913 | 21466 | 13550 | 15619 | 14190 | 15772 | 14510 | 14410 | 14970 | 14524 | 15350 | 14616 | 15350 | 14616 | 15350 | 14616 | 128457 | 141184 |
| | Grand Total | | 249752 | 412804 | 267045 | 455671 | 292605 | 518082 | 277408 | 556907 | 312248 | 636138 | 289201 | 702757 | 309137 | 665956 | 313086 | 646085 | 322192 | 628200 | 2632674 | 5222600 |
| Note : Salaries in the First Year will be Provided for Six Months. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

155

31.7.2001

**SUMMARY OF PROJECT COST - I
ALLAHABAD**

(Rs. in Thousands)

| YEAR | CIVIL WORK | MANAGEMENT COST | PROGRAMME | TOTAL COST |
|---------------------------|---------------|-----------------|----------------|-------------------|
| 2001-2002 | | | | |
| Amount | 238641 | 5058 | 169105 | 412804.00 |
| 2002-2003 | | | | |
| Amount | 151420 | 3974 | 300277 | 455671.00 |
| 2003-2004 | | | | |
| Amount | 134720 | 4047 | 379315 | 518082.00 |
| 2004-2005 | | | | |
| Amount | 102750 | 4120 | 450037 | 556907.00 |
| 2005-2006 | | | | |
| Amount | 104220 | 2708 | 529210 | 636138.00 |
| 2006-2007 | | | | |
| Amount | 102810 | 2772 | 597175 | 702757.00 |
| 2007-2008 | | | | |
| Amount | 45710 | 2816 | 617430 | 665956.00 |
| 2008-2009 | | | | |
| Amount | 18480 | 2816 | 624789 | 646085.00 |
| 2009-2010 | | | | |
| Amount | 0 | 2816 | 625384 | 628200.00 |
| TOTAL | 898751 | 31127 | 4292722 | 5222600.00 |
| As % of Total Cost | 17.21 | 0.60 | 82.20 | 100.00 |

31.7.2001

**SUMMARY OF PROJECT COST - II
ALLAHABAD**

(Amount in Thousands)

| YEAR | ACCESS | RETENTION | QUALITY | CAP. BUILDING | TOTAL COST |
|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 2001-2002 | | | | | |
| Amount | 99079.00 | 250323.00 | 47857.00 | 15545.00 | 412804.00 |
| As % of Total Project Cost | 24.00 | 60.64 | 11.59 | 3.77 | 100.00 |
| 2002-2003 | | | | | |
| Amount | 168982.00 | 215377.00 | 49846.00 | 21466.00 | 455671.00 |
| As % of Total Project Cost | 37.08 | 47.27 | 10.94 | 4.71 | 100.00 |
| 2003-2004 | | | | | |
| Amount | 218560.00 | 232142.00 | 51761.00 | 15619.00 | 518082.00 |
| As % of Total Project Cost | 42.19 | 44.81 | 9.99 | 3.01 | 100.00 |
| 2004-2005 | | | | | |
| Amount | 243520.00 | 244332.00 | 53283.00 | 15772.00 | 556907.00 |
| As % of Total Project Cost | 43.73 | 43.87 | 9.57 | 2.83 | 100.00 |
| 2005-2006 | | | | | |
| Amount | 286320.00 | 274946.00 | 60462.00 | 14410.00 | 636138.00 |
| As % of Total Project Cost | 45.01 | 43.22 | 9.50 | 2.27 | 100.00 |
| 2006-2007 | | | | | |
| Amount | 324650.00 | 303981.00 | 59602.00 | 14524.00 | 702757.00 |
| As % of Total Project Cost | 46.20 | 43.26 | 8.48 | 2.07 | 100.00 |
| 2007-2008 | | | | | |
| Amount | 287790.00 | 299745.00 | 63805.00 | 14616.00 | 665956.00 |
| As % of Total Project Cost | 43.21 | 45.01 | 9.58 | 2.19 | 100.00 |
| 2008-2009 | | | | | |
| Amount | 287990.00 | 283453.00 | 60026.00 | 14616.00 | 646085.00 |
| As % of Total Project Cost | 44.57 | 43.87 | 9.29 | 2.26 | 100.00 |
| 2009-2010 | | | | | |
| Amount | 287790.00 | 262731.00 | 63063.00 | 14616.00 | 628200.00 |
| As % of Total Project Cost | 45.81 | 41.82 | 10.04 | 2.33 | 100.00 |
| GRAND TOTAL | 2204681.00 | 2367030.00 | 509705.00 | 141184.00 | 5222600.00 |
| As % of Total Cost | 42.21 | 45.32 | 9.76 | 2.70 | 100.00 |

अध्याय-12

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| (A) | ACCESS | | | | | |
| A1. | New Primary Schools Unservd | 259 (191+10+18+40) | 66 | 17094 | 66 | 17094 |
| 1 | New Upper Primary Schools | 338 (270+10+18+40) | 100 | 33800 | 100 | 33800 |
| 2 | Salary of PS Asstt. Teacher/New School) 7+2.2×12=9.2 | 9.2 | 66 | 7286 | 66 | 7286 |
| 3 | Salary of Teacher in UPS (4No.) in new school 4A.M./school | 7 | 400 | 16800 | 400 | 16800 |
| 4 | HT of New UPS 1 HT/UPS | 7.5×12 | 100 | 9000 | 100 | 9000 |
| 5 | Furniture / Fixture & Equipment | | | | | |
| | PS | 15 | 66 | 990 | 66 | 990 |
| | UPS | 50 | 100 | 5000 | 100 | 5000 |
| | Assessment of New UPS Cohort Study | 200 200 | 1 | 200 | 1 | 200 |
| | Total | | 899 | 90170 | 899 | 90170 |
| A2 | Upgradatgion of Egs (TLE) to PS | 10 | | | | |
| | Total | | | | | |
| | Interventions for out of school children | | | | | |
| A3 | Alternative School (EGS + AIE) | | | | | |
| | EGS | | | | | |
| | Residential School for Girls | | | | | |
| | Civil Work + Furniture | 392 | | | | |
| | Salary | 30 | | | | |
| | TLM | 275 | | | | |
| | Contingency | 20 | | | | |
| | Primary including all models of DPEP | 0.705 per child | 6000 | 4230 | 6000 | 4230 |
| | Upper Primary | 1.0 per child | 1800 | 1269 | 1800 | 1269 |
| | Total | | 7800 | 5499 | 7800 | 5499 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|--|-----------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| A4 | Back to school campaign | 1.5 per child | 2000 | 3000 | 1000 | 1500 |
| | Innovation of EGS | 50 | | | | |
| A5 | Bridge/Remedial courses | 1.5 per child | 240 | 360 | 120 | 180 |
| | Updation of Microplanning Data | 50 | 1 | 50 | 1 | 25 |
| A6 | Strengthening Maqtab/Madarsa | | | | | |
| | SubTotal (A) | | 10940 | 99079 | 9820 | 97374 |
| (R) | RETENTION | | | | | |
| | Additional Classrooms | | | | | |
| | Additional Class Rooms Primary School | 70 | 1325 | 92750 | 1325 | 92750 |
| | Additional Class Room Upper Primary School | 70 | 474 | 33180 | 474 | 33180 |
| R1 | Toilets (PS + UPS) | 10 | 119 | 1190 | 119 | 1190 |
| | Rec. of Old PS | 191 | 15 | 3885 | 15 | 3885 |
| | Rec. of Old UPS | 270 | 10 | 3380 | 10 | 3380 |
| R2 | Drinking Water (PS + UPS) | 18 | 209 | 3762 | 209 | 3762 |
| | Repairs (PS+UPS) | | | | | |
| | Minor | 20 | | | | |
| | Major | 70 | | | | |
| R3 | Repair and Maintenance of School | 5PA/per schools | 2174 | 10870 | 2174 | 10870 |
| R3 | Boundary Walls (PS+UPS) Girls School | 40 | 1000 | 40000 | 1000 | 40000 |
| R4 | Salary of Additional Teachers PS | 5.5 | 543 | 17919 | 543 | 17919 |
| | Salary of Shiksha Mitra PS | 2.25 | 542 | 7317 | 542 | 7317 |
| R6 | School Improvement Grant (PS) | 2 | 66 | 132 | 66 | 132 |
| | School Improvement Grant (UPS) | 2 | 100 | 200 | 100 | 200 |
| | Promoting Girls Education Summer Camps | 10 per camp | 120 | 1200 | 60 | 600 |
| R6 | MCDA including Gender Sensitization | 75 per cluster | 26 | 1950 | 13 | 975 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|------------------|-----------------|------|-----------------------|-----|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| R7 | SUPW for Girls | 25 per school | 74 | 1850 | 37 | 925 |
| R9 | Opening of ECCE centre in nonICDs block | 18 per centre | | | | |
| 1 | Strengthening ICDs Centres | | | | | |
| 2 | Development & Distribution of ECCE Materials | 100 per district | | | | |
| 4 | Civil Works (one additional room) | 70 | | | | |
| 5 | TLM | 5 per centre | 53 | 265 | 53 | 265 |
| 6 | Additional Honoranum (Instructor/Worker) | 0.375 per centre | 53 | 239 | 53 | 239 |
| 7 | Contingency/Recurrent grant | 1.5 per centre | 53 | 80 | 53 | 80 |
| 8 | Training of ECCE Instructor (at BRC) | | | | | |
| | Induction | 3 | 53 | 159 | 53 | 159 |
| | Recurring | 1.2 | | | | |
| R10 | Community Mobilisation | | | | | |
| 1 | MTA/PTA training | 0.007 | 11024 | 154 | 11024 | 154 |
| 2 | Kala Jatha (VEC, Block Level & Dist. Level) | 8 per NPRC | 208 | 1664 | 104 | 832 |
| 3 | Development of Awareness Material | 5 per block | 20 | 100 | 10 | 50 |
| 4 | Bal Mela at NPRC | 5 pa/per NPRC | 208 | 1040 | 104 | 520 |
| 5 | Production of Audio Tapes | 10 per district | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 6 | Production of Video Tapes | 10 per district | 1 | 10 | 1 | 5 |
| 8 | Assistance to NGOs for Community Mobilisation | 50 per district | | | | |
| R11 | Award of Best VEC (2 No.) | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| R12 | Award of Best Shiksha Mitras | 5 | 3 | 15 | 3 | 15 |
| R12a | Award to Best BRC | 10 per Bl. | 1 | 10 | 1 | 10 |
| R12b | Award to Best NPRC | 7 per Bl. | 20 | 140 | 20 | 140 |
| R12c | Award to Best Teacher | 5 per Bl. | 20 | 100 | 20 | 100 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|-------------------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| | Special Invention for SC/ST Children | 10 | 208 | 2080 | 104 | 1040 |
| R13 | Remedial Teaching of SC/ST Education | 0.705 per child | | | | |
| R14 | Assistance of NGOs, For SC/ST Education | 0.705 per child | | | | |
| R15 | Provision For disabled children | 1.20 (per child) | 1852 | 2222 | 926 | 1111 |
| 1 | Assistance of NGOs, For integrated/ inclusive education | 1.20 (per child) | 390 | 468 | 195 | 234 |
| R16 | Computer Education for UPS composite school | 100 | 100 | 10000 | 50 | 5000 |
| | School Health Check Up (PS+UPS) | 0.500 per school | 2174 | 1087 | 1087 | 544 |
| | Book Bank & School Library PS | 5.0 per school | 2174 | 10870 | 1087 | 5435 |
| | Sub Total (B) | | 25414 | 250323 | 21636 | 233048 |
| | (Q) Quality Improvement | | | | | |
| Q1 | Training Programmes | | | | | |
| 1 | Induction Training for Shiksha Mitra (30 Days) | 0.07 per person per day | 542 | 1138 | 271 | 569 |
| 2 | Induction Training for Assistant Teacher (6 Days) | 0.07 per person per day | 543 | 228 | 272 | 114 |
| 3 | Induction Training of Head Teacher (PS) (6 Days) | 0.07 per person per day | 66 | 28 | 33 | 14 |
| 4 | Induction Training of Head Teacher (UPS) (6 Days) | 0.07 per person per day | 100 | 42 | 50 | 21 |
| 5 | In Service Teachers Training (10 Days) | 0.07 per person per day | 6872 | 4810 | 3436 | 2405 |
| 6 | Inservice Training of Shiksha Mitra | 0.07 per person per day | | | | |
| 7 | Induction Training of EGS/AIE worker | 0.07 per person per day | 200 | 420 | 100 | 210 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|--|--------------------------|-----------------|------|-----------------------|------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 8 | Refresher course for Shiksha Mitra | 0.07 per person per day | | | | |
| 9 | Refresher course of EGS/AIE workerds (15 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 10 | Training for BRC Coordinator (10 days) | 0.07 per person per day | 60 | 84 | 30 | 42 |
| 11 | NPRC Coordinator's Training (10 days) | 0.07 per person per day | 208 | 146 | 104 | 73 |
| 12 | Refresher Training for BRC Coordinator (5 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 13 | Refresher training for NPRC Coordinators (5 days) | 0.07 per person per day | | | | |
| 14 | Training of resources person at (DIET) (20 days) | 0.07 per person per day | 80 | 112 | 40 | 56 |
| 15 | Staff Development training for DIETs (7 days) | 0.300 per person per day | | | | |
| 16 | BEC/NPRC Coordinators management training by SIEMAT (5 days) | 0.300 per person per day | 228 | 80 | 114 | 40 |
| 17 | ABSA/SDI Training (5 days) | 0.07 per person per day | 30 | 11 | 15 | 6 |
| 18 | Training for AE & JE (5 days) | 0.07 person per day | 20 | 7 | 10 | 4 |
| 19 | Teacher Training Computer (UPS)/DIETE Faculty (20 days) | 1.50 per person | 150 | 4500 | 75 | 2250 |
| 20 | Orientation of VECs/Ward Committee (3 days) | 0.03 per person per day | | | | |
| 21 | Training of RCI(IED) | 70.00 (45 days) | 1 | 70 | 1 | 35 |
| 22 | Teachers Orientation in IED (5 days) | 0.07 | 3590 | 1257 | 1795 | 629 |
| 23 | AWPB Review and Training of Core Planning Teams by SIEMAT (7 days) | 0.500 per person per day | 84 | 294 | 42 | 147 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------|--------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| 24 | Training on EMIS by SIEMAT (5 days) | 0.500 per person per day | 42 | 105 | 21 | 53 |
| 25 | Teahcers ABSA/BRC/NPRC Staff training for Gender Sensitisation (3 days) | 0.07 per participant per day | | | | |
| | Total | | 12816 | 13332 | 6408 | 6666 |
| Q2 | Teaching Learning Material | | | | | |
| 1 | Teacher Grant (PT + SM) | 0.5 | 6757 | 3379 | 6757 | 3379 |
| 2 | Teacher Grant (UPS) | 0.5 | 2330 | 1165 | 2330 | 1165 |
| 3 | Free Text Book to SC/ST children & Girls (PS+UPS) | 0.150 per child per year | 177040 | 26556 | 177040 | 26556 |
| 4 | Supplementary Reading Material (PS) | 0.5 | 1808 | 904 | 1808 | 904 |
| 5 | Supplementary Reading Material (UPS) | 1 | 366 | 366 | 366 | 366 |
| 6 | Printing & Distribution of Syllabus (PS+UPS) + Teachers Guide | LS | 1 | 1000 | 1 | 1000 |
| 7 | Printing & Distribution of Training Modules (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 |
| 8 | Printing & Distribution of Trainers Guides (PS + UPS) | 160 | 1 | 160 | 1 | 160 |
| 9 | Development Printing and Distribution of AS Training Modules | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 10 | Children learning Evaluation (PS) (3 Times in 10 years) | 400 each | 1 | 400 | 1 | 400 |
| 11 | Children learning Evaluation (UPS) 3 times | 400 each | 1 | 400 | 1 | 400 |
| 12 | School Awards | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | Total | | 188308 | 34525 | 188308 | 34525 |
| | Subtotal (C) | | 201124 | 47857 | 194716 | 41191 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. In Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---------------------------------------|-----------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C1 | DIET | | | | | |
| | | | | | | |
| | ✓ Civil Work | 5000 | | | | |
| 1 | Furniture | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| 2 | ✓ Equipments (including Audio Visual) | 400 | | | | |
| | | | | | | |
| 3 | Computers Work Station | 600 | | | | |
| | | | | | | |
| 4 | Vehicle (where applicable) | 350 | 1 | 350 | 1 | 350 |
| | | | | | | |
| 5 | Hiring | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| | | | | | | |
| 6 | POL | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| | | | | | | |
| 7 | Maintenance of Vehicle | 20 | | | | |
| | | | | | | |
| 8 | Research/Action Research | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| | Seminars | 200 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| 9 | Faculty Development | 30 | 7 | 210 | 7 | 210 |
| | Publication | 400 | | | | |
| 10 | Exposure visits | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | | | | | | |
| 11 | Library | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | | | | | | |
| 12 | Salary of Computer Operator | 7 | 12 | 42 | 12 | 42 |
| | | | | | | |
| 13 | Salary of Driver (where applicable) | 4 | | | | |
| | | | | | | |
| 14 | Consumable/Computer Stationary | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Contingency | 100 | 1 | 100 | 1 | 100 |
| | Total | | 29 | 1072 | 29 | 1072 |
| | | | | | | |

165

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|-----------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C2 | Block Resource Centre | | | | | |
| 1 | Civil Construction | 800 | | | | |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | | | | |
| 3 | Asstt. Coordinator | 5.5x1 | 20 | 660 | 20 | 660 |
| 4 | Chowkidar | 3 | | | | |
| 5 | Equipment/Furniture | 100 | 20 | 2000 | 20 | 2000 |
| 6 | Travelling Allowance | 5 | 20 | 100 | 10 | 50 |
| 7 | Maint of Equipment | 1 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 8 | Maint of building | 6 | 20 | 120 | 20 | 120 |
| 9 | Books | 10 | 20 | 200 | 10 | 100 |
| 10 | Monitoring & Supervision (PS+UPS) | 0300 per school | 2174 | 652 | 1087 | 326 |
| 11 | Consumables | 5 | 20 | 100 | 10 | 50 |
| 12 | Contingency | 12 | 20 | 240 | 10 | 120 |
| 13 | Monthly Review Meeting of CRC Co ordinators | 0.300 per meeting | 208 | 749 | 104 | 375 |
| | Total | | 2542 | 4841 | 1311 | 3821 |
| C3 | School Complex (NPRC) | | | | | |
| 1 | Construction | 200 | | | | |
| 2 | Salary Coordinator | 6.5 | | | | |
| 3 | Equipment/Furniture | 10 | 208 | 2080 | 208 | 2080 |
| 4 | Books for Library/Book Bank | 5 | 208 | 1040 | 104 | 520 |
| 5 | Contingency | 2.5 | 208 | 520 | 104 | 260 |
| 6 | Monthly Review meeting at CRC | 0.200 x12 per meeting | 2496 | 499 | 1248 | 250 |
| 7 | Monitoring & Supervision (PS) | 0.200 per school | 2174 | 435 | 1087 | 218 |
| | Total | | 5294 | 4574 | 2751 | 3327 |

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|--|------------------|-----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C4 | District Project Office | | | | | |
| | Staffing Coordinators4 | | | | | |
| | Consultants2 | | | | | |
| | AAO | | | | | |
| | Driver1 | | | | | |
| | (if vehicle is purchases) | 71x12 | 1 | 426 | 1 | 426 |
| | Furniture | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Equipment | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Books | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Purchase of Vehicle (Only Kanpur city, Lucknow) new distt. | 350 | | | | |
| | Motorcycle | 50 | 24 | 1200 | 24 | 1200 |
| | Travelling Allowances | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | Consumables | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
| | Telephone/fax | 30 | 1 | 30 | 1 | 30 |
| | Vehicle Maintenance & POL | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Honorarium to JE/AE | 6 Per Block | 20 | 1440 | 20 | 1440 |
| | POL for Motor Cycle | 12x4 | | | | |
| | Maintenance of Equipment | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Hiring of Vehicles | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| | Supervision & Monitoring | 0.158 per school | 2174 | 344 | 2174 | 344 |
| | Contingency | 10 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| | Research & Evaluation | 0.300 per scholl | 2174 | 652 | 2174 | 652 |
| | Total | | 4403 | 4322 | 4403 | 4322 |

167

**ANNUAL WORK PLAN BUDGET
ALLAHABAD**

31.07.2001

(Rs. in Thousands)

| S.No. | Heads/Sub Heads Activity | Unit Cost | 1st Year as per | | Estimate for 1st Year | |
|-------|---|-------------|-----------------|---------------|-----------------------|---------------|
| | | | Phy | Fin | Phy | Fin |
| C4 1 | MIS | | | | | |
| 1 | MIS Call Furnishing | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
| | Salary of MIS Officer | 10 | 1 | 60 | 1 | 60 |
| 2 | Salary of Computer Operator (3 Nos.) | 7 p.m. × 12 | 1 | 126 | 1 | 84 |
| 3 | MIS Equipments (where applicable) | 460 | 1 | 460 | 1 | 460 |
| 4 | Printing & Distribution of Data Formats | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 5 | Maintenance of Equipments & Consumables | 20 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| | Total | | 6 | 736 | 6 | 694 |
| | Sub Total (D) | | 12274 | 15545 | 8500 | 13236 |
| | Grand Total | | 249752 | 412804 | 234672 | 384848 |

LIBRARY & DOCUMENTATION CENTRE
National Institute of Educational
Planning and Administration.
17-B, Ansari Road, Connaught Place,
New Delhi-110006
DOC, No. D-12145
Date 05-12-2003

168

परिशिष्ट

उत्तर प्रदेश पंचायत
नियम संख्या 34
पम् 1972 की
धारा 2 का
संशोधन

2—उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा अधिनियम, 1972 जो, जिसे प्रागे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 की उपधारा (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा; और—

(क) इस प्रकार के पुनः संख्यांकित उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (ब) में शब्द "जिला परिषद्, अन्तरिम जिला परिषद्, नगर महापालिका, नगरपालिका बोर्ड, टाउन एरिया समिटी या नोटीफाइड एरिया समिटी" के स्थान पर शब्द "जिला पंचायत या नगरपालिका" रख दिये जायेंगे;

(2) खण्ड (ब) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(ब) 'नगरपालिका' का अर्थ, यथास्थिति, किसी नगर पंचायत, नगरपालिका परिषद् या नगर निगम से है।”

(3) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

“(2) इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जिनका अर्थ यथास्थिति, संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 या उत्तर प्रदेश नगर नियम अधिनियम, 1959 में उनके लिये दिये गये हैं।”

धारा 3 का
संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 3 में, उपधारा (3) में,—

(क) खण्ड (ख) में शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति तथा शिक्षा परिषद, अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला परिषदों” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 17 के अधीन स्थापित जिला पंचायतों” रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित महापालिकाओं” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा 9 के अधीन संघटित निगमों” रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (घ) में शब्द और अंक “दू पी 0 म्युनिसिपैलिटीज ऐक्ट, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका बोर्डों” के स्थान पर शब्द और अंक “उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन स्थापित नगरपालिका परिषदों और नगर पंचायतों” रख दिये जायेंगे।

धारा 4 का
संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (2) में,—

(क) खण्ड (ग) में शब्द “जिला वैदिक शिक्षा समितियों अथवा नगर वैदिक जिला समितियों” के स्थान पर शब्द “गांव जिला समितियों या नगरपालिकाओं” और शब्द “उनके प्रशासन पर प्रवीक्षण करना” के स्थान पर शब्द “गांव जिला समितियों, ग्राम पंचायतों और नगरपालिकाओं के प्रशासन पर अवीक्षण करना” रख दिये जायेंगे;

(ख) खण्ड (घ) में शब्द “नामूल स्कूलों” के स्थान पर शब्द “जिला निम्न स्तर प्रशिक्षण संस्थान” रख दिये जायेंगे;

(ग) खण्ड (ङ) में शब्द “जिला वैदिक शिक्षा समिति या नगर जिला समिति” के स्थान पर शब्द “गांव शिक्षा समितियों, जिला पंचायतों या नगरपालिकाओं” रख दिये जायेंगे;

(घ) खण्ड (च) में शब्द “और विशेषतया किसी वैदिक स्कूल या नामूल स्कूल के लिए किसी नवन अथवा उपस्कर का दान ऐसी शर्तों पर जिन्हें वह उचित मनसूरी, स्वीकार करना” का अर्थ दिये जायेंगे;

(ङ) खण्ड (छ-1) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

“(छ-1) राज्य सरकार के अनाम्य नियंत्रण के अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन गांव शिक्षा समितियों, ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों या

के सम्बन्धित रहते हुए, निम्नलिखित मन्त्र या समन्वय के किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

- (क) जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में वैदिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- (ख) जिले में वैदिक शिक्षा के संबंध में ग्राम पंचायतों के द्वारा स्थापना का, सम्बन्धित ऐसी रीति में जैसी विहित की जाये, पर्यवेक्षण करना;
- (ग) वैदिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कृत्यों का सम्पादन करना जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उभे लेना जाय ।

10-क-व्यवस्थापित, उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 या उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 के अधीन नगरपालिकाओं के अधिकारों और कृत्यों पर प्रतिष्ठित प्रभाव वाले बिना प्रत्येक नगरपालिका, परिषद् या राज्य सरकार के अधीक्षण के निगंत्रण के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित मन्त्र या समन्वय के किन्हीं कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

- (क) नगरपालिका क्षेत्र में वैदिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रसार, नियंत्रण और प्रबंध करना;
- (ख) ऐसे समस्त आवश्यक कदम उठाना जो वैदिक स्कूलों के प्रमुखों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;
- (ग) ऐसे वैदिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- (घ) नगरपालिका क्षेत्र में वैदिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अगिवृद्धि और विकास करना;
- (ङ) नगरपालिका क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी वैदिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति में जैसी विहित की जाय, लघु दण्ड देने की सिफारिश करना;

11-(1) प्रत्येक गांव या गांव समूह के निमित्त, जिसके लिए संयुक्त ग्राम गांव शिक्षा समिति पंचायत राज अधिनियम, 1947 के अधीन ग्राम पंचायत स्थापित हो, एक समिति स्थापित की जायेगी जो गांव शिक्षा समिति चलायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात् :—

- (क) ग्राम पंचायत का प्रधान, जो अध्यक्ष होगा;
- (ख) वास्तविक स्कूल का छात्र के तीन संरक्षक (जिसमें एक संरक्षक महिला होगी) जो सहायक वैदिक शिक्षा अधिकारी द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (ग) ग्राम पंचायत में स्थित वैदिक स्कूल का मुख्य अध्यापक और यदि वहाँ एक से अधिक स्कूल हों तो उनके मुख्य अध्यापक में से, पर्यवेक्षण को सदस्य-निर्दिष्ट होगा;

(2) इस अधिनियम के किन्हीं अन्य उपबन्धों में अन्यथा उपबन्धित के विना और ग्राम पंचायत के अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन रहते हुए, गांव शिक्षा समिति निम्नलिखित कृत्यों का सम्पादन करेगी, अर्थात् :—

- (क) पंचायत क्षेत्र में वैदिक स्कूलों की स्थापना, उनका प्रसार, नियंत्रण और प्रबंधन करना;
- (ख) ऐसे वैदिक स्कूलों के विकास, प्रसार और सुधार के लिए योजनाएँ तैयार करना;
- (ग) पंचायत क्षेत्र में वैदिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की अगिवृद्धि और विकास करना;

(घ) वैदिक स्कूलों, उनके भवनों और उपकरणों के नुसार के लिए जिला पंचायत को मुआवजे देना;

(ङ) ऐसे समस्त अधिष्ठाता कदम उठाना जो वैदिक स्कूलों के अध्यापकों और अन्य कर्मचारियों के समय-पालन और उपस्थिति को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक समझे जायें;

(च) पंचायत क्षेत्र की सीमाओं के भीतर स्थित किसी वैदिक स्कूल के किसी अध्यापक या अन्य कर्मचारी पर ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय; लघु दण्ड देने की विचारित करना;

(छ) वैदिक शिक्षा से सम्बन्धित ऐसे अन्य कुर्रियों को करना, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा उभे शोधे जायें।"

8—मूल अधिनियम की धारा 12-क निराल दी जायगी।

धारा 12-क का निराला जाना

9—मूल अधिनियम की धारा 13 के परचाद निम्नलिखित धारा वदुः दी जायगी; धारा 13-क का वदुःया जाना

“13-क—संयुक्त प्रान्त पंचायत राज अधिनियम, 1947, उत्तर प्रदेश नगर-पालिका अधिनियम, 1916 और उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 में किसी धारा के होते हुए भी, इत अधिनियम के उपबन्ध प्रमाधी होंगे।”

नई धारा 13-क का वदुःया जाना

10—मूल अधिनियम की धारा 14 में, उपधारा (1) में शब्द “शक्ति” के स्थान पर शब्द “शक्ति, नियम बनाने की शक्ति के सिवाय” रख दिये जायेंगे।

धारा 14 का संशोधन

11—मूल अधिनियम की धारा 17 में, उपधारा (2) में शब्द और शब्द “31 दिसम्बर, 1977 के पश्चात्” के स्थान पर शब्द और शब्द “उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ के दिनांक से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात्” रख दिये जायेंगे।

धारा 17 का संशोधन

12—(1) उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है।

निरस्तन और उपवाद

(2) ऐसे निरस्तन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा या उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 1999 द्वारा या उत्तर प्रदेश वैदिक शिक्षा (संशोधन) (द्वितीय) अध्यादेश, 1999 द्वारा प्रयोजित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही, इत अधिनियम द्वारा प्रयोजित मूल अधिनियम के तत्काल उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समशी जायगी, मानों इत अधिनियम के उपबन्ध अभी लागूत समय पर प्रवृत्त थे।

साक्षात्,

योगेन्द्र राम त्रिपाठी,

प्रमुख सचिव।

No. 1245 (2)/XVII-V-1-1 (KA)-20-1999

Dated Lucknow, May 5, 2000

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 343 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Basic Shiksha (Samsodhan) Adhiniyam, 2000. (Uttar Pradesh Adhiniyam Sakhya 18 of 2000) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on May 5, 2000.

THE UTTAR PRADESH BASIC EDUCATION (AMENDMENT)
ACT, 2000

(U. P. ACT No. 18 OF 2000)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN
ACT

for amending the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972.

IT IS HEREBY enacted in the Fifty-first Year of the Republic of India as follows:—

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 21, 1999.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 34 of 1972

2. Section 2 of the Uttar Pradesh Basic Education Act, 1972, hereinafter referred to as the principal Act, shall be renumbered as sub-section (1) thereof and,

(a) in sub-section (1) as so renumbered,—

(i) in clause (e) for the words "Zila Parishad, Antarim Zila Parishad, Nagar Mahapalika, Municipal Board, Town Area Committee or Notified Area Committee" the words, "Zila Panchayat or Municipality" shall be substituted;

(ii) after clause (e) the following clause shall be inserted, namely:—

"(f) "Municipality" means a Nagar Panchayat, Municipal Council or Municipal Corporation, as the case may be."

(b) after sub-section (1) as so renumbered, the following sub-section shall be inserted, namely:—

"(2) Words and expressions used in this Act but not defined shall have the meaning assigned to them in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 or the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, as the case may be."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act, in sub-section (3),—

(a) in clause (b) for the words and figures "Zila Parishads established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Samitis and Zila Parishads Adhiniyam, 1961," the words and figures "Zila Panchayats established under section 17 of the Uttar Pradesh Kshettra Panchayats and Zila Panchayats Adhiniyam, 1961" shall be substituted;

(b) in clause (c) for the words and figures "Mahapalikas constituted under section 7 of the Uttar Pradesh Nagar Mahapalika Adhiniyam, 1959", the words and figures "Corporations constituted under section 9 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959" shall be substituted;

(c) in clause (d) for the words and figures "Municipal Boards established under the U. P. Municipalities Act, 1916," the words and figures "Municipal Council and Nagar Panchayats established under the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916" shall be substituted.

Amendment of section 4

4. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1),—

(a) in clause (e) for the words "Zila Basic Shiksha Samitis or Nagar Basic Shiksha Samitis and to superintend the said Samitis", the words, "the Gaon Shiksha Samitis, or Municipalities and to superintend Gaon Shiksha Samitis, Gaon Panchayats and Municipalities" shall be substituted;

(b) in clause (f) for the words "normal schools" the words "District Institute of Education and Training" shall be substituted;

(c) In clause (e) for the words "the Zila Basic Shiksha Samiti or the Nagar Shiksha Samiti", the words "Gaon Shiksha Samitis, Zila Panchayats or Municipalities" shall be substituted;

(d) In clause (f) the words "and in particular, to any" and "or any other equipment of any kind" shall be omitted;

(e) for clause (g-1) the following clause shall be substituted, namely:—

"(g-1) subject to the general control of the State Government to issue directions not inconsistent with this Act, to Gaon Shiksha Samitis, Gram Panchayats, Zila Panchayats or Municipalities in the performance of their functions under this Act;"

(f) clause (g-2) shall be omitted.

5. In section 5 of the principal Act,—

Amendment of section 5

(a) in sub-section (1) the words and figures "each Zila Basic Shiksha Samiti referred to in section 10 and" shall be omitted,

(b) In sub-section (2),—

(i) in clause (a) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

(ii) in clause (d) for the words "any Samiti" the words "the Samiti" shall be substituted.

6. After section 9 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

Insertion of new section 9-A

9-A(1) Notwithstanding anything contained to the contrary in any other provisions of this Act, on and from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000,—

Control of teacher and properties of basic schools

(a) every teacher of the basic school serving under the Board immediately before such commencement shall be under the administrative control of the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(b) all buildings, properties and assets of the Board in respect of a basic school shall stand transferred to, and vest in, the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits the basic school is situated;

(c) where any building or part thereof is occupied as a tenant by the Board for the purpose of a basic school immediately before such commencement, the tenancy in respect of such building or part thereof shall, notwithstanding anything contained in any contract, lease or other instrument, stand transferred in favour of the Gram Panchayat, or the Municipality, as the case may be;

(d) the Board shall cease to be the licensee in respect of the building or part thereof referred to in sub-section (1) of section 18-A and the Gram Panchayat or the Municipality, as the case may be, within whose territorial limits such building is situated, shall, if it is not already owner thereof, be deemed to have become licensee in respect of such building or part thereof on such terms and conditions as may be determined by the State Government.

(2) No Gram Panchayat or Municipality shall have power to transfer by sale, gift, exchange, mortgage, lease or otherwise any building, property or assets transferred to, and vested in, such Gram Panchayat or Municipality, as the case may be, under sub-section (1).

Substitution of sections 10, 10-A and 11

7. For section 10, 10-A and 11 of the principal Act, the following sections shall be substituted, namely:—

10. Without prejudice to the powers and functions of Zila Panchayats under the Uttar Pradesh Zila Panchayats and Kshetra Panchayats Adhiniyam, 1961, every Zila Panchayat shall, subject to superintendence and directions of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of basic schools in the rural areas of the district;

(b) to supervise generally in such manner as may be prescribed the activities of Gram Panchayats in the district with regard to basic education;

(c) to perform such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government.

10-A Without prejudice to the powers and functions of Municipalities under the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 or the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, as the case may be, every Municipality shall, subject to superintendence and control of the Board or the State Government, perform all or any of the following functions, namely:—

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the Municipal area;

(b) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(c) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(d) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the Municipal area;

(e) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within the limits of the municipal area.

11. (1) For each village or group of villages for which a Gram Panchayat is established under the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, there shall be established a committee to be known as Gaon Shiksha Samiti and its function as Gaon Shiksha Samiti which shall consist of the following members, namely:—

(a) the Pradhan of the Gram Panchayat who shall be the Chairman;

(b) three guardians of students of basic schools (of whom one guardian must be a woman) to be nominated by the Assistant Basic Education Officer;

(c) the head master of the basic school situated in the Gram Panchayat and if there are more than one such schools, the senior-most of the head masters thereof, who shall be the Member-Secretary;

(2) except as otherwise provided in any other provisions of this Act and subject to the supervision and control of the Gram Panchayat, the Gaon Shiksha Samiti shall perform the following functions, namely:—

(a) to establish, administer, control and manage basic schools in the panchayat area;

(b) to prepare schemes for the development, expansion and improvement of such basic schools;

(c) to promote and develop basic education, non-formal education and adult education in the panchayat area;

(d) to make suggestions to the Zila Panchayat for the improvement of basic schools, buildings and the equipment

(e) to take all such necessary steps as may be considered necessary to ensure punctuality and attendance of teachers and other employees of basic schools;

(f) to make recommendation for minor punishment in such manner as may be prescribed on a teacher or other employee of a basic school situate within limits of the panchayat area.

(g) such other functions pertaining to basic education as may be entrusted to it by the State Government."

8. Section 12-A of the principal Act shall be *omitted*.

Omission of section 12-A

9. After section 12 of the principal Act, the following section shall be *inserted*, namely:—

Insertion of new section 13-A

"13-A. Notwithstanding anything contained in the United Provinces Panchayat Raj Act, 1947, the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 and the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959, the provisions of this Act shall have effect."

Overriding effect

10. In section 14 of the principal Act, in sub-section (1) for the words "powers" the words "powers, except the power to make rules" shall be *substituted*;

Amendment of section 14

11. In section 17 of the principal Act, in sub-section (2) for the words and figures "after December 31, 1977" the words and figures after the expiration of the period of two years from the date of commencement of the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Act, 2000" shall be *substituted*.

Amendment of section 17

12. (1) The Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) Ordinance, 2000 is hereby *repealed*.

Repeal savings

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment), Ordinance, 1999, or by the Uttar Pradesh Basic Education (Amendment) (Second) Ordinance, 1999 shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,
Y. R. TRIPATHI,
Pranab Sachly.

संख्या: 2604/15-5-99-282/98

प्रेषक,

श्री. वि. नन्द शौन्याल,
तपिल,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

111 शिक्षा निदेशक । वेडा।
उ० प्र० लखनऊ।

121 राज्य परियोजना निदेशक,
उ० प्र० के लिए शिक्षा परियोजना,
निदेशक, लखनऊ।

शिक्षा 158 अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 26 मई, 1999

विषय:- उ० प्र० के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु "शिक्षा मित्र योजना" लागू किया जाना।

महोदय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्राथमिक शिक्षा के तारबन्धीकरण के तर्ज में प्राथमिक विद्यालयों में निर्धारित मानकांकुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु राज्यपाल महोदय वर्तमान शिक्षा तंत्र 1999-2000 से प्रदेश में लागू "शिक्षा मित्र योजना" लागू करने की स्वीकृति प्रदान करते हैं।


2- शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु उ० प्र० के लिए शिक्षा परिषद द्वारा तय किया गये प्राथमिक विद्यालयों में किया जायेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है। शिक्षा तंत्र 1999-2000 में पूरे प्रदेश में 10,000 की सीमा तक शिक्षा मित्रों को अनुबंधित किया जायेगा।

3- योजना के संचालनार्थ जिला स्तर पर एक समिति का गठन निम्नलिखित किया जायेगा :-

- | | |
|--|--------------|
| 1- जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2- जिला संचालक राज अधिकारी | सदस्य |
| 3- लेखाधिकारी, (कार्यालय जिला वैयक्तिक शिक्षा अधिकारी) | सदस्य |
| 4- जिला वैयक्तिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य - सचिव |

2000/2000


- 4- जनसूच में उषर्धुक्त योजनान्तर्गत कार्यक्रम को संयोजित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व उषर्धुक्त तमिति का होगा।
- 5- योजनान्तर्गत " शिक्षा मित्रों " के चुनाव हेतु बिल्लुत निर्देशा संलग्न योजना में दिये गये हैं, जिनका अक्षरशः पालन किया जायेगा।
- 6- योजना के प्राविधानों के अन्तर्गत इत्येक शिक्षा मित्र को प्रतिमाह रुपये 1450/- का मानदेय देव होगा। इसके अतिरिक्त एक माह की प्रशिक्षण अवधि के लिए उन्हें रुपये 400/- की दर से मानदेय देव होगा। शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण हेतु जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित दरों पर धनराशि देव होगी।
- 7- कृषया तदनुसार योजना के संयोजनार्थ वित्तीय आवश्यकताओं का आँगणन कर पुस्तक गणतन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजेंद्र मोहन
तयिब।

संख्या: ब दिनांक: तयिब:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाएं एवं आवश्यक कार्रवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- तमस्त मण्डलायुक्त 3050।
- 2- तमस्त जिलाधिकारी, 3050।
- 3- तमस्त अध्वक्ष, जिला संघात 3050।
- 4- निदेशक, स्तंती 000 आर 0000 निगातगज लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार यथानित शिक्षा मित्रों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आँगणन कर गणतन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 5- तयिब, 3050 गणतन संघात राज विभाग।
- 6- निदेशक, संघात राज विभाग 3050 लखनऊ।
- 7- तमस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक 1 बे 3050।
- 8- तमस्त जिला वित्त शिक्षा अधिकारी, 3050।
- 9- शिक्षा निदेशक 1 मा 0/000 एवं अनौपचारिक शिक्षा / उर्दू एवं प्राच्य भाषाओं 3050 लखनऊ।
- 10- संघात राज अनुभाग -।
- 11- स्टाफ आफिसर, तयिब / कृषि उत्पादन अधिकारी, 3050 गणतन।
- 12- शिक्षा संचालक विभाग के तमस्त अधिकारी/अनुभागे

आज्ञा से,

राजेंद्र मोहन
जिला शिक्षा तयिब।

5=====

शिक्षा मित्र योजना
=====

प्राथमिक शिक्षा के तादर्थीकरण के संदर्भ में निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापक-छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु कम लागत पर शिक्षण की व्यवस्था के लिए शिक्षा मित्र नामक योजना को रूप रेखा निम्नवत् है। यह योजना शीघ्रतः 1999-2000 से लागू होगी।

शिक्षा मित्र
संरचना

1- स्थानीय आवश्यकता और गाँव के संदर्भ में ग्राम तथा स्तर पर उपलब्ध इंटरमीडिएट तक शिक्षित व्यक्तियों में से निम्न मानक पर बंधित राज अधिनियम के अन्तर्गत गठित ग्राम बंधित की शिक्षा समिति द्वारा शिक्षण कार्य हेतु संबंधित पर आर्म्भित किये जाने वाला व्यक्ति "शिक्षा मित्र" होगा।

2- 1.1 शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन मुख्यतः निर्धारित अध्यापक छात्र अनुपात को बनाये रखने हेतु 3000 वार्षिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित ऐसे प्राथमिक विद्यालयों में किया जावेगा जिनमें निर्धारित मानक के अनुसार अध्यापकों की व्यवस्था नहीं हो सकी है।

1.1.1 ग्राम बंधित की ग्राम शिक्षा समिति में "शिक्षा मित्र" की आवश्यकता का प्रस्ताव पारित कर वह निर्णय लेगी कि शिक्षा समिति विद्यालय में "शिक्षा मित्र" की व्यवस्था हेतु सहमत एवं तैयार है।

शिक्षा मित्र की
शैक्षिक योग्यता
रब अर्हता

3- 1.1.1 शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता 3000 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा तैयारित इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी।

1.1.1.1 उक्त ग्राम शिक्षा समिति प्रस्ताव पारित कर निर्णय लेने से पूर्व जिस गाँव में विद्यालय स्थित है, उसमें निर्धारित अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष अभ्यर्थी को चिन्हित करेगी। विशेष परिस्थिति में किसी गाँव में निर्धारित अर्हताधारी अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय बंधित में से जहाँ से अर्हताधारी महिला/पुरुष अभ्यर्थी उपलब्ध हैं, अर्हताधारी महिला अथवा पुरुष को चिन्हित किया जावेगा।

11111 कितनी भी विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा "शिक्षा मित्र" का अनुपात अधिकतम 3:2 होगा।

शिक्षा मित्र की संख्या का निर्धारण

4- निदेशक परियोजना द्वारा वी०ई०पी०/डी०बी०ई०पी० योजना के आच्छादित जनपदों में तथा गैर परियोजना जनपदों में शिक्षा निदेशक 1 बे०। द्वारा शिक्षा मित्रों की संख्या का निर्धारण सर्वेक्षण में प्राप्त आँकड़ों के अनुसार तथा अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपात को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा निर्धारित संख्या के अनन्तर्गत ही जनपदों में शिक्षा मित्र रखे जायेंगे।

आयु

5- शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 30 वर्ष होगी। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षण कार्य करने योग्य तक्षम स्थानीय / निकटवर्ती गाँव के अर्ह व्यक्ति। महिला/पुरुषों का यत्न किया जा रहा है।

शिक्षा मित्र का यत्न

6- I.E.L. ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र / मित्रों के यत्न हेतु बैठकें आयोजित करेगी जिनमें समिति के सदस्यों की कुल संख्या के दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

1.य। समिति के द्वारा सदस्यों के सम्मुख उपलब्ध अर्ह व्यक्तियों की सूची प्रस्तुत की जायेगी। यह सूची उनके द्वारा हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट परीक्षा के प्राप्त कुल अंकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर निर्मित की जायेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले का नाम पहले रखा जायेगा।

1.ग। समिति आवश्यकतानुसार शिक्षा मित्रों की संख्या का आँकलन करेगी। यह संख्या 1:40 के आधार पर शिक्षकों की कुल संख्या में से कार्यरत शिक्षकों की संख्या को घटाने निकाली जायेगी। तदनुसार 10। छात्र संख्या पर 3 तथा इसके उपरान्त 40 छात्रों की पूर्ण संख्या पर एक अतिरिक्त शिक्षक की आवश्यकता का आँकलन किया जायेगा।

1.घ। विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50% महिलाएँ होंगी। इनका भी यत्न विन्दु 1.ख में इंगित आधार पर किया जायेगा।

1.ङ। अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों एवं अन्य श्रेणियों के आरक्षण हेतु प्रयुक्त नियमों/निर्देशों का पालन ध्यावत् सुनिश्चित किया जायेगा।

1. वा. ग्राम शिक्षा समिति के सभासदों व शिक्षकों के निवृत्त संबंधी का खर्च शिक्षा मंत्र के रूप में नहीं किया जायेगा।

संबंधी की अवधि

7- शिक्षा मंत्र ग्राम शिक्षा समिति द्वारा प्रस्ताव पारित कर चालू वित्त वर्ष के लिए संबंध पर रखा जायेगा जो मई माह के अन्तिम दिवस की तबत समाप्त हो जायेगा।

संबंधी अवधि का मानदेय

8- शिक्षा मंत्र को संबंध पर खर्चा 1450/- प्रतिमाह निश्चित मानदेय पर रखा जायेगा।

संबंधी समाप्त करने की प्रक्रिया

9- III कितनी भी शिक्षा मंत्र का कार्य संतोषजनक न होने की दशा में ग्राम शिक्षा समिति, समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर संबंध समाप्त कर सकती है। ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस संबंध में लिया गया निर्णय अन्तिम होगा।

IIII संबंधित शिक्षा मंत्र को उस माह का मानदेय देव होगा जिस माह में उसके विरुद्ध ग्राम शिक्षा समिति द्वारा संबंध समाप्त करने के आदेश का प्रस्ताव पारित कर निर्णय लिया जायेगा तथा इस प्रकार हटाये गये शिक्षा मंत्र को पुनः सेवा का अवसर प्रदान नहीं किया जायेगा।

शिक्षा मंत्र के मानदेय की स्वीकृति

10- IIII उपर्युक्त अनुच्छेद-6 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मंत्र का खर्च करने के उपरान्त स्तरीय अनुदान प्राप्त करने हेतु औपचारिक प्रस्ताव निर्धारित प्रारूप पर पूर्ण सूचनाओं सहित संबंधित सहायक बेटिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बेटिक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेटिक शिक्षा अधिकारी अपेक्षित तत्वावन सब दृष्टि के उपरान्त प्रस्तावों पर शासन द्वारा नामित समिति का अनुमोदन प्राप्त करेंगे, सब अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त अनुदान की स्वीकृति अथवा अस्वीकृत कर, निर्णय संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को सूचित करेंगे।

IIII अनुदान स्वीकृत किये जाने की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित ग्राम शिक्षा समिति संबंधित शिक्षा मंत्र को इस आदेश की सूचना देगी कि वह जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान में प्रारम्भिक प्रशिक्षण हेतु अत्र अपनी उपस्थिति दें। उनके द्वारा संतोषजनक ढंग से एक माह का प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाने पर निर्धारित प्राथमिक स्कूल में शिक्षा मंत्र को अध्यापन कार्य हेतु मानदेय रकम 1450/-

प्रतिमाह पर संबिदा के आधार पर नियुक्त किया जायेगा। यह संबिदा आगामी 31 मई को स्वतः समाप्त हो जायेगी।

प्रशिक्षण
=====

11- शिक्षा मित्र के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था निम्न प्रकार होगी :-

1.1.1 प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष निम्न शिक्षा मित्र को जनपद के जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का द्वारम्विक प्रशिक्षण सम्पत्तापूर्वक पूर्ण करना होगा। इसके बाद ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र कार्य आरम्भ करेगा। प्रशिक्षण अवधि में प्रत्येक शिक्षा मित्र को ₹0400/- का मानदेय देय होगा। संबंधित जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रति शिक्षा मित्र की दर से धनराशि प्रशिक्षण के आयोजन तथा प्रशिक्षण अवधि में भोजन, आवात आदि पर व्यय हेतु उपलब्ध करायी जायेगी।

1.1.1.1 पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण- प्रत्येक वर्ष आगामी शिक्षा तंत्र में पूर्व 15 दिन के पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण में प्रत्येक ऐसे शिक्षा मित्र को प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा, जो आगामी शैक्षिक तंत्र में शिक्षा मित्र के दायित्व का निर्वाहन करने को तैयार हो, किन्तु ऐसे शिक्षा मित्रों के लिए अप्रैल माह में ग्राम शिक्षा समिति द्वारा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर इसकी तयना संबंधित तहसील बौद्धिक शिक्षा अधिकारी के माध्यम से जिला बौद्धिक शिक्षा अधिकारी एवं प्राचार्य जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान को देनी अनिवार्य होगी। पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण की अवधि में शिक्षा मित्र को ₹0 200/- का मानदेय दिया जायेगा। तथा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान को निर्धारित मानकों की दर से आवात भोजन तथा प्रशिक्षण के आयोजन हेतु धनराशि दी जायेगी।

पर्यवेक्षण
=====

12- 1.1.1 शिक्षा मित्र को आकादमिक सहायता न्याय बंधावत संतापन केन्द्र/ विकास खण्ड संतापन केन्द्र द्वारा प्रदान की जायेगी तथा उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केन्द्रों के समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। न्याय बंधावत संतापन केन्द्र / तरगना तालूक पर प्रत्येक माह आयोजित होने वाली एक दिवसीय कार्यशाला / बैठक में शिक्षा मित्र का प्रतिभाग करना अनिवार्य होगा। इस एक दिवसीय कार्यशाला में विकास खण्ड संतापन केन्द्र / न्याय बंधावत संतापन केन्द्र समन्वयक द्वारा प्रत्येक शिक्षा मित्र से शिक्षण कार्य में उनके अनुभव, समस्याएँ तथा आवश्यकताएँ की जानकारी प्राप्त कर उतकी समस्याओं का समाधान

क्रिया जायेगा तथा उसे वृथक बांजिरा में अभिलिखित भी किया जायेगा। यदि कोई तमाखा ऐसी है जिसका तमाधान समन्वयक के स्तर से सम्भव नहीं हो तो उसकी जानकारी संबंधित तहाबक बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जायेगी एवं इस संबंध में बरीयत से कार्रवाई कर उतका निदान जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान/विकसित खण्ड संतुलन केन्द्र / न्याय संबंधित संतुलन केन्द्र से कराया जायेगा।

1.111 शिक्षा मंत्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा तथा वे इसके प्रति उत्तरदायी होंगे, किन्तु शिक्षा मंत्र अपने शिक्षण दायित्वों के निर्वाहन विद्यालय के प्रधान अध्यापक / भारी प्रधान अध्यापक के नियंत्रण एवं निरीक्षण में करेंगे।

1.1111 ग्राम शिक्षा समिति के सहायिकी / तहाबक को क शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक अथवा क्वी अन्व अधिकारी द्वारा स्कूल के निरीक्षण / पर्यवेक्षण के समस्त स्कूल के अन्व अध्यापकों की भांति "शिक्षा मंत्र" को पूर्ण रूप से जबाबदेह होंगे।


1.11111 विकसित खण्ड संतुलन केन्द्र / न्याय संबंधित संतुलन केन्द्र समन्वयक तथा तहाबक बेसिक शिक्षा अधिकारी / प्रति उप विद्यालय निरीक्षक द्वारा शिक्षा मंत्र के शिक्षण कार्य के संबंध में पर्यवेक्षण टिप्पणी प्रस्तुत की जायेगी जिस पर शिक्षा समिति बियार करेगी। यदि शिक्षा मंत्र के विरुद्ध लगावहार टिप्पणी आती है तो ग्राम शिक्षा समिति उक्त शिक्षा मंत्र की निर्धारित प्रक्रियानुसार तबिता समाप्त कर सकती है और अन्व शिक्षा मंत्र का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार पढ़न कर सकत

दान की
बस्था

13- 1.111 इस योजना के अधीन " शिक्षा मंत्र" के मानदेह तथा प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय की धनराशि को एक सूत्र संबंधित जनसद के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को निदेश, तभी के लिए शिक्षा परियोजना तथा गैर परियोजना जनसदों में शिक्षा निदेश, बेसिक शिक्षा द्वारा अनुदान के रूप में उपलब्ध कराया जायेगा। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति के उपरान्त धनराशि का जागणन निर्धारित दर पर जागामी सई 31 तक के लिए किया जायेगा तथा एक लिखित स्वीकृत कर दिये जाने पर जागामी लिखित पूर्व स्वीकृत लिखित के उपभोग प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के उपरान्त ही स्वीकृत की जायेगी। धनराशि दो समान लिखतों में संबंधित ग्राम शिक्षा समिति को उपलब्ध करायी जायेगी।

14- प्रस्ताव -10 में उल्लिखित नामित समिति को यह अधिकार होगा कि किसी ग्राम शिक्षा समिति द्वारा " शिक्षा समिति " योजना के अधीन स्वीकृत अनुदान की धनराशि के व्यययोग की शिकायत प्राप्त होने पर अनुदान की दूसरी बिलत की धनराशि के हस्तान्तरण को रोक दें अथवा पूर्व में स्वीकृत धनराशि की निम्नानुसार बतूली करावें।

15- उपरोक्त नियमों में प्रयुक्त ग्राम शिक्षा समिति का तात्पर्य ग्राम प्रचारक की शिक्षा समिति से है।


। दिनेश चन्द्र कुनौजिया।
विशेष सचिव।

प्रेषक,

श्री एन० ग्विशंकर
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) शिक्षा निदेशक(बे)

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2) राज्य परियोजना निदेशक;

उत्तर प्रदेश वसिक्त शिक्षा परियोजना परिषद,
निशातगंज, लखनऊ।

शिक्षा अंनभाग-5

लखनऊ: दिनांक: 1 जुलाई, 2000

विषय:- प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए शिक्षित युवाओं की सहभागिता हेतु शिक्षा मित्र योजना का कार्यान्वयन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर शासनादेश संख्या- 2604/15-5-99-282/98, दिनांक 26.5.1999 एवं शा० सं०-4386/15-5-99-282/98 टीसी, दिनांक 11.08.1999 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के प्रयासों के अंतर्गत शासन ने ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित युवा पीढ़ी को शिक्षा के प्रसार में सहायता उनकी सहभागिता सामुदायिक सेवा के क्षेत्र में ग्राम पंचायतों द्वारा प्राप्त करने के लिए शिक्षा मित्र योजना की रचना की है। वस्तुतः यह योजना मुख्य रूप से ग्रामीण शिक्षित युवा शक्ति को अपने ही ग्राम में शिक्षा के आलांन को सामुदायिक सेवा के रूप में प्रज्वलित करने हेतु उन्हें उत्तरित करने के लक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए प्रारम्भ की गयी है। यहां यह भी स्पष्ट रूप से इंगित कर दिया जाना आवश्यक है कि शिक्षा मित्र योजना सेवायोजन रक योजना नहीं है, प्रत्युत इसका उद्देश्य ग्रामीण शिक्षित युवाओं को प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में उनको सामुदायिक सेवा हेतु उत्तरित करना मात्र है।

शासन ने उपर्युक्त योजना के अंतर्गत शिक्षा मित्रों की आवश्यकता के आंकलन, चयन तथा योजना के कार्यान्वयन से सम्बन्धित अन्य महत्वपूर्ण विन्दुओं के संबंध में कार्यवाही निम्नलिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार प्रशस्त करने का निर्णय लिया है:-

1. शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन:

प्रदेश में विभिन्न जनपदों में शिक्षा मित्र की आवश्यकता का आंकलन एवं संख्या का निर्धारण विश्व बैंक वित्त पोषित परियोजनाओं से आच्छादित जनपदों में राज्य परियोजना निदेशक द्वारा तथा

ग्राम जनपदों में शिक्षा निदेशक(वे) द्वारा शासन द्वारा पूरे प्रदेश के लिए निर्धारित संख्या के अंतर्गत किया जायेगा तथा साथ ही यह भी ध्यान में रखा जायेगा कि प्रत्येक विद्यालय में अध्यापक छात्र अनुपात 1:40 का अनुसरण हो।

प्रत्येक विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापक तथा शिक्षा मित्र का अनुपात अधिकतम 3:2 का होगा। शिक्षा मित्र की तैनाती उन्ही विद्यालयों में होगी जहाँ पहले से न्यूनतम एक नियमित अध्यापक कार्यरत हो। दूसरा शिक्षा मित्र सम्बन्धित विद्यालय में तभी तैनात किया जा सकेगा जब विद्यालय में पहले से दो नियमित अध्यापक कार्यरत हों और अध्यापक छात्र के 1:40 के अनुपातिक आधार पर शिक्षा मित्र की आवश्यकता हो। दो से अधिक शिक्षा मित्रों को एक विद्यालय में नहीं रखा जायेगा।

उपर्युक्त प्रक्रिया एवं रोस्टर का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन:

योजनान्तर्गत शिक्षा मित्रों की जनपदवार आवश्यकता का निर्धारण शिक्षा निदेशक(वे) एवं राज्य परियोजना निदेशक, वेंसिक शिक्षा परियोजना द्वारा करा लिये जाने के उपरान्त विद्यालयों का चिन्हांकन शासनादेश दिनांक 26 नई, 1999 द्वारा गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जायेगा। जिला स्तरीय समिति द्वारा शिक्षा मित्रों की व्यवस्था करने हेतु शिक्षा निदेशक(वे)/परियोजना निदेशक द्वारा संबंधित जनपद के लिए निर्धारित शिक्षा मित्रों की संख्या के आधार पर ग्राम पंचायतों, जहाँ प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र की व्यवस्था अपेक्षित हो, का चिन्हांकन ऐसे एकल अध्यापकीय विद्यालयों जो जनपद के दुर्गम क्षेत्रों में स्थित हो और अध्यापकों की कमी के कारण जहाँ पठन-पाठन में समस्या रही हो, को बरीयता प्रदान करते हुए विद्यालयों के चयन हेतु संस्तुति का जायेगा।

3. ग्राम शिक्षा समिति द्वारा शिक्षा मित्र के चिन्हांकन की प्रक्रिया:

जिला स्तरीय समिति द्वारा योजना के आच्छादन हेतु विद्यालयों का चिन्हांकन हो जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम शिक्षा समिति अपनी ग्राम पंचायत की प्रादेशिक सीमा के अंतर्गत अवस्थित विद्यालय हेतु शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु प्रस्ताव पारित कर यह निर्णय लेगी कि समिति सम्बन्धित विद्यालय में शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अंतर्गत शिक्षा मित्र की व्यवस्था हेतु सहमत है।

उपर्युक्त प्रस्ताव के पारित हो जाने के उपरान्त ग्राम शिक्षा समिति शिक्षा मित्र की व्यवस्था के लिए इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र आमंत्रित करने की सार्वजनिक सूचना ग्राम पंचायत के सूचना पटल तथा ग्राम पंचायत क्षेत्र में अन्य उपयुक्त माध्यमों से प्रसारित करेगी।

सूचना के प्रकाशन/प्रसारण की तिथि से 10 दिन की समयवधि में इच्छुक अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र ग्राम पंचायत द्वारा प्राप्त किये जा सकेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा उस ग्राम पंचायत में जिसकी प्रादेशिक सीमा में विद्यालय अवस्थित है के निर्धारित अर्हता धारी अभ्यर्थियों के ही आवेदन पत्र आमंत्रित करेगी। विशेष परिस्थिति में यदि किसी गांव में अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो सम्बन्धित ग्राम पंचायत में से अर्ह अभ्यर्थी चिन्हांकित किये जा सकेंगे।

4. शिक्षा मित्र की अर्हताये:

शिक्षा मित्र (पुरुष/महिला) की न्यूनतम शैक्षिक योग्यता उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित इण्टर्मीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राज्य सरकार द्वारा इसके समकक्ष मान्यता प्राप्त कोई अन्य अर्हता होगी किन्तु प्रन्विंध यह है कि प्रदेश में संचालित मान्यता प्राप्त विश्व विद्यालयों तथा राज्य सरकार द्वारा संचालित महाविद्यालयों/प्रशिक्षण महाविद्यालयों में संस्थागत छात्र के रूप में बी०एड०/एल०टी० उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का अधिमान्यता प्रदान की जायेगी। शिक्षा मित्र की न्यूनतम आयु चयन वर्ष की 1 जुलाई को 18 वर्ष व अधिकतम 30 वर्ष होगी।

5. शिक्षा मित्र का कार्यकाल:

शिक्षा मित्र का कार्यकाल सनान्यतया किसी शिक्षा सत्र में माह मई के अंतिम दिवस को स्वतः समाप्त हो जायेगा। शिक्षा मित्र के शिक्षण कार्य एवं आचरण से संतुष्ट होने की स्थिति में समिति द्वारा अगले शिक्षा सत्र के लिए भी उसे चिन्हित किया जा सकता है।

किसी भी शिक्षा मित्र का कार्य व आचरणसंतोषजनक न होने की दशा में शिक्षा समिति के दो तिहाई बहुमत से लिखित प्रस्ताव पारित कर सत्र के मध्य में भी समिति शिक्षा मित्र को किसी भी समय हटा सकती है। इस संबंध में शिक्षा समिति का निर्णय अंतिम होगा और इन प्रकार हटाये गये शिक्षा मित्र को पुनः इस रूप में कार्य करनेका अवसर नहीं दिया जायेगा।

6. शिक्षा मित्र का मानदेय:

शिक्षा मित्र को रू० 2250/- प्रातः माह का नियत मानदेय ग्राम शिक्षा सामाजिक द्वारा भुगतान किया जायेगा। मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा निधि के माध्यम से किया जायेगा। मानदेय का धनराशि ग्राम शिक्षा निधि के खाते में रखी जायेगी। जिला स्तरीय समिति के अनुमोदन के उपरान्त मानदेय हेतु अपेक्षित धनराशि हस्तांतरित होगी।

शिक्षा सत्र के मध्य में हटाये जाने वाले शिक्षामित्र को उस माह का मानदेय देय होगा जिस माह उसके विरुद्ध शिक्षा समिति द्वारा उसे हटाये जाने के संबंध में निर्णय लिया जाता है।

7. शिक्षा मित्र का प्रशिक्षण:

ग्राम पंचायत द्वारा चयनित एवं जिला समिति द्वारा अनुमोदित शिक्षा मित्र को जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में एक माह का प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा। यह प्रशिक्षण शिक्षा मित्र को सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात ही ग्राम शिक्षा समिति द्वारा पारित प्रस्तावानुसार शिक्षा मित्र को शिक्षा कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी। इस प्रशिक्षण अवधि के लिए उसे रू० 2250/- के स्थान पर रू० 400/- का मानदेय देय होगा।

यदि शिक्षा मित्र का अगले शिक्षा सत्र के लिये चयन शिक्षा समिति द्वारा कर लिया जाता है तो उसे आगामी सत्र में 15 दिन का पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण सफलता पूर्वक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। पुनर्विधात्मक प्रशिक्षण अवधि में उसे रू० 200/- का मानदेय दिया जायेगा।

उपरोक्त प्रशिक्षण अवधियों में जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा उन्हें निःशुल्क आवास एवं भोजन की सुविधा दी जायेगी।

निर्दिष्ट अर्हता/अधिमानि अर्हता एवं आयु सीमा के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थी शिक्षा मित्र के चयन में शिक्षण से सम्बन्धित सामाजिक कार्य के लिए अपनी सेवाये सुलभ कराये जाने हेतु निर्दिष्ट-प्रारूप एक में आवेदन पत्र अपनी शैक्षिक/प्रशिक्षण अर्हता, आयु एवं जाति सम्बन्धी प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करेंगे। शैक्षिक/प्रशिक्षण योग्यता के प्रमाण पत्रों के साथ उनके द्वारा हुई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा वी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के अंक तालिकाये तथा प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप में प्रस्तुत किये जायेंगे।

ग्राम शिक्षा समिति द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निर्दिष्ट समायावधि पूरी हो जाने के (10 दिन) तुरन्त बाद आवेदन पत्रों का सम्यक रूप से परीक्षण एवं उन पर विचार हेतु अपनी बैठक आहूत की जायेगी। शिक्षा समिति सम्बन्धित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों से उनकी अर्हता/अधिमानि अर्हता तथा आयु के संबंध में स्त्यापन सुनिश्चित करेंगे।

शिक्षा मित्र को चिन्हित करने हेतु ग्राम शिक्षा समिति की बैठक में सदस्यों की दो तिहाई उपस्थिति अनिवार्य होगी।

समिति हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट तथा वी0एड0/एल0टी0 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत के औसत अंकों के आधार पर शिक्षा मित्र के चयन हेतु पात्रता सूची तैयार करेगी तथा सूची में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम पहले प्रक्रम पर और उससे कम अंक वाले अभ्यर्थियों को अवरोही क्रम में सूचीबद्ध किया जायेगा।

विद्यालय में कुल रखे जाने वाले शिक्षा मित्रों में 50 प्रतिशत महिला होगी। ग्राम पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत जो ग्राम पंचायत शिक्षा मित्र के चिन्हांकन के समय परिसीमन के अनुसार जिस रूप में वर्गीकृत हो अर्थात्- सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, उस पंचायत की प्रादेशिक सीमा में अवस्थित प्राथमिक विद्यालय में 'शिक्षा मित्र' के रूप में प्रथम रिक्ति पर परिसीमन के अनुसार यथास्थिति उच्च वर्ग के अभ्यर्थी अर्थात् सामान्य/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए आरक्षित होगी। निर्दिष्ट मानके के अनुसार सम्बन्धित प्राथमिक विद्यालय में यदि शिक्षा मित्र के रूप में दो अभ्यर्थी चिन्हित होते हैं तो दूसरी रिक्ति अनारक्षित होगी।

शिक्षा समिति के सभापति व सचिव के निकट सम्बन्धी का चयन शिक्षा मित्र के रूप में नहीं किया जायेगा। सम्बन्धियों का तात्पर्य पिता, दादा, स्वसुर (पित्र एवं मात्र सम्बन्धी) पुत्र, पुत्रवत्साद, भाई, बहन, पति, पत्नी, पुत्री तथा मां से है।

ऐसे व्यक्ति को शिक्षा मित्र के रूप में नहीं रखा जायेगा जिसे केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा किसी स्थानीय प्राधिकारी अथवा किसी शैक्षिक संस्थान जो कि राज्य सरकार से सन्वतः प्राप्त एवं सहायित है, जो सेवा से पृथक अथवा सेवान्धुत करने का दण्ड दिया गया हो अथवा किसी अनैतिक कार्यों में लिप्त होने के कारण जेल की सजा काट चुका हो।

शिक्षा समिति उपर्युक्त सभी बिन्दुओं के संबंध में अपना सन्धान करने एवं संबंधित व्यक्ति जिसे शिक्षा मित्र के रूप में समिति द्वारा रखा जाना प्रस्तावित हो, के चरित्र एवं पूर्ववृत्त का सत्यापन सुनिश्चित करेगी।

शिक्षा समिति द्वारा उपर्युक्त प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए चिन्हित शिक्षा मित्र को सम्बन्धित विद्यालय में प्रारूप-दो के अनुसार उनकी सहमति प्राप्त कर शिक्षण कार्य की अनुमति प्रदान की जायेगी।

शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप ।

सेवा में,

अध्यक्ष,

ग्राम शिक्षा समिति,

ग्राम पंचायत -.....

जिला -.....

महोदय,

ग्राम पंचायत-.....द्वारा प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के परिप्रेक्ष्य में शिक्षित युवाओं की सामुदायिक सेवा में सहभागिता के लिए शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत आवेदन करने हेतु दिनांक.....का प्रसारित विज्ञापन के संदर्भ में मैं शिक्षा मित्र के रूप में सामुदायिक सेवा किये जाने हेतु अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करता हूँ।

मेरे अभ्यर्थन के संबंध में वांछित सूचनाये निम्नवत् है:-

1. नाम
2. पिता/पति का नाम
3. निवास स्थान, ग्राम ग्राम पंचायत जिला
4. शैक्षिक योग्यता -
(क) हाई स्कूल श्रेणी प्राप्तांक
(ख) इण्टरमीडिएट श्रेणी प्राप्तांक
(ग) अधिमानी अर्हता-बी०एड०/एल०टी० श्रेणी प्राप्तांक
5. जन्म तिथि
[[क)(ख)(ग) तथा 5. के संबंध में प्रमाण पत्र/अंक तालिकाये संलग्न है।]
6. जाति-(यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग का हो) प्रमाण पत्र सहित उल्लेख।

शिक्षा मित्र योजना के अंतर्गत सामुदायिक सेवा करने हेतु मुझे अवसर प्रदान किया जाता है तो मुझे योजना के सभी नियम व शर्तें मान्य होंगी।

दिनांक-

भवदीय,

नाम/पता:

8. शिक्षा मित्र के कर्तव्य व दायित्व:

शिक्षा मित्र पर पूर्ण नियंत्रण ग्राम शिक्षा समिति का होगा और वह समिति के प्रति पूर्णतया उत्तरदायी होगा। किन्तु वह अपने शिक्षण दायित्वों का निर्वहन सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्रभारी अध्यापक के नियंत्रण एवं मार्ग निर्देशन में करेगा। वसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा विद्यालय के निरीक्षण/पर्यवेक्षण के समय शिक्षा मित्र अपने कर्तव्य एवं दायित्वों के प्रति पूर्ण रूपेण जवाबदेह होंगे।

शिक्षा मित्र को अकादमिक सहायता न्याय पंचायत संसाधन केंद्र/विकास खण्ड संसाधन केंद्र द्वारा प्रदान की जायेगी और उनका शैक्षिक पर्यवेक्षण प्रमुखतः इन केंद्रों के प्रभारी/समन्वयकों द्वारा किया जायेगा। शैक्षणिक गतिविधियों के संबंध में अन्य व्यवस्थाये शासनदेश दिनांक 26 मई, 1999 से संलग्न शिक्षा मित्र योजना के अनुरूप प्रभावी होंगी। संदर्भगत शासनदेश दिनांक 26 मई, 1999 को उक्त सीमा तथा संशोधित/परिवर्तित समझा जाय।

कृपया तदनुसार शिक्षा मित्र योजना के कार्यान्वयन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

N. Ravi Shankar
(एन० रविशंकर)
सचिव ।

संख्या: व दिनांक तदैव:

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सूचना दे एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. समस्त मण्डलायुक्त, ३०२०।
2. समस्त जिलाधिकारी, ३०२०।
3. समस्त अध्यक्ष, जिला पंचायत, ३०२०।
4. निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० निशातगंज, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वे संलग्न योजना के प्राविधानों के अनुसार आचार्यों के एक माह के प्रशिक्षण हेतु आवश्यक धनराशि का आगणन कर प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
5. सचिव, ३०२० शासन पंचायती राज विभाग।
6. निदेशक, पंचायत राज विभाग, ३०२०, लखनऊ।
7. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बे०) ३०२०।
8. समस्त जिला वसिक शिक्षा अधिकारी, ३०२०।
9. शिक्षा निदेशक, माध्यमिक/ग्रेड एवं अनौपचारिक शिक्षा/उर्दू एवं प्राच्य भाषाये, ३०२०, लखनऊ।
10. पंचायती राज अनुभाग-१।
11. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, ३०२० शासन।
12. शिक्षा सचिव शाखा के समस्त अधिकारी/अनुभाग।

आज्ञा से,
(सचिव)
विशेष सचिव।

शिक्षा मित्र द्वारा दिया जाने वाला सहमति पत्र ।

मैं.....आत्मज/पति.....

ग्राम.....पंचायत समिति.....

जिला.....स्वच्छ ने समाजसेवा को हैसियत से शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के आधार पर निम्नलिखित शर्तें स्वीकार करता/करती हूँ:

1. मैं गांव के विद्यालय ने एक समाज सेवी को हैसियत से शिक्षण कार्य करूँगा/करूँगी। मैं एक स्वच्छिक कार्यकर्ता हूँ एवं अपने आपको राजकीय/परिपदीय कर्मचारी नहीं समझूँगा/समझूँगी। मैं इस समाज सेवा के लिए कोई वेतन नहीं लूँगा/लूँगी, केवल इस निमित्त नियमानुसार देय मानदेय ही प्रतिमाह प्राप्त करूँगा/करूँगी।
2. यदि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत की अपेक्षाओं के अनुसार कार्य नहीं किया जावे अथवा योजना के निर्धारित मानदण्डों पर मैं खरा न उतरूँ तो मेरी कार्य करने की दी गयी स्वीकृति रद्द कर दी जावे।
3. मेरा यह समाधान है कि शिक्षा मित्र के रूप में मेरा यह चयन केवल प्रशिक्षण के लिए किया गया है। प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण करने के बाद मुझे सर्वथा योग्य पाये जाने पर मुझे शिक्षा मित्र के रूप में सानुदायिक सेवा करने का अवसर मिल सकेगा।
4. मैं ग्राम पंचायत शिक्षा समिति को यह अधिकार देता हूँ कि शिक्षा मित्र के प्रशिक्षण के दौरान या बाद में विरुद्ध कोई शिकायत या प्रतिकूल तथ्य प्रमाणित होते हैं तो मैं शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने के लिए अयोग्य समझा जाऊँगा।
5. योजना नियमांतर्गत अथवा जनहित में पंचायत द्वारा दिये गये निर्णयों का सम्मान करूँगा/करूँगी और स्वार्थवश कोई उद्घारी नहीं करूँगा/करूँगी।
6. मेरे द्वारा दी गयी सूचना/सूचनाये तथ्यहीन या असत्य पायी जाये तो उनकी तथ्यता प्रकाश में आने के तुरन्त बाद बिना नोटिस के शिक्षा मित्र के रूप में कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा रद्द कर दी जावे।
7. यदि मेरे प्रति ग्राम समुदाय में विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो मुझे हटा दिया जावे।
8. शिक्षा मित्र के मध्य अथवा अंत में मेरे कार्य के मूल्यांकन में यदि मैं सफल नहीं हुआ/हुई तो मुझे कार्य करने की दी गयी अनुज्ञा निरस्त कर दी जावे।

दिनांक

हस्ताक्षर शिक्षा मित्र

हस्ताक्षर ग्राम शिक्षा समिति के सदस्यगण।

1.
2.
3.
4.
5.



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

☎ 780995, 781315, फ़ैक्स : 0522 - 781128, 781123

E-Mail : updpep@lw1.vsnl.net.in



पत्रांक: रा०पी०नि०/ 539 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक 7 जून, 2001

कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजुकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन उच्चाधिकार प्राप्त समिति का निम्नवत् गठन किया जाता है :-

| | | |
|----|--|------------|
| 1 | प्रमुख सचिव, शिक्षा | अध्यक्ष |
| 2 | सचिव, बेसिक शिक्षा | उपाध्यक्ष |
| 3 | प्रमुख सचिव, नियोजन अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| 4 | प्रमुख सचिव, वित्त अथवा उनके द्वारा नामित अधिकारी | सदस्य |
| 5 | राज्य परियोजना निदेशक | सदस्य |
| 6 | निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा | सदस्य-सचिव |
| 7 | निदेशक, बेसिक शिक्षा | सदस्य |
| 8 | निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० | सदस्य |
| 9 | भारत सरकार द्वारा नामित एक सरकारी प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10 | भारत सरकार द्वारा नामित एक गैर सरकारी प्रतिनिधि | सदस्य |
| 11 | सचिव, श्रम विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो | सदस्य |
| 12 | राज्य नगरीय विकास अभिकरण का निदेशक | सदस्य |
| 13 | सचिव, स्वास्थ्य विभाग अथवा उनके प्रतिनिधि जो संयुक्त सचिव से कम स्तर के न हो | सदस्य |
| 14 | निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना | सदस्य |
| 15 | निदेशक, साइमेट, इलाहाबाद | सदस्य |
| 16 | निदेशक, एस०आई०ई०टी०, लखनऊ | सदस्य |


| | | |
|------|--|-------|
| {17} | निदेशक, महिला समाख्या | सदस्य |
| {18} | सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग या उनके प्रतिनिधि, जो संयुक्त सचिव के स्तर से कम के न हो। | सदस्य |
| {19} | प्रमुख सचिव {शिक्षा} द्वारा नामांकित चार गैर सरकारी प्रतिनिधि, जिसमें से एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक पिछड़ी जाति तथा एक अल्प संख्यक वर्ग का प्रतिनिधि अवश्य हो। | सदस्य |

शिक्षा गारण्टी योजना/वैकल्पिक शिक्षा एवं नवाचार शिक्षा योजना के कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उक्त समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों का वहन करेगी :-

- * शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों की क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति यथापेक्षा अध्यक्ष की अनुमति से अन्य व्यक्तियों को समिति के सदस्य के रूप में नामित करने के लिए अधिकृत होगी।
- * इस समिति को अपने सदस्यों के मध्य में समितियों/उपसमितियों के गठन तथा किसी व्यक्ति विशेष को समितियों/उपसमितियों पर कार्य करने के लिए "कोआप्ट" करने के लिए अधिकृत होगी।
- * यह समिति ई0जी0एस0/ए0आई0ई0 कार्यक्रमों के लिए राज्य स्तर पर विन्हित स्टेट सोसाइटी- "सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद" के लिए प्रदेश में योजना बनाने और उसे लागू करने प्रबन्धकीय और वित्तीय दृष्टिकोण से प्रदेश में योजना का मूल्यांकन एवं अनुश्रवण करने के लिए उत्तरदायी होगी।
- * इस समिति में "शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों" के उद्देश्यों की प्राप्ति, प्रगति और कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने हेतु आवश्यक एवं समीचीन कार्यों के निष्पादन की शक्ति निहित होगी और समिति इन कार्यों को करेगी अथवा सदस्यों के माध्यम से करायेगी।
- * योजना से सम्बन्धित कार्यों के निष्पादन हेतु आवश्यकतानुसार कर्मियों की व्यवस्था नियुक्ति/प्रतिनियुक्ति या सेकेन्डमेन्ट के आधार पर "स्टेट सोसाइटी" के निर्देशन में व्यवस्था करायेगी।
- * राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से यह समिति योजना से सम्बन्धित नियमों/विनियमों तथा यथासंभव उसके आवश्यक संशोधन प्रस्तावित कर सकेगी।
- * स्टेट सोसाइटी के लिए योजना के कुल व्यय का 25 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार से तथा 75 प्रतिशत अंशदान भारत सरकार से प्राप्त करेगी तथा उसे सम्बन्धित व्यक्तियों अथवा एजेन्सियों को आवश्यकतानुसार उपलब्ध करायेगी।
- * समिति का अलग से लेखा होगा और बैंक में अलग से खाता खोला जायेगा, जिसके लेखे का प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण कराया जायेगा।

- * योजना की शुरुआत में प्रदेश के जनपदों में स्कूल मैपिंग/माइक्रो-प्लानिंग/कैपेसिटी बिल्डिंग के अभ्यास के बाद योजना से सम्बन्धित प्रस्तावों को जनपदों से प्राप्त करेगी। इन प्रस्तावों को तैयार किये जाने के सम्बन्ध में समय-समय पर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा।
- * वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिज कोर्स के संचालन सम्बन्धी संकलित प्रस्तावों को साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से प्राप्त करेगी।
- * समिति शिक्षा गारण्टी योजना, वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा से सम्बन्धित उन्हीं प्रस्तावों को विचार-दिनर्ष हेतु स्वीकार करेगी, जिन प्रस्तावों के साथ समुदाय की ओर से मांग की स्पष्ट अभिव्यक्ति परिलक्षित हो रही हो।
- * स्वैच्छिक संगठनों का योजना में सहयोग प्राप्त करने हेतु गैर सरकारी संस्थाओं से आवेदन पत्र प्राप्त करने और उन आवेदन पत्रों का वास्तविक मूल्यांकन कर उपयुक्त स्वयं सेवी संगठनों का अनुदान जारी करने हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार करेगी तथा अनुदान त्वोकृति प्रदान करेगी।।
- * समिति प्रदेश में सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा लागू किये गये शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों हेतु एक मॉनीटरिंग सिस्टम विकसित कर कार्यक्रमों का नियमित अनुश्रवण करेगी।
- * कार्यक्रमों के अनुश्रवण में विभिन्न समितियों के साथ-साथ सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों से भी सहयोग प्राप्त करेगी।।
- * अपेक्षित स्तर तक कार्य करने में स्वयं सेवी संगठन यदि चेतावनी के बाद भी अपने कार्य में सुधार नहीं लाते हैं, तो उन्हें "काली सूची" में दर्ज करते हुये ऐसे संगठनों के विरुद्ध समिति विस्तृत अनुसंधान प्रस्तावित करेगी।
- * समिति योजनान्तर्गत कार्यक्रमों के संचालन हेतु अनुदेशक मनोनयन, उनके प्रशिक्षण, केन्द्र/कोर्स हेतु पाठ्य-पुस्तक की व्यवस्था, पर्यवेक्षण एवं मूल्यांकन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश निर्गत करेगी।
- * इस योजना में विभिन्न स्तरों पर संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यकर्ताओं के लिए समय-समय पर अभिनवीकरण प्रशिक्षण/कार्यशालाएं भी आयोजित करायेगी।
- * यह समिति विभिन्न विभागों एवं संस्थाओं {बेसिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा} का ग्राम स्तर से लेकर राज्य स्तर तक कनवर्जेन्स एवं कोऑर्डिनेशन का लगातार अनुश्रवण करेगी।

- * यह समिति प्रदेश में संचालन किये जाने वाले शिक्षा गारण्टी योजना एवं वैकल्पिक तथा नवाचार शिक्षा के लिए वार्षिक कार्ययोजना तैयार करायेगी। समिति वार्षिक कार्ययोजना को स्वीकृति प्रदान करेगी तथा उसके बजट को भी अनुमोदित करेगी।



{वृन्दा सरूप}

राज्य परियोजना निदेशक
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

प०सं०:- रा०प०नि०/ 539 /2001-2002 तद्दिनांक
प्रतिलिपि:-

- {1} प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
{2} सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
{3} प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
{4} प्रमुख सचिव, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
{5} निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
{6} शिक्षा निदेशक, बेसिक शिक्षा, बेसिक शिक्षा निदेशालय, निशातगंज, लखनऊ।
{7} निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी०, निशातगंज, लखनऊ।
{8} संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
{9} सचिव, श्रम विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
{10} निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण, लखनऊ।
{11} निदेशक, समन्वित बाल विकास परियोजना, लखनऊ।
{12} निदेशक, साइमेट, एलेनगंज, इलाहाबाद।
{13} निदेशक, एस०आई०ई०टी०, निशातगंज, लखनऊ।
{14} निदेशक, महिला समाख्या, पत्रकारपुरम, गोमतीनगर, लखनऊ।
{15} सचिव, महिला एवं बाल कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।



{वृन्दा सरूप}

राज्य परियोजना निदेशक
उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।



जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (डी०पी०ई०पी०)

राज्य परियोजना कार्यालय, विद्या भवन,
उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

☎ 780995, 781315, फैक्स : 0522 - 781128, 781123

E-Mail : updpep@lwl.vsnl.net.in

पत्रांक:-रा०प०नि०/ 466 /2001-2002

लखनऊ, दिनांक: 15 जून, 2001



कार्यालय-ज्ञाप

उ०प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद की कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 16.05.2001 में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में भारत सरकार की केन्द्र पुरोनिधानित एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन व निर्देशन हेतु उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन राज्य स्तर पर उच्चाधिकार प्राप्त समिति का गठन किया गया है। जनपद स्तर पर एजूकेशन गारण्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन का कार्य उ०प्र० सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद के अधीन कार्यालय ज्ञाप सं०:542/1996-97 दिनांक 17.06.96 द्वारा पूर्व से गठित जिला शिक्षा परियोजना समिति द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है। जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन निम्नवत है :


| | | |
|-----|---|------------|
| 1. | जिलाधिकारी | अध्यक्ष |
| 2. | मुख्य विकास अधिकारी | उपाध्यक्ष |
| 3. | अध्यक्ष, जिला परिषद का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 4. | अनु० जाति/अनु०जनजाति के दो ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| 5. | दो महिला ब्लॉक प्रमुख | सदस्य |
| 6. | महापालिका अध्यक्ष का एक नामित प्रतिनिधि | सदस्य |
| 7. | जिलाधिकारी द्वारा नामित दो शिक्षाविद् | सदस्य |
| 8. | शिक्षण संस्थाओं से एक सदस्य | सदस्य |
| 9. | एक शिक्षक प्रतिनिधि | सदस्य |
| 10. | जिला विद्यालय निरीक्षक | सदस्य |
| 11. | जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी | सदस्य |
| 12. | जिला कार्यक्रम अधिकारी {आई०सी०डी०एस०} | सदस्य |
| 13. | प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान | सदस्य |
| 14. | लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अधिशासी अभियन्ता | सदस्य |
| 14. | समन्वयक महिला समाख्या | सदस्य |
| 15. | जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी | सदस्य-सचिव |

LSR

.....2/-

परियोजना कार्यक्रमों से सम्बन्धित कर्तव्यों एवं दायित्वों के निर्वहन के अतिरिक्त एजूकेशन गारण्टी स्कीम/वैकल्पिक एवं नावचार शिक्षा योजना के क्रियान्वयन, अनुश्रवण एवं निर्देशन के सम्बन्ध में जिला शिक्षा परियोजना समिति निम्न कर्तव्यों एवं दायित्वों को वहन करेगी :-

- 11 जनपद में संचालित शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा के कार्यक्रमों के क्रियान्वयन, मार्गदर्शन एवं समीक्षा का कार्य यह समिति करेगी।
- 12 योजना हेतु माइक्रोप्लानिंग के आधार पर तैयार किये गये प्रस्तावों को प्राप्त करेगी। उपयुक्त स्वैच्छिक संगठनों से भी प्रस्ताव प्राप्त किये जायेंगे।
- 13 शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा तथा ब्रिजकोर्स से सम्बन्धित प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर उसे साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय के माध्यम से शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा की राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुदान समिति को विचारार्थ प्रस्तुत करेगी।
- 14 राज्य स्तरीय समिति/साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा निदेशालय से जारी दिशा-निर्देशों के क्रम में जनपद में कार्यक्रमों का क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण सुनिश्चित करायेगी।
- 15 यह समिति जनपद के लिए प्राप्त प्रस्तावों को संकलित करते हुए वार्षिक कार्ययोजना बजट प्रस्तावों के साथ तैयार करेगी और उसे राज्य स्तरीय क्रियान्वयन एवं अनुमोदन समिति को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करेगी।
- 16 समिति जनपद स्तर पर सभी सम्बन्धित विभागीय अधिकारियों के साथ कनवर्जेन्स कर कार्यक्रमों को संचालित करेगी।
- 17 समिति जनपद से निम्न स्तरों {विकास खण्ड स्तर/ग्राम स्तर} पर विभिन्न विभागों के साथ-साथ ही स्वयं सेवी संगठनों के साथ समन्वयन सुनिश्चित करेगी।
- 18 समिति सभी स्तरों पर गुणवत्ता बनाये रखने के लिए आवश्यक प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के आयोजन को व्यवस्था करायेगी।
- 19 समिति शिक्षा गारण्टी योजना तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा कार्यक्रमों के लिए एक अलग से लेखा रखेगी, जिसका राष्ट्रीयकृत बैंक में अलग से खाता रखा जायेगा, जिसका प्रत्येक वर्ष चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट से अंकेक्षण कराया जायेगा।



वृन्दा सरूप

राज्य परियोजना निदेशक
30 प्र०-सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियोजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज
लखनऊ।

पृ0सं0:- रा0प0नि0/ 466 /2001-2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि:-

- 1 प्रमुख सचिव, शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2 सचिव, बेसिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3 निदेशक, साक्षरता एवं वैकल्पिक शिक्षा।
- 4 जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष, जिला शिक्षा परियोजना समिति, उत्तर प्रदेश।
- 5 मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6 अध्यक्ष, जिला परिषद, उत्तर प्रदेश।
- 7 अध्यक्ष, महापालिका, उत्तर प्रदेश।
- 8 जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
- 9 जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10 जिला कार्यक्रमअधिकारी, आई0सी0डी0एत0, उत्तर प्रदेश।
- 11 प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं पशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 12 अधीक्षण/अधिसासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
- 13 समन्वयक, महिला समाख्या।
- 14 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 15 शिक्षा निदेशक (बेसिक/माध्यमिक) एवं निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, लखनऊ।


वृन्दा सरूप

राज्य परियोजना निदेशक
उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद
राज्य परियाजना कार्यालय
विद्याभवन, निशातगंज,
लखनऊ।

उत्तर प्रदेश शासन

संख्या-2000/62-2-2000-2/131/91/793

दिनांक: 29 अगस्त, 2000

कार्यालय स्तर

साहय सहायता परियोजना की सहायता से संबंधित "जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम" [डी०पी०ई०पी०] के द्वारा अर्ली वाईल्ड ठेकर एक संश्लेषण [ई०पी०ई०ई०] केन्द्रों के साथ पिछले परियोजना के अंतर्गत संघालित आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से संघालित करने के उद्देश्य से प्रदेश में, अनुसूचक-1 में उल्लिखित अनुषंगों में एक प्रशासनिक समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है :-

| | | |
|-----|---|----------------|
| 111 | प्रदेश वेदिक शिक्षा अधिकारी | अध्यक्ष |
| 121 | जिला कार्यक्रम अधिकारी, आई०पी०ई०पी० | उपध्यक्ष |
| 131 | संवर्द्धित विकास ङ्क के प्रति उपविभागत्य विरीक्षण | उपध्यक्ष |
| 141 | संवर्द्धित विकास ङ्क के साथ विकास परियोजना अधिकारी, आई०पी०ई०पी० | उपध्यक्ष/सदस्य |
| 151 | संवर्द्धित न्याय प्रदायक केन्द्रों के प्रभारी | उपध्यक्ष |
| 161 | जिला समन्वयक, सातिका शिक्षा | उपध्यक्ष |

2. उपरोक्त योजना का मूल उद्देश्य यह है कि अपने दूर पर छोटे-नाई/बहनों की देखभाल करने के कारण स्कूल शिक्षा से वंचित रहने वाली बालिकाओं को स्कूल शिक्षा प्रदात की जाए। ऐसी बालिकाएं समीपवर्ती स्कूलों में दाखिला दें तथा उनके छोटे भाई/बहनों की देखरेख, स्थापित किए जाये जाये, ई०पी०ई०ई० केन्द्रों में की जाए। जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों में यह योजना संघालित की जायेगी, उनके हुकूम तथा अनुसूचक का साथ रक्षी होगा जो बहनों के स्कूल हुकूम और बन्द होने का समर होगा।

3. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, ई०पी०ई०पी० केन्द्र का संघालन करेगी और उक्त केन्द्र सहायिका, ई०पी०ई०ई० केन्द्र में भी सहायिका का कार्य करेगी। अर्थात् दोनों केन्द्र समन्वित रूप से संघालित होंगे। त्रुटि उपरोक्त व्यवस्था के अंतर्गत आंगनवाड़ी केन्द्र पर आवश्यक कार्यक्रियाएँ एवं सहायिकाओं को अतिरिक्त समय तक कार्य करना पड़ेगा तब उन्हें इस बड़े हुए कार्य के अनुपात में वेतन व अतिरिक्त मासिक के रूप में रक्षीयता की जायेगी।

1- आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री ३0250/-
 2- सहायिका ३0125/-

जिस आंगनवाड़ी केन्द्रों पर जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम

ई0वी0सी0ई0पी0ः के अंतर्गत आये जाते याते ई0वी0सी0ई0 केन्द्रों का संघातन होगा, वहां की कार्यक्रियों के प्रारम्भ की व्यवस्था जिना प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम ई0वी0सी0ई0पी0ः के अंतर्गत राज्य परियोजना कार्यालय द्वारा की जायेगी । उपरोक्तवत् प्रांतिगत भाषाईय संस्थाओं का प्रयास के साथ शिक्षा विधि में दस्तावेजित की जायेगी । प्रस्तर-1 में उचित समिति यह सुनिश्चित करेगी कि प्रतिवर्ष भाषाईय विषयिक रूप से ग्राम विधि के माध्यम से ई0वी0सी0ई0 कार्यक्रियों को प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ।

5- परियोजना के अंतर्गत प्रत्येक आंगणवाड़ी केन्द्र को २05000/- की वार्षिक अनावर्तक अनुदान के रूप में तथा २01500/- की वार्षिक अनावर्तक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष प्रदान की जायेगी । विना आंगणवाड़ी केन्द्रों के व्यय का निर्माण प्रस्तावित / निर्माणाधीन है, यहाँ यदि ई0वी0सी0ई0 केन्द्रों में ही पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं तो अनावर्तक अनुदान के रूप में प्राप्त २05000/- की वार्षिक व्ययों हेतु स्थानीय स्तर के निर्माण में व्यय की दर योजनी है । ई0वी0सी0ई0 केन्द्रों के अनावर्तक अनुदान से व्यय की जाये याती मात्रा की सूची के स्थानीय अत्यावृत्ताओं के अनुसार करी, व्ययों के निर्माण, ई0वी0सी0ई0 केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तर-1 में उचित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । अनावर्तक अनुदान का व्यय स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उपरोक्त मात्रा में शिक्षा विधि के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । अतः २05000/- की वार्षिक अनावर्तक अनुदान की ग्राम विधि में स्थापना की जायेगी ।

6- आंगणवाड़ी कार्यक्रियों का यह दायित्व होगा कि उक्त आंगणवाड़ी केन्द्र पर संघातन किए जाते याते ई0वी0सी0ई0 केन्द्रों का संघातन समीपत तरीके से हो तथा ई0वी0सी0ई0 केन्द्र में आते याते व्ययों का प्रयास से प्रयास-योग्य रखा जाए ।

7- प्रत्येक आंगणवाड़ी केन्द्र पर प्रत्येक वर्ष को निदेशक सीए, समस्त तथा पत्नीता के फंड समानता अ विचार्य होगा । इन फंडों की राशि व्यय करने पर जाने वाला व्यय प्रस्तर-5 में उचित अनुदान से उचित किया जायेगा । प्रत्येक का यह दायित्व होगा कि यह आंगणवाड़ी आंगणवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से प्रस्तर-1 में उचित समिति के अनुमोदन से व्यय की जायेगी । अतः २05000/- की वार्षिक अनावर्तक अनुदान की ग्राम विधि में स्थापना की जायेगी ।

C- प्रयोग विद्या प्रयोग अधिकारी का यह दायित्व होगा कि वह अपने विद्या में इन योजना के अन्तर्गत हेतु अनुचित व्यवस्था करे और अपेक्षित व्यवस्था करे। योजना के अन्तर्गत हेतु अनुचित व्यवस्था अन्तर्गत ही यह विद्या परिषदों का अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्त विद्या राज्य परिषदों का विदेश, 3050 सत्री के लिए विद्या परिषदों का परिषद/ विद्या प्राथमिक विद्या कार्यक्रम की अन्तर्गत के विद्या विद्या रहे हैं।

सन्तित श्रीवास्तव
सचिव।

संख्या-2000/11/60-2-2000, तद्विषयः।

प्रतिनिधि, विद्या विद्या को स्वार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

- 1- विदेश, दक्षिण विद्या देवा एवं उपचार, उत्तर प्रदेश, तद्विषय
- 2- राज्य परिषदों का विदेश, 3050 सत्री के लिए विद्या परिषदों का/ विद्या प्राथमिक विद्या कार्यक्रम, विद्यातंत्र, तद्विषय
- 3- सन्तित विद्या अधिकारी।
- 4- सन्तित विद्या कार्यक्रम अधिकारी।
- 5- सन्तित विद्या यात्रा विद्या परिषदों का अधिकारी/प्रति उप विद्या विद्या विद्या।

आज्ञा दे,

। तद्विषय हेतु ।
उपस्थित ।

| क्रमांक | वज्रपत्तिका वृत्त | वि.सं.सं.सं. वृत्त | संख्या | संख्या |
|---------|----------------------|-----------------------|--------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1- | देवीरिया | दरहक | 35 | तकरही, लीसा, मंडित, बड़का मंडित, देहा, रायपुर बस्तात, सयावार, करजडा, लुलुवा, करवार, हरकोटा, ओटवा, पराव, सभोकर, लीहई, मुतापरवा, करावल उपाध्याय, तवकी गंगा, हरजडी, मंगायर, करावलमुक्त, कहेसर, जयनगर, परिनिवा, दुहक, निवापुर, सहुवाउपर, बोरि, मडेक, मयिका।।।।, पसोडा, देववार, कोतुआ, लुमिया मुजुई, उजरागोडा, निवापुर, तवभीपुर, ई वर तवकी । |
| | | हड़पुर | 10 | गइना, पौडारिया, मतिहरपुर, सहुआगर, रागल, कहली, केवटिया, मरी मिया, लुमरिहा, मडिया मियारी, मकल, लकवासा, मडियारी, परावमुजुई, रुईपुर, श्री लकवासा, तारासारा, गइहा । |
| | | हनेगपुर | 10 | वरा।।।।, जयलपुर, गेतीपुर, देव रिया।।।। रायपुर, हरहरकोर, जतरौली, मकरा गोवाई, वांदयतिया, रिच डासगली, गलकीली । |
| | | देहातपुर | 12 | मुहुडवपुर, जगदीरपुर, घेतुड रिया, गोपिहपुर, पाण्डेयक, करमेल वजरही, चतुर्गपुर, परारी ।परवार।, जोकहाजास, वेहई, उजवां, गहराजुमंज, ईटया । |
| 2- | बोमम | घोरपत | 67 | कहारी, परसांगा, करघोता, पुरजा, मयका, मीगई, ममना, देवगु, मयिकुडका, रिमुहार, कहेउर, यिसरेडी -1, सिवाली, पडवीमगां, मडवहा, मुरेउ, उहरौरा; कोरिहार, मडोली, यिनरवार, घोरपत, मिसुहरी -1, कहेठी-1, पनीली, केवली, रिचवाई, बदरदेव कोमिनी, वागपोहर, दुहकी, मिसुह, दुरवास-1, मिवारी, मगरमगा, मुलुमीगां, मयारी, योम, केवडा, महुआ, पाण्डेय, लुमिया, मिवाली, जोदार वरकोटा, पिड रिया, लीलजहार, जोकह रिया, देहा-1, जुलारगा-1, पाण्डेयकोर, कुल, वरसोह कोमिनी, लकवासा, कोमगा, मयका, मयकी |

| | | | | |
|----|---------|--------|---|--|
| | दुहरी | 44 | बीडर, रजवड, दुम्हाड, मडूरवा, गुलाबखरिया, पारंग, भारोफता, वटोली, भारोदुई, पिपराडी, मजोली, रजवड, मन्देशा, जघाड, अडरी, टेडा, दीपल, कमवां, अम्बवार, मिमिगाडीह, पिपराडीह, गगहपुर, हरपुर, महली, पत्ररिहा, मडीसेगर, सतैयाडीह, परली, डोतवा, मुझेडवा, कौलिकडवा, जालाजुडा, देवाड रज रजवड-11, दुम्हाड-11, हलमाडी, मरसा प्रभार । जपना, वटोली, पारंग, मडूरवा, दुम्हाडीहा, अम्बर, दीपल । दुम्हाडीहा । | |
| 3- | ततितपुर | मडावरा | 16 | रहवांव, गुरयाडा, वैरवार, मडावरा, अर्जुनधिरिया, गोजा, गोजा, रजवरा, हकोडा, अलंकर, पडडीफता, लौलवा, लोरीवागर, मगरावा, उदयजाडुई, डोगरा वातावेहट, अजडाडा, पटवेमरा, लोरी । |
| | धिरवा | 04 | | |
| | पार | 25 | पारंग, टोडी, जामवां, जरावली, गोजावा, वार, वगर, देवराव, धिंजलोडा, वाडपुर, डगराडा, काशीटोरक, मेलोलीतोण, गैदोरा, अलवार, एववा, दहारा, भारोली, मगरा, हीरापुर, पिलता, करवई, सिदोरा, देवारा, मगवती । | |
| | जगारा | 03 | धिरा, सिवकीडुई, मगराडा । | |
| | महरीली | 03 | पडा, अम्हेडी, देवारा । | |
| | तालवेहट | 24 | करवा, मजुवस्ला, धिजरोडा, गोलडाई, मवांव, मऊ कोटरा, उदमुदां, धिजपुरा, पूराकलां, गुरायती, मेशा, मडेकरलां, सेरवांफला, धिजरोडा, मिडारीपुरा, राडीपुरा, जामडी, मडदेवरा, मुडोरा, कडारी, रजपुरा, मजोरी, वीला, रजावड । | |
| 4- | वदायू | वजोरमज | 25 | रोडा, अमोलेवा, मजोई-गोडा, कलिवा-वाजमपुर, मिडवा, देवत, मकरं, जामी हरनामपुर, लईमपुर, मिडोली मज, रडीवा, उरेवा, हरनामपुर, धोरमपुर, दुम्हाडा, मीरापुर, धिजरी, वाकरपुर, कसेर, इ पनीटा, अरवारी, इतरा, मसिजगोटिया, सिंहा, पडोटा, महरावागर । |

12- परेली परेली नहर 124

इतिदरातगर, वाहवाई, अंबवडगर, त्रिपिथारोता,
 रावेडवडगर, जगपुरी, गुडा, परातगगर, मणी,
 कुंदाहड, कलीडगर, मोरगुटी, गिरगापुर, वा. र. वि.
 वडगराज, आसीपातार, 13, त्रिपिथारोता, वा. र. वि.
 वडगर, रयडीटोता, दरावडगर, श्रीमडहोर, श्रीमडीडेर,
 देहटापुपुरी, रिरगपुर, कईरली, प्रगतिगगर, जगडर
 डगर, आर. क. वी. उद्योगी, देरडेडा गिडड, रीडी
 पडडपुरी, देडपुर, श्रीमडहोरगगर, उतराधारागगर,
 पातली वि. पातली, श्रीमडगर, कुण्ड, मडरवडपुर, मडली
 वडी, दडीवाड, उडरवाड, वीपता, देडपुर, दरीगुर
 लडाडा, गिरगपुर, जगमपुर, वाडुलतागगर, देहटापुपुर,
 रडडइथावैवा, पुनाली, गुलडिया कुण्ड, गुडरपुर, गिवाई
 पंडितगगर, उडरपुर, गडईमयजतपुर, कुंडरगुर, गिडीरत,
 अलीतगगर, वीडर गडडपुर, गुलडियाकुण्डतापुर, कंतम,
 वीपली, उमातपुर, मडरवडी, तयम गगायार, कुण्ड-
 11, गडडगा, राडगुरगगा-11, गिरीता-11, अडिहडपुर
 -11, गुजागगर-11, जगली-11, उडरगडेडी-11,
 गिडपुरी-11, श्रीमडगुर-11, गिवांवा-11, गिवाई-
 11, गडडगा-11, कडडगवतयाम-11, वीपगा-11,
 अलीगड-11, देडी-11, कुण्डगा-11, तयमगडेरत,
 वीपलीतजत-11, गडडगार-11, रावेडवडगर-11,
 वाहवाई-11, गुड-11, वाटवपुरा-11, गिहारीगुर-
 11, गीहडगर-11, मडीकावपुरी-11, परागिरा-
 गुडगागुर-11, मडीकाव-11, हडियागुर-11, गुडग
 गगर-11, वाटवपुरा-11, मडीकाव-11,
 अतरडेडी-11, राडगुरगगा-11, गिडपुरी-11,
 डेडी-11, दडेड-11, डेडी, डेडी-4, डेडी-5, डेडी-6,
 गुणवडी-4, गुणवडी-5, गुणवडी-6, गुणवडी-7,
 गिडपुरी-4, गिडपुरी-5, गिडपुरी-6, गिडपुरी-7,
 राडगुर गगा-4, गुणवडी-11, वाहवाई-11,
 मडीकाव-4, वाटवपुरा-4, वाटवपुरा-5, मडीकाव-
 -4

13- श्रीतीमोत मुरौही

25- गिरीतागगा, कलिगगा, गिरीगगागगा, गिडडी
 गगाडुरगड, गिरीगगा, गिरीगगा, गुरवागगा, गगागिरीगगा
 हुडेगपुर, मडगगा, गिरीगगागुड, देम, गिडियागगाग,
 वीपगिरीगगा देम, अडीगुर, गडियागुगगागगा, उरगाडुर,
 वायगुगगा-2, वीपगपुरा, वीप गेडुलतागगा, वाट,
 गिरीगगागगा, गुडगगागगागगागगा, अमडेगा, गुणवडी, वाट
 कलिगगा ।

अधिकांश छात्रों को छात्र बच्चों का नियमित जा ले स्वास्थ्य परीक्षण एवं उनका उपचार समयांतर पर हो ले।

3. उक्त कार्यक्रम के प्रकार संशोधन के माध्यम से पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :-

111. उक्त कार्यक्रम को तीन वर्षों में माह 15 अगस्त, 2000 से दिसम्बर, 2000 तक पूरा किया जाये। इस तन्त्रध में जिलाधिकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विचार-विमर्श पर सभी विद्यालयों को अनुसार सूचित करायेगे।


121. स्वास्थ्य विभाग के अधीन कार्यरत स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) अपने क्षेत्र में हर माह में आठ विद्यालयों को आच्छादित करेंगी व हेल्थ कार्ड तथा संदर्भ कार्ड बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगी। स्वास्थ्य विभाग सुनिश्चित करेंगे कि वजन मापने की मशीन व हार्डट ब्लेड उपलब्ध हों।

131. आवश्यकानुसार पेशिका शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग को परिवहन की सुविधा उपलब्ध करायेगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित छात्रों के बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा सके।

141. बच्चों के स्वास्थ्य परीक्षण तन्त्रध की कार्ड व संदर्भ कार्ड राज्य परिवहन निदेशक, उच्छ्रुत सभी के लिये शिक्षा परियोजना, गवर्नर द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। इस संदर्भ में जो कार्ड बनाये जायेगे वह निम्न तीन प्रकार के होंगे :-

- | | | |
|----|-------------------|---------------------------|
| 1. | सकल संदर्भ कार्ड | सम्पूर्ण लोगों के लिये |
| 2. | पीछा संदर्भ कार्ड | कम सम्पूर्ण लोगों के लिये |
| 3. | हरा संदर्भ कार्ड | साधारण लोगों के लिये |

स्वास्थ्य कार्ड व संदर्भ कार्ड में अप्रियक्तियाँ अंकित करने एवं उनके रख-रखाव का काम सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक द्वारा किया जायेगा। इस कार्य में स्वास्थ्य कार्यकर्ता (महिला) आवश्यकानुसार प्रधानाध्यापक को सहायता करेंगी।



5- जनपद स्तर पर शिक्षाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाये जिसमें मुख्य शिक्षित्ता अधिकारी एवं शिक्षा विभाग तथा जाग विकास कार्ययोजना के अधिकारी शामिल होंगे। यह समिति समय-समय पर बैठके करके जाग कार्ययोजना को तमाम गाँवों और अन्य जागी तरतुओं पर शिक्षा स्तर पर हस्ताधान करने का प्रयास करेगी। समिति के गठन का कार्यवाही तम्बन्धित शिक्षाधिकारी अपने स्तर से सुनिश्चित करेगा। शिक्षा केन्द्र शिक्षा अधिकारी इन समिति के सदस्य तन्वित होंगे।

6- शिक्षाधिकारी एक मास के पुरे रेखगत तोता ही एवं अन्य स्वकीधी/लैच्छिक/वर्गकी संस्थाओं का सहयोग भी लेने का पूरा प्रयास करेगा एवं उनके सहयोग से विशेषकर पर्याप्त मात्रा में समय के पुरे अनासक इडी-वार्मिंग औषधियों की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।

7- विद्यार्थी बच्चों के सम्बन्ध में यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक तीर राउड में ती.स्व.सी. स्तर पर परीक्षा लिये जाने तथा उन्हें प्रयाग-पत्र दिये जाने की कार्यवाही की जाये। इसके लिये ती.स्व.सी. पर प्रत्येक श्रेणात के अन्तिम सप्ताह जोई एक दिन/तिथि निर्धारित की जाय और एक दिन मुख्य शिक्षित्ता अधिकारी अपना उप मुख्य शिक्षित्ता अधिकारी उपस्थित रहें। यथा सम्भव तासुदायिक स्वास्थय केन्द्र पर उस दिन ई.स्नडी.सर्वन, आधोपेक्षित तर्जल तथा नेत्र फिसेवला उपस्थित रहें। दिनात/तिथि के निर्धारण की कार्यवाही तम्बन्धित जनपद के मुख्य शिक्षित्ता अधिकारी द्वारा की जायेगी तथा जनपद में कसका विशेष प्रचार-प्रसार की सुनिश्चित किया जायेगा। केन्द्र शिक्षा विभाग के जागदीय अधिकारी भी कसकी रूपता प्रत्येक गाँव पर्यटक से फिलाम को पहुँचाने।

आपके अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार एक सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही तम्बन्धित तम्बन्धित करने तथा प्रगति प्रत्येक मास सम्बन्धित प्रारम्भ पर शिक्षा केन्द्र शिक्षा अधिकारी, राज्य कार्ययोजना निदेशक, तभी के लिये शिक्षा कार्ययोजना एवं शिक्षा प्रशासिक शिक्षा कार्ययोजना भन्त, जनपद की = इसकी एक प्रति सहा निदेशक, केन्द्र पर उपस्थित को जगद पर करेगा।


संलग्नक: असाध

धनदीप,
श्री. श्री. श्री. माडेवारी
तद्विधा


संख्या-3274/11/5-11-2000, सदिनांका
=====

प्रतिष्ठित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु
प्रेषित:-

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के निजी सचिव को मुख्य सचिव
नए नए के सूचनाएं।
- 2- मुख्य सचिव, बिहार उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- सचिव, पेटिफ बिहार, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4- महा निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य/असा निदेश, चिकित्सा
एवं स्वास्थ्य, उत्तराखण्ड।
- 5- सहायक महा निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 6- सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 7- सहायक मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।


6-8-2000

आज्ञा से,



कमलिनी श्रीवास्तव &
अनु सचिव।

उ०प्र० शर्मा के लिए शिक्षा परियोजना {भेरिक शिक्षा परियोजना जगपूर}

1. वाराणसी
2. भद्रोही
3. गोरखपुर
4. इलाहाबाद
5. काया
6. इटावा
7. सीतापुर
8. अलीगढ़
9. सहारनपुर
10. पीड़ी
11. मेगीताल
12. ऊधम सिंह नगर
13. कोशाम्बी
14. ओरेय्या
15. हाथरस
16. चम्बोशी
17. धिन्नकूट

शिक्षा प्राप्तिवा शिक्षा परियोजना {डि०सी०/०५३० जगपूर}

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. गणाराजगंज | 15. विरोजवाव |
| 2. सिद्धार्थनगर | 16. बलरानपुर |
| 3. गोण्डा | 17. ज्योतिबाकुले नगर |
| 4. बदायूं | 18. रंत कपीर नगर |
| 5. लखीमपुरखीरी | |
| 6. ललितपुर | |
| 7. पीलीभीत | |
| 8. बस्ती | |
| 9. मुशवाबाद | |
| 10. शाहजहाँपुर | |
| 11. सोनभद्र | |
| 12. देवरिया | |
| 13. हरदोई | |
| 14. बरेली | |

डीहरी - १-१०१० जनघरों की सूची

| <u>क्र.सं.</u> | <u>जनघर का नाम</u> | <u>क्र.सं.</u> | <u>जनघर का नाम</u> |
|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| 1. | उन्नाव | 33. | दिवागौर |
| 2. | रायभरसी | 34. | आमेश्वर |
| 3. | जगपुर देहात | 35. | पिपौरागढ़ |
| 4. | फर्रुखाबाद | 36. | चान्दावत |
| 5. | कानोय | 37. | उत्तरवासी |
| 6. | भैरवपुरी | 38. | टिहरी |
| 7. | हटौ | 39. | रामपुर |
| 8. | आगरा | 40. | बाराबंकी |
| 9. | गधुरा | 41. | बहराइच |
| 10. | मेरठ | 42. | श्रावस्ती |
| 11. | बागपत | 43. | वाशिंग्टन |
| 12. | मुजफ्फरपुर | | |
| 13. | आशियाबाद | | |
| 14. | मोतमचुद्ध नगर | | |
| 15. | कुशीनगर | | |
| 16. | शारसी | | |
| 16. | जालोन | | |
| 18. | फैजाबाद | | |
| 19. | अम्बेडकर नगर | | |
| 20. | हुस्सायनपुर | | |
| 21. | आजमगढ़ | | |
| 22. | दक्षिणा | | |
| 23. | गठ | | |
| 24. | पोनपुर | | |
| 25. | गणेशपुर | | |
| 26. | मिर्जापुर | | |
| 27. | प्रेतामगढ़ | | |
| 28. | फतेहपुर | | |
| 29. | फतेहपुर | | |
| 30. | गडोवा | | |
| 31. | हुसैनपुरनगर | | |
| 32. | मिर्जापुर | | |

विद्यालय गुणवत्ता निष्पादन (परफारमेन्स)
के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण हेतु
चेक बिन्दु

कुल अंक - 50

विद्यालय एवं कक्षा-कक्षों का भौतिक तथा शैक्षिक वातावरण
भाग - एक

कुल अंक - 9

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|---|
| 1 | विद्यालय भवन / कक्षा-कक्षों की रंगाई, पुताई, सफाई | 1 | • वर्षवार प्राप्त विद्यालय अनुदान का प्रयोग - रंगाई, पुताई, टाट पट्टियाँ, प्लास्टिक की चटाई, अध्यापक की कुर्सियाँ, सनमाइका टाप टेबल, विकलांग बच्चों के लिए रेम्प, खेल-कूद का सामान तथा अन्य कार्य |
| 2 | शौचालय का रखरखाव / प्रयोग | 1 | • क्या शौचालय का प्रयोग हो रहा है? • क्या शौचालय स्वच्छ हैं? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|--|
| 3 | पीने के पानी की व्यवस्था / हैण्ड पम्प का रखरखाव | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या हैण्ड पम्प सही स्थिति में है? • हैण्ड पम्प प्रयोग हो रहा है? • उसके चारों ओर स्वच्छता है? सीमेन्ट का चबूतरा बना है? पानी निकास की व्यवस्था है? |
| 4 | विद्यालय अभिलेख का रखरखाव | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • बालगणना पंजिका • उपस्थिति पंजिका • पुस्तक वितरण / बुक बैंक पंजिका • अन्य प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, खाद्यान्न वितरण • ग्राम शिक्षा योजना अद्यतन स्थिति • स्वास्थ्य कार्ड एवं स्वास्थ्य परीक्षण की अद्यतन स्थिति • छात्रों के मूल्यांकन कार्ड एवं अद्यतन स्थिति • ग्राम शिक्षा समिति बैठक / कार्यवाही पंजिका • माता शिक्षक / अभिभावक शिक्षक बैठक / कार्यवाही पंजिका |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|--|
| 5 | विद्यालय-बाह्य भीति की साज-सज्जा | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • सूक्ष्म नियोजन के आंकड़ों की तालिका • शैक्षिक मानचित्रण • विद्यालयों को प्राप्त अनुदान / धनराशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण, (भवन निर्माण, मरम्मत, टी०एल०एम० अनुदान, विद्यालय सुधार अनुदान) • विद्यालय सूचना पट्ट • खुले प्रांगणीय कक्षा हेतु श्यामपट्ट (बाह्य दीवार पर) |
| 6 | कक्षा-कक्षों में श्यामपट्ट एवं छात्रों के प्रयोगार्थ तीन फीट की पट्टी की उपलब्धता | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या प्रत्येक कक्षा कक्ष में दो कक्षाओं के लिए दो दीवारों पर दो श्यामपट्ट उपलब्ध हैं? • छात्रों के प्रयोगार्थ कक्षा के चारों ओर तीन फीट की हरी पट्टी उपलब्ध है? बच्चों के द्वारा उसे प्रयोग में लाया जाता है? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|---|
| 7 | कक्षा-कक्षों में लर्निंग कार्नर की स्थापना | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षण अधिगम सामग्री • अनुपूरक शिक्षण सामग्री • मानचित्र / ग्लोब इत्यादि |
| 8 | छात्रों के बैठने की व्यवस्था | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • पर्याप्त प्लास्टिक चटाइयों / टाट पट्टियों की व्यवस्था है या नहीं • बालिकाओं एवं बालकों की मिश्रित बैठने की व्यवस्था • क्या बच्चे पंक्तिबद्ध अर्धचन्द्राकार, गोले में या अन्य अन्य किसी गैर परम्परागत विन्यास में बैठकर कार्य करते हैं? • क्या सभी बच्चों के पास अभ्यास / गतिविधियाँ करने के लिए पर्याप्त स्थान है? • पर्याप्त प्रकाश / व्यवस्था है या नहीं? |
| 9 | बच्चों की स्वच्छता | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या बच्चे साफ-सुथरे हैं? उनके बाल कढ़े हुए हैं? • क्या उनके कपड़े साफ-सुथरे हैं? |

शिक्षक एवं शिक्षण / अधिगम संबधी

भाग - दो

कुल अंक - 29

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|-------------------------------------|-----|--|
| 9 | शिक्षक का व्यक्तित्व | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • वेशभूषा, साफ सुथरी • संयत एवं मुस्कुराहट • प्रसन्नचित्त, मृदुस्वभाव, समयबद्धता • शिष्ट एवं अनुशासित आचरण |
| 10 | शिक्षक की भाषा एवं सम्प्रेषण क्षमता | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • स्थानीय भाषा का प्रयोग करता है। • शुद्ध उच्चारण का प्रयोग करता है। • उसकी बात/भाषा, कक्षा के सभी बच्चों को समझ में आती है। • बालक एवं बालिकाओं को समान रूप से सम्बोधित करता है। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|--|
| 11 | अध्यापक का बच्चों के प्रति दृष्टिकोण | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • मित्रवत् – स्नेहपूर्ण • सकारात्मक • बालिकाओं एवं बालकों के प्रति समान भाव रखता हो। • अध्यापकों का व्यवहार छात्रों को प्रोत्साहन देता है या नकारात्मक शब्दों से उन्हें हतोत्साहित करता है। • बच्चों की शैक्षिक प्रगति के प्रति सचेत/प्रयासरत रहता है या नहीं। |
| 12 | सभी बच्चों तथा शिक्षक के पास अपनी पाठ्य पुस्तकें तथा अनुपूरक साहित्य उपलब्ध हैं? | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • शिक्षक के द्वारा T.L.M. अनुदान से स्वयं के लिए पुस्तकें क्रय की गई है या नहीं। • बालिकाओं एवं अनु०जाति के लड़कों को पुस्तक समय से उपलब्ध हुई या नहीं। • अन्य आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को बुक बैंक से पुस्तकें उपलब्ध करायी गईं या नहीं। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|---|
| 13 | विद्यालय अनुशासन | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या विद्यालय समय से खुलता है? • बच्चों की एसेम्बली (प्रार्थना सभा) होती है? • बच्चे विद्यालय तथा कक्षाओं में अनुशासित हैं? |
| 14 | <ul style="list-style-type: none"> • कक्षावार समय सारिणी की उपलब्धता • पाठ्यक्रम की उपलब्धता • समयबद्ध शैक्षिक इकाईयों के अनुसार पढ़ाई की जा रही है या नहीं? | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • समय सारिणी का अनुपालन करना • समयबद्ध रूप से शैक्षिक इकाईयों को पढ़ाया जा रहा है या नहीं। • पूर्व में पढ़ाई गई इकाईयों पर पुनरावृत्ति करायी जाती है या नहीं। |
| 15 | शिक्षक संदर्शिका के आधार पर शिक्षक के द्वारा T.L.M. एवं बतिविधियों की अन्य आवश्यक तैयारी की है या नहीं। | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • नवीन इकाई / विषय वस्तु के लिए पाठ योजना बनाकर तैयारी करता है या नहीं। |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|--|
| 16 | क्या शिक्षक बच्चे पाठ / विषय के अनुसार शिक्षक अधिगम सामग्री का निर्माण एवं प्रयोग करते हैं। | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या विषय वार, पाठ वार शिक्षण अधिगम सामग्री की समझ अध्यापक को है? एवं इसका आवश्यकतानुसार विकास किया जा रहा है? • स्थानीय सामग्री का प्रयोग शिक्षक अधिगम सामग्री के रूप में तथा इसके निर्माण में किया जाता है? |
| 17 | क्या शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में गतिविधियाँ कराई जा रही हैं? | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • बच्चों को करके सीखने में अध्यापक मदद करता है? • क्या बच्चे स्वयं गतिविधियाँ करते हैं? |
| 18 | क्या अध्यापक कक्षा गतिविधियों में सभी बच्चों की प्रतिभागिता सुनिश्चित कराता है। | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या बालिकाओं और कमजोर बच्चों को अभिव्यक्ति एवं गतिविधि करने का समान अवसर दे रहा है। • कुछ बच्चे गतिविधि करें तथा कुछ निष्क्रिय, उपेक्षित हों ऐसा तो नहीं। 13 |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|-------------------------------------|-----|---|
| 19 | कक्षा के समस्त बच्चे क्रियाशील हैं? | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या बच्चों से वाचन/लेखन कार्य कराया जाता है? • क्या बच्चे प्रश्न पूछ रहे हैं? • क्या बच्चे गतिविधि करके सीख रहे हैं? • क्या बच्चे समूह में एक दूसरे से सीख रहे हैं। • क्या बच्चे एकाग्रचित्त हो कर अपना अभ्यास कार्य कर रहे हैं? • क्या अध्यापक के द्वारा विभिन्न प्रत्ययों के स्पष्टीकरण के समय बच्चे सचेत होकर ध्यान दे रहे हैं? • क्या बच्चे गणित के प्रश्न अथवा अन्य लेखन कार्य एकाग्रता से कर रहे हैं? • क्या बच्चे श्यामपट्ट पर कार्य कर रहे हैं? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|--|
| 20 | पाठ्य पुस्तक में दिये गये अभ्यास कार्य नियमित रूप से पूर्ण किये जा रहे हैं या नहीं। | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • पाठ्य पुस्तकों में प्रत्येक पाठ के उपरान्त दिए अभ्यास कार्यों को किया जा रहा है? • प्रत्येक इकाई के उपरान्त दिए गए अभ्यास एवं मुल्यांकन • कक्षा कार्यों की जांच एवं उसके सुधार का अवसर दिया गया? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|---|
| 21 | क्या अध्यापक पाठ्य सहगामी क्रियाएं कराता है? | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • ' पाठ्य सहगामी क्रियाओं में लड़कियों की सहभागिता है या नहीं? • क्या बच्चे स्वतंत्र रूप से पाठ्य सहगामी कार्यक्रमों, क्रियाओं, अनुशासन, पुस्तकालय आदि का संचालन करते हैं तथा इसके लिए उनकी समितियाँ बनी हैं? • ड्राइंग, क्राफ्ट को सप्ताह में कितने दिन तथा कितने घण्टे समय दिया? • खेल-कूद / पी०टी० को सप्ताह में कितना समय मिलता है? • स्कूल में 3 माह में कितनी बार तथा किस प्रकार की प्रतियोगिताएं हुईं? • पुस्तकालय की पुस्तकों को पढ़ने के लिए कितना समय दिया गया है? |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|---|
| 22 | क्या विद्यालय में विद्यालयी सरकार बनी है। | 1 | <ul style="list-style-type: none"> • क्या बालिकाओं को उक्त समितियों में बराबर का भागदार बनाया गया है? • क्या बच्चों की सरकार विद्यालय संचालन में सहयोग करती है? (पुस्तक वितरण, पर्व-उत्सव, बाल मेले, प्रतियोगिताएं, मूल्यांकन, शिक्षण, उपस्थिति सुनिश्चित कराना, दीवार समाचार-पत्र बच्चों के द्वारा तैयार किया गया तथा कब बनाकर लगाया गया? इत्यादि) |
| 23 | अध्यापक के द्वारा किए गए अभिनव प्रयोग / कार्य | 2 | |

छात्रों के प्रशिक्षण एवं मूल्यांकन / अनुश्रवण सम्बन्धी
भाग – तीन

कुल अंक – 12

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|--|-----|---------------|
| 24 | पाठ्य पुस्तक में 'कितना सीखा' के आधार पर मूल्यांकन किया जा रहा है या नहीं? | 1 | • इकाई आधारित |
| 25 | शिक्षक के द्वारा गृह कार्य दिया जा रहा है / उसकी जाँच की जा रही है? | 1 | |

| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|--|
| 26 | छात्रों के सम्प्राप्ति स्तर की स्थिति | 3 | पर्यवेक्षण कर्ता स्वयं पर्यवेक्षण के समय कम से कम दो विषय भाषा एवं गणित का मूल्यांकन उस समय तक पढ़ाई जा चुकी इकाइयों में से 5-5 प्रश्न/अभ्यास कराके जाँच करें। |
| 27 | क्या अध्यापक बच्चों का वर्षवार/छमाही संचयी मूल्यांकन अभिलेखन करता है एवं उसका प्रयोग करता है? | 1 | |



| क्र०सं० | चेक बिन्दु | अंक | टिप्पणी |
|---------|---|-----|---|
| 28 | मासिक परीक्षण / इकाई परीक्षण के उपरान्त उभरे कठिन स्थलों / बिन्दुओं पर शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया गया अथवा नहीं। | 3 | <ul style="list-style-type: none"> • कमजोर, पिछड़े बच्चों के लिए व्यक्तिगत रूप से किए गए प्रयास • (गिफटेड) अतिमेधावी बच्चों के लिए संसाधन जुटाना। उन्हें नवोदय विद्यालय की प्रवेश परीक्षा दिलाना। |
| 29 | नया पाठ्य सहाय्य क्रियाओं का मूल्यांकन भी किया जा रहा है। | 1 | प्रतियोगिताओं में अच्छे कार्यों का विवरण मूल्यांकन कार्ड |
| 30 | क्या बच्चों की प्रगति से अभिभावकों को अवगत कराता है? | 2 | <ul style="list-style-type: none"> • छमाही पर बच्चों के उपलब्धि स्तर उनके श्रेष्ठ प्रदर्शन एवं कमजोरियों के सम्बंध में अभिभावकों के साथ विचार विमर्श किया जाता है? |